1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या 15

मंगलवार

दिनांक 17 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

भागीरथ योजना

379. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या मुख्य मंत्री (नीति निर्धारण) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भागीरथ योजना से क्या तात्पर्य है ? इसकी रूप रेखा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से राज्य के नागरिकों को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त होंगी ?

(3) उक्त योजना कब प्रारम्भ हुई और इसके कार्यक्षेत्र में क्या-क्या विषय शामिल किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) भागीरथ योजना राज्य-कर्मियों को उनकी अन्तः प्रेरणा से उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य कराने की योजना है। इसकी रूप रेखा की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(2) इस योजना से विभागीय प्रवृतियों का बेहतर सम्पादन होगा, उससे नागरिकों को लाभ होगा।

(3) योजना जून, 90 से लागू की गई है। अभी इसे कृषि विभाग में लागू किया गया है, सहकारिता विभाग में भी इसे लागू किया जा रहा है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह योजना सभी विभागों के लिये बनी है, और आपने अभी कृषि विभाग में ही क्रियान्वित की है। यह मुख्य मंत्रीजी की काल्पनिक योजना नजर आती है। क्या स्वरूप लायेंगे, क्या करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस योजना की जानकारी मुख्य मंत्री जी से यदि मिल जाये....

Page No. 2

(2)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किताब पढ़ो पहले ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : किताब केवल कृषि विभाग को मिली है, अन्य विभागों को अभी मिली नहीं है । यह काल्पनिक योजना का स्वरूप ही लग रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस किताब को आप पढ़ोगे तो काम करने की प्रेरणा आपको स्वतः ही मिल जायेगी ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कर्मचारियों को या हमको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष : कल्पना से ही सब कुछ पैदा होता है ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भागीरथ योजना आपने केवल कृषि विभाग और सहकारिता विभाग में ही लागू की है या अन्य विभागों में भी लागू की है ? अब तक इसमें कितने आदमियों को ट्रेन्ड किया गया है ? और ट्रेन्ड करने के बाद आप उनसे क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने जो प्रश्न पूछा यह भागीरथ योजना केवल कृषि विभाग या सहकारिता विभाग से ही सम्बन्धित नहीं है । जो भी विभाग इसको अपनाना चाहे वह इसको लागू कर सकता है । जहां तक चयन करने का प्रश्न है, विभाग कोई चयन नहीं करता, इसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं वह स्वयं की प्रेरणा से चयनित करते हैं और अपने लक्ष्यों को खुद ही बताते हैं और 100 प्रतिशत से ऊपर जो लक्ष्य प्राप्त करें उसको भागीरथ योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब तक इसमें कितने लोगों का चयन किया गया ? उन्होंने क्या परिणाम दिये ? मेरा बहुत स्पैसिफिक प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं चयन नहीं होता है स्वतः ही लोग स्वीकार करते हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब तक कितने लोगों ने स्वीकार किया ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग जिलों के अन्दर इस प्रकार है :

अजमेर जिले में तीन, झुंझुनू में चार, भीलवाड़ा में 4, भरतपुर में 1, टौंक में 5, बांसवाड़ा में 1, कुल मिलाकर करीब 25, व्यक्ति इसमें हैं । इन्होंने स्वयं के विवेक से अपना लक्ष्य निर्धारित करके इस योजना में काम करने को कहा है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री बालचन्द आर्यवीर ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इतने भागीरथ कैसे राजस्थान के विकास को पूरा करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : जो 100 प्रतिशत से ऊपर करेंगे वह इसमें शामिल होंगे ।

झालावाड़ जिले में अध्यापकों के रिक्त पद

380. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में पंचायत समिति के अधीन कितनी प्राथमिक शालाएं हैं तथा उनमें वर्तमान में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? विद्यालयवार अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जो कि अध्यापकों के अभाव के कारण बंद पड़े हुए हैं ?

(3) रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) जिला झालावाड़ में पंचायत समितियों के अधीन 758 प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें वर्तमान में 1356 अध्यापक कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) झालावाड़ जिले में ऐसे कोई भी विद्यालय नहीं हैं जो अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों के लिए नवीन चयन प्रक्रिया के आदेश दिनांक 11–7–90 को जारी कर दिये गये हैं। जिला परिषद को तुरन्त चयन कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो खण्ड (2) में बताया है यह बिल्कुल असत्य है। कई स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हुए हैं। नई विद्यालयों में एक-एक अध्यापकों की वजह से बच्चे भेड़-बकड़ियों की तरह भरे पड़े हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है और उनका भविष्य अंधकार में है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने जो खण्ड (3) में बताया है कि चयन करने के लिये आपने जिला परिषदों को निर्देश दे दिये हैं। यह गलत है। अभी तक कोई चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है। यह स्थिति सारे राज्य में है। रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति के लिये आपने जो निर्देश दिये हैं उनकी पालना नहीं हो रही है इसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे ? वास्तविक स्थिति क्या है यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि प्राथमिक शालाओं में किस मापदण्ड से अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं ? दूसरा यह है कि क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि इतने पद जो काफी समय से रिक्त पड़े हुए हैं, और वह कब तक भर दिये जायेंगे ? तीसरा यह है कि प्रत्येक प्राथमिक शाला में दो अध्यापक लगाने की कार्यवाही कब से शुरु करेंगे ? क्योंकि पांच क्लासेस होती हैं और एक-एक अध्यापक से पांच क्लासों की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिये दो अध्यापक लगाने की जो कार्यवाही शुरु कर रहे हैं वह कब से शुरु करेंगे ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शालायें बन्द होने की बात कही है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि अध्यापक कम जरूर थे, 100 पद रिक्त थे लेकिन अध्यापक नहीं होने से कोई शाला बन्द नहीं रही, कमी जरूर रही। इसकी पूर्ति के लिये भी मैंने निवेदन कर दिया है कि निर्देश 11–7–90 को ही जारी किये हैं मैं आशा करता हूं कि 15–20 दिन में जितने भी रिक्त पद हैं इस चयन प्रक्रिया के जरिये जिला परिषदें भर देंगी। उसके बाद कोई समस्या पैदा नहीं होगी।

नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा वह वैसे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह बात सही है कि छात्रों की संख्या के मापदण्ड से अध्यापकों की कमी पड़ रही है। इसके बारे में विचार किया जा रहा है और जल्दी ही नई पोस्टें स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जोधपुर जिले की 140 शारीरिक शिक्षकों की जगह खाली होने के उपरान्त भी, बार-बार इन्स्ट्रक्शन्स देने के बाद भी नहीं भरी जा रही हैं। वहां की डी. ई. सी. नहीं बैठती है इसके कारण 1982 से वहां सारे शिक्षक घूम रहे हैं उनको कब तक लगाने का विचार है ? दूसरा क्या सरकार जिला परिषदों से मिडिल स्कूलों को शिक्षा विभाग को वापिस सौंपने का विचार रखती है अगर रखती है तो कब तक ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी जितने भी पद खाली हैं उनको मेरिट के आधार पर भरने के आदेश दे दिये गये हैं, 15–20 दिन तो लग जाते हैं। वह आदेश 11–7–90 को ही दिये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष : सवाल भी एक आयेगा और जवाब भी एक आयेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : क्या राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन करने का विचार रखती है ? दूसरा प्रश्न, क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों में एस. टी. व एस. सी बैकलॉग को पूर्ण करने के लिए नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा रखी है ? तीसरा प्रश्न क्या राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है और चौथा प्रश्न जिन क्षेत्रों में एस. सी. व एस. टी. के अध्यापक नहीं है, उन पंचायत समितियों में भी बैकलॉग की पद्धति लागू है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदा राम।

श्री बिरदा राम चौधरी (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के अन्तर अप्रेल में इन्टरव्यू हुए थे और मैरिट के हिसाब से जो लिस्ट बनाई थी, उन पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी तो क्या जो नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उन जो इन्टरव्यू हो गये उनको लिया जायेगा या दूसरा इन्टरव्यू लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी। आप पूछिये। अच्छा आपका अलग से होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी माननीय मंत्री महोदय कि आपने जो आदेश शिक्षकों के रिक्त पद को भरने के लिए दिये हैं, वह सभी जिला परिषदों को दिये हैं या नहीं ? नम्बर दो आपने शिक्षा केन्द्र जो खोले थे राज्य के अन्दर, क्या यह सही है कि सरकार ने अभी तक नवीन आदेश निकालकर पिछले साल जो शिक्षा केन्द्र खोले थे, उनको बन्द करने के निर्देश सरकार ने दिये हैं, उससे जो शिक्षा के केन्द्र थे, एक तरह से प्राइमरी स्कूल थे जिनमें अध्यापकों को कम तनख्वाह पर रखा जा रहा था। इससे जो स्थिति उत्पन्न हो गई, जैसा जहां जिन गांवों में स्कूल खुल गये, वे बन्द होंगे क्या, चाहे झालावाड़ जिला चाहे अन्य जिले हों। क्योंकि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है अगर दोनों पर प्रकाश डाल दें तो काफी समस्या का निदान होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। मैं जब सभी लोग पूछेंगे तो मैं सभी का नाम ले रहा हूं। बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाओं में जो अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है, वो क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापकों व छात्रों का अनुपात 1 : 49 का रहेगा। नम्बर दो, नई भर्ती के अन्दर चयन की प्रक्रिया क्या होगी। क्या किसी जिला स्तर पर चयन मण्डल का गठन किया जायेगा या मैरिट के आधार पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रतना राम।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वहां भी जिला परिषद में जो इन्टरव्यू लिये गये थे, उनकी मेरिट लिस्ट बनाई गई और मेरिट लिस्ट के हिसाब से पिछले 7–8 महीने से जो उम्मीदवार है उनको जिला परिषद में आने-जाने का सिलसिला बना हुआ है, कृपया इस मैरिट लिस्ट के आधार पर उनको नई नियुक्ति दी जायेगी नम्बर एक। दूसरी वहां जिला परिषदों में इसमें जो भेदभाव हैं और बड़ा भारी घोटाला हो रहा है इसलिए क्या आप अलग से चयन समिति नियुक्त करने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, एक तो पंचायतों में गांवों में जो अध्यापकों की कमी है, ट्रेंड अध्यापक नहीं मिल रहे थे, तो पंचायत समिति ने पंचायतों के माध्यम से जो शिक्षा केन्द्र के अन्दर जो मैट्रिक एवं हायर सैकण्डरी के अध्यापक लगाये थे, क्या उनको वापिस से लगाने का विचार रखते हैं या नहीं। दूसरी, जिला परिषद के अन्दर 12 महीने से रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरने के लिए आपने अब तक कितने अध्यापकों का चयन किया है और क्या स्थिति है। कितने पद खाली हैं, कृपया स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल।

श्री मोहन लाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिला परिषद की चयन प्रक्रिया काफी लम्बी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सिर्फ सवाल पूछें। और भी सवाल पूछने वाले हैं।

श्री मोहन लाल : क्या आप जिला परिषद को चयन करने के पहले प्रधानों को किसी ट्रेंड अध्यापक को नियुक्त करने के लिए अधिकार देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगलाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं गत दो साल में पंचायत शिक्षा केन्द्र प्राथमिक शाला के रूप में आपने गांवों में खोले हैं, उनमें बहुत सी जगह भवन बन गये, 4–4, 5–5 कमरे गांव वालों ने बना दिये, अन-ट्रेंड टीचर आपने लगाये थे, मैं पूछना चाहता हूं पंचायत शिक्षा केन्द्र आपने अध्यापकों के अभाव में बन्द किये या किसी नीतिगत फैसले के आधार पर बन्द किये और मेरी आपसे अपील और है क्वश्चन के साथ साथ कि इनको खोल दें तो ठीक है। 1000 शालाएं इस तरह की हैं जो प्राथमिक शाला के रूप में उभर गई और आज बन्द करने की स्थिति आ गई।

श्री अध्यक्ष : श्री काली चरण।

श्री काली चरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह पूछना था कि एक तरफ तो यह विचार चल रहा हैं कि पंचायतों के अन्तर्गत जो स्कूल दे रखें हैं वह पहले शिक्षा विभाग में लाई जाय, यह विचाराधीन है, और एक तरह से नई नियुक्तियां कर रहे हैं और वे पंचायतों के माध्यम से करेंगे तो क्या यह विरोधाभास नहीं होगा। शिक्षा विभाग नई नियुक्तियां करेगा या पंचायत समितियां करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा।

श्री बृज राज मीणा (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिला परिषद में जो इन्टरव्यू लिया गया था, वहां अध्यापकों की सूची क्या माननीय मंत्री महोदय जारी करना चाहते हैं या नया इन्टरव्यू होगा या यह जो अपाइंटमेन्ट दिये जायेंगे, वह मेरिट के आधार पर दिये जायेंगे या इन्टरव्यू के आधार पर दिये जायेंगे ? दूसरा प्रश्न है मेरा, जो 15–20 दिन में पद भरने की बात कही गई है, यह डेपुटेशन के आधार पर भरे जायेंगे या फ्रेस अपाइन्टमेन्ट के आधार पर ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा लाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अध्यापकों के चयन में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? क्या राज्य सरकार को मजबूरन शिकायतों के आधार पर चयन सूची को स्थगित करने के आदेश निकालने पड़े और स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं तो क्या सरकार जनहित में इस शिक्षा को पंचायत राज से मुक्त कर शिक्षा विभाग के अधीन करने का विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं तो मैं क्या करूं ? छोटा सा सवाल है सब पूछना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं ?

श्री भंवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल महत्वपूर्ण है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1987–88 और 88–89 में जो प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे, उनमें रेगुलर टीचर लगा दिये हैं और 2–3 साल से लगातार वे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, उनको पिछले साल उन विद्यालयों में कन्वेंट कर दिया गया। उनमें भी अब क्या विभाग ने आदेश किये हैं कि उनको भी बन्द कर दिया जावे और उनको चलाने का मंत्री महोदय विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रश्न सिर्फ झालावाड़ जिले का ही था लेकिन कुछ नीतिगत प्रश्न है, जो सरकार के निर्णय लिये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो शिक्षा केन्द्रों के बारे में जो बन्द करने की बात आई, इसमें पूर्व सरकार ने 88–89 और 89–90 में 5000 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले थे, उनको भी शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया और वहां नियुक्ति के अधिकार पंचायतों को पहले दिया और फिर एक कमेटी बनाई गई। अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है। तीन आदमियों की जिला लेवल पर कमेटी बनाई गई है जिसका चेयरमैन जिला कलेक्टर, सी.ओ. एवं बी.डी.ओ. होंगे। जहां निश्चित मात्रा में मापदण्ड तय किये हैं, जितने छात्र थे और जहां भवन है, वहां भी प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था तुरन्त कर दें। यह आदेश हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कब हुए।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : यह 11 तारीख को हुए। इससे भी जहां ऐसे भी स्कूल थे जहां नाम मात्र के कोई 2–4 छात्र आते थे, राजनीति दृष्टि से शिक्षा केन्द्र खोले गये थे, उनका बाद में निर्णय सरकार लेगी कि उनका क्या हो, मापदण्ड के आधार पर कहीं और प्राइमरी स्कूल खोले जाय, अभी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है और जो यह अब चयन की प्रक्रिया के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा, वह सारे जिला परिषदों को आदेश दे दिये गये हैं। और मैरिट के आधार पर जिला परिषद प्रार्थना पत्र मांगकर जितने भी पद रिक्त है, किसी भी स्तर के, किसी भी कैडर के उनको 20 दिन में भर देगी। मेरा निवेदन यह है कि इससे पहले भर्ती में भ्रष्टाचार की 20 शिकायतें आई थीं, जिस पर रोक लगाई थी, उस पर यह निर्णय किया है सरकार ने जो लोग हाई कोर्ट में चले गये थे और जिनकी जिला परि-परिषद ने लिस्ट आउट कर दी, अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिये गये थे। और नियुक्ति पत्र देने के बाद उनको इस स्टे के कारण जोइन नहीं करने दिया गया, उन लिस्टों को लागू कर दिया गया है और जिन्होंने लिस्ट ही नहीं निकाली, अपाइन्टमेन्ट लेटर नहीं निकाले और जहा इन्टरव्यू ही नहीं हुआ, वहां नए सिरे से इन्टरव्यू होगा। पूरे राजस्थान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है, यह तो मैं नहीं बता सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मामला है नीति सम्बन्धी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने शिक्षा केन्द्रों को बंद करने का

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

निर्णय लिया है उसमें एक बड़ा मौलिक प्रश्न यह है, यह निर्णय क्यों लिया गया था ? राज्य सरकार ने इसलिये लिया था कि दूरदराज गांवों के अन्दर जहां पर मास्टर जाते नहीं थे, टीचर वहां उपलब्ध होते नहीं थे, जो भी आदमी हैं वह शहरों में रहना चाहता था। इसलिये यह कठिनाइयां राज्य सरकार के सामने आई और आपके सामने भी आयेंगी। जिसकी भी आप नियुक्ति करेंगे वह गांव तक पहुंचता नहीं। इसलिये इन केन्द्रों में वहीं के जो पढ़े लिखे लड़के थे उनको कम तनख्वाह देकर वहां पर स्कूल चलाने की योजना थी। इसको गंभीरता से आप समझ लें। चाहे हमारी तरफ से बंद करें, लेकिन उसमें टीचर वहां पहुंचना चाहिये। आज गांवों के अन्दर दूर दराज तक मास्टर पहुंचता नहीं है इसलिये यह निर्णय लिया था कि वहीं के व्यक्ति को इन केन्द्रों में एम्प्लायमेंट मिले।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री ईश्वरलाल सैनी।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कैम्प कोर्ट

381. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में कैम्प कोर्ट शुरू कराये जाने के लिये पिछले पांच माह से वकीलों ने हड़ताल की हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय ने फर्नीचर के 25 हजार रुपये जमा कराने पर कैम्प कोर्ट खोलने की स्वीकृति दी है ?

(3) यदि हां तो कब तक कैम्प कोर्ट की स्थापना कर दी जावेगी ? नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री विधि (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इसके लिये बजट राशि उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होने पर ही कैम्प कोर्ट स्थापित करना सम्भव होगा।

एक माननीय सदस्य : रटा-रटाया जवाब है।

श्री शांतिलाल चपलोत : वह तो हर राज में ऐसा ही होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि लक्ष्मणगढ़ में वकीलों ने पिछले पांच माह से हड़ताल की हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आ गया, आप सवाल पूछें ना। यह तो आ गया, यहां कह दिया उन्होंने।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस सम्बन्ध में उन्होंने "हां" तो कह दिया किन्तु मेरा प्रश्न यह है, जब हड़ताल चल रही है तो इस सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार ने उस हड़ताल को बंद करने के लिये क्या कार्यवाही की ? एक प्रश्न।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दूसरा प्रश्न यह है, केवल स्वीकृति तो दे दी है वहां लक्ष्मणगढ़ में कैम्प कोर्ट खोलने के लिये हाई कोर्ट की तरफ से लेकिन मात्र 25 हजार रुपये जो फर्नीचर के चाहे थे हाई कोर्ट ने उसके लिये इन्होंने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि अलवर में किशनगढ़ में भी कैम्प कोर्ट चालू है····

श्री जगमालसिंह यादव : किशनगढ़ में कैम्प कोर्ट चालू नहीं है, वहां ए. डी. जे. की कोर्ट 4–5–6–7 साल से कन्टीन्यू चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप उनको सवाल पूछने दीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एडीशन डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज की कैम्प कोर्ट है। उसके बाद राजगढ़ में भी कैम्प कोर्ट है। केवल एक ऐसा इलाका है लक्ष्मणगढ़ जिसमें कठूमर भी आता है, जिसमें खेड़ली भी आता है, गोविन्दगढ़ भी आता है और लक्ष्मणगढ़ भी आता है वह अलवर से कम से कम 80 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। सैकड़ों लोगों को उनमें फायदा होने की बात है। केवल 25 हजार के लिये यह कह कर कि हमारे पास धन उपलब्ध नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, मैं समझता हूं यह राजनैतिक उद्देश्य से इस तरह का जवाब है। मेरी इनसे करबद्ध प्रार्थना है····

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मिनट। मुख्य मंत्रीजी····

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी को मत पूछो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, नहीं, एक डेपुटेशन की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह करिये आप। पूछिये सवाल जो संबंधित मंत्री है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मंत्री महोदय से भी एक डेपुटेशन आया था मिलने के लिये जब यह हड़ताल चली थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम जल्दी आपके 25 हजार रुपये स्वीकृत करके कोर्ट शुरू कर देंगे। मेरा आपसे इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि 25 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप किसी तरह से अब तो बजट सैशन चल रहा है 25 हजार का प्रावधान कर दें। फर्नीचर की बात है, आपको कैम्प कोर्ट शुरू करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया ना। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजनैतिक भेदभाव बरता जा रहा है, मैं समझता हूं कि पांच महीने पहले हमारी सरकार भी नहीं थी। प्रश्नकर्ता ने जिस तरीके से प्रश्न उठाया है वह स्वयं इस बात के लिये जिम्मेदार है, उनकी सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह पांच महीने पूर्व की स्वीकृति है जो हाई कोर्ट ने दी है। यह आपका उत्तर है ? (व्यवधान)

सरकार होती तो प्रस्ताव मंजूर हो जाते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी, विराजिये । वह सुनना नहीं चाहते । नैक्स्ट ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सुनना क्या नहीं चाहते । नैक्स्ट क्या, साहब, मेरी....

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते । आप इन्टरफीयर क्यों कर रहे हैं फिर। कीप क्वाइट ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह कैसी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये । बैठिये फिर । सुनिये फिर । सुनिये ना । आप सुनना भी नहीं चाहते । बीच–बीच में खड़े हो रहे हैं । आप बैठिये फिर । प्लीज सिट डाउन । आप सुनिये फिर । आप बीच में खड़े मत होइये । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, नहीं सुनना चाहते । नैक्स्ट, श्री जगतसिंह दायमा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं विराजिये अब आप ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इन्होंने यह कह दिया कि आपकी सरकार ने किया ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय मंत्रीजी । प्लीज सिट डाउन । माननीय सदस्य कृपया विराजिये । माननीय सदस्य कृपया विराजिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से क्या मतलब है ? मेरी कौनसी सरकार थी ? सरकार राजस्थान की थी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये । इनका अंकित मत करिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप नोट मत करिये । मंत्री जी का नोट करिये ।

कृषि विपणन बोर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारी

382. **श्री जगतसिंह दायमा**(बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विभाग में कितने अधिकारी किस तिथि से कृषि विपणन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ?

(2) प्रतिनियुक्ति के प्रवृत्त नियमों के अनुसार क्या वे अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके हैं ?

(3) यदि हां, तो इनको अभी तक इनके पैतृक विभाग में क्यों नहीं भेजा गया और अब कब तक भेज दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(1) परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(2) परिशिष्ट 'क' में क्रम संख्या 3 पर अंकित अधिकारी को छोड़कर शेष अन्य किसी अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार अधिकतम अवधि पूर्ण नहीं की है ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(3) कृषि विपणन सेवा में आमेलन हेतु विकल्प मांगे गये थे । चूंकि इन पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया अतः उपरोक्त अधिकारी को पैतृक विभाग में नहीं लौटाया गया । अगले दो माह में अब इन्हें कृषि विपणन विभाग में लौटा दिया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें ।)

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय दायमा जी । दायमाजी, प्लीज बोलिये ।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना ही नहीं (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं । आप शांति से बैठिये । इनका नोट नहीं करिये, उनका करिये ।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना ही नहीं यह क्या बोल गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा बोलते हैं, जोर से बोलिये जरा । सुनाई देगा । आप जोर से बोलिये ना, सुन लेंगे । सुन लेंगे । वह नहीं मानेंगे ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं मानेंगे मैं कह चुका हूं । मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप विराजिये । मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप विराजिये । अब आप विराजिये । आप बैठिये । आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : हो गया भाई, अखबारों में नाम आ जायगा, बैठ जाओ ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

एक माननीय सदस्य : बैठो, अकेले नहीं है क्या ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × × (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + तो बैठ जाओ ।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी । आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । आई विल नेम यू ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं ....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए ।

Page No. 12

(12)

एक माननीय सदस्य : यह +++ जो कहा है वह भी ठीक है क्या ?

एक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मैं मंत्रीजी को जवाब दिलवा रहा था तो मंत्रीजी के जवाब देने में आप व्यवधान पैदा कर रहे थे.... (व्यवधान) पहले मेरी सुन लीजिये : बार-बार मेरे मना करने पर भी आप व्यवधान पैदा कर रहे थे। सवाल सीधा सा है आप कह रहे हैं कि 25 हजार रुपये सरकार जमा नहीं करा रही है। वह कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मामल खतम। इतना ही मामला है। इससे ज्यादा लम्बा चौड़ा है नहीं। इसलिये आप उसमें व्यवधान करके सदन का जो समय है उसको अनावश्यक जो बात आ गई कि वह 25 हजार रुपये नहीं देंगे जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा, हो गई बात खतम। अब बाकी बची क्या है ? अब उसमें आप पाल्टिकल आक्षेप लगा रहे हैं, वह पाल्टिकल लगा रहे हैं मैं दोनों तरफ कह रहा हूं। तो यह डिबेट तो नहीं है। इट इज नाट ए डिबेट। जब मैंने आपको निवेदन कर दिया कि या तो आप सुनिये.... (व्यवधान) आप मेरे को भी नहीं सुनना चाहते।

श्री जगतसिंह दायमा : It is not a time of debate.

श्री अध्यक्ष : मिस्टर वर्मा, आई थिंक आप अब धीरे-धीरे समझदार हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, अब आप समझदार हो रहे हैं। इसलिये आप शांति रखिये। सवाल समाप्त हो गया। उसमें कोई गुंजाइश रही नहीं। और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बचे हुए हैं जिनमें आप सब लोग इन्ट्रेस्टेड हैं। सदन का जो समय है उसको पूरा करिये। माननीय दायमाजी। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : मंत्री जी जवाब दें उसके बीच में खड़े क्यों हो जाते हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सैनी जी, अखबार में तो इतने से ही बहुत कुछ आ जायगा (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ना दीजिये और बाहर निकालिये इनको हाउस से।.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा निवेदन है कि वहां अभी तक हड़ताल चल रही है। वहां पर वकीलों ने आज भी बहिष्कार किया है। आप कुछ तो इसमें करवाइये। (व्यवधान) कम से कम हड़ताल तो बन्द करवा दीजिये। मुझे इसमें तो सहायता करेंगे। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इनके पीछे लगा दिया। गलत तरीके से लगा दिया मेरा। गैप होना चाहिये इनके प्रश्न के बाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका ? ऐसा है, आप मेरी सीमाएं जानते हैं। मैं सरकार को इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता कि वह आश्वासन दे। यदि सरकार अपनी मर्जी से आश्वासन दे और यदि

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री अध्यक्ष)

वकील लोग हड़ताल पर है तो 25 हजार का बहुत मामूली मामला है वह चन्दा करके जमा करवा सकते हैं, हड़ताल खतम हो सकती है। वह तो कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी चन्दा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता No. member has got any right to press or compel the Government including the Chairman to say whatever he likes. He cannot do this. It ts prerogative of the Government. जो जवाब उनको देना है वह देंगे। न उन्हें आप दबा सकते हैं, न मैं दबा सकता हूं। अब इसके क्या रीप्रकशन्स, क्या-क्या परिणाम होंगे, इट इज डिफरेन्ट मैटर। लेकिन सरकार को इस प्रश्नकाल में उन्हें अमुक तरह से उत्तर देने के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता। आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। जब मैं नहीं दे सकता तो आपका दांव कहां से चलेगा ? इसलिए सरकार कुछ नहीं कहेगी। They will not say. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बेकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। आप सीमा से बाहर मत जाइये। मंत्री महोदय को मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इन्हें आगरा भेज दीजिये। आगरा और बरेली भेजने का इन्तजाम करवा दीजिए कम से कम। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मंत्री महोदय, जवाब दे रहे थे, व्यवधान के कारण वह बीच में बैठ गये थे। वह जवाब तो पूरा कर दें। दूसरा, मुझे सरकार यह तो आश्वासन दे दे कि जो हड़ताल चल रही है उसके लिए मैं क्या करूं और सरकार क्या करेगी ?

श्री जगतसिंह दायमा : खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। अब आप देखिये, मैं बहुत विनम्रता से आपको कह चुका हूं। अब तो इंसिस्ट मत करिये। मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। यह कानून है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं बाध्य नहीं करवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो बाध्य ही कर रहे हैं। आपने हाउस की सारी कार्यवाही रुकवा कर आप अकेले ने हाउस की सारी कार्यवाही रोक दी। आगे का सवाल माननीय जगतसिंह जी, पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा जवाब तो पूरा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। माननीय दायमा जी। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री ईश्वरलाल सैनी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उत्तर दुबारा पढ़ देता हूं :–

(1) परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) परिशिष्ट "क" में क्रम सं. 3 पर अंकित अधिकारी को छोड़ कर शेष अन्य किसी अधिकारी ने प्रतिनियुक्त नियमों के अनुसार अधिकतम अवधि पूर्ण नहीं की है ।

(3) कृषि विपणन सेवा में आमेलन हेतु विकल्प मांगे गये थे । चूंकि उन पर अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया अतः उपरोक्त अधिकारी को पैतृक विभाग में नहीं लौटाया गया । अगले दो माह में अब उन्हें कृषि विपणन विभाग में लौटा दिया जायगा ।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महो–दय, कृषि विपणन बोर्ड ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है । चाहे जो करते हैं, चाहे जो नहीं करते । अभी विधान सभा में भी इनके अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने अधूरी लिस्ट आपको पेश की है । मैं आपके मार्फत प्रश्न करना चाहता हूं कि लिस्ट में दिये गये अधिकारियों के अतिरिक्त भी अन्य कनिष्ठ विपणन अधि-कारी भी क्या प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो कितने अधिकारी हैं ?

दूसरा, क्या उन सभी डेपूटेशन पर कार्यरत कनिष्ठ विपणन अधिकारियों से क्या बोर्ड या कृषि विपणन निदेशालय हेतु विकल्प चाहे गये थे उनमें से किस–किस ने बोर्ड और निदेशालय में रहने बाबत ऑप्शन दिये हैं ? क्या यह सही है कि जिस अधि-कारी ने बोर्ड की सेवा के लिए विकल्प दिया वह राज्य सरकार के विचाराधीन होने के उपरान्त भी उसे कार्यमुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है सूची के सम्बन्ध में वह बात सही है । दो सर्विसेज हैं । स्टेट सर्विस की सूची मैंने आपको दी है । दूसरी सूची सब्रोडिनेट सर्विसेज की है । उसमें आपने जो उल्लेख किये हैं । वह करीब 18 कर्मचारी हैं । यह भी सही है कि उसमें से करीब 6 ऐसे अधिकारी हैं जिनको चार साल से अधिक प्रतिनियुक्ति पर समय हो गया है । इन सभी कर्मचारियों को, जिनको अधिक समय हो गया है इनको वापिस पैतृक विभाग में लौटा दिया जाएगा । आपने एक प्रश्न और किया कि जिस अधिकारी ने ऑप्शन दिया था । आप मुझे नाम बतलावें तो मुझे जान-कारी होगी और जिसके सम्बन्ध में आप कह रहे हैं मैं अपको सही तरीके से बतला सकूंगा या आप अलग से बतला देंगे तो उसके लिए जो कार्यवाही होगी, मैं निश्चित रूप से करके बतला दूंगा ।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो नियम ताक में रखकर डेपुटेशन पर उन अधिकारियों को रखा हुआ है उनके बारे में नियमों से जो हट कर उन्होंने काम किया उनके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे, यह बतला दें ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं निवेदन करूं, मैं किसी को शील्ड नहीं करना चाहता । अध्यक्ष महोदय, सर्विस रूल्स, 1986 जब बने उस समय अधिकारियों से ऑप्शन मांगे

(श्री दिग्विजय सिंह)

गये थे। जिन अधिकारियों ने ऑप्शन दिया उनको इस सर्विस में समावेश कर लिया गया है और जिन्होंने ग्राप्शन नहीं दिया वह इसमें नहीं आये। हो सकता है इसमें जो कट ऑफ लाइन रखी गई वह 25.1.86 थी। यह सर्विस रूल्स फोर्स में आ गये थे जनवरी, 86 में। इस कट ऑफ लाइन की वजह से कई अधिकारी या कर्मचारी आ नहीं सके। इस वजह से हो सकता है वह कर्मचारी, अधिकारी रह गये हों जिन्होंने आप्शन दिया हो और उसमें नहीं आये हों। जिस अधिकारी, कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं, मेरे को जानकारी है. वह सर्विस ट्रिब्यूनल में भी गये थे। वहां से उनकी अपील रिजेक्ट हो गई उसके बाद उनको पैतृक विभाग में भेज दिया। पैतृक विभाग में जाने के बाद आज दिन तक उन्होंने वहां ज्वाइन भी नहीं किया इसलिए ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि वह अभी कहां हैं इसलिए आप मुझे बतला दें सारी चीज, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन हैं कि कृषि विपणन बोर्ड में आपने जो नियम बना रखे हैं कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कितने साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता ? आपने अपने जवाब में स्वीकार किया कि 19 जनवरी, 1986 और 87 में हमने वैकल्पिक मांग की कौन कृषि विपणन बोर्ड में रहना चाहते है, कौन अपने पैतृक विभाग में जाना चाहते है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 1986-87 में जब वैकल्पिक फार्म भरवा लिया तो जो आदमी वैकल्पिक व्यवस्था से विपणन बोर्ड में रहना चाहते थे, उसको तो आपने पैतृक विभाग में भेज दिया और जिन सात-आठ व्यक्तियों ने यह वैकल्पिक व्यवस्था रखी की हम अपने मूल पैतृक विभाग में जाना चाहते है, उनको आपने नहीं भेजा। ऐसे क्या कारण थे ? उस अधिकारी को ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत क्यों पड़ी ? ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत आई क्यों ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। हो गया, ठीक है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा क्वश्चन है साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड में यह नियम है कि चार साल बाद उसको प्रतिनियुक्ति में नहीं रहने देते और एक साल राज्य सरकार की सहमति से बढ़ा दिया जाता है। ये सारी समयावधि पार हो गई तो क्या यह सही है कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए फार्म भरवाये हैं और वैकल्पिक व्यवस्था में केवल उस अधिकारी को आपने पैतृक विभाग में भेजा, जिसकी यह इच्छा थी कि मैं कृषि विपणन बोर्ड में रहूंगा और उन सबको आपने रख दिया....।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप रिपीट कर रहे हैं, सवाल आ गया आपका....।

श्री जगमालसिंह यादव : दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कृषि विपणन बोर्ड में रहने वाले जो अधिकारी हैं उनके पास सारे घपलों की जानकारी थी और आपका विभाग भी लाचार है उनको दूसरी जगह भेजने के लिए। इन सब बातों का....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको निवेदन किया कि जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं या तो आप स्पष्टतया बतला दें तो मैं उस सारे प्रकरण की जांच करवा लूंगा। तो यह है कि....।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से बता दीजिये। आप नाम बता दीजिये, बाद में बता दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो आपको क्रमांक सहित बता सकता हूं। दिनांक बता सकता हूं, नाम बता सकता हूं। लेकिन मुझे तो यह बता दीजिये फाइनल कि जिनका अब तक नहीं किया, उनका कब तक करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जिनकी टर्म खत्म हो गई है, उनको हम तीन माह के अन्दर वापिस भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम नारायण वर्मा।

नैनवा तहसील में "पिछड़े को पहले" योजना

383. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी की तहसील नैनवा में पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत सन् 1984 से 1989 तक कितने व्यक्तियों का चयन किया गया था ? उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के तथा कितने सामान्य वर्ग के हैं ? ऐसे व्यक्तियों के नाम ग्राम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में हरपाल आत्मज छीतर बैरवा निवासी गुढ़ादेवजी का भी चयन किया गया है ? यदि हां तो कब तक उसे इस योजना के तहत क्या फायदा पहुंचाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त हरपाल को सरकार की ओर से उक्त योजना में चयन के बाद बकरियां उपलब्ध कराई गई हैं ? यदि हां तो वह बकरियां इस समय किसके कब्जे में हैं तथा विक्रेता के किस चैक नम्बर से किस तारीख को किस बैंक के जरिये भुगतान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष जी, (1) बूंदी जिले की तहसील नैनवा में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984 से 1989 तक 11482 व्यक्तियों का चयन

(श्री सम्पतराम)

किया गया था । चयनित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :

अनुसूचित जाति 3,333

अनुसूचित जन जाति 1,930

अन्य (सामान्य वर्ग) 6,219

11,482 चयनित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखना अत्यन्त विस्तृत कार्य है ।

(2) जी, हां। उक्त योजना में श्री हरपाल आत्मज श्री छीतर बैरवा निवासी गुढ़ादेवजी का चयन पंचायत समिति नैनवां की चयनित व्यक्तियों की सूची 1986-87 के क्रमांक 501 पर अंकित किया गया है। श्री हरपाल को अभी तक लाभान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि श्री हरपाल जिस बकरी यूनिट को क्रय करना चाहते थे, वह अपूर्ण एवं अलाभकारी थी एवं उसी गांव के परिवार की थी जिसके स्वयं हरपाल रहने वाले हैं। परिणामस्वरूप क्रय समिति ने उक्त क्रय की मंजूरी नहीं दी ।

(3) जब बकरियां दी ही नहीं गई तो अन्य सूचना देने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या यह पूरी सूची इसलिए नहीं दी गई कि नैनवां तहसील के जो गरीबी की रेखा से ऊपर है, उनका भी चयन कर लिया गया ? जो वास्तव में गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है अपने जीवन यापन के लिए, उनका चयन नहीं किया गया । सूची आने के बाद उन बातों को हम आपसे पूछ सकते थे । दूसरा, हरपाल को जो बकरियां दी गई थी, वह किस व्यक्ति की दी गई ? क्या नाम था उसका ? उसके पिता का नाम क्या था ? ताकि मालूम किया जा सके कि वह आदमी किस गांव का रहने वाला था ? तीसरी, जानकारी मैं लेना चाहूंगा कि हरपाल को चयनित परिवार में शामिल करने के बाद क्या–क्या विकल्प दिए गये ? उसको क्या यह जानकारी दी गई और दी गई तो किस तरीके से दी गई ? कि आपके सामने ये ऑक्सन्स हैं, आप गांव के रहने वाले हैं या किस–किस के लिए आप देना चाहते हैं ? इन तीनों बातों की जानकारी मैं चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि उस सूची में जो चयन हुये हैं उसमें गलती हुई है। जिनका चयन किया जाना चाहिए था, उनका चयन नहीं हुआ, दूसरे व्यक्तियों का हो गया । यह प्रश्न तो अलग है । अगर किसी पर्टिकुलर केस का जिक्र किया जाये तो उसे देखा जा सकता है। जहां तक सूची देने का प्रश्न है यह कहा गया कि सूची इसलिए नहीं दी गई। वह तो अध्यक्ष महोदय, सूची इसलिए नहीं दी गई कि वह बड़ी सूची है । इसकी लिस्ट बनाना बहुत ही असम्भव है । माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसे देख सकते हैं । दूसरा प्रश्न यह किया कि जिस व्यक्ति को हमने

(श्री सम्पत राम)

चयनित सूची में ले लिया, उसको लाभान्वित क्यों नहीं किया गया ? इसको अध्यक्ष महोदय, लाभान्वित इन कारणों से नहीं किया कि इन्होंने बकरियां खरीदनी चाही थी। उसके लिए बैंक ने 28–9–89 को ऋण मंजूर किया और उन्हें ऋण मंजूर करने के बाद अभिकरण द्वारा भी 1900 रुपयों की अनुदान राशि देने की मंजूरी दे दी। इसके बाद में कैम्प लगे, दो कैम्प लगे। एक तो देई में और दूसरा कैम्प लगा गुढ़ादेवजी में। पहले कैम्प में जब ये गये तो उसमें ये बकरियां लेना चाहते थे। वे बूढ़ी बकरियां थीं। यूनिट भी उनकी कम थी और गांव के रहने वाले किसी सिड्यूल कास्ट की वे बकरियां थी। दूसरा जो कैम्प लगा उसमें भी गये तो उसी गांव की बकरियां थी और यूनिट भी कम थी एवं बकरियां बूढ़ी भी थी। अध्यक्ष महोदय, यह ख्याल रखा गया था जहां तक ये बकरियों की खरीद फरोख्त होती है और बहुत सी चीजों की, इन योजनाओं के तहत होती है। उसमें बकरियां दूसरे की दिखायी जाती है और खरीद वह कागजों में हो जाती है। तो वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति को हम लाभान्वित करना चाहते हैं उसको इस प्रकार से लाभ नहीं मिल सकता। इन्हीं कारणों की वजह से यह नहीं हुआ। इसके बाद भी हमने यह सोचा है कि उस एरिया के नजदीक में जब भी कोई कैम्प लगेगा और वे उसमें जायेंगे तो मैं इस तरह का निर्देश दूंगा कि इनको लाभान्वित करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न संख्या–1, कायदे से मुझे अल्प सूचना प्रश्न को इसमें लेना पड़ेगा जो प्रश्नों की सूची में लगा हुआ है। अच्छा आप पूछ लीजिये एक सवाल।

श्री रामनारायण वर्मा : उन बकरियों पर टैक्स लगाते हैं, वह लगा दिया गया था। चूंकि वह गरीब आदमी था उसके पास पंचायत समिति के बाबू को, डॉक्टर को रिश्वत देने को पैसा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वह रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो 11000 की आपने सूची बतलायी है, उसमें कितने आदमियों को लभान्वित किया गया और कितने को नहीं किया गया ? वास्तव में लाभान्वित किये ही नहीं जा रहे हैं। मेरा निवेदन यही है। इसलिए सूची आपसे मांग रहा था। आप दिखा रहे हैं तो मैं देख लूंगा। सूची मुझे दे दे तो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उसकी डिटेल दी जा सकती है कि क्या हो रहा है ? जिस.... ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आप बिराजे।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। मेरे पास यह सूची है लेकिन इसकी प्रति देना तो सम्भव नहीं है। इसके लिए आपके पास या तो मैं आ जाऊं या आप मेरे पास पधारे। आप सूची को देखिये और जो कुछ भी आप इसमें गलती देखें वह मुझे बतायें। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर से उस पर कार्यवाही करूंगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जी। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न है, इसको मेरे को लेना पड़ेगा। आप समय खराब मत कीजिये। माननीय सदस्य आप बिराजे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (टौंक) : यह पूरा बोलना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

अल्प सूचना प्रश्न

जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

402. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ?

(2) वर्ष 1990 में चलाये गये विशेष अभियान के दौरान किन-किन समितियों में अनियमितताएं पाई गई और मुख्यतः वे किस–किस प्रकृति की हैं ?

(3) दोषी पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों तथा गृह निर्माण समितियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई एवं क्या–क्या कार्यवाही आगे प्रस्तावित हैं ?

(4) इनके बारे में सरकार की भावी योजना क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) :

(1) जयपुर शहर में कुल 216 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं।

(2) वर्ष 1990 में 9 अप्रेल से 6 जून तक जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए चलाये गये विशेष अभियान के दौरान जिन समितियों में अनियमितताएं पाई गई उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। समितियों में जो अनियमितताएं पाई गई, उनकी मुख्य-मुख्य प्रकृति बाबत विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जो कार्यवाही की गई है और प्रस्तावित है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. गृह निर्माण समितियों के 61 पदाधिकारियों, 2 राजपत्रित अधिकारियों, 2 निरीक्षकों एवं 15 अन्य सदस्यों के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थानों में दर्ज कराई गई है तथा 17 अन्य गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।

2. 6 निरीक्षकों को निलम्बित किया गया है।

3. एक राजपत्रित अधिकारी एवं 10 निरीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

4. 32 गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकार्ड विभागीय अधिकारियों

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

द्वारा शिविरों के दौरान जब्त किये गये हैं।

5. 63 सहकारी समितियों की राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही की जा रही है।

6. समस्त गृह निर्माण सहकारी समितियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑडिट कराने के आदेश पारित कर ऑडिटर/ऑडिट पार्टियां नियुक्त कर दी गई हैं।

7. समस्त ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुनाव के कार्यक्रम निश्चित किये जा चुके हैं जिनमें चुनाव ड्यू हो गया है।

8. 31 गृह निर्माण सहकारी समितियों में निरीक्षकों के स्थान पर राजपत्रित अधिकारी को प्रशासक नियोजित कर दिया गया है।

9. 10 गृह निर्माण सहकारी समितियों में निरीक्षकों के स्थान पर राजपत्रित अधिकारियों को अवसायक नियुक्त कर दिया गया है।

10. राजस्थान सहकारी कानून के नियम 104 के अन्तर्गत गृह निर्माण सहकारी समितियों से उनके गठन एवं व्यापार से सम्बन्धित सूचना देने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

11. समस्त गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपनियमों में एकरूपता लाने एवं प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 14(1) के अन्तर्गत संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन आदेश दिनांक 4.5.90 को जारी किये गये हैं।

12. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 20.4.90 के द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों अथवा इनके सदस्यों को स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने वालों की परिधि में लाया गया है।

13. 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों को अवसायन में लाने की कार्यवाही प्रचलित कर दी गई है।

(4). राज्य सरकार गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन और कार्य-कलापों के बारे में प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से विचार करने के लिए गठित तेजकरण समिति की सिफारिशों पर विचार कर उचित कार्यवाही करेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शार्ट में जवाब दिलवाया जावे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप बोलो, जो बोलना है। उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जो उत्तर है उसमें अपने आप में और परिशिष्ट "ब" में इन्होंने लगभग 24 प्रकार की अनियमितताएं पाई

Page No. 21

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जाना बताया है। यानि सहकारी समितियों और इस जमीन घोटाले में जितनी अनियमितताएं की जा सकती थीं वह सारी की गई। यह प्राइमाफेसी ही नहीं, जांच के दौरान पाई गई। जब बड़े-बड़े अधिकारी इन समितियों में जांच के दौरान उपस्थित थे, ऐसे समय में यह सारा काण्ड पाया गया। कुल 216 गृह निर्माण समितियां काम कर रही हैं जिनमें से 80 गृह निर्माण समितियों में यह अनियमितताएं पाई गई हैं और बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं। तो मेरा माननीय सहकारिता मंत्रीजी से यह निवेदन है कि यह जो 216 गृह निर्माण समितियां हैं इसमें कितनी जमीन तो लोगों ने हड़प रखी है, किसानों की, कितनी जमीनों पर नाजायज तरीके से कब्जा कर उन्हें आज तक किसी प्रकार का पेमेंण्ट नहीं दिया है, कितनी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और इस सारे काण्ड से सरकार के खजाने को कितना नुकसान पहुंचा है? इन गृह निर्माण समितियों जैसे—जय जवान, फोरेस्ट व्यू, शांति नगर, राजहंस, लक्ष्मी-नारायणपुरी, दी कृष्णा आदि इन बढ़िया-बढ़िया नामों में कौन-कौन से ऐसे ++ + भरे पड़े हैं, उन्होंने किन-किन लोगों से मिल कर जमीनों को हड़पा है? ऐसे लोगों के विरूद्ध आपने जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है, उसके बाद इनके खिलाफ क्या हुआ है? एफ. आई. आर. दर्ज कराने से कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई है? इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे किस्सा तो बड़ा रोचक है और मैं सदन को कुछ समितियों के नाम गिनाऊं, थोड़ा आनन्द आयेगा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रोचक नहीं है, गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं जवाब दे रहा हूं। गम्भीर भी है। 240 गृह निर्माण समितियों के अन्दर करीबन ढाई लाख आदमी प्रभावित हुए और 46 हजार बीघा जमीन किसानों की ली गई, एग्रीमेंट टू सैल के ऊपर जिसमें कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान गवर्नमेंट की रेवेन्यू का हुआ है.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बोलो, कब हुआ?

एक माननीय सदस्य : यह किया है आपने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं बोल रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण वर्मा : इस एक हजार करोड़ की डिटेल तो दीजिए, कैसे हुआ?

एक माननीय सदस्य : आपके कारनामे हैं यह तो।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें कुछ सरकार वसूल करेगी या माफ कर देगी? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमने 240 शिविर लगाये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप पूरा करिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मान्यवर, हमने 240 शिविर लगाये....

श्री रामस्वरूप मीणा : अपने आप आनन्द है क्या, आनन्द लो आप तो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमने जयपुर के अन्दर 240 शिविर लगाये, कहीं–कहीं डबल भी लगाये....

श्री जगत सिंह दायमा : बींटा गोल कर दिया पूरा ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इन लोगों को 216 समितियों की दो हजार योजनाएं हैं। उसके अन्दर मैंने बताया कि 46 हजार बीघा जमीन इनके अन्तर्गत आती है और हमें तीन हजार पांच सौ शिकायतें मिली जिनमें से 2240 शिकायतों का हमने निष्पादन किया । अब जो अनियमितताएं हमारे सामने आई उनका संक्षिप्त वर्णन मैं सदन के सामने कर देता हूं। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बिना.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके कारनामे नहीं सुनना चाहते क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सुनिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : (1) गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बिना विधिवत् भूमि क्रय किए और बिना भूमि के स्वामित्व के भूखण्ड आवंटित करना/हस्तान्तरण करना ।

(2) गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमोदित योजना के भूखण्ड आवंटन/हस्तान्तरण करना ।

(3) समिति द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण के भूखण्ड काटकर आवंटन, हस्तान्तरण तथा अनियमित रूप से आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करना ।

(4) एग्रीमेंट टू सैल के आधार पर जमीन खरीद कर पट्टे जारी करना, उनका हस्तान्तरण अन्य व्यक्तियों सदस्यों को करना एवं खातेदारों को समुचित भुगतान न करना ।

(5) एक ही भूखण्ड को एक से अधिक सदस्य को आवंटित करना ।

(6) एक ही सदस्य/परिवाजन को एक से अधिक भूखण्ड देना ।

(7) सदस्यों से धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् आवंटन पत्र पुनः जारी करना ।

(8) जारी किए गए आवंटन पत्रों को अवैध रूप से संशोधित, हस्तान्तरण व निरस्त करना ।

(9) समिति द्वारा भूखण्ड आवंटन पत्र अथवा रसीद जारी करके वास्तविक कब्जा नहीं देना ।

(10) आवंटन धारी व्यक्तियों को सह-

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

कारी समितियों से पदाधिकारियों द्वारा योजना की जानकारी न करना व न करवाना।

(11) चुनाव के समय गृह निर्माण सहकारी समितियों में अनियमितताएं होना।

(12) सहकारी समितियों में ऑडिट चुनिन्दा निरीक्षकों को न रिकार्ड देना व न निरीक्षकों से उसकी जांच करवाना।

(13) एक ही समिति द्वारा सामर्थ्य से अधिक विभिन्न योजनाओं का संचालन करना और अन्य समितियों की योजना में भी पट्टे जारी करना।

(14) सहकारी समितियों द्वारा सहकारी विभाग का वांछित रिकार्ड उपलब्ध न करवाना व रिकार्ड का उचित संधारण न करना।

(15) समिति द्वारा सदस्यों की सूची तैयार नहीं करना एवं उनको सदस्यों के बाबत सूचना नहीं देना।

(16) अकारण भूखण्ड से वंचित करने के उद्देश्य से सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर देना, इत्यादि अनियमितताएं सामने आई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एकाध प्रश्न जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरपंच ग्राम पंचायत बिरमी के विरुद्ध शिकायतें

607. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत बिरमी, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू के विरुद्ध लाखों रुपयों के घोटाले व गबन की शिकायत, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति द्वारा की गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त शिकायत पर किस स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच की गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत पर जांच कर रहे अधिकारी भी सरपंच से मिल गये व जांच अन्य अधिकारी को दी गई ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच प्रथम दृष्टया अपराधी पाया गया ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(पंचायत राज्य मंत्री)

(2) शिकायत की जांच श्री इन्द्रसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी, झुंझुनू एवं अवर शासन सचिव (जांच) जयपुर द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर रियासत के कर्मचारियों को पेंशन

608. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर रियासत के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन देने पर राज्य सरकार ने पूर्व में प्रतिबंध लगा रखा था और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उन लोगों को पेंशन देने के सरकार ने आदेश किये ?

(2) क्या तदनुसार पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली के अध्यापक पूरणमल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हजारी सिंह को अब तक उक्त पेंशन प्रारम्भ नहीं की जा रही है ?

(3) यदि हां, तो क्यों ? क्या श्री चन्दन सिंह ग्राम सेला, तहसील बाली, जिला पाली जो डाक्टर थे, को भी इसी भांति उक्त पेंशन नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार अब उपरोक्त के क्रम सं. (1) के अनुसार कब तक पेंशन लाभ प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर रियासत के कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान सरकार के अधीन किये जाने पर उनको यह विकल्प था कि वे चाहे तो सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में सी. पी. एफ. के स्थान पर पेंशन ले लेवें। सेवा अवधि के दौरान भी समय-समय पर पेंशन हेतु विकल्प दिये जाने के अवसर प्रदान किए गये थे। पेंशन केवल उन कर्मचारियों को देय नहीं है जिन्होंने सेवा निवृत्ति लाभों के रूप में पेंशन का विकल्प नहीं दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सी. पी. एफ. के लाभ के साथ सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को भी पेंशन हेतु विकल्प का एक अवसर और प्रदान किया गया है।

(2) श्री पूरणमल को तो पेंशन अधिकृत की जा चुकी है। श्री हजारीसिंह को पूर्ण अभिलेख प्राप्त न होने के कारण 1-4-88 से प्रोवीजनल पेंशन अधिकृत कर दी गई है।

(3) प्रश्न संख्या 2 के अनुसार। डॉ. चन्दनसिंह, का पेंशन प्रकरण अभी तक पेंशन निदेशालय में पेंशन अधिकृत किये जाने हेतु प्राप्त ही नहीं हुआ है। अतः पेंशन अधिकृत नहीं किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(वित मंत्री)

(4) जैसे-जैसे पेंशन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं उनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति मंडावर द्वारा सड़क निर्माण

609. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1–4–1988 से 1–4–90 तक किस-किस कृषि उपज मंडी समिति से कितनी-कितनी आय हुई तथा कितना-कितना रुपया किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगाया गया तथा किस-किस उपज मंडी समिति का कितना-कितना रुपया राज्य कोष के पी. डी. खाते में जमा कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मंडी समिति मंडावर, जिला सवाई माधोपुर ने वर्ष 1985 से अब तक कुल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया ? उनमें से कितनी सड़कें पूर्ण हो गई व कितनी अपूर्ण रहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत दिनांक 1.4.89 से 1.4.90 तक सड़कों के निर्माण पर हुए पंचायत समिति-वार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। आय एवं पी. डी. खाते से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति मंडावर के अन्तर्गत वर्ष 1985 से अब तक कोई नवीन सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। पूर्व में निर्मित सड़कों को चौड़ा करवाने का कार्य कराया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य विभाग में रोस्टर पदोन्नति

610. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) खाद्य विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने जिला रसद अधिकारी हैं, इनमें से कितने सीधी भर्ती से हैं; एवं कितने विभागीय पदोन्नति से हैं ?

(2) जिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को वर्ष 1973 में प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया था उनमें से कितने को किस-किस पद पर रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खाद्य विभाग में दो अनुसूचित जाति के एवं एक अनुसूचित जनजाति का जिला रसद अधिकारी है। ये तीनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त हैं।

(2) वर्ष 1973 में नियुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रवर्तन अधिकारियों में से अभी तक किसी को भी किसी भी पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित

(खाद्य मंत्री)

जोन ऑफ कन्सीडरेशन में इनका नाम नहीं आया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 611
(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन

612. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में कितने भूमिहीनों को जमीन अलाट हुई, और कुल कितनी भूमि अलाट की गई ?

(2) अलाटमेन्ट की गई भूमि पर आज कितने लोग काबिज हैं ? यदि कब्जा नहीं रख सके, तो किस कारण ?

(3) उक्त नहर में प्रथम चरण में भिन्न-भिन्न मुद्दों के तहत कितनी भूमि रिजर्व रखी गई थी ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने भूमि हीनों ने प्रार्थना-पत्र दिये और कितने भूमि अलाटमेन्ट के लिये सही पाये गये ? क्या कुछ भूमि अलाटमेन्ट के योग्य लोग भी अलाटमेन्ट से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) 81,968 भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन अलाट हुई। सब मिलाकर 16,85,808 एकड भूमि अलाट हुई है।

(2) अलाटमेंट की गई भूमि पर 81,968 भूमिहीनों में से 75,600 भूमिहीन काबिज है। शेष लोग भूमियों पर सिंचाई सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से, न्यायालयों में आवंटित भूमियों के विवाद होने से एवं कब्जा नहीं लेने से काबिज नही रह सके हैं।

(3) कुल 1,58,642 एकड भूमि रिजर्व की गई थी। सूची "क" संलग्न है।

(4) प्रथम चरण में 2,64,933 भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1,09,566 प्रार्थना पत्र सही पाए गये। 20,525 भूमिहीन प्रार्थी अलाटमेंट के योग्य होने पर भी आवंटन से वंचित हैं। द्वितीय चरण के क्षेत्र में इन भूमिहीनों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम, 7(1) में वर्णित प्राथमिकता का क्रम गंगानगर जिले का आने पर ही भूमि की उपलब्धता की दशा में आवंटन किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के पद

613. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में मंत्रालियक कर्मचारियों के कितने पद हैं ? उनमें से कितने स्थायी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों के पद होते हुए भी वर्ष 1975

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

से स्थाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक स्थायी कर वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सिंचित क्षेत्र विकास मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 1364 पद हैं जिसमें से 527 स्थाई हैं।

(2) स्वीकृत स्थाई पदों के विरुद्ध स्थाईकरण किया गया है।

जारीशुदा वरिष्ठता सूचियों के अलावा शेष वरिष्ठता सूचियां शीघ्र जारी कर दी जायेगी। सिंचाई व कृषि शाखा से संबंधित पदों की वरिष्ठता सूची संबंधित विभागों द्वारा जारी की जायेगी।

राज्य सहकारी अनुसूचित जाति निगम की अटरू क्षेत्र में स्वीकृत योजनाएं

614. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य सहकारी अनुसूचित जाति निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र अटरू में किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या योजनायें स्वीकृत की गई थीं ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस वर्ष कोई नई योजनायें स्वीकृत करने का इरादा रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में निवासियों के हित में एनीकट, ट्यूबवैल व लिफ्ट सिंचाई योजनायें स्वीकृत करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या व कहां-कहां ?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के अधीन अटरू विधान सभा क्षेत्र में कतिपय योजनाएं स्वीकृत है। किन्तु निगम की योजनाओं का लक्ष्य विधान सभा क्षेत्र अथवा पंचायत वार निर्धारित नहीं किया जाता है। निगम की सभी योजनाओं के लक्ष्य जिले वार निर्धारित किये जाते हैं। जिला कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम की महत्वपूर्ण क्रियान्वित की गई योजनाओं में से कुछ निम्नांकित हैं :—

1. बुनकर शाला
2. शिल्पशाला
3. सामूहिक पम्प सैट
4. बोरिंग एवं ब्लास्टिंग
5. ग्रामीण दुकान
6. कृषि यन्त्र
7. हाथ कर्घा विकास

(2) जी हां। निगम ने वर्ष 1990-91 में कोटा जिले में निम्नांकित नई योजनाएं लागू करना प्रस्तावित किया है :—

1. जलधारा
2. प्रशिक्षण एवं उत्थान केन्द्र
3. समग्र एवं समूह आधार पर सम्पूर्ण विकास परियोजना।

(3) विधान सभा क्षेत्र अटरू में निगम

(सहकारिता मंत्री)

की एनीकट एवं ट्यूब वैल्स की कोई योजना नहीं है। विधान सभा क्षेत्र अटरू में अटरू सागोद और बारां पंचायत समितियां सम्मिलित हैं. इनमें सिंचाई से सम्बन्धित सामूहिक पम्प सैट योजना, कुओं का बोरिंग एवं ब्लास्टिंग, जलधारा तथा सामूहिक-जलोत्थान योजना लागू है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा ने वर्ष 1990-91 के लिए उपरोक्त पंचायत समितियों के निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये हैं :—

योजना का नाम	पंचायत समिति के लक्ष्य		
	अटरू	सांगोद	बारां
1. सामूहिक पंपसैट	5	5	5
2. ब्लास्टिग एवं बोरिंग	40	40	40
3. सामूहिक जलोत्थान	5	5	5
4. जलधारा	7	–	7

अतारांकित प्रश्न संख्या 615
(स्थगित)

ग्राम भम्भोरी (जयपुर) में आवासीय भू-खण्ड

616. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिवार, पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर के अन्तर्गत ग्राम भम्भोरी की कुछ भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में परिवर्तित कराया जाकर आवासीय भू-खण्डों के पट्टे जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कब व कितने पट्टाधारियों की सूची मय नाम व प्लाट नम्बरों के, सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किया जाकर उसमें लगी पत्थरगढ़ी को हटा दिया गया है व आबादी भूमि व उसके साथ लगी सरकारी भूमि पर ट्रैक्टर चलाया जाकर कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब्जा किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है व इस अनाधिकृत अतिक्रमण कब्जे हेतु कौन पदाधिकारी जिम्मेदार हैं ? अब तक सरकार ने उक्त अनाधिकृत अतिक्रमण करने व कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? सरकार का उपरोक्त संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार के पास इस विषयक ग्राम वासियों की कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पर पुनः पत्थरगढ़ी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में 421 पट्टे जारी किए गए थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जहा तक ग्राम भम्भोरी

(पंचायत राज मंत्री)

की आबादी भूमि से लगी सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न है स्थिति इस प्रकार से है कि इन्द्रा आवास योजना के उत्तर दिशा में लगभग 5–6 बीघा आबादी भूमि है जिसके पश्चिम में लगी हुई चारागाह भूमि खा. नं. 18 को मिलाकर कुल 20 बीघा भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर कढ़ाई लगाकर भूमि समतल कर माह जनवरी, 90 में श्री किशन पुत्र बोदूराम, नाथु पुत्र मांगीलाल निवासी बी. 49 शास्त्री नगर, जयपुर द्वारा अतिक्रमण कर लिया जिस पर नायब तहसीलदार कालवाड़ द्वारा धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसका मु. न. 11/90 दि. 6.2.90 को दर्ज किया गया। इस पर अतिक्रमियों ने उपस्थित होकर कब्जा छोड़ने व पेनल्टी देना स्वीकार किया। तहसीलदार जयपुर ने अतिक्रमियों के विरूद्ध 447 ता. हि. के अन्तर्गत एफ. आई. आर. थाने में दर्ज कराने के आदेश नायब तहसीलदार कालवाड को दिया। जिस पर नायब तहसीलदार कालवाड ने दिनांक 24.3.90 को पुलिस थाना बगरू में रिपोर्ट पेश कर दी है।

(3) यह सही है कि ग्राम भम्भोरी ग्राम पंचायत सिवार द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने सम्बन्धी शिकायत 12.2.90 द्वारा पेश हुई थी जो मूल ही उप जिलाधीश, जयपुर को अविलम्ब कार्यवाही हेतु प्रेषित की जो मूल ही तहसीलदार जयपुर को प्रेषित की गई थी। तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार कालवाड व गिरदावर व पटवारी के साथ मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मौके पर नायब तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के साथ 13.2.90 को पहुंचे पर वहां मौके पर उक्त अतिक्रमण भूमि पर ट्रैक्टर चलता नहीं पाया गया। जांच से जिन व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करना पाया गया उनके विरुद्ध राज. भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई तथा धारा 447 आई. पी. सी. के अपराध करने से प्राथमिक सूचना थाना बगरू में अंकित कराई गई। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में अंकित किया गया है। प्राप्त शिकायत की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां इस हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 24.4.90 द्वारा उप जिलाधीश, जयपुर को नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने हेतु लिखा गया था जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 2.5.90 द्वारा तहसीलदार, जयपुर को उक्त कार्यवाही करने हेतु लिखा था। तहसीलदार, जयपुर मौके पर पहुंचे थे। परन्तु ग्राम पंचायत का कोई प्रतिनिधि बावजूद सूचना के उक्त कार्य हेतु मौके पर उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई रिकार्ड व नक्शे उपलब्ध करवाया है। रिकार्ड व नक्शों के अभाव में आबादी भूमि का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। प्रयत्न जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति

617. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No. 30

30

(श्री मोहनलाल)

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989–90 में कक्षा 6 से सीनियर हायर सैकण्डरी तक के कुल कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है ? कितने शेष हैं एवं क्यों ? सूची विद्यालय वार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रों को अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला नागौर में कितने विकलांगों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि नहीं तो, क्यों ? वर्ष 1989–90 में कुल कितने विकलांगों का चयन किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) जिला नागौर में वर्ष 1989–90 में कक्षा 6 से सीनियर हायर सैकण्डरी तक के अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है :—

	छात्र	छात्राएँ	योग
1. अनुसूचित जाति	6,961	185	7,146
2. अनुसूचित जनजाति	137	2	139
	7,098	187	7,285

कक्षा 11 व 12 के 231 छात्रों को भुगतान करना शेष है। इनमें से 11 विद्यालय के छात्रों को बजट के अभाव में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागौर के प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें बजट आवंटित किये जाने के पश्चात भी 41 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है जिन्हें भुगतान कराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। शेष रहे छात्रों के विद्यालयों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जिला नागौर में विकलांगों को गत पांच वर्ष में निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी गई है :—

क्र.सं.	वर्ष	राज्य विकलांग छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक	केन्द्रीय विकलांग छात्रवृत्ति कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक	योग
1.	1985–86	285	98	383
2.	1986–87	283	40	383
3.	1987–88	241	126	367
4.	1988–89	334	145	479
5.	1989–90	813	132	945

समस्त आवेदन कर्ता विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 1989–90 में कुल 945 छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति दी गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत मन्डूकरा (जिला नागौर) द्वारा अनियमिततायें

618. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत मन्डूकरा, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरपंच मन्डूकरा को कितनी राशि दी गई तथा किन–किन कार्यों के लिये दी गई ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत मन्डूकरा ने पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं करवाया है तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत मन्डूकरा में विभिन्न योजनाओं में राशि का दुरुपयोग कनिष्ट अभियन्ता पंचायत समिति, डीडवाना से फर्जी मूल्यांकन करवाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यों का मूल्यांकन किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवा कर, दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत मन्डूकरा को पिछले 5 वर्षों (1985–86 से 1989–90) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 4.08 लाख रु. नकद एवं 80.70 मैट्रिक टन खाद्यान्न कीमत 1.23 लाख रु. निम्नानुसार दिये गये है :—

योजना का नाम	नकद राशि	खाद्यान्न मै. टन	कीमत
रा. ग्रा. रो. यो.	1.02	26.00	0.39
अकाल राहत	0.95	36.30	0.56
ग्रा. रो. कार्यक्रम	1.48	18.40	0.28
मरु विकास कार्य.	0.63	—	—
	4.08 लाख रु.	80.70 मैट्रिक टन	1.23 लाख रु.

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत मन्डूकरा ने वर्ष 1980–81 से लगातार, अब तक अंकेक्षण नहीं करवाया हैं। हां, कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति छबड़ा में आवास निर्माण

619. **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

(1) पंचायत समिति छबड़ा में इन्दिरा आवास योजना में कहां–कहां कितने मकान बने ?

(2) क्या सभी मकान पूर्ण हो गये हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या पूर्णता का प्रमाण पत्र मिला ?

(4) यदि अधूरे हैं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबड़ा में जहां–जहां मकान बने निम्नानुसार हैं :—

ग्राम नारायण पुरा में 10 मकान, किशोरपुरा में 14 मकान, बामला में 28 मकान, कडेयावन में 20 मकान, निपानिया में 10, हिंगलोट में 5 मकान बने हैं।

(2) पूर्ण व अपूर्ण मकानों की स्थिति निम्नानुसार है :—

	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
ग्राम नारायण	20	10	10
ग्राम घाटाखेडा	10	—	10
ग्राम किशोरपुरा	14	14	—
ग्राम बामला	28	28	—
ग्राम कडेयावन	20	20	—
ग्राम निपानिया	10	10	—
ग्राम हिंगलोट	10	5	5

(3) पं. सं. द्वारा पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया।

(4) जो तीन कालोनी के कार्य अपूर्ण हैं, उनके अधूरे होंने के कारण निम्न हैं :—

ग्राम नारायणपुरा ग्राम पंचायत मूडक्या के सरपंच द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है, सरपंच पर 40560/– अग्रिम चल रहा है, कार्य पूर्ण कराने के लिए सरपंच को नोटिस दिया जा चुका है।

घाटा खेडी सरपंच द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। सरपंच पर 20000/– अग्रिम चल रहा है।

हिंगलोट में कार्य चल रहा है, यह कालोनी वर्ष 1989–90 में स्वीकृत की गई थी।

तहसील लक्ष्मणगढ़ (जिला–अलवर) में भू-आवंटन

620. श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : :—

(श्री सुनील विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोनी–जाथान तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के बैरवा (चमार जाति) के कुछ व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 5-1-1973 को आवंटन कमेटी ने किया था ? यदि हां, तो मय नाम व खसरा नं. सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय आवंटित भूमि की किस्म क्या थी तथा वर्तमान में क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि काश्तकार 1973 से लगातार कृषि करते आ रहे हैं तथा खसरा नं. 1642 में ट्यूब वैल भी लगा हुआ है।

(4) क्या सरकार ने वर्तमान में इन्हें खातेदारी अधिकार दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त भूमि की किस्म बदल कर कृषि भूमि को इन काश्तकारों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। अनुसूचित जाति के 15 आवंटियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वक्त आवंटन प्रश्नगत भूमि की किस्म रिकार्ड के अनुसार ख. नं. 1660, 1642, 1657 (नये नम्बर) जिनके पुराने नम्बर 1140 मि. 1135, 1136 है चारागाह थी तथा शेष नम्बर बारानी सोयम बारानी दायम तथा बंजर रेकार्ड में दर्ज थी।

तहसील लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का भू–प्रबन्ध संवत् 2028 में हुआ था। ख. नं. 1660, 1642 व 1657 जिनके पूर्व नम्बर 1140 मि. 1135 व 1136 थे, की सैटलमेंट से पूर्व किस्म बंजर कदीम थी जिसे भू–प्रबन्ध के दौरान चारागाह अंकित कर दिया गया। शेष नम्बरान की भूमि का अभिलेख में अमल दरामद न होने के कारण अनावंटित मानकर वर्ष 1981 में चारागाह अंकित कर दिया गया।

(3) जी, हां।

(4) अब तक पांच प्रकरणों में श्री गंगल्या पुत्र किशना को 4 बीघा पर, रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द को 3 बीघा 15 बिस्वा पर, बसन्ती पुत्र सालगा को 4 बीघा पर, मांग्या छाज्यो पुत्रान सुकपाल को 6 बीघा पर, गंगाराम पुत्र लक्ष्मण को 4 बीघा 5 बिस्वा पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। शेष प्रकरणों में आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

(5) बिन्दु संख्या 4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा व्यय

621. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 34

(34)

(श्री उम्मेद सिंह)

(1) क्या ग्राम पंचायत छापरी खुर्द पंचायत समिति डीडवाना, को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी राशि कब–कब दी गई, तथा किन-किन कार्यों पर कितनी–कितनी राशि खर्च की गई ? क्या खर्च की गई राशि, मार्ग दर्शिका के अनुरूप थी ?

(2) क्या सरपंच द्वारा इस योजना में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने शिकायतों की जांच की ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक जांच, कर दण्डित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत छापरी खुर्द पंचायत समिति डीडवाना को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि उसके आगे अंकित दिनांक को दी गई:—

दिनांक	दी गई राशि
15–5–89	27,230.00
5–8–89	40,130.00
5–9–89	28,110.00
9–1–90	63,650.00
29–5–90	36,880.00
20–11–89 (इन्दिरा आवास)	41,250.00
1–2–90 ,, ,,	38,221.00
कुल योग:—	2,75,471.00

निम्नलिखित कार्यों पर उक्त वर्णित राशि में से निम्नानुसार व्यय किया गया :—

कार्य का नाम	राशि
प्रा. शा. मरम्मत सरदारपुरा कलां	5000.00
प्रा. शा. मरम्मत जुगनी	4992.00
पंचायत भवन छापरीखुर्द	6005.00
उ. प्रा. शा. में एक कमरा छापरीखुर्द	36000.00
प्रा. शा. भवन मरम्मत बडीछापरी	5702.00
खर्रा निर्माण सरदारपुरा कलां	4025.00

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

1	2
गड्डे का भराव सरदारपुरा कलां	2992.00
खुर्रा निर्माण छापरीखुर्द	4316.00
उ. प्रा. शाला में एक कमरा	35906.00
अ. जा. स. क. भवन चुगनी	26076.00
सार्व. कूप पर कोठा सरदारपुरा कलां	10000.00
रास्ते का समतलीकरण बडीछापरी	10000.00
खुर्रा निर्माण छोटीछापरी	6020.00
इन्द्रा आवास के 11 कार्य	92436.00
कुल राशि :—	249470.00

उक्त कार्यों पर खर्च की गई राशि मार्गदर्शिका के अनुरूप है।

(2) जी नहीं।

(3) शिकायतें ही प्राप्त नहीं हुई, इसलिये जांच कराने एवं दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना परबतसर में दर्ज मुकदमें

622. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थाना परबतसर गच्छीपुरा पीलवा जिला नागौर के अधीन, जनवरी 1989 से अब तक कितने व किस–किस प्रकार के मुकदमे दर्ज हुये हैं ? सूची थानावार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में थाना पीलवा व परबतसर में कितने–कितने हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं ? यह हत्याऐं किस-किस तारीख को हुई ?

(3) क्या उक्त हत्याओं के मुकदमे में चालान पेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब कब ? यदि नहीं, तो अब कब तक चालान पेश कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) थाना परबतसर, गच्छीपुरा, पीलवा जिला नागौर के अधीन जनवरी, 1989 से 10 जुलाई, 1990 तक विभिन्न प्रकार के मुकदमें दर्ज हुये हैं उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर दी गई है।

(2) उक्त अवधि में थाना पीलवा एवम् परबतसर में क्रमशः 5 तथा 6 मुकदमें हत्याओं के दर्ज हुये। विवरण परिशिष्ट "ब" व "स" में संलग्न कर दिया गया है।

(3) उक्त हत्याओं के चालान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "ब" व "स" में संलग्न कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

सपोटरा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

623. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा की मुन्सिफ कोर्ट करौली में चलती है ? जिससे सपोटरा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को करीब 60–70 किलोमीटर चल कर मुकदमों की सुनवाई हेतु पहुंचना पड़ता है, जबकि करौली में दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पदस्थापित हैं ?

(2) क्या सरकार जनहित में मुन्सिफ कोर्ट करौली से हटाकर सपोटरा में खुलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धनाभाव के कारण मुंसिफ कोर्ट करौली से हटाकर सपोटरा में खोलने का सरकार का विचार नहीं है ।

फलौदी स्थित सी. ए. डी. कर्मचारियों को आवास

624. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**(नौखा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फलौदी खण्ड III सी.ए.डी. का मुख्यालय बीकानेर से फलौदी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि स्टेज I में खालों का कार्य बकाया होते हुए भी कार्य को छोड़कर II स्टेज के कार्यों को किया जा रहा है ?

(3) क्या विभाग के कर्मचारियों के लिये स्टेज II में आवास सुविधा की माकूल व्यवस्था की है ?

(4) क्या विभाग में कर्मचारियों के पद कम किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कार्यक्षेत्र पास में होने के कारण ।

(2) जी हां । सिंचित क्षेत्र विकास से सम्बन्धित सभी कार्य स्टेज II में ही किये जा रहे हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, डिग्गियों का निर्माण, वृक्षारोपण आदि । अतः खालों के निर्माण का कार्य भी स्टेज II में ही केन्द्रित किया जा रहा है ।

(3) हर सरकारी कर्मचारी के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार द्वारा संभव नहीं है ।

(4) जी हां । लक्ष्यों को कम करने के कारण ।

राज्य के ग्राम सेवकों की पदोन्नति

625. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने ग्राम सेवक पदेन सचिव हैं ? प्रत्येक जिले की पंचायत समिति के आधार पर उनकी वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) कितने वर्ष पूर्व उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया गया था और गत दस वर्षों में इनकी पदोन्नति समिति की बैठक कब-कब हुई, यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक बैठक रखी जावेगी ?

(3) उक्त ग्राम सेवकों व पदेन सचिव की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

(4) राज्य में ग्राम सेवकों व पदेन सचिवों के कितने पद रिक्त हैं ? तथा उनकी पूर्ति कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 7351 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद स्वीकृत हैं। वरिष्ठता सूची पंचायत समिति वार नहीं बनती । अत: प्रेषित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) दिनांक 12.7.89 को 22 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर तथा 25.11.89 को 2 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को सहकारिता प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। गत 10 वर्षों में दिनांक 6.2.85 को उन्हें पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी । दिनांक 15.6.90 को लोक सेवा आयोग अजमेर को पुनरावलोकन पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि निश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है ।

(3) ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.8.89 को प्रकाशित की जा चुकी है ।

(4) राज्य की पंचायत समितियों में कुल 2801 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद रिक्त हैं जो नियमों में संशोधन के पश्चात् विभिन्न विभागों के अतिरेक वर्कचार्ज कर्मचारियों से भरे जावेंगे।

टोंक जिले की कृषि योजनायें

626. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में विभाग द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रम, कृषि पर पूंजीगत परिव्यय योजनाएं, लघु सिंचाई योजनाएं, भू-संरक्षण, ऊसर भूमि सुधार, भू-परीक्षण, शुष्क खेती विकास एवं जीवाणु खाद आदि योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में क्या क्या कार्य किये गये एवं उसमें कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में खर्च की गई ? अलग-अलग योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ?

उत्तर

(1) टोंक जिले के लिए कृषि विस्तार कार्यक्रम कृषि पर पूंजीगत परिव्यय योजना एवं ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कोई राशि का न तो आवंटन हुआ है और नहीं कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। तिलहन विकास योजना के अन्तर्गत कुओं में कम पानी से अधिक

(कृषि मंत्री)

सिंचाई करने हेतु कृषकों के खेतों पर फव्वारा सिंचाई सैट लगाने हेतु अनुदान के बतौर 1,00,000/-रुपये अवंटित किये गये थे, जिनमें 18 यंत्रों पर 83,415/-रु. खर्चा किया गया। इस वर्ष यह योजना नई होने के कारण करीब 16,000/-रु. खर्च नहीं किये जा सकें।

भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक प्राप्ति की सूचना संलग्न परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

भू-संरक्षण के अन्तर्गत कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता है। केवल भौतिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं जो वर्ष में 4,000 के विपरीत 5057 मिट्टी के नमूने कृषकों के खेतों से लेकर विभागीय परीक्षण शाला में जांच कराये गये हैं। शुष्क खेती को प्रोत्साहन देने हेतु इस मद में रु. 12,000/ की राशि के आवंटन के विरुद्ध रु. 11,979/- का व्यय हुआ एवं भौतिक लक्ष्य 60 हैक्टर के विरुद्ध 59.3 है. में कार्य किया गया। जीवाणु खाद-दलहनी फसलों के माध्यम से भूमि में नत्रजन की वृद्धि हेतु विभाग से कल्चर वितरण के लक्ष्य प्राप्त होते हैं इसका खर्चा कृषक स्वयं वहन करता है विभाग से अलग से कोई राशि आवंटन नहीं होती है। वर्ष 1989-90 में इस जिले के 9000 कल्चर वितरण के लक्ष्य थे, जिसके विपरीत 13,-909 कल्चर वितरण किये गये।

(2) वर्ष 1990-91 में ऊसर भूमि सुधार के अन्तर्गत रु. 50,000/- के अनुदान टौंक जिले के लिए आवंटित है, जो साधारण किसानों को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति कृषकों को 75 प्रतिशत के हिसाब से देय है। 150 है. में शुष्क खेती प्रदर्शन हेतु रु. 24,885/- का आवंटन हुआ है। 75 आवश्यकता पर आधारित कृषि प्रदर्शनों के लिए 7500/- रु. का अवंटन हुआ है।

भू-संरक्षण योजना में वाटरशेड के अधूरे काम पूरे करने के लिए 70,000/- रु. का आवंटन हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

राज्य में जिला भू-संरक्षण अधिकारी के पद

627. **श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में जिला भू-संरक्षण अधिकारी के कितने पद हैं ?

(2) विभाग में कितने जिला भू-संरक्षण अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित तथा कितने भू-संरक्षण में प्रशिक्षित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ पदों पर अचयनित अप्रशिक्षित जिला भू-संरक्षण अधिकारी पदस्थापित हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि कृषि निदेशालय में जिला भू-संरक्षण अधिकारी के पद पर ऐसे अधिकारियों को लगाया हुआ है जो भू-संरक्षण में अप्रशिक्षित, लेकिन पौध संरक्षण में प्रशिक्षित हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णयों का क्या कारण है ?

(5) क्या जयपुर में विषय विशेष पौध

(श्री परसादी लाल मीणा)

संरक्षण का कोई पद रिक्त है, यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त पद पर कब तक पद–स्थापन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में जिला भू-संरक्षण अधिकारी के 38 पद स्वीकृत हैं।

(2) शेष अधिकारी सहायक कृषि अधिकारी या विषय विशेषज्ञ या सहायक अभियन्ता के रूप में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित है या विभाग से पदोन्नति पाये हुए हैं भू-संरक्षण कार्य का अनुभव होने के नाते उन्हें जिला भू-संरक्षण अधिकारी के पद पर लगाया गया है।

(3) इनमें से 8 अधिकारियों ने भू-संरक्षण कार्य में औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है पर उनका भी भू-संरक्षण कार्य का अनुभव है।

(4) कृषि निदेशालय, जयपुर स्थित एक पद जिला भू-संरक्षण अधिकारी (जल उपयोग प्रकोष्ठ) का है, जिस पर श्री दिलीप कुमार बत्रा कार्यरत है। ये भू-संरक्षण में अप्रशिक्षित्त हैं, परन्तु इनको फील्ड का अच्छा अनुभव है।

(5) जयपुर में वर्तमान में विषय विशेषज्ञ (पौ. सं.) का कोई पद रिक्त नहीं है ?

कृषि उपज मण्डी, सीकर द्वारा दुकान निर्माण

628. श्री अजय सिंह (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर मुख्य मार्ग पर खुलते हुए काफी दुकानें बन सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिए मुख्य सड़क पर किसानों को आवश्यक बीज, खाद, कृषि उपकरण, कपड़े इत्यादि की दुकानें बनाने की स्वीकृति देकर किसानों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक नई दिशा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि, कृषि उपज मण्डी समिति सीकर के मुख्य मंडी प्रांगण में "सी" ब्लाक की पांच दुकानों के पीछे गोदाम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंडी प्रांगण में एक ब्लाक की दुकानों के पीछे भी गोदाम बनवाने की स्वीकृति देकर व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मुख्य मंडी सीकर का निर्माण निर्धारित साइट प्लान के तहत किया गया है। उसमें मुख्य मार्ग पर खुलती हुई दुकानों का निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां। संदर्भित एक ब्लाक के पीछे 10 दुकानें और बनाने की योजना है गोदाम निर्माण की कोई योजना नहीं है।

जिला सीकर में शीतगृह निर्माण

629. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दिलसुख राय)

क्या यह सही है कि जिला सीकर में प्याज का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उपज मंडी समितियों के मुख्यालयों पर शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)बनाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि प्याज का उत्पादन सीकर में प्रचुर मात्रा में होता है। वित्तीय कारणों से सीकर में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) बनाना संभव नहीं है, पर इस व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है ।

कृषि विभाग का टेबल-लैण्ड कार्यक्रम

630. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य का कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार की वित्तीय स्वीकृति से सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा जिलों में टेबल-लैण्ड (वन भू-संरक्षण एवं कृषि) कार्यक्रम शुरू किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम हेतु स्थान चयन का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले में काफी पहाड़ी एरिया, काफी नदी नालों से भूमि कटाव और आधा क्षेत्र रेगिस्तानी है ? यदि हां, तो सीकर जिले को इस कार्यक्रम से वंचित रखने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार सीकर जिले में टेबल-लैण्ड कार्यक्रम स्वीकृत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि राज्य का कृषि विभाग भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं धौलपुर जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम चल रहा है जिसमें टेबल-लैण्ड (वन भू-संरक्षण एवं कृषि) विकास का कार्य भी होता है यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यकारी दल की दस्यु पीड़ित क्षेत्र के विकास हेतु की गई सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार ने राजस्थान में पांच जिलों को दस्यु पीड़ित क्षेत्र माना है।

(2) हां यह सही है कि सीकर जिले में काफी पहाड़ी एरिया, काफी नदी नालों से भूमि कटाव और क्षेत्र रेरिस्तानी है । सीकर जिले को भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बीहड़ सुधार कार्यक्रम से वंचित रखने का कारण इस क्षेत्र को बीहड़ वाला क्षेत्र नहीं होना है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 631
(स्थगित)

थानों में दर्ज मुकदमें

632. **श्रीमती रमा पायलट**(हिन्डोली), **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

दिसम्बर 1989 से 15 जून, 1890 तक किन-किन थानों में कितनी-कितनी मौतें हुई एवं बलात्कार की घटनाऐं हुई ? विवरण सदन की मेज

Page No. 41

(श्रीमती रमा पायलट)

पर रखें । उनके सम्बन्ध में किस-किस श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों को निलम्बित किया गया व कितनों के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अपराध दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राज्य में दिसम्बर, 1989 से 15 जून, 1990 तक कुल चार मौतें थाना कोतवाली जयपुर, थाना महुआ जिला सवाई माधोपुर, थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ व कोतवाली नागौर में घटित हुई तथा बलात्कार की कोई भी घटना थानों में नहीं हुई । थानों में हुई मौतों से सम्बन्धित विवरण एवं किन किन जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है, संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

नागौर जिले के पेन्शनर्स भुगतान

633. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना), **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर), **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) एवं **श्री रामकरण सिंह** : (मेड़ता) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1989 से पूर्व जो राजकीय कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके हैं उन्हें 75 रु. प्रतिमाह पेन्शन के रूप में पेन्शन बढ़ाई गई है ? यदि हां तो क्या उनका नकद भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो नागौर जिले के पेन्शनर्स को उक्त राशि का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या 1 जनवरी, 1990 से राजकीय पेन्शनर्स को उनके मंहगाई भत्ते की रकम में 4% बढ़ोत्तरी नकद राशि के रूप में देने का राज्य सरकार ने आदेश दिया था ? यदि हां, तो नगौर जिले के पेन्शनर्स को उक्त राशि का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

(3) उक्त राशियों का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । 1–9–1986 से पूर्व के पेन्शनर्स जो 31.3.1986 से पूर्व सेवा निवृत हुए थे उनको 1.11.1989 से पेन्शन में अतिरिक्त राहत स्वीकार की गई है जिसकी दरें उनकी स्वीकृत पेन्शन की राशि एवं सेवा निवृति की तिथि के आधार पर भिन्न भिन्न है ।

जी हां । यूनाइटेड कार्मशियल बैंक की शाखाओं से भुगतान लेने वाले पेन्शनर्स की पत्रावलियां कोषागार में पेन्शन में अतिरिक्त राहत की राशि अधिकृत करने हेतु प्राप्त नहीं होने से भुगतान किये जाने में विलम्ब हो रहा है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार को नागौर जिले के पेन्शनर्स को मंहगाई राहत की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(3) पेंशन में अतिरिक्त राहत के भुगतान हेतु यूनाइटेड कार्मशियल बैंक की मुख्य शाखा को तत्काल कार्यवाही हेतु आवश्यक

(वित्त मंत्री)

निर्देश दे दिये गये हैं। मंहगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में क्र. सं. 2 के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उपज मंडी जयपुर द्वारा सड़क निर्माण

634. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मंडी जयपुर द्वारा पंचायत समिति झोटवाड़ा एवं आमेर क्षेत्र की कौन कौन सी नई सड़कों एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत करने हेतु वर्ष 1990–91 में स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सड़कों में से कौनसी सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं ?

(3) किस किस सड़क का निर्माण एवं मरम्मत कार्य चालू किया जा चुका है ?

(4) क्या यह सही है कि टेण्डर उपरांत काफी ठेकेदारों ने कार्य आरम्भ नही किया है यदि हां, तो क्यों ? इसका जिम्मेदार कौन है तथा इन ठेकेदारों या अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) जो कार्य आरम्भ नहीं हुए, विभाग द्वारा उनका कार्य कब तक आरम्भ करवाने का विचार है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा पंचायत समिति झोटवाड़ा एवं आमेर क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट में अंकित समस्त सड़कों के टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं ?

(3) सूचना परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या 3 पर दर्शाई गई है।

(4) परिशिष्ट "क" के अनुसार अधिकतर सड़कों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ सड़कों पर धनराशि के अभाव में, भूमि विवाद आदि के कारण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है। अतः किसी ठेकेदार अथवा अधिकारी के विपरीत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) विवादग्रस्त सड़कों को छोड़कर शेष सड़कों पर शीघ्र कार्य शुरू कर दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

थाना खिवाड़ा में कान काटने का प्रकरण

635. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन), **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना खिवाड़ा में ग्राम रूगड़ी के अनुसूचित जाति के मेघवाल का कान काटने की शिकायत मिली है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सही मुल्जिमान को नहीं पकड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा कर कार्यवाही करने का

Page No. 43

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2 व 3) जी नहीं। उक्त प्रकरण में अभियुक्त कानाराम पुत्र जीताजी जाति मेघवाल निवासी रूगड़ी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

तहसील पच पहाड़ झालावाड़ में रजिस्ट्रेशन दर

636. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ जिले की तहसील पच पहाड़ में रजिस्ट्री स्टाम्प फीस गत डेढ़ वर्ष में कितनी-कितनी बार बढ़ाई गई तथा डेढ़ वर्ष पूर्व प्लाटों एवं जमीन की रजिस्ट्री किस दर पर हो रही थी ? वर्तमान में किस दर से रजिस्ट्री हो रही है ?

उत्तर

झालावाड़ जिले की पचपहाड़ तहसील में दस्तावेजों के पंजीयन हेतु निर्धारित देय मुद्रांक शुल्क में पिछले डेढ़ वर्ष में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों के पंजीयन के समय लगने वाला मुद्रांक शुल्क राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की दूसरी अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार देय होता है एवं वर्तमान में भी यही पद्धति लागू है।

धन का सार्वजनिक विनियोजन

637. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवम् **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अपने रुपयों का सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजन के लिए क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि इसकी इतनी रिटर्न्स आनी चाहिए ?

(2) यदि हां, तो क्या लक्ष्य हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजन करने हेतु प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य आय-व्ययक अनुमानों में राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदित करा लिया जाता है। विनियोजन पर रिटर्न्स के लिये कोई निश्चित प्रतिशत नहीं है। विनियोजन पर रिटर्न्स के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसे बजट मद "0050 लाभ एवं लाभांश" में जमा करवाया जाता है।

(2) स्थिति प्रश्न 1 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

(3) विनियोजन हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य की राशि राज्य सरकार द्वारा विनियोजित करा दी जाती है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सरपंच धनला (पाली) के विरुद्ध कार्यवाही

638. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन)

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन (पाली) की ग्राम पंचायत धनला के सरपंच के विरुद्ध गत वर्ष राज्य सरकार के पास गंभीर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप मय शपथ-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उक्त शिकायत की प्रति मय शपथ-पत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत को दबा दिया गया है ?

(3) क्या सरकार दोषी सरपंच के विरुद्ध शीघ्र जांच करवाकर उन्हें निलम्बित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत पत्र व शपथ पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) शिकायत की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन से करवाई गई थी, जिससे कलक्टर पाली सहमत नहीं थे। अतः जांच उप-खण्ड अधिकारी सोजत से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजन महिलाओं से बलात्कार के प्रकरण

639. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1980 से 1989 तक की अवधि में कितने बलात्कार-डकैती-हत्याओं के मामले किन-किन जिलों में कितने-कितने हुए ? उनमें हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के कितने-कितने मामले हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन मामलों में कौन-कौन व्यक्ति अपराधी पाये गये ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम हेतु सरकार किस प्रकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से 1989 तक की अवधि में राज्य में घटित बलात्कार, डकैती, हत्याओं के मामलों की संख्या तालिका क, ख, ग में जिलेवार, वर्षवार अंकित की गई है तथा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की सूचना तालिका "घ" में जिलेवार, वर्षवार अंकित कर संलग्न करदी गई है।

(गृह मंत्री)

(2) हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में पाये गये अभियुक्तों की सूची तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित कर संलग्न है।

(3) हर जिले में हरिजन सेल कायम किये हैं तथा एक महिला पुलिस स्टेशन भी जयपुर में कायम किया गया है ताकि ऐसे मामलों में तत्परता से कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम हेतु पुलिस पूर्णतया सजग रह कर कार्य कर रही है। सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे अपराधों की सूचना मिलने पर वे स्वयं मौके पर पहुंच कर अन्वेषण पूर्ण करें। अन्वेषण में यदि अधिक अवधि लगती है तो ही मामले में पुलिस अधीक्षक से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की समीक्षा कर जिला पुलिस को आवश्यक मार्ग निर्देश प्रसारित किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी संस्थाओं का आडिट

640. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 एवं राजस्थान सहकारी अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार सहकारी संस्थानों का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या उक्त नियम की पालना सहकारी संस्थानों द्वारा की जा रही है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों, एवं उक्त नियम की अवहेलना के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(3) क्या सरकार उक्त नियम की पालना सख्ती से करवाने एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 68 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही सहकारी संस्थाओं का आडिट कर सकते हैं। राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 71 के अनुसार ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति विभागीय अंकेक्षक या समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रमाणित अंकेक्षक हो सकते हैं। सहकारी संस्थाओं का आडिट कराने में अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की पालना हो रही है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सहकारी संस्थाओं का आडिट कार्य अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो रहा है। किसी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम अमरथून (बांसवाडा) में मजदूरों को भुगतान

641. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कुआलिया पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा के सरपंच श्री दलजी भाई द्वारा वर्ष 1980-81 व 81-82 में गांव अमरथून में आम्बामाता वाला खोरा में पंचायत द्वारा सार्वजनिक बावड़ी का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त बावड़ी पर कराये गये कार्य के मस्टर रोलों के अनुसार कितनी राशि व्यय की गई है ? क्या सरकार उक्त बावड़ी पर किये गये खर्च की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि आम्बामाता वाला खोरा बावड़ी पर कराये गये कार्य का भुगतान गांव अमरथून के कुछ मजदूरों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य पर खाद्यान्न रु. 2700/– तथा नकद 1525/– कुल 4225/– रुपये व्यय हुआ है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। पंचायत के रिकार्ड के अनुसार भुगतान किया जा चुका है।

निवाई में ए. सी. एम. कोर्ट की स्थापना

642. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार निवाई तहसील के राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या एवं किसानों की कठिनाई की दृष्टि से ए. सी. एम. कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या निवाई में तहसील हैडक्वार्टर पर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी स्थित है ? यदि हां, तो ए. सी. एम. कोर्ट की स्थापना में क्या आपत्ति है ? अब कब तक उक्त कोर्ट खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निवाई तहसील के विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति को देखते हुए निवाई में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक का न्यायालय स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है।

(2) निवाई तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कार्यरत है। इसके बाबत स्थिति प्रश्न के भाग 1 में स्पष्ट कर दी गई है।

सामान्य प्रावधायी निधि के खातों का ठेका

643. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामान्य प्रावधायी निधि विभाग के खातों का विवरण तैयार करने के लिए किस कम्प्यूटर एजेन्सी को कब ठेका दिया

(श्री रामनारायण बैरवा)

गया ? ठेके के एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ठेके की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर से यह कार्य कब तक तैयार किया जाना था और समय पर कार्य पूरा न करने पर क्या कार्यवाही करनी थी ?

(3) क्या यह कार्य समयानुसार हो रहा है और कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि समय की पालना नहीं हो रही, तो उसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) ठेके के इकरारनामे के अनुसार प्रत्येक खाते के वर्षवार विवरण तैयार करने के लिए कितनी राशि देय बनती है और अब तक ठेकेदारों को कितना भुगतान कर दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि ठेके से कार्य करवाने से विभागीय तौर पर कार्य करने की तुलना में अधिक व्यय हुआ है साथ ही समय भी अधिक लगा है ?

(6) यदि हां, तो क्या सरकार अब भी धन की बचत और समय की बचत को देखते हुए ठेका रद्द करेगी और विभागीय तौर पर कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) मैसर्स यूनिवर्सल कम्प्यूटर सर्विसेज की प्रावधायी निधि खातों का विवरण-पत्र तैयार करवाये जाने हेतु निम्नानुसार ठेके दिये गये, जिनका एग्रीमेन्ट दिनांक एवं विवरण निम्न प्रकार है—

एग्रीमेंट का दिनांक	विवरण
(1) 30.3.85	वर्ष 1983-84 एवं 84-85 जयपुर जिले का बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्य।
(2) 5.11.86	जयपुर जिले का वर्ष 85-86 बीमा एवं प्रावधायी निधि खातों का कार्य दिया।
(3) 18.8.87	जिला कार्यालय बीकानेर गंगानगर एवं चूरू का वर्ष 1984-85 एवं 85-86 का प्रावधायी निधि खातों का कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया।
(4) 25.11.87	सामान्य प्रावधायी निधि खातों का कार्य 86-87 का जिला कार्यालय जयपुर, गंगानगर, चूरू एवं बीकानेर तथा 84-85 से 86-87 तक जोधपुर का कार्य दिया गया।

उक्त समस्त कार्यों के एग्रीमेंट की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य निम्नलिखित तिथियों को दिया गया था तथा निम्न तिथियों को कार्य पूर्ण किया जाना था—

ठेके पर दिये गये कार्य की तिथि	शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित की गई तिथि
1. 30.3.85	21.10.85
2. 5.11.86	15.3.87
3. 18.8.87	—
4. 25.11.87	15.3.88

(बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री)

फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर निम्न प्रकार से लिक्वीडेटेड डेमेजेज (Liquidated damages) वसूल किये जाने का प्रावधान है।

1. निर्धारित अवधि से 1/4 समय अवधि अधिक होने पर ढ़ाई प्रतिशत।

2. 1/4 किन्तु 1/2 से अधिक अवधि नहीं होने पर 5 प्रतिशत।

3. 1/2 से अधिक किन्तु 3/4 से अधिक अवधि नहीं होने पर साढ़े सात प्रतिशत।

4. 3/4 से अधिक और पूर्ण समय के बराबर अवधि होने पर 10 प्रतिशत।

(3) उपरोक्त कार्य जो मैसर्स यूनिवर्सल कम्प्यूटर सर्विसेज जयपुर को सम्पन्न करने हेतु निर्धारित शर्तों पर दिया गया था उसमें से जोधपुर एवं चूरू जिला कार्यालय का वर्ष 1986-87 प्रावधायी निधि का कार्य वापिस ले लिया गया था। कार्य सम्पादित करने में ठेके की शर्तों में उल्लेखित अवधि से अधिक समय लिया गया है। फर्म द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(4) मैसर्स यूनिवर्सल कम्प्यूटर सर्विसेज से उनके द्वारा किये गये सामान्य प्रावधायी निधि के खातों के विवरण-पत्र तैयार करने के प्रति कुल रु. 29,44 709 56 के बिल प्राप्त हुए हैं तथा अब तक कुल भुगतान रुपये 20,89,656.18 का कर दिया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। मैसर्स यूनिवर्सल कम्प्यूटर सर्विसेज को दिया गया कार्य करके विभाग को दे दिया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। ऐसी हालत में फर्म को दिया गया ठेका रद्द कर विभागीय तौर पर कार्य करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रधान पंचायत समिति डीडवाना के विरुद्ध कार्यवाही

644. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर के प्रधान श्री चैनाराम के विरुद्ध दिनांक 29-8-1979 को राज्य सरकार ने पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम की धारा 40 (4) के अन्तर्गत परिनिर्णय लिया था ? यदि हां, तो श्री चैनाराम को पुनः बहाल कर दिया ? यदि हां तो यह कार्य नियमान्तर्गत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी परिनिर्णय में जिलाधीश नागौर को यह निर्देश दिये थे कि आरोप सं. 15 जो सड़क सम्बन्धी है, में करीब 18 हजार की राशि श्री चैनाराम प्रधान ने गबन की है, पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जावे एवं राशि दंडनीय ब्याज सहित वसूल की जावे ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी, नहीं ? तो क्यों ?

(3) जिस अधिकारी ने सरकार के

Page No. 49

(५९)

(श्री उम्मेदसिंह)

आदेशों की पालना में लापरवाही की उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की, नहीं तो क्या राज्य सरकार अब भी ऐसा करने का इरादा रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 24-4-1990 को उप शासन सचिव पंचायत विभाग श्री आर. के. जैन ने जिला कलक्टर नागौर को पत्र देकर यह निर्देश दिया था कि श्री चैनाराम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पुलिस में दिया जावे तथा इसमें जो राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक बकाया राशि है वह दण्डनीय ब्याज के वसूल की जावें ? क्या मुकदमा पुलिस में दिया जा चुका है और राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ? हां तो यह कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) प्रकरण 11 साल पुराना है। अभिलेख तलाश किया गया, परन्तु उपलब्ध नहीं हुआ है अतः प्रत्युत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

(2) इसमें भी स्थित खण्ड (1) के प्रत्युत्तर अनुसार ही है। कलक्टर नागौर के यहां भी संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) हां, निर्देश तो दिया गया था लेकिन अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का पदस्थापन

645. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) एवं श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं एवं सृजित पदों के विरुद्ध कितने अध्यापक पदस्थापित हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अध्यापकों के लम्बे समय से पद रिक्त हैं, वहां अध्यापकों के पदस्थापन के लिये क्या नीति निर्धारित की गई है ?

(3) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नई चयन नीति में स्थानीय प्रत्याशियों एवं विशेष ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया है।

(3) जिला बाड़मेर के प्राथमिक विद्यालयों में 315 पद, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 190 पद एवं जिला जैसलमेर के प्राथमिक विद्यालयों में 251 पद, उच्च

(पंचायती राज्य मंत्री)

प्राथमिक विद्यालयों में 38 पद, अध्यापकों के रिक्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

राजगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

646. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या सरकार राजगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्या इसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ? साइट प्लान सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी खोलने के क्या माप दण्ड हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या एफ-(10)1 कृषि/ग्रुप–2/78 दिनांक 25–10–78 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, राजगढ़ का गठन किया है। स्थान जहां नवीन मण्डी यार्ड का निर्माण प्रस्तावित है के साइट प्लान की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) नई कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार कम से कम 4 लाख रु. की वार्षिक मण्डी शुल्क की आय का मापदण्ड पृथक कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने हेतु निर्धारित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच

647. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों में तथ्य पाये जाने पर 45 अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया था ?

(2) क्या भ्रष्टाचार की जांच हेतु एक सदस्यीय आयोग की घोषणा विधान सभा में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी ? क्या उक्त जांच आयोग के अधिकारी श्री पी. के. वी. कुरूप थे ?

(3) क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पहले ही उन निलम्बित अभियन्ताओं का निलम्बन रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान सरकार तत्संदर्भ में आगे क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 16.3.86 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उक्त रीच की विभागीय जांच

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

हेतु श्री पी. के. बी. कुरूप, सेवा-निवृत आई. ए. एस. अधिकारी को नियुक्त किया था।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(148) कार्मिक/क–3/86 दिनांक 23.4.88 द्वारा निलंबित अभियंताओं को विभागीय जांच को बिना प्रभावित किये सेवा में पुनः बहाल किया गया है। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

(4) उक्त जांच अभी प्रगति पर है, अतः जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

कृषि अनुसंधान केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन

648. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में कितने कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों द्वारा किस–किस कृषि की जिन्स की नई खोज की नई व उनमें से कितनी आज किसानों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है ?

(3) क्या इन कृषि केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन विभाग या अन्य संस्था द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो इसका क्या विश्लेषण है ?

(4) क्या सरकार अनुसंधान पर व्यर्थ किये जा रहे खर्च को उपयोगी मानती हैं ? यदि नहीं, तो इसमें सुधार के क्या कार्यक्रम हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कार्यरत कृषि अनुसंधान केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कृषि जिन्स पर की गई नई खोजों से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इन कृषि जिन्सों में से अधिकांश जिन्सों को कृषकों द्वारा उपयोग मे लाई जा रही हैं।

(3) राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के अधिनस्थ सभी कृषि केन्द्रों पर, जो कार्य चल रहा है उनका समय–समय पर मूल्यांकन भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के समन्वयकों व वर्ल्ड बैंक मिशन, लोदी स्टेट, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इनके विश्लेषण के आधार पर ये विश्वविद्यालय को अपने सुझाव भेजते हैं। जिनको हम कार्य रूप में लाते हैं। यही नहीं कुछ हमारे केन्द्र भारत के अच्छे केन्द्रों में भी माने जाते हैं जैसे फतेहपुर।

(4) जी हां। सरकार अनुसंधान पर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे खर्चे को उपयोगी मानती है। इस उपयोगिता का अनुमान संलग्न परिशिष्ट "स" में अनुसंधान की उपलब्धियां दर्शाती हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व एवं फौजदारी के मामलों हेतु लोक अदालत

649. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

Page No. 52

(श्री सालिगराम)

क्या सरकार सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से लोक अदालतों की अवधारणा को कार्यपालिका के न्यायालयों में भी लागू करने का विचार रखती है, ताकि राजस्व से संबंधित फौजदारी व अन्य छोटे-छोटे मुकदमे केम्प लगाकर निपटाये जा सकें ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में राजस्व वादों से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में विधान परिषद का गठन

650. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार का राजस्थान में आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु की भांति विधान परिषद् का गठन करने का विचार है, और तत्संदर्भ में प्रस्ताव पास कर केन्द्रीय सरकार को कब तक अग्रेत्तर संवैधानिक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जायेगा ?

(2) क्या इस संबंध में विधान सभा के इसी सत्र में शासकीय संकल्प प्रस्तुत करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कृषि संस्थाओं हेतु गठित अध्ययन दल

651. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की कृषि संस्थाओं के लिए गठित अध्ययन दल की सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 128 में कहा है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए कॉमन केडर की अत्यन्त आवश्यकता है ?

(3) अगर हां, तो अब तक सहकारी बैंकों के लिए कॉमन केडर क्यों नहीं बनाया गया ?

(4) क्या सरकार अब समिति की सिफारिशों को पूर्णत: लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

(2) जी हां।

(3 व 4) सहकारी बैंकों के लिए राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशनस् केडर आथोरिटी लिमिटेड का पंजीयन दिनांक 11-10-1978 को कर दिया गया गया है। यह पंजीयन समिति सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है।

टोडाभीम क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल

652. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम में कुल कितनी प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें छात्र संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में कहां–कहां पर कितने मिडिल स्कूल हैं, और उनमें कितने अध्यापक पदस्थापित हैं ? कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी कन्या शालायें हैं ? कितनी छात्रायें अध्ययनरत हैं ? अध्यापिकों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूचना संकलन पंचायत समिति आधार पर होती है विधान सभा क्षेत्र आधार पर नहीं फिर भी उपलब्ध सूचना अनुसार पंचायत समिति टोडाभीम के अधीन 114 प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें 12190 छात्र अध्ययनरत हैं ।

(2) विधान सभा क्षेत्र में कुल 27 उ. प्रा. विद्यालय हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन शालाओं में 27 द्वितीय श्रेणी एवं 171 तृतीय श्रेणी के अध्यापक कार्यरत हैं । इन शालाओं में तृतीय श्रेणी के 9 पद रिक्त हैं। प्राथमिक शालाओं के रिक्त पदों के लिये चयन एवं नियुक्ति हो जाने के बाद इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी ।

(3) पंचायत समति टोडाभीम के अधीन 10 कन्या शालाएँ हैं । जिनमें 771 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इन शालाओं में 21 अध्यापिकाओं की आवश्यकता है, जिनके विरुद्ध 10 अध्यापिकाएं कार्यरत हैं एवं शेष स्थानों पर अध्यापक कार्यरत हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 653
(स्थगित)

पीपलखूंट (बांसवाड़ा) के कृषकों को अनुदान

654. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांडवी, सालिया पंचायत पृथ्वीपुरा पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा में जिन किसानों ने नसबंदी आपरेशन कराये थे, उन्हें क्या प्राथमिकता के आधार पर कुंए खुदवाने हेतु राज्य सरकार के निदेशानुसार अनुदान राशि दी गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 एवं 1989–90 का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है, जिन्होंने ग्राम मांडवी एवं सालिया पंचायत पृथ्वीपुरा जिला बांस–वाड़ा के कृषकों को इस आधार पर ही परिवार कल्याण आपरेशन कराने हेतु

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

प्रेरित किया ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नहीं, राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं थे न ही इस प्रकार की कोई अनुदान राशि दी गई है।

(2) इस विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कुओं हेतु अनुदान के आधार पर परिवार कल्याण के आपरेशन करवाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया था। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं है।

ग्राम गजनीपुरा (पाली) की विवादास्पद भूमि

655. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नौखा), **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी (पाली) के ग्राम गजनीपुरा में डोली बनाम मंदिर की चारभुजा की कृषि भूमि खसरा नं. 213, 214, 215, 227, 221 228, 229, 220, 230 एवं 231 का नामान्तरकरण पुजारियों द्वारा अपने नाम करा लिया है ? वर्तमान एवं पूर्व की जमाबन्दी नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त डोली व खसरा नं. 226 कृषि भूमि में से भूखण्ड काटकर बेचान कर दिया गया है ? कृपया ऐसे भूखंडों का ब्यौरा मय खरीददार नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त नामान्तरण एवं बेचान को निरस्त कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (अ) ग्राम गजनीपुरा में खाता सं. 78 में डोली बनाम मन्दिर श्री चार भुजाजी वाके देह खातेदार पिताम्बरदास, हनुमानदास, जमनदास, विजेराम, रामदास, अचलदास, रणछोडदास, पिसरान चतरदास कौम पुजारी खेवट खतौनी (जमा बन्दी) प्रथम संवत 2041 से 2060 तक ख. न. 213, 214, 215 रकबा क्रमशः 1.43, 0.01, 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम गैर मुमकिन बेरा व गैर मुमकिन सडा दर्ज है।

(ब) खाता सं. 75 में डोली बनाम आसन श्री सुगालनाथजी वाके देह खातेदार, शंकरनाथ बाबूनाथ चेला सूरजनाथ कौम नाथ पुजारी ख. नं. 227, 221, 228 रकबा क्रमशः 2.04 2.24 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम बारानी प्रथम गैर मुमकिन तेडिया दर्ज है।

(स) खाता संख्या 76 में बनाम आसन श्री सुगालनाथ जी वाके देह खातेदार शंकरनाथ, बाबूनाथ, चेला नारायणनाथ वहिस्सा बराबर कौम नाथ साकिन देह पुजारी रहिन मारवाड़ ग्रामीण बैंक खिवाड़ा में ख नं. 229, 220, 230, 231, 227/266 रकबा क्रमशः 3.77, 3.19, 0.01, 0.13 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बारानी

(राजस्व मंत्री)

प्रथम गैर मुमकिन वेरा, गैर मुमकिन सडा, गैर मुमकिन मकान दर्ज है।

इस सम्बन्ध में पुजारियों के हक में कोई नामान्तरकरण नये सिरे से नहीं कराये गये हैं। जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2028 परिशिष्ट "क" व भू-प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त (जमाबन्दी) संवत 2041 से 2060 परिशिष्ट "ख" की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ख. नं 226 नये भू-प्रबन्ध की जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2060 के खाता सं. 77 के कालम नम्बर 4 में बनाम आसन श्री रघुनाथ जी वाके देह खातेदार ग्राम पंचायत गजनीपुरा व्यवस्थापक दर्ज है। ख. नं. 226 में ग्राम पंचायत गजनीपुरा द्वारा 11 व्यक्तियों के नाम भू-खण्ड काटे जाकर 6 व्यक्तियों को वर्ष 1973, 1974 व 1979 में पट्टे दिये गये हैं। एवं 5 व्यक्तियों को पट्टा देने की कार्यवाही जैर तजबीज है। सूची परिशिष्ट 'क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में जांच कराने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले की पंचायतों को स्वीकृत राशि

656. **श्री खंगार सिंह (खारची)**: क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समितियां खारची, देसूरी व रानी में जवाहर रोजगार योजना के तहत हर पंचायत को सन् 1989–90 में कितनी राशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) हर पंचायत को किस किस कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई व कितनी राशि हर कार्य पर लगी व आगे अधूरे कार्यों में लगने की क्या सम्भावना है जिससे कि अधूरे कार्य पूरे हों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसी कौन-कौन-सी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें ग्रामीण बैंकों के भवनों का निर्माण जे. आर. वाई. के तहत कराया गया और इसमें क्या-क्या अनियमितता पाई गई ? क्या मजदूरी में मजदूरों को गेहूं भी दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले की खारची, देसूरी व रानी पंचायत समितियों में जवाहर-रोजगार योजना के तहत हर पंचायत को वर्ष 89–90 में दी गई राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) ग्राम पंचायतवार एवं कार्यानुसार स्वीकृत राशि, व्यय की गई राशि एवं अधूरे कार्यों पर उनको पूरा करने हेतु संभावित राशि आवश्यक राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना तहत ग्रामीण बैंकों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है उनका पूर्ण

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

विवरण संलग्न है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इनके निर्माण में किस प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं है इसके निर्माण में मजदूरों को मजदूरी के रूप में 9·71 मैं. टन खाद्यान्न मूल्य राशि रुपए 17391 का भुगतान किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 657
(स्थगित)

पंचायत चौसला, पंचायत समिति कुचामन सिटी में अनियमिततायें

658. **श्री-हरिश्चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना में केन्द्र व राज्य सरकार से राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो विगत 2 वर्षों में पंचायत समिति कुचामन सिटि के अन्तर्गत 42 ग्राम पंचायतों को कब-कब कितनी-कितनी राशि दी जाकर उनका किस प्रकार समायोजन व किन-किन कार्यों पर खर्चा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत सरपंच अपने परिवार को कोई लाभ नहीं दे सकता, जबकि ग्राम पंचायत चौसला पंचायत समिति कुचामन सिटी के सरपंच शिवकरण ने अपने सगे भाईयों को गरीबी रेखा में तथा स्वरोजगार योजना में अपने परिवार के व्यक्तियों को, यहां तक कि परिवार की औरतों तक का, चयन कर उन्हें सरकारी अनुचित लाभ दिलाया गया जिनमें सर्व श्री तुलछाराम, डालूराम, छोटी, जयराम, सुवाराम, उदाराम व रूघाराम, मेवाराम तथा अन्य 20 व्यक्ति सम्मिलित हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत नियमों के विपरीत कार्य कर अपने परिवार को अवैध लाभ पहुंचाने वाले सरपंच के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) रा. ग्रा. रो. कार्यक्रम वर्ष 88–89 तक ही चालू था। वर्ष 88-89 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुचामन सिटी की ग्राम पंचायतों को कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। जवाहर रोजगार योजना वर्ष 89–90 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एवं इसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि सभी 42 ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई। तिथि अनुसार उपलब्ध कराई राशि एवं उनके द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राजस्थान पं. समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत सरपंच अपने परिवार को लाभ नहीं दे सकता। ग्राम पंचायत चोसला पं. समिति कुचामन सिटी के सरपंच शिवकरण ने जो चयन किया, उसमें चयनित परिवारों लिये जो प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, वह अपनाई है।

Page No. 57

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

उसमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि सरपंच के परिवार के लोग चयनित नहीं हो सकते। जो आर्थिक मापदण्ड निर्धारित किये गये है उनमें अगर सरपंच के परिवार के सदस्य श्रेणी में आते हैं तो लिये जा सकते हैं। चयन का कार्य पटवारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा एवं सरपंच की उपस्थिति में होता है। जहां तक स्व-रोजगार योजना का प्रश्न है यह कार्य जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित होता है। गरीबी की रेखा में चयनित सरपंच के परिवार जनों के नाम व उनको दिलाया गया लाभ की सूची निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम चयनित व्यक्ति मय वल्दियत	जाति	सरपंच से सम्बन्ध	लाभान्वित या नहीं	यदि लाभान्वित है तो किस प्रयोजन हेतु बैंक से ऋण/अनुदान दिया गया	चयनित वर्ष एवं क्रमांक एवं श्रेणी
1.	श्री रुघाराम पुत्र श्री मेवाराम	जाट	छोटा भाई	नहीं	बिजली के सामान की दुकान हेतु मूल आवेदन पत्र तैयार कर यू. को. बैंक गुढ़ा सालट को प्रेषित ऋण स्वीकृत नहीं किया।	5/21 89–90) सीमांत कृषक
2.	श्री खेमाराम पुत्र श्री मेवाराम	जाट	,,	नहीं	भैंस पालन हेतु फार्म बैंक को प्रेषित ऋण स्वीकृत नहीं हुआ।	5/22 (89–90) सीमांत कृषक

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सरपंच मोटाटाण्डा द्वारा अनियमिततायें

659. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष 1989–90 एवं चालू वित्तीय वर्ष 90-91 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

को जवाहर रोजगार योजना के तहत नकद राशि प्रदान की गई है? यदि हां, तो पंचायत समिति पिपलखूंट व पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा में प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत दी गई राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा सड़कों, प्राथमिक विद्यालयों आदि के निर्माण के कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो किस पंचायत द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मोटा टाण्डा पंचायत समिति घाटोल के सरपंच द्वारा प्राथमिक विद्यालय कराना के भवन की मरम्मत करायी गयी है? यदि हां, तो व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरपंच मोटाटाण्डा द्वारा प्राथमिक विद्यालयों पर खाली भूरे रंग का कलर कराया जाकर हजारों रुपयों के फर्जी बिल बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त पंचायत के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989–90 एवं 1990-91 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि प्रदान की गई। पंचायत समिति पिपलखूंट व घाटोल को पंचायतवार दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जवाहर योजना के तहत दी गई राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा सड़कों, प्राथमिक विद्यालयों आदि के निर्माण कार्य कराये गये हैं। पंचायत समिति पिपलखूंट व घाटोल में कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत मोटाटांडा पंचायत समिति घाटोल के सरपंच द्वारा प्राथमिक विद्यालय कराना के भवन की मरम्मत करायी गयी है। भवन पर हुऐ व्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

मजदूरी व्यय	रुपये 5760.00
सामग्री व्यय :—	
सीमेंट 40 बैग	रुपये 2560.00
रेत, मिट्टी	रुपये 600.00
दरवाजा, खिड़की मरम्मत आदि	रुपये 400.00
पीली मिट्टी	रुपये 125.00
कुल व्यय	रुपये 9445.00

(4) जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय, मोटाटांडा में खाली कलर ही नहीं कराया गया परन्तु दोनों कमरे व बरामदा के फर्श का कार्य सम्पूर्ण भवन के अंदर बाहर एवं छत पर सीमेंट प्लास्टर तथा दिवारों पर पीली मिट्टी का कार्य भी कराया गया। अतः

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित (स्थगित) प्रश्न संख्या 293, 248, 171 पुनः स्थगित

स्थगित प्रश्न

(6 जुलाई, 1990)

पंचायत समितियों का अनुपयोगी सामान

293. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि पंचायत समितियों के गठन से पूर्व कई विभागों जैसे, चिकित्सा, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, लघु उद्योग प्रशिक्षण, कृषि आदि द्वारा विद्यमान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों से बजट में राशि व सामान/उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाते थे ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में भारी तादाद में उक्त सामान/उपकरण आदि नाकारात्मक हालात में पंचायत समितियों के भण्डारों में भरा पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सामान को न तो संबंधित विभाग वापिस लेता है और न ही इनके नीलामी आदि की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

(4) यदि हां, तो अब इस प्रकार की सामग्री के नीलामी आदि कराने के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितियों की स्थापना से पूर्व सामान्यतः संबंधित विभाग विभिन्न कार्यक्रमों हेतु धनराशि/सामान सामुदायिक ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराते थे।

(2) यद्यपि ऐसे सामान के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश समय समय पर दिये गये हैं किन्तु पंचायत समितियों में अनुपयोगी सामान विद्यमान है।

(3) संबंधित विभाग द्वारा ऐसा सामान वापिस लेने से इन्कार करने के कारण उसके निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये हुए हैं।

(4) अनुपयोगी सामान के निस्तारण हेतु (नवीनतम) निर्देश क्रमांक एफ 188(9) 21 लेखा/अग्रिम 89–90/986 दिनांक 23.4.90 द्वारा जारी किये गये हैं।

स्थगित प्रश्न

(5 जुलाई, 1990)

चित्तौड़गढ़ जिले में निम्नवर्ग के उत्थान हेतु योजनाएं

248. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत 5 वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले के

(श्री रखब चन्द मीणा)

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति/जन जाति के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं में कितनी-कितनी धनराशि वर्ष-वार व्यय की गई है ?

(2) इन कार्यक्रमों से कितने परिवार और व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ? तहसील व ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई राशि का ब्यौरा वर्षवार निम्न प्रकार है :—

(i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चित्तौड़ के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति पर व्यय की गई राशि परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है ।

(ii) शिक्षा विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं पर व्यय की गई राशि परिशिष्ट "ब–1" एवं परिशिष्ट "ब–2" में उपलब्ध है ।

(iii) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के माध्यम से व्यय की गई राशि परिशिष्ट "स" में उपलब्ध है ।

(2) तहसील/पंचायत समिति वार लाभान्वित परिवार और व्यक्तियों की सूची क्रमशः परिशिष्ट "द" एवं परिशिष्ट "य" पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(3 जुलाई, 1990)

सीमावर्ती जिलों में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय

171. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विगत 3 वर्षों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व श्री गंगानगर सीमावर्ती जिलों में भारत सरकार द्वारा कितने प्राइमरी स्कूल स्वीकृत किये गये हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सीमा विकास कार्यक्रम के तहत उक्त स्वीकृत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी व उनमें से कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि में से अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा केवल वर्ष 1989–90 में सीमावर्ती जिलों में 396 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये है । पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित है ।

(पंचायत राज मन्त्री)

(3) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात पूछनी थी।

श्री अध्यक्ष : उजला जी, विराजें आप। प्लीज सिट डाउन। मैं खड़ा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक हजार करोड़ का गबन-घोटाला है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा, व्यवस्था मैं दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक हजार करोड़ का गबन-घोटाला करके सरकारी खजाने पर डाका डाला गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक प्रश्न पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, मैं खड़ा हूं। कुछ तो नियमों का पालन कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप आश्वासन दें, तब मैं बैठूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आश्वासन चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : वह नहीं बैठेंगी। हम ही बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह भी बैठती हैं। आप तो नहीं बैठते है, भाग जाते हैं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

1. श्री हरिसिंह, श्री रामनारायण वर्मा, श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से वर्ष 1988–89 व 1989–90 में खोली गयी प्राथमिक शालाओं को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा लाखों रुपयों के घोटाले व असली रिकार्ड गायब करने के सम्बन्ध में।

3. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा की ओर से श्रीमती बसन्ती का सुन्दरपुरा (करौली) से अपहरण कर

(श्री अध्यक्ष)

अन्यत्र बेच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में जोगी समाज को आरक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में ।

5. श्रीमती रमा पायलट, श्री जनार्दन सिंह गहलोत श्री राजेन्द्र कुमार, श्री जुबेर खां, सदस्य विधान सभा की ओर से बजट में महिलाओं पर ध्यान नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में ।

6. श्री परसादीलाल, सदस्य विधान की ओर से लालसोट तहसील के ग्राम खटवा की पेयजल योजना को एक महीने से बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

7. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर न्यास की सीमा अन्तर्गत ग्राम गैंवा पर कमला नेहरू नगर बनाने की स्कीम को क्रियान्वित न कर अन्य व्यक्तियों को जमीन दे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

8. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य विधान सभा की ओर से मुस्लिम मुसाफिर खाना, उदपुर पर वक्फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

9. श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रकाश चन्द बैरवा, श्री रामप्रसाद, श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को आरक्षण देने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

1. श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध से रेगिस्तानी जिलों में शिक्षण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इन जिलों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत चल रहे विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त रहते ही रहे हैं, परन्तु इन पदों की संख्या अत्यधिक नहीं है । पिछले वर्ष पंचायत विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया था । इस कारण पद रिक्त रहे । जहां तक शिक्षा विभाग में रेगिस्तानी क्षेत्र में रिक्त पदों का प्रश्न है जुलाई, 1990 से शिक्षा सत्र आरम्भ हो गया है । अतः शिक्षा विभाग के अध्यापकों के सभी रिक्त पदों को नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर दिनांक 30.7.90 तक भरने के लिए निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्देश दे दिये हैं । अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं । माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी ।

2. श्री बुलाकीदास कल्ला एवं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलग-अलग प्रस्ताव में अलख मठ, गलता गेट जयपुर में मठ की सम्पत्ति पर हो रहे नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं ।

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री जियालाल बंशीवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर में जवाहर नगर डिपो की बड़ी चौपड़ से ग्रामेर मार्ग पर चलने वाली बसों की ग्रव्यवस्था के सम्बन्ध में ।

2. श्री सुनील कुमार विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में बनाये गये पक्के खालों की कीमत किसानों से वसूल न किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से निम्बाहेड़ा तहसील के कनेरा क्षेत्र में बुखार से हुई मौतों के सम्बन्ध में ।

4. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र केशोवरायपाटन (बूंदी) के लबान गांव में वर्ष 1978 में ग्रावंटित सीलिंग की कृषि भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में ।

5. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों को मिलने वाली सुविधायें ईसाइयों एवं मुस्लिमों को न दिये जाने के सम्बन्ध में ।

6. श्री भंवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सुजानगढ़ कस्बे में बनी राजाजी की कोठी (नजूल प्रोपर्टी) की विभाग द्वारा की जा रही ग्रपेक्षा के कारण हो रही दुर्दशा के सम्बन्ध में।

7. श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में एनीकट निर्माण के सम्बन्ध में ।

8. श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण, डूंगरपुर, द्वारा कराये जा रहे बीजों के हवाई छिड़काव के सम्बन्ध में ।

9. श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्रंशकालिक छात्रावास सहायक ग्रधीक्षक को राज्य सेवा में समावेश कराने के सम्बन्ध में ।

10. श्री नाथूराम ग्रहारी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से डूंगरपुर जिले के निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करवाने एवं उसमें चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

11. श्री रिछपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ट्रेण्ड वनपालों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में ।

12. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से खेरवाड़ा से भांभरी ग्रन्तर्राज्यीय सड़क का डामरीकरण न होने के सम्बन्ध में।

13. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्राम सिरसी तथा मीरावली तहसील जयपुर में स्थित ग्रनुसूचित जाति एवं सामान्य श्रेणी के लोगों की भूमि को ग्रवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की ग्रनुमति होगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रायवेट मेम्बर्स डे फ्राई डे को फिक्स किया हुआ है । उसका बैलट आज तीन बजे तक है । मैंने अपना एक संकल्प प्रस्तुत किया है ।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं है, कल है । आज तीन बजे तक प्रस्ताव आयेंगे ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने 295 का एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप कल की लिस्ट देख लेना ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने 11 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव करौली एरिया के विषय में दिया था और माननीय श्री प्रभुलाल पटेल, जो स्वयं भी दो बार इस विषय पर बोल चुके हैं; उसके लिए काफी समय हो गया है अभी तक भी उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में राज्य सरकार को कहा है कि वह आज शाम तक जवाब दे दे । इसमें ध्यानकर्षण प्रस्ताव भी आये हैं । मैं आज शाम तक जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं । उसके बाद व्यवस्था दूंगा ।

श्री रामनारायण वर्मा : तब तक गांव वालों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करें । रोज घटनायें हो रही हैं और सरकार बिल्कुल सुस्त और मस्त हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने उस दिन भी सरकार से कहा था....

एक माननीय सदस्य : एक माननीय सदस्य की जिन्दगी और मौत का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : भगवान की दया से आप अभी तक जिन्दा हैं । आपने यह सवाल बहुत पहले उठाया था । आप जिन्दा रहेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : भविष्य के लिए भी जिन्दा रहना चाहते हैं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप जिन्दा रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा । अब हो गया । श्रीमती रमा पायलट ।

श्रीमती रमा पायलट : हिण्डोली में जो हत्याकाण्ड हुआ था उस पर आपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा था । उसकी जानकारी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आयी है । मुझे लग रहा है कि वहां केस को काफी उलट पुलट करके स्टोरी को ट्विस्ट किया जा रहा है । यह अच्छी बात नहीं है । कृपया बतायें कि कब दे रहे हैं उस सब्जेक्ट पर स्टेटमेंट या जानकारी ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा । आपको जानकारी मिल जायेगी । (व्यवधान) आप बार-बार नहीं कहें । एक बार खड़े हो कर जो कहना है, कह दें ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं माफी चाहता हूं । मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि न्यूनतम मजदूरी 22 रुपये दी जायेगी पर अकाल राहत कार्यों में 14 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, कई जगह आठ-आठ रुपये दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह क्या सवाल उठाया ? इसके लिए कोई मोशन है क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। 12 तारीख को दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा, विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल इस मांग पर विचार होगा। उस समय आप भी बोल लेना, हम भी बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा प्रश्न आज की प्रश्न सूची में 401 नम्बर पर लगा हुआ था। उसका नम्बर तो नहीं आया, लेकिन उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : मैं पता कर लूंगा। श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, गलता गेट के पास....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सूरसागर से कहां गलता आ गये ? यह गलताजी की हालत भी सूरसागर जैसी बनाओगे क्या ? इसको तो बचाओ, माफ करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो हालत बन रही है, वह आपको बताना चाहता हूं। गलता गेट और उसके पास में अलख मठ के नाम से लगभग 100 बीघा जमीन है। यहां पर लालगिरी नाम के दो महात्माओं की 100 वर्ष से अधिक पुरानी जीवित समाधियां हैं और कई मंदिर आदि बने हुए हैं। इस जमीन के नीचे बीकानेर में भी अलख मठ, तावजगिरी की गुफा और उदयगिरी की समाधियां वगैरह हैं। इस जमीन को पिछले कई वर्षों से खुर्द बुर्द करने का एक अपराधिक षडयंत्र चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां कई नगर बस गये पर अभी फिलहाल जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं उनको रोकने के सम्बन्ध में मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था।

ऐसा कुछ समाचार पत्रों में आया था कि वह जमीन उन्हीं साधुओं के किसी परिवार के लोगों ने भागचन्द राखेजा, जो लक्ष्मीगिरी महाराज, उदयगिरी महाराज के शिष्यों में से आते हैं, उनके किसी वारिस ने बेच दी। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन को और सम्बन्धित मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कोई व्यक्ति जो घर छोड़ कर साधु बन जाता है, उसकी भी कोई गृहस्थी रहती है क्या ? साधु, फकीर, जो घर छोड़कर समाजसेवा में चले जाते हैं, उनके वारिस कभी भी गृहस्थी लोग नहीं होते, साधु ही उनके वारिस होते हैं या उनकी शिष्य परम्पराओं में जो लोग आते हैं, वही उनके वारिस बन सकते हैं। यदि भागचन्द राखेजा नाम के किसी व्यक्ति ने, जो अभी इस संसार में नहीं है, कोई अवैध विक्रय कर दिया है तो उसको नहीं मान कर उस जमीन को संरक्षित करना चाहिये और जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन रखी हुई है वह उसी उपयोगार्थ रहे। मुझे तो जानकारी यहां तक मिली है कि गलता गेट को भी बेच दिया गया है। जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है और इस अलख मठ का जो पुरातत्व से सम्बन्धित स्मारक है, जहां लोगों ने जीवित समाधियां ली, उस स्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को बचाना प्रत्येक सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिये। सावन के महीने में जहां श्रद्धालु लोग बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, वहां कब्जा देखकर न केवल जयपुर में बल्कि बीकानेर में और जहां जहां उनके शिष्य हैं, उनको इससे बड़ा कष्ट हुआ है। सौ बीघा जमीन को मात्र 17 हजार या 40 हजार रुपये में विक्रय करना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, बहुत बड़ा अपराध है। उसको अविलम्ब रोका जाना चाहिए और जो नाजायज कब्जा अलख मठ के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करके उस जमीन को सुरक्षित रखना चाहिये और ऐतिहासिक और पुरात्व से सम्बन्धित इस स्थल को विकसित करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं को, आश्रमों को सहयोग देना चाहिये। पिछले दिनों में जब से जनता दल और भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश में नाजायज कब्जों का बहुत जोर....

श्री अध्यक्ष : अब आप विषयान्तर मत होइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। यहां पर रायसर प्लाजा का केस आया। सदन में इसी तरीके से एक, दो प्रकरण और आपके सामने आयेंगे। मैं चाहता हूं कि अलख मठ के ऊपर जो नाजायज निर्माण हो रहा है उसको तुरन्त रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसको संरक्षित करके जो उसके वास्तविक अनुयायी हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए दे या उनके वारिस नहीं हैं तो सरकार उसको अधिग्रहित करे और अधिग्रहित करके उसको सर्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री सुरेन्द्र-व्यास। (अनुपस्थित)

श्री जियालाल बंशीवाल : (अनुपस्थित)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : (अनुपस्थित)

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख-तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम कनेरा में बुखार से हुई मौतें

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा तहसील के कनेरा क्षेत्र में जो बुखार का प्रकोप फैला हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कनेरा घाटा नामक एक स्थान है जहां पर 27 गांव बसे हुए हैं जिनके आस-पास मध्यप्रदेश की सीमा लगती है। वहां पह पिछले एक माह से बुखार का भयंकर प्रकोप चल रहा है। बुखार से सैंकड़ों लोग पीड़ित हैं। कनेरा गांव, जो कि पांच हजार की आबादी का गांव है, वहां पर कोई ऐसा घर नहीं होगा, जिस घर में कोई व्यक्ति बीमार न हो। किन्तु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा एवं साधनों के अभाव में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व मेरे द्वारा उप जिलाधीश को सूचना देने पर

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

एक चिकित्सा टीम द्वारा कनेरा क्षेत्र में बुखार के प्रकोप की सर्वे की गई लेकिन चिकित्सा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी उस क्षेत्र में घर-घर में बुखार का प्रकोप फैला हुआ है।

(12.15 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

बुखार के प्रकोप से कनेरा एवं आस-पास के ग्राम में कई लोग मृत्यु की चपेट में आ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं।

1. मुमताज अली, उम्र 40 वर्ष, कनेरा

2. मोतीलाल धाकड़, उम्र 30 वर्ष, कनेरा

3. हीरालाल भांभी, उम्र 25 वर्ष, कनेरा

4. रतनी भील, उम्र 25 वर्ष, कनेरा

5. युनूस खान, उम्र 3 वर्ष कनेरा

6. रतनलाल धाकड़, कोचवा

7. पुकार लाल धाकड़, 20 वर्ष, कोचवा

इनके अलावा भी कई लोग, जो कि गांव को छोड़ कर इलाज के लिए मध्यप्रदेश के जावद, नीमच के क्षेत्र में गये हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसकी अभी तक कोई जानकरी नहीं मिली।

चिकित्सा विभाग ने बार-बार शिकायत पर भी अभी तक यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की है कि बीमारी क्या है ? मस्तिष्क ज्वर है या वायरस फीवर है या मलेरिया है ? इतने दिन हो गये लेकिन आज तक चिकित्सा विभाग ने कोई जानकारी नहीं की। 15 दिन पूर्व कुछ रोगियों का ब्लड टैस्ट किया गया था। लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि बीमारी क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कनेरा क्षेत्र में शीघ्र ही चिकित्सा सुविधाओं की तरफ ध्यान देकर बुखार को नहीं रोका गया तो सैकड़ों लोगों को मृत्यु के कगार पर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द चिकित्सा विभाग को निर्देश दिये जाये कि बीमारी को कण्ट्रोल करने के लिए उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल (अनुपस्थित)

श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)

माननीय मास्टर भंवरलाल (अनुपस्थित)

माननीय श्री प्रभुलाल पटेल।

सपोटरा में एनीकट निर्माण

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सपोटरा क्षेत्र में एनीकट निर्माण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। सपोटरा

(श्री प्रभुलाल पटेल)

विधान सभा क्षेत्र में आधा भाग पथरीला व डांग क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में आसानी से कुआ व हैन्ड पम्प नहीं बनाये जा सकते हैं। यदि बना भी दिये जाते हैं तो उनसे पर्याप्त पानी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अधिकतर सूखे ही रहते हैं। इस प्रकार पानी के अभाव में जन धन को पेयजल के संकट का मुकाबला करना पड़ता है।

यदि सरकार इस क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहती है तो इस इलाके में निम्नलिखित जगहों पर एनीकट निर्माण करवा दिये जायें :—

1. कालागुदा 2. गुरदेह 3. अमरवाड़ 4. बगडार 5. रोंधड्दर्रा 6. बहरदा 7. लांगरा 8. भाकरी 9. जीरोता 10. गाबड़ा 11. औड 12. नवलपुरा 13. मसावता 14. बोरधान 15. मान्यापुरा 16. वाढ़ प्रतापसिंह 17. मोगीपुरा।

इन एनीकटों से पानी रुकेगा, उससे जल स्तर भी बढ़ेगा तथा ऊपर पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। पूरी जमीन की लेबलिंग भी होगी। यदि सरकार द्वारा इन एनीकटों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करवा दिया गया तो इस इलाके की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जावेगी। अतः सरकार इस क्षेत्र की पेयजल समस्या को मद्दे नजर रखते हुए शीघ्र निर्माण करवाने की कार्यवाही करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डूंगरपुर में बीजों का हवाई छिड़काव

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 व 14 जुलाई, 1990 के राजस्थान पत्रिका के संस्करण में जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डूंगरपुर द्वारा बन्जर भूमि को वनाच्छादित करने के लिए हवाई छिड़काव बाबत विज्ञापन को पढ़कर आश्चर्य एवं खेद हुआ। आश्चर्य इस बात से हुआ है कि हवाई छिड़काव के तकनीकी पहलुओं पर बिना अध्ययन किये ही उक्त कार्य अतकनीकी अधिकारी, जो कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर हैं, के द्वारा करवाया जा रहा है। खेद इस बात का है कि 8.5 लाख रुपये की धनराशि राजकीय कोष से ऐसे कार्य पर व्यय की जा रही है जो कि पूर्णतया विफल रहेगा एवं जिसके स्थानीय जनता के लिए एवं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक परिणाम होंगे।

सभापति महोदय, यह एक साधारण एवं शीघ्र ही समझ में आने वाली बात है कि हवाई जहाज से जब बीजों का छिड़काव किया जायेगा तो वह चयनित क्षेत्र के अलावा उसके आस पास के क्षेत्र में, जहां पहाड़ी, दरड़े अथवा खेत-खलिहान हैं, सभी जगह पर बीज गिरेंगे। पहाड़ों एवं ढलान वाले क्षेत्रों में जमीन की बिना तैयारी किये बीज गिरने पर प्रथम तो इसका अंकुरित होना बहुत ही कठिन है। कठोर भूमि पर बीज पड़ने से सारा बीज वर्षा के पानी के साथ बहकर नदी-नालों में पहुंच जायेगा। जो बीज खेतों में गिरेगा सिर्फ उसके अंकुरित होने की सम्भावना रहेगी। ऐसी परिस्थिति में हवाई

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जहाज से बीजों का छिड़काव का उद्देश्य क्या खेतों में बीज रोपित करके अनाज के स्थान पर पेड़ उगाना है ? ऐसे गलत कार्य के लिए कोई भी काश्तकार कतई तैयार नहीं होगा। विज्ञापन में वृक्षों की उन प्रजातियों के नाम अंकित हैं जिनके बीज का छिड़काव किया जाना है। इनमें से देशी बबूल पहाड़ों पर कभी नहीं उगता। रोंझ ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी जलाने के अतिरिक्त और किसी उपयोग में नहीं आती। इन पेड़ों की पत्तियां अलबत्ता बकरियों के चरने के काम में आती हैं। किन्तु इस प्रजाति के वृक्ष प्रकृति में छितरे रूप में पहाड़ों पर व बंजर भूमि पर पाये जाते हैं। रतनजोत झाड़ी नुमा पौधा है। सुबबूल ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां यदि शुद्ध रूप से मवेशियों को खिलायी जायं तो उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। सिर्फ विलायती बबूल ऐसा पेड़ है जो कि सभी स्थानों पर आसानी से उगाया जा सकता है। किन्तु हम सब जानते हैं कि यह पौधा किस प्रकार से पर्यावरण को नष्ट करता है। सभापति महोदय, इसके नीचे न तो घास पैदा हो सकती है और न ही कोई अन्य पौधा। वन्य जीव तो इसके पास फटकते ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जहां भी यह पौधा उग आता है फिर उसके बीज बकरियों की मींगनियों के जरिये बहुत जल्दी ही सारे क्षेत्र में फैल जाते हैं और उक्त क्षेत्र किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं रह जाता है। अतः इस प्रजाति के बीज खेतों में गिराने से समस्त काश्तकार अपने भाग्य को कोसेंगे कि उनकी जमीन, जो कि अन्न उपजाती थी, अब पूर्णतया बेकार हो गयी है।

हवाई बीजारोपण का अन्य दुखद पहलू यह है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र वनों की दृष्टि से राजस्थान में बहुत ही समृद्ध समझे जाते हैं। इन वनों की मुख्य पैदावार सागवान एवं बांस है एवं उसके साथ उगने वाले अन्य पेड़ पौधे। किन्तु जिन बीजों का छिड़काव जिला कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है उनमें यह प्रजाति नहीं है। न ही कोई बीज छिड़कने का प्रावधान है। तकनीकी दृष्टि से यह एक बहुत ही गलत कार्यवाही होगी। पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम के पीछे भावना यह होती है कि स्थानीय प्रजाति के पौधों को ही पनपाया जाय। किन्तु यह तो इसके विपरीत किया जा रहा है। जो पेड़ इस पहाड़ी बहुल क्षेत्र में नहीं होते उनके बीजों का छिड़काव करना पर्यावरण को नष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पूर्व में हवाई छिड़काव से बीजारोपण पूरी तरह से असफल रहा है। अतः, सभापति महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा अराष्ट्रीय कार्य जिससे कोई लाभ नहीं होकर जनता के पैसे की बर्बादी है एवं जनता के लिए जिससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, ऐसे कार्य पर तत्काल रोक लगायी जाय। यह एक जांच का विषय भी बन जाता है कि तकनीकी एवं व्यावहारिक रूप से पूर्णतया ऐसे गलत कार्य की स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गयी है।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री रामेश्वर प्रसाद को राज्य सेवा में समावेश करने के सम्बन्ध में

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव, सहायक अधीक्षक, राजकीय छात्रावास, "स" श्रेणी, बाबा छात्रावास सोजत सिटी को राजकीय सेवा में समावेश किये जाने बाबत निवेदन कर रहा हूं।

राजस्थान विमुक्ति जाति सेवक संघ, जयपुर (राजस्थान) से संचालित पाठशाला कंजर कालोनी, मोतीपुरा जिला चित्तौड़ में श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव अध्यापक पद पर दिनांक 9.9.1957 को नियुक्त हुआ। सन् 1963 को संस्था के अधिकारियों ने छात्रावास अजमेर स्थानान्तरित किया क्योंकि अध्यापक एवं छात्रावास व्यवस्थापकों के समान पद के पश्चात् 1965 में सोजत सिटी में बाबा छात्रावास में स्थानान्तरित किया, जिस पर रामेश्वर प्रसाद वैष्णव अभी भी सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। सन् 1973 से राजस्थान विमुक्ति जाति सेवक संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं एवं छात्रवासों को राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया स्कूलों को और छात्रवासों को समाज कल्याण विभाग में। शाला को सम्मिलित करने के साथ शालाओं के अध्यापकों को राजकीय सेवा में समावेश कर तृतीय वेतन श्रृंखला दे दी गयी। छात्रावासों में कार्यरत सहायक अधीक्षकों को समाज कल्याण विभाग ने अपने अधीन लिया एवं उनमें कार्यरत सहायक अधीक्षकों को प्राथमिकता के तौर पर रखा रु. 75/ मासिक अंशकालीन भत्ते के तहत। सन् 65 से हरिजन सेवक संघ एवं आदिम जाति सेवक संघ के छात्रावासों को भी समाज कल्याण विभाग में हस्तान्तरित किया गया, तो उनमें कार्यरत सहायक अधीक्षकों को भी राजकीय सेवा से समावेश किया। शालाओं में कार्यरत अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग में मानदण्ड तय किये, जिनमें रामेश्वर लाल वैष्णव भी आता है। पहले भी संस्थाओं से हस्तान्तरित छात्रावासों को विभाग में राज्य सेवा में लिया है। उदाहरणार्थ श्री रतनलाल शर्मा, सहायक छात्रावास अधीक्षक, नागौर तथा श्री जगदीश प्रसाद सहायक छात्रावास अधीक्षक, बाड़मेर।

निदेशालय के पत्रांक 2026 दिनांक 19.4.1982 के जरिये श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव को इस सम्बन्ध में दिनांक 23.4.1982 को निदेशालय में आमन्त्रित किया गया। निदेशालय के पत्रांक 28508 दिनांक 16.5.1982 से यह आश्वासन दिया गया था कि वह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है, निर्णय होने पर यथा सूचित कर दिया जायेगा। दिनांक 12.10.1982 को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पद सृजित नहीं होने तथा बजट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी। एवं अभी तक श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है, बताया गया। वित्त विभाग के आई. बी. नम्बर 294 दिनांक 27.4.85 से इस संस्था हेतु विभाग को बजट भी आवंटित हुआ है। निदेशालय के पत्रांक एफ 312141 दिनांक 29.3.1985 द्वारा बजट आवंटित किये जाने की सूचना इस कार्यालय को भी दी गयी है। वेतन उक्त मद में बजट का आवंटन होने से

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

स्पष्ट है कि विभाग में सहायक छात्रावास अधीक्षक का पद भी सृजित हुआ है। अतः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तथ्यों का अवलोकन करवाकर श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव अंशकालीन सहायक, छात्रावास अधीक्षक को राज्य सेवा में समावेश कराने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर में मुख्य चिकित्सालय भवन का निर्माण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं। डूंगरपुर जिले में मुख्य चिकित्सालय का नया भवन जो पिछली सरकार ने बनाया है उसे पूरा कराने के बारे में तथा नये भवन के लिए स्टाफ स्वीकृत करने के बारे में निवेदन करता हूं। डूंगरपुर में मुख्य चिकित्सालय का भवन अपर्याप्त एवं बहुत पुराना होने से लोगों को भारी परेशानी है। पिछली सरकार ने राजपुर गांव को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर निकालकर उसके लिए स्वीकृति दी और स्थानीय जनता से चन्दा लेकर भवन तैयार किया है, जिसकी दूसरी मंजिल बाकी है। इसे पूरा कराने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि सैकण्ड मंजिल के लिए रकम स्वीकृत कराने के आदेश करावें। साथ ही शहर में पुराने भवन में जो हास्पिटल चल रहा है उसके स्टाफ को वहीं रखा जाय एवं नये भवन के लिए नया स्टाफ स्वीकृत किया जाय, जिससे डूंगरपुर शहर एवं डूंगरपुर की ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल सिंह। (अनुपस्थित)

श्री सुनील बिश्नोई : मेरा 295 था, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा से भांभरी सड़क का निर्माण

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत खैरवाड़ा से भांभरी अन्तर्राज्यीय सड़क के डामरीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि खैरवाड़ा से भांभरी सड़क राजस्थान एवं गुजरात को मिलाने वाली एक अन्तर्राज्यीय सड़क है जिसकी कुल लम्बाई 34 किलोमीटर है। इसमें से 16 किलोमीटर का डामरीकरण हो चुका है जब कि शेष 19 किलोमीटर सड़क कच्ची है।

इस मार्ग पर प्रतिदिन खैरवाड़ा से गुजरात की सीमा भांभरी तक 5 बसें आया-जाया करती हैं गुजरात राज्य में काम धन्धे अधिक होने से खैरवाड़ा और भांभरी के बीच की 7 पंचायतों के गांवों के श्रमिक काम करने के लिये गुजरात आया-जाया करते हैं।

लेकिन बरसात के दिनों में बसों के सीमा तक नहीं पहुंचने से उन श्रमिकों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और 19 किलोमीटर तक पैदल आना-जाना पड़ता है। उधर गुजरात राज्य की सड़क सीमा

(श्री दयाराम परमार)

तक पक्की होने से 7 बसें प्रतिदिन अप–डाउन करती हैं। उन बसों से जब गुजरात के लोग राजस्थान में आने के लिए आते हैं और उन्हें वहां राजस्थान की बसें नहीं मिलती हैं तो बड़े दुःखी होकर कहते हैं कि राजस्थान मांय तो बद्दी पोल छे कोई पण जोतु नथी, कोई पण सामलतु नथी, इस प्रकार से वे राजस्थान की बेइज्जती करते हैं।

इसलिए सरकार से मेरी यह मांग है कि खैरवाड़ा–झांझरी मार्ग की शेष कच्ची 19 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया जाए ताकि गुजरात राज्य में आने–जाने वालों को परेशानी न उठानी पड़े।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकान्ता व्यास।

सिरसी तथा मीरावाली में अ. जाति तथा सामान्य जाति के लोगों की भूमि अवाप्ति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम सिरसी तथा मीरावाली, तहसील-जयपुर में स्थित भूमि को अवाप्त करने की विज्ञप्ति दिनांक 28–5–90 (जो समाचार-पत्रों में 6–7–90 को प्रकाशित हुई) के तहत सवर्ण वर्ग के उच्चाधिकारियों व उनके संबंधियों तथा प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के पुत्रों की भूमि तथा समृद्ध उद्योगपतियों की भूमि को छोड़ कर आस–पास तथा बीच में आने वाली सामान्य श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की ही भूमि अवाप्त की जा रही है।

उक्त विज्ञप्ति के तहत जिन-जिन खातेदारों की भूमि अवाप्त की जा रही है तथा जिनकी अवाप्त नहीं की जा रही है उसका सारा विवरण सदन को बतायें।

उक्त प्रकार से अवाप्ति के तहत अनु–सूचित जनजाति के उच्चाधिकारियों की भूमि को अवाप्त किया जा रहा है ताकि उन्हें सरकार से भारी मुआवजे की राशि प्राप्त हो सके, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के खातेदारी की भूमि केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही बेची जा सकती है और ऐसे बेचान में भूमि की कीमत सरकारी मुआवजे के मुकाबले कम मिलती है जबकि एक ही साथ जुड़ी हुई भूमि के ब्लाक में से कुछ खातेदारों की भूमि को अवाप्त करना और कुछ खातेदारों की भूमि को छोड़ देने के पीछे कोई औचित्य नहीं है।

इस अवाप्ति से श्री भवानीसिंह, आई. ए. एस., श्री ओ.पी. मीणा, आई. ए. एस. एवं श्री हरीश मीणा, आई. ए. एस. तथा उनके रिश्तेदार मुआवजे की राशि से लाभान्वित होंगे तथा जिनकी भूमि अवाप्ति में छोड़ दी गई है उनमें आई. पी. एस अधिकारी श्री डी. आर. पुरी के भतीजे, श्री एन. एस. भाटी, आई. पी. एस. तथा श्री एम. एस. भाटी. आर ए. एस वगैरह लाभान्वित होंगे।

यह भी सही है कि इस अवाप्ति के विरुद्ध खातेदार श्री भीमसेन वगैरह की ओर से जो आपत्तियां की गई उन पर माननीय उद्योग मंत्री महोदय द्वारा पत्रावली में स्थगन आदेश दिनांक 30.6.90 को जारी कर दिए जाने के बावजूद भी उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इस अवाप्ति का नोटिस

Page No. 73

(73)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दिनांक 6 जुलाई, 1990 को अखबारों में विज्ञापित किया।

इस संबंध में माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि मन्त्री महोदय के आदेश दिनांक 30–6–90 की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

यह सही है कि इस भूमि की अवाप्ति हेतु कार्यवाही उस समय आरम्भ हुई जब श्री ओ. पी. मीणा, आई. ए. एस., उद्योग विभाग में उप सचिव थे तथा श्री ए. एस. रूंगटा, आई. ए. एस. रीको चैयरमेन थे और यह भूमि रीको के लिए अवाप्त की जा रही है। इस अवाप्ति से श्री ओ. पी. मीणा के रिश्तेदार तथा श्री ए. एस. के पारिवारिक मित्र श्री किशोर निर्मल एवं श्री पुरुषोत्तम रूंगटा का सीधा हित निहित है।

इस भूमि की अवाप्ति में रीको को 150/– रुपये प्रति वर्ग मीटर का मूल्य देना होगा और रीको इस भूमि को 150/– प्रति वर्ग मीटर से अधिक दर में बेच सकेगी। यह संदिग्ध है।

यदि रीको अधिक दर से नहीं बेच सकेगी तो इससे सरकार व सरकारी उपक्रम को नुकसान ही होगा। उस नुकसान के जिम्मेदार कौन होंगे ? औद्योगिक क्षेत्र में रीको की रिजर्व कीमत केवल 100/– प्रति वर्ग मीटर है।

इस भूमि पर जब मूल खातेदार श्री भीमसेन ने उद्योग लगाने की अनुमति मांगी थी तो उसे अनुमति नहीं दी गई और अब इस भूमि को अवाप्त कर रीको के माध्यम से अपने अन्य चहेते लोगों को उद्योग लगाने हेतु यही भूमि दी जाएगी।

इस भूमि की अवाप्ति में लगभग 35,000 (पैंतीस हजार) हरे-भरे वृक्ष तथा 1000 (एक हजार) फलों के वृक्ष, उद्योग लगाने पर नष्ट हो जाएंगे जो भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है, तथा पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा जो हर सूरत में असह्य है। जो भूमि अवाप्त करने हेतु चुनी गई है उसके ठीक पास ही सरकारी सवाय चक भूमि पड़ी है जहां उद्योग लगाये जा सकते हैं फिर केवल आई. ए. एस. व आई. पी. एस. अधिकारियों व उनके रिश्तेदारों को अनावश्यक व अनुचित लाभ पहुंचने के लिए सहकारी खजाने से पैसे लुटाने का क्या औचित्य है ? धन्यवाद।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम पुकारा गया था।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दी जाए।

श्री सभापति : आपका भी नाम पुकारा गया था, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

आपका नाम पुकारा गया था। अध्यक्ष महोदय विराजमान थे तो आप अनुपस्थित थे। आपका नाम मैंने पुकारा था।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सदस्यों के लिए, अन्य सदस्यों के लिए भी एक बार व्यवस्था हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री विश्नोई।

इन्दिरा गांधी नहर में पक्के खालों की कीमत किसानों से वसूल न करने के सम्बन्ध में

श्री सुनील कुमार विश्नोई : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में खेतों को सिंचित करने के लिए बनाए गए पक्के खालों, जो सी. ए. डी. द्वारा बनाये गये थे, की कीमत किसानों से वसूल न किए जाने के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव निम्नानुसार है–

महोदय, निवेदन है कि हमारे राज्य राजस्थान के जिला गंगानगर की तहसील घड़साना, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रायसिंहनगर, पीलीबंगा टी.बी, हनुमानगढ़, रावतसर इत्यादि में खालों की कीमत काश्तकारों से वसूल की जा रही है उन पर कीमत वसूलने के लिए केस किये जा रहे हैं। यहां के काश्तकारों की जमीनें बैंक के गिरवी है इसलिए वे जमीनों पर न लोन ले सकते हैं न ही अन्य सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमारे ही राज्य के बीकानेर जिले के लूणकरणसर, छत्तरगढ, कोलायत व जैसलमेर जिले में ऐसे खालों की कीमत प्रोजेक्ट द्वारा वहन की जा रही है। हमारे राज्य की अन्य परियोजनाओं में भी जो खाले बने हैं उसका वित्तीय भार काश्तकारों पर नहीं डाला गया है जैसे कि चम्बल, माही आदि योजनायें, इत्यादि। इसी तरह हमारे पड़ौसी राज्यों हरियाणा, पंजाब आदि में भी इस प्रकार के खालों का व्यय सरकार द्वारा उठाया जा रहा है एवं वहां के काश्तकार इस भार से मुक्त हैं।

कैसी विचित्र बात है कि एक ही परिवार के दो बेटों में भेदभाव किया जा रहा है। एक ओर तो गंगानगर जिले के काश्तकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उसे इस व्यय भार तले दबाया जा रहा है और दूसरी ओर उसके भाई जो बीकानेर में काश्त कर रहे हैं, को इस व्यय भार से मुक्त रखा जा रहा है।

सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति ने गंगानगर जिले के काश्तकार की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार की नीति पूरे राज्य में एक ही होनी चाहिये। इस जिले के काश्तकारों को समय-समय पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खालों की कीमत माफ करने का आश्वासन दिया गया है। इस बार भी इसी असत्य की आड़ में भा.ज.पा. व जनता दल ने इन काश्तकारों के साथ धोखा किया है। अतः खालों के वित्तीय भार से गंगानगर के काश्तकारों को मुक्त किया जाय जैसा कि वादा किया गया था।

आपकी जानकारी हेतु यह बताना उचित समझता हूं कि खालों की कुल रकम 57 करोड़ थी जो अब ब्याज समेत 119 करोड़ है इसमें ओवर हैड चार्जेज आफिसर पे, पी. एण्ड टी. आइटम्स व इन्फ्रास्ट्रेक्चर्स फीस, सी. ए. डी. कमीशन कान्टेक्ट प्रोफिट भी शामिल है।

इससे आप भली भांति अन्दाजा लगा सकते हैं कि ये खाले किस स्तर के बने हैं।

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

गंगानगर का काश्तकार यह रकम देने में असमर्थ है; अत: यह रकम विभाग या सरकार द्वारा दी जाय ।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल ।

लवान गांव में कृषि भूमि का आवंटन

श्री मांगीलाल मेघवाल(केशोरायपाटन) : माननीय सभापति महोदय; मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन (बूंदी) के लवान गांव में वर्ष 1978 में सीलिंग की कृषि भूमि इसी गांव के गरीब खेतिहर मजदूरों को दी गई थी। इस कृषि भूमि पर आज दिन तक स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आवंटियों को कब्जा नहीं दिया। जमीन पर आज भी पूर्व मालिक ने अपने प्रभाव एवं कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर कब्जा कर रखा है। आवंटित गरीब लोगों जो संख्या में 11 है. स्थानीय पटवारी एवं रेवेन्यू इन्सपेक्टर ने जबरन सारी किश्तें जमा करा ली हैं एवं साथ ही लगान तक भी वसूल किया है जिसकी सम्पूर्ण रसीदें आदि इनके पास हैं। मेरी मांग है कि जिस पटवारी ने इनसे किश्तें जमा कराई हैं एवं लगान वसूली है उससे गिरदावरी रिकार्ड मांगा जाय और जिन्होंने इन गरीब मजदूरों से कब्जा नहीं होने के बावजूद नियम विरुद्ध दांव धौंस से पैसा वसूला है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

मान्यवर; गरीब लोग एक युग से अपना पेट काटकर इधर-उधर अपना हक एवं न्याय मांगते फिर रहे हैं परन्तु अधिकारियों ने टालमटोल कर इनको भूखों मरने पर बाध्य कर दिया है। जिला कलक्टर, बूंदी ने तहसीलदार केशोरायपाटन के नाम पत्र लिखकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। तहसीलदार ने थाने को लिखा, किया कुछ नहीं। थाने वाले सुनते नहीं, रुपया मांगते हैं । पटवारी सुनता नहीं। अब यह लोग कहां जायें ?

अत: मैं अपने इस 295 के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से इन पवित्र सदन में सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की अंधेर-गर्दी से गरीबों को राहत देकर इनके साथ न्याय किया जाकर तुरन्त प्रभाव से पुलिस के सहयोग से इन्हें कब्जे दिलवाये जायं और दोषी व्यक्तियों, कर्मचारियों को दण्ड दिलाया जाये।
आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कुंवरसिंह, सदस्य, विधान सभा राजस्व विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति में की जा रही अनियमितता एवं पक्षपात किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, 295 में मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री सभापति : आप अनुपस्थित थे। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : इनको भी अवसर दे दीजिए, जब उन दोनों को दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने अगला कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आप अब विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) : साहब, इनको भी अवसर दे दीजिए। यह भी किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे, कुछ नैचुरल काम भी देखेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप भी अनुपस्थित थे।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे श्री रिछपाल सिंह जी बैठे हैं, उनका 295 में नाम ही नहीं पुकारा गया।

श्री सभापति : आप बोलिए।

सुजानगढ़ में राजाजी की कोठी में विभाग की उपेक्षा

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं सुजानगढ़ कस्बे में बनी पुरानी राजाजी की कोठी की हो रही दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू में एक बहुत बड़ा भव्य भवन, जिसकी राजाजी की कोठी के नाम से जाना जाता है, स्थित है। कस्बे का आज भी यह सबसे बड़ा भवन है। इसी भवन में दस साल तक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी महाविद्यालय को चलाया गया था। इस भवन में कई बड़े कमरे व हाल बने हुए हैं। इस भवन के नीचे करीबन 20 बीघा से भी ऊपर जमीन है जो खाली पड़ी है। यह भवन व जमीन आज एक करोड़ रुपये से भी ऊपर की कीमत का है। इस कोठी की खुली जमीन पर पी. डब्ल्यू. डी. का विश्राम गृह एवम् मुन्सिफ कोर्ट कार्यालय बाद में सरकार द्वारा बनाये गये हैं। आज भी कई बीघा जमीन इस भव्य भवन के चारों ओर खुली पड़ी है। इतनी कीमती जमीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण भी जारी है। अतिक्रमण रोकने एवं भवन का रख-रखाव करने वाला कोई नहीं हैं। यह भवन आज लावारिस सा पड़ा हुआ है। इस भवन का मेटेरियल, किवाड़ व खिड़कियां आदि इतनी मजबूत हैं कि आज तक कोई मरम्मत नहीं की जाने के बावजूद भी सही हालत में हैं। केवल दीवारों का प्लास्टर, जाली-जंगले, रंगाई-पुताई का काम ही करने से काम चल सकता है तथा इस भवन की उम्र बढ़ सकती है। पूरा भवन जोधपुरी पत्थर की घड़ाई करके बनाया हुआ है।

इस भवन के पास ही 28 कमरे बने हुए हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गए हैं उनकी मरम्मत अवश्य ही करानी पड़ेगी। अगर मरम्मत नहीं करवाई जाती है तो इन कमरों को नष्ट कर जो इसमें कीमती सामान लगा हुआ है वह नये कमरे बनाने के काम लिया जा सकेगा एवम् विभाग को इससे काफी फायदा होगा। अगर इस विशाल भवन की मरम्मत करवा दी जावे तो सुजानगढ़ के सारे सरकारी कार्यालय इस एक ही भवन में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो रही है जिसका सरकार द्वारा कोई उपयोग भी नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सुजानगढ़ कस्बे में कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे किराये पर लिए हुए हैं, जैसे तहसील कार्यालय पांच हजार रुपया प्रतिमाह किराया सरकार को वहन करना पड़ता है

(श्री भंवरलाल)

और यह तहसील कार्यालय पिछले सात साल से किराये पर है जिसका किराया सरकार द्वारा, करीबन अब तक सात लाख रुपये के आस-पास लग चुका है तथा जब तक विभाग द्वारा तहसील कार्यालय भवन नहीं बनाया जावेगा यह किराया वैसे ही लगता रहेगा।

इसी तरह से कस्बे में दूसरे कार्यालय-भेड़ व ऊन विभाग, आबकारी विभाग, महिला बच्चे व पोषाहार विभाग, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय आदि सभी किराये पर चल रहे हैं। सबका किराया प्रतिमाह जोड़ा जावे तो इतना किराया बनता है कि आज तक कई कार्यालय भवन बन सकते थे। आज तक इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। इस राजाजी की कोठी की मरम्मत करा दी जावे तो किराये पर चलने वाले सारे कार्यालय स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

महोदय, इस भवन की मरम्मत कराने के लिये नये सिरे से तकमीना बनवाया जावे। मरम्मत करवाने के तकमीना के मुताबिक जो भी धनराशि खर्च होगी उससे एक तरफ जहां सारे कार्यालय एक जगह स्थापित हो सकेंगे वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा की जा रही खर्चे की कटौती का काम भी पूरा हो सकेगा तथा किराये के हर साल लगने वाले धन का सरकार के अन्य कार्यों में सदुपयोग हो सकेगा।

मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा मांग करता हूं कि इतने बड़े विशाल भव्य भवन की निश्चित रूप से मरम्मत करवायी जावे एवम् किराये पर चलने वाले सारे कार्यालयों को इसमें स्थानान्तरित किया जावे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल सिंह जी।

ट्रेण्ड वन पालों को पदोन्नत करने के सम्बन्ध में

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना।

महोदय, राजस्थान में वन विभाग के वनपालों द्वारा 1989 में एक बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में हड़ताल की थी। उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के वन सचिव श्री महेन्द्र सिंह और राजस्थान के वन अधीनस्थ कर्मचारियों में एक समझौते की मीटिंग दिनांक 25-2-90 को सचिवालय में हुई जिसमें समझौता किया और वनपालों को तत्काल 1-4-89 से पदोन्नत करने की लिखित में घोषणा की गई थी। आज लगभग 15-16 माह बीत चुके हैं परन्तु क्रियान्विति नहीं हुई। समझौते की प्रतिलिपि लिखित में सरकार द्वारा दी गई थी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

लम्बे अरसे तक वनपालों से किये वायदों को पूरा नहीं करने से राजस्थान वन विभाग के कर्मचारी, वनपाल पुनः राजस्थान व्यापी हड़ताल मजबूर होकर करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले राज्य सरकार को चाहिये कि तत्काल वनपालों को पदोन्नति समझौते के तहत करें।

(श्री रिछपाल सिंह)

वन विभाग में 05 वनपाल ट्रेण्ड होते हुए भी उन लोगों में से किसी की पदोन्नति नहीं करके नियमों को ताक में रखकर श्री बद्रीनारायण शर्मा, वनपाल को, अनट्रेण्ड होते हुए भी, दिनांक 25–1–90 को पदोन्नत कर दिया गया जो बेबुनियाद एवं कानून विरूद्ध है। यह गलत तरीके से पदोन्नति की गई है जिससे विभाग के ट्रेण्ड वनपालों में, राज्य के कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी असंतोष व आक्रोश फैलता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि व्याप्त आक्रोश व असंतोष को समाप्त करने के लिए तत्काल ट्रेण्ड वनपालों की पदोन्नति करे।

(समझौते की प्रति माननीय सदस्य द्वारा सदन की मेज पर रखी गई।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कुबेरसिंह, सदस्य, विधान सभा राजस्व विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति में की जा रही अनियमितता एवम् पक्षपात किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री कुबेरसिंह (अनुपस्थित)

अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर में अनियमितता

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केसरगंज, अजमेर के लेखापाल एवं संचालक मण्डल द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, अजमेर स्थित अरबन को–ऑपरेटिव बैंक के सम्बन्ध में जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मंत्री महोदय का ध्यान कुछ खास बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो उत्तर विधान सभा अध्यक्ष महोदय को मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दिया है, उसको मैंने गौर से पढ़ा है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार इस बात को मानते हुए भी कि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक का चुनाव गैर कानूनी रूप से हुआ है. अनियमित है, अपने आपको असहाय पा रही है। इसी तरह वहां के जो लेखापाल हैं, अकाउण्टेंट हैं उनके द्वारा जो अनेकानेक अनियमितताएं, गबन, घपले किये गये हैं जिनको राज्य सरकार स्वयं स्वीकार करती है. उस मामले में भी राज्य सरकार अपने आपको असहाय महसूस कर रही है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान को–ऑपरेटिव सोसायटीज के जो रूल्स बने हैं 1966 के, उनके रूल 41 के सब क्लॉज 4 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह अगर कोई इस तरह के मामले हैं, उसमें सम्बन्धित कर्मचारी को सस्पैण्ड कर सकते हैं, उस पर डाइरेक्शन दे सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार साहब के डाइरेक्शन को नहीं मानते हैं तो इसी रूल के तहत जो सब क्लॉज 7 है उसमें यह अधिकार है कि रजिस्ट्रार महोदय उसको सीधा निलम्बित कर सकते हैं। सभापति महोदय, 10.3.88 को लेखापाल महोदय को सस्पैण्ड किया गया रजिस्ट्रार

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

के निर्देशों के अनुसार। लेकिन 5.12.88 को जो बाद में बोर्ड चुनकर आया उसने बगैर रजिस्ट्रार महोदय की पूर्व अनुमति लिए हुए यह कहकर कि वह जो गबन, घोटाले, अनियमितताएं थी वह बहुत सीरियस नेचर की नहीं थी, काफी पैसा सरकार का, जो सस्पेंशन के दौरान अलाउन्स देते हैं, उसमें व्यर्थ जाएगा, बहाल कर दिया।

सभापति महोदय, कोई भी सोसायटी जो को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसा कि यह बैंक है, रजिस्ट्रार महोदय के आदेशों की पालना नहीं करता है तो सरकार को अधिकार है कि सैक्शन 32 में ऐसे बोर्ड को, जैसा कि इस मामले में हुआ है कि बोर्ड ने अपने स्तर पर जिस आदमी को राज्य सरकार ने निलम्बित किया था, उसको वापस बहाल कर दिया। राज्य सरकार सक्षम है कि सैक्शन–32 जो को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट का है, उसमें संचालक मण्डल को ही, बोर्ड को ही भंग कर सकती है। सभापति महोदय, यह संचालक मण्डल जो 21.10.88 को अवैधानिक तौर से बना है और स्वयं हमारे मंत्री महोदय ने भी अपने जवाब में इस बात को माना है कि यह सारा जो चुनाव हुआ है यह अवैधानिक है। मैं सदन का समय उस बात के ऊपर लेना नहीं चाहता क्योंकि यह एडमिटेड पोजीशन है, उसको मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय भी इन्कार नहीं करेंगे। उन्होंने इसी सदन में 27.3.90 को प्रश्न संख्या 83 के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है। करीब तीन करोड़ की पूंजी का बैंक है। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा नहीं है, करीब बारह हजार मैम्बर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है उस बैंक में। इस प्रकार के क्रिया कलापों को, सरकार यह कहे कि हम इसमें असक्षम हैं, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके मार्फत जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपके पास बहुत व्यापक अधिकार हैं। अगर संचालक मण्डल आपके आदेशों की, निर्देशों की पालना नहीं करते हैं या जो अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार बोर्ड को दिया हुआ है वह अनुशासन की कार्यवाही नहीं करते तो राज्य सरकार सक्षम है कि अपने अधिकारों का उपयोग करके उनसे यह काम करवा सके। मन्त्री महोदय, मैं मानता हूं कि इसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार बैंक को है। इस लेखापाल के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार वहां के जो प्रधान व्यवस्थापक हैं, जनरल मैनेजर हैं उनमें निहित है। अगर जनरल मैनेजर यह कार्यवाही नहीं करता है, वह तो आपका आदमी है, आपके विभाग का लगाया हुआ आदमी है, आप उसको तो बाध्य कर सकते हैं कि वह इस प्रकार की कार्यवाही करे। अगर बोर्ड इसमें कोई बाधा डालता है, अगर जनरल मैनेजर कोई कार्यवाही करता है सस्पैण्ड करने की, टरमिनेट करने की और बोर्ड उसमें कोई बाधा डालता है, बोर्ड कोई प्रस्ताव करके उस कार्यवाही को निरस्त करता है तो फिर गवर्नमेंट बीच में आती है। गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह संचालक मण्डल को भंग करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका यह कहना कि हम

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, बिल्कुल अनुचित है।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आप मन्त्री नहीं हो। इनको जवाब देना है। आप तो सवाल कर लो।

श्री सभापति : आप उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न कर लीजिएगा। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। लिखित में आपका गया हुआ ही है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, जवाब मेरे पास है उनका।

श्री सभापति : उनका जवाब है तो फिर आपने प्रश्न ही काहे को किया है? जवाब भी आपके पास है, प्रश्न भी आपके पास है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसीलिए तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि जो जवाब दिया है उसमें जो बातें उभर कर आई हैं उनका वह जवाब दे दें।

श्री सभापति : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूं, तब ही तो उत्तर देंगे। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। अगर मैं अपनी बात पूरी न कह पाऊंगा तो....

श्री सभापति : समय की सीमा तो रखनी पड़ेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप रख लो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं अपनी बात तो कहूं।

श्री सभापति : आपने आकर्षित कर दिया, अब आप उनका उत्तर सुनिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं दो मिनिट में अपनी तीन-चार बातें कह देता हूं।

मन्त्री महोदय, इसमें पांच-सात जांच हुई हैं। उन जांचों के ऊपर सबसे पहले शोभा कौशिक, जो वहां पर थी उस समय, उन्होंने 9.1.85 को जांच का नोटिस दिया था। आज तक पांच साल में कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिजर्व बैंक द्वारा अनियमितता पाई गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रि-कन्सीलेशन 12 साल से नहीं हुआ। इसके लिए वह दोषी है। मन्त्री महोदय आप मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है मैं ठीक तरह से नहीं समझा पा रहा हूं या आप कार्यवाही करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बात भी नहीं कहनी है। रि-कन्सीलेशन का काम लेखापाल का है, 12 साल से रि-कन्सीलेशन के लिए इस विधान सभा में मेरे कई माननीय साथी सदस्यों ने आपको कहा है। बड़ी मुश्किल से जाकर उन बैंकों में करवा लिया जिन बैंकों में आपका अकाउण्ट ही नहीं है। लेकिन उन बैंकों में जिनमें उनके अकाउण्ट है, चार बैंक, उनमें से अभी बड़ी मुश्किल से एक का हो पाया है। तीन का आप कह रहे हैं दिसम्बर में हो जायेगा जल्दी करवाइये। किसकी

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जिम्मेदारी है कि इस पर री-कंसीलेशन होना चाहिए। फिक्स कीजिए। इसी तरह से सी. सी. ए. रूल्स में आपने 16 का नोटिस दे रखा है। मेजर पेनल्टी की कार्यवाही आप करें। किस्सा खत्म करिये अगर आप करना चाहते हैं। राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है, बोर्ड सहयोग नहीं कर रहा है और वह राजनैतिक संरक्षण अब तो नहीं है या अभी भी मिला हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि इन सब चीजों के ऊपर अभी 26.5.90 को, मैं अन्तिम बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, वहां जनरल मैनेजर थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप उधर नहीं, आप मंत्री को डाइरेक्ट मत कहिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इतनी देर में तो मैं कह ही देता। 26-5-90 को आपको जनरल मैनेजर जो मिस्टर लाम्बा थे। (व्यवधान)

मैं अपने जो उत्तरदायित्व हैं, मेरे जो अधिकार हैं उनसे भलीभांति परिचित हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि 26.5.90 को जो मिस्टर लाम्बा थे वहां के जनरल मैनेजर, उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनिट, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनको मालूम है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया होती है। आपके पास जवाब आया आपने पढ़ लिया वह तो ठीक है परन्तु वह जवाब जब तक मंत्री महोदय नहीं पढ़ देते... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : जब तक वह जवाब यहां पर प्रजेंट किया हुआ नहीं माना जायेगा। आपकी जानकारी में आ गया, आप बोल रहे हैं। सप्लीमेन्ट्री कर रहे हैं इसलिए पहले आप ध्यान आकर्षित तो कर दें। मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछ लें आप। सारी बात पहले क्यों पूछ रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं इतनी देर में समाप्त कर देता। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बात कही, जब तक मैं कोई बिन्दु ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं करूंगा मंत्री महोदय कैसे उत्तर देंगे?

श्री सभापति : आपने आकर्षित कर दिया। समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं कर रहा हूं। बिन्दु तो बताऊं ना या यह कह कर बैठ जाऊं कि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई बिन्दु होना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सुन तो लें।

Page No. 82

(82)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दो मिनट में खतम कर रहा हूं। वहां के प्रधान व्यवस्थापक, लाम्बा उन्होंने 26.5.90 को उसके खिलाफ पूरी जांच करके आपको दी और उसमें सारे गबन, घोटाले और अनियमितताओं का पूरा विवरण हैं। मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं उस शख्स ने हिम्मत करके, हौसला करके यह रिपोर्ट आपको भेजी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य मैंने जवाब ही नहीं दिया है और आप मुझे क्रास कर रहे हो। आप प्रक्रिया को तो समझो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्री भी रहे हैं। मैं नियमों का हवाला देते हुए....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं एक लाइन बोल कर खतम कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से यह कह रहा हूं। मुख्य सचेतक जी, मैं एक लाइन बोलकर समाप्त कर रहा हूं। फिर मुझे इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति जी, जो ध्यानाकर्षण प्रक्रिया है वह मैं पढ़कर ही सुनाता हूं। (व्यवधान) यह हमेशा होता है। यह क्लियर हो जाना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक-एक घंटे तक भाषण सुने हैं। मंत्री जी कह रहे हैं उनके भाषण भी सुने हैं हमने। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको बार–बार तकलीफ न हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय हीरासिंह जी। माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बार–बार माननीय सदस्यों का समय खराब मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप अपने सदस्यों को समझाइये। यह तो अध्यक्ष महोदय बता देंगे जो प्रक्रिया सम्बन्धी नियम है यह। आपको प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं है। सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को अनुशासित रखें।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं बता रहा हूं आपको क्या तकलीफ हो रही है। माननीय सभापति जी नियम 131 में है कि अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता विनिश्चित करने से पहले सूचना देने वाले सदस्य ऐसी सूचना मांग सकेंगे जैसी वह आवश्यक समझें। यह मामले के तथ्यों को मंत्री से लिखित में सुनिश्चित करें। (व्यवधान)

उनको पता नहीं है इसलिए बताना चाहता हूं। दूसरा प्रस्ताव कार्यसूची में लिये जाने के बाद वह सदस्य जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है अगर वो प्रश्नों के तुरन्त पश्चात और कार्य सूची का कार्य प्रारम्भ करने से

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

पहले मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा। उसके बाद मंत्री वक्तव्य देंगे और उसके बाद सदस्य जिसने सूचना दी है, कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्ण प्रज्ञापन दिया है, मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकता है परन्तु कोई विचार-विमर्श नहीं होगा तो आप आकर्षित कर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे उसके बाद you can seek clarification.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं ध्यान ही आकर्षित कर रहा हूं। इतनी देर में तो मैं कर लेता।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सदन का समय खराब मत कीजिए। कृपा करके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनिट में आप अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अगर कोई सदस्य अपनी बात रखता है तो वह सदन का समय खराब नहीं कर रहा है, वह हमारा अधिकार है। हम सदन के समय का सदुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति जी, सरकारी मुख्य सचेतक इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि समय बरबाद कर रहे हैं माननीय सदस्य जो भी यहां आते हैं वह समय बरबाद करने के लिए नहीं आते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य सचेतक का, यह कहना कि समय खराब नहीं करें इससे अशोभनीय बात और क्या होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, रूल को यहां पढ़ कर के गवर्नमेंट चीफ व्हीप ने सदन का ध्यान आकर्षित किया। माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आ रहे हैं उनको यह उपदेश दे रहे हैं कि आप चर्चा में जा रहे हैं। आप डिस्कशन में मत जाइये, केवल ध्यान आकर्षित कर दीजिए। सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं इसमें हमेशा चर्चा होती है और समय-समय पर स्पीकर की रूलिंग भी रही है। दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का भी अवसर दिया गया है। इसलिए जो परम्परा सदन में स्थापित हो गयी है squandering away the precious time of the House;

आप टाइम खर्च कर रहे हो, समय बरबाद कर रहे हो, शासन की तरफ से तो हमको इस प्रकार की ताड़ना या रेप्रिमण्डेशन हो सकता है लेकिन अब चीफ व्हीप से इस प्रकार के उपदेश सुनना हम पसन्द नहीं करेंगे। इनका अधिकार है हमेशा काल-अटेन्शन में। माननीय सदस्य अपनी बात सदन के सामने रखते हैं यह 295 में मेन्शन नहीं है। 295 में अध्यक्ष महोदय ने अपनी पुरानी रूलिंग को सुपरसीड करते हुए ओवर-रूल किया है कि उसमें भी चर्चा हो सकती है तो यह काल अटेन्शन में तो हो सकती है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह प्रोसीजर है कि जब कोई भी कॉल अटेन्शन मोशन लाया जाता है तो सबसे पहले सम्बन्धित माननीय सदस्य उसका ध्यान आकर्षित

(श्री हीरासिंह चौहान)

करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आता है उसके बाद माननीय सदस्य उसके बारे में बहस करते हैं। यह नियम है। अब आपने काल अटेन्शन करने के लिए 15 मिनट तो ले लिये और मंत्री महोदय का उत्तर नहीं आया और फिर उनका उत्तर आयेगा फिर 15 मिनट और लेंगे। इसमें समय सीमा कहां है? नियमों और प्रोसीजर के तहत कोई कार्यवाही होगी। मुख्य सचेतक इसके बारे में इन्टरफियरेंस क्यों नहीं कर सकते? कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो चीफ व्हिप की तो ड्यूटी होती है इसमें ध्यान आकर्षित करें चेयर का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, हम सब प्रक्रिया के नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार की रूलिंग इस सदन के अन्दर चेयर से पहले कई बार मिल चुकी है। कोई भी प्रश्न, कोई भी ध्यानाकर्षण जब–जब आया है, कोई प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा रखा हुआ है, सदन की प्रोपर्टी हो जाती है। कई बार चेयर से रूलिंग भी दी गई है इस बात की कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा ही नहीं, सदन का कोई भी सदस्य इसमें ध्यान आकर्षित कर सकता है यह रूलिंग है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, हम सब नियमों से बंधे हुए हैं और इन नियमों से बंधे रहने के लिये ही मैंने निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापतिजी, आपके माध्यम से जो कॉलिंग अटेंशन का प्रोसीजर है, कितने लोग उसमें भाग लें, कितने न लें यह चेयर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अनुसार जिस मैम्बर ने अपना कॉलिंग अटें–शन नोटिस दिया है वह एक बार ध्यान कर लें, मिनिस्टर का स्टेटमेन्ट आ जाय उसके बाद पूछिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन बार-बार इतने वरिष्ठ सदस्य को इस तरह से कहना कि सदन का समय खराब हो रहा है, क्या यह उचित है? हम तो आपसे सिर्फ इतनी मांग करते हैं, बार-बार बीच में टोकना कि सदस्य महानुभाव सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने एरिया से आने वाले नसीरा-बाद के माननीय सदस्य अपने अधिकारों की मांग करते हैं उसमें भी यदि सदन का समय खराब होता है, यह क्या बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : उनके अधिकार को किसी ने वंचित नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बार-बार यह कहना कि सदन का समय खराब हो रहा है फिर हमारे यहां बैठने का औचित्य क्या रह जाता है?

श्री सभापति : चेयर की ओर से बरा-बर उनको बोलने का अवसर दिया गया है, वह बराबर बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : समय का सदुपयोग कर लीजिये (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे माननीय सदस्य के साथ इस तरह का कोई बर्ताव नहीं करे कि सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजियें। माननीय गोविन्द सिंह जी गुर्जर। एक मिनट में सवाल कर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां, मैं कर रहा हूं। इतनी देर में तो चार दफे समाप्त हो जाता। वह बात कर रहे हैं मैं किससे कहूं।

श्री सभापति : आप जल्दी से अपनी बात कहिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मन्त्री महोदय, अन्त में मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात है। एक आदमी ने।

श्री सभापति : आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय जो जनरल मैनेजर थे मिस्टर लांबा, उन्होंने गबन, घोटालों, अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा लिखकर 26.5.90 को मन्त्री महोदय को दिया और 26.5.90 को उस शख्स ने हिम्मत करके बोर्ड के मैम्बरों के दबाव के बावजूद यह सारा काम किया। नतीजा क्या हुआ ? कोई कार्यवाही हो, उससे पहले उस शख्स ने जो इतना ताकतवर है, यह बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय से लांबा का ट्रान्सफर करवा दिया जो कि सात महीने बाद रिटायर होने वाला है। सरकार कहती है हम कार्यवाही करना चाहते हैं और संरक्षण कौन दे रहा है। सरकार दे रही है या हम दे रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये, मन्त्री महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, पूर्व मन्त्री हैं। मैं आसन से एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। क्योंकि फिर इस प्रकार की परंपरायें पड़ जायगी। कॉल अटेन्शन के पहले, जिन माननीय सदस्य ने कॉल अटेन्शन दिया है। वह अपना भाषण शुरू कर देंगे। जवाब-सवाल शुरू कर देंगे। जो यह 131 (बी) है और नम्बर 2 कहता है कि "After the motion has been put on the list of business, immediately after the questions and before the list of business is entered upon the member who has given notice of the motion, may, while calling the attention of the Minister, read his motion and the Minister shall make a statement. Thereafter the member who has given notice, and any other member who has given previous intimation to the Speaker, may seek clarification from Minister, but no debate shall follow."

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो मोशन ही पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं इस संबंध में आसन से व्यवस्था चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको अपनी बात तो कहने दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आसन से चाहूंगा कि इसमें परम्परा को आप किस प्रकार से रेग्यूलेट करें जब नियमों में दिया हुआ है। आप इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं तो 131 में साफ लिखा हुआ है उसका इस प्रकार से उल्लघन हो तो वह उपयुक्त नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस तरह जो यह रूलिंग कोट की जा रही है बजाय अंग्रेजी में बोलने के हिन्दी में बोला जाय ताकि बाकी सदस्य महानुभाव भी उसको समझ सकें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बार-बार सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं हिन्दी में पढ़ देता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में पढ़ें तो और भी समझ सकेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। सदन से पहले हमेशा व्यवस्था रही है कि रेग्यूलर बिजनेस के अंदर जो लगा हुआ है उसके बजाय जो स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि दो-दो मिनट बोलने का अधिकार दिया जायगा, उसकी लिस्ट आपने आज पढ़ी नहीं। उसके आपने नाम ही नहीं बोले। इसके पहले ही आपने वह ले लिया। स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जिन–जिनके नोटिस लगे हैं उसमें चेयर से रूलिंग दी हुई है कि दो–दो मिनट सबको बोलने दिया जाय वह आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसके पहले ही यह ले लिया। इसलिए व्यवस्था तो चेयर से बदलती रहती है। यह समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य, मंत्री महोदय भी आसन से व्यवस्था चाहते हैं। ऐसे ही हमारा मामला भी है। व्यवस्था आपने पहले बदल दी।

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया। दो मिनट का अर्थ दो मिनट ही हो। तब तो ठीक है। लेकिन दो मिनट का पैमाना क्या है वह दो मिनट बढ़ती जा रही है (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक केसरगंज, अजमेर काफी पुराना बैंक है जिसका शुरू में पंजीकरण 12–12–63 को हुआ था। इस बैंक के संचालक मण्डल का पिछला निर्वाचन दिनांक 21–10–88 को हुआ था। यह निर्वाचित संचालक मण्डल 3 वर्ष के लिये बुलाया गया था। वर्तमान में इस संचालक मण्डल के निम्नलिखित पदाधिकारी हैं :–

भार्गव, हेमचन्द्र, चौहान, मिठनलाल, गोपाल लाल मोर, वी.पी. गर्ग, ओम प्रकाश और एन.बी. बदलानी सात सदस्य हैं।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

श्री हनुमान प्रसाद कच्छावा लेखापाल, अजमेर को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर के कर्मचारी हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 6-11-68 को हुई थी। बाद में यह बैंक में लेखापाल बन गए।

वस्तु स्थिति यह है कि श्री कच्छावा के विरुद्ध समय–समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। श्री कच्छावा को दिनांक 13–2–85, 11–9–85 को एवं 10–3–90 को निलम्बित किया गया था। दिनांक 13–2–85 के निलम्बन आदेश के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में गया और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 9-9-85 को प्रार्थी को ड्यूटी पर मानते हुए बैंक प्रशासन द्वारा बिना शर्त क्षमा याचना मांगने पर याचिका खारिज कर दी। पुनः श्री कच्छावा को 11–9–85 को निलम्बित किया गया परन्तु इस निलम्बन के विरुद्ध भी कच्छावा ने तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी के समक्ष एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की और तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी ने याचिका को स्वीकार कर श्री कच्छावा को बहाल कर दिया। दिनांक 10–3–88 को कच्छावा को पुनः निलम्बित किया गया परन्तु वर्तमान संचालक मण्डल ने 5-11-88 को बहाल कर दिया।

जहां तक अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. अजमेर के निर्वाचित संचालक मण्डल का संबंध है, जो निर्वाचन दिनांक 21–10–88 को करवाया गया था वह नियमानुसार नहीं हुआ। संचालक मण्डल का निर्वाचन तत्कालीन उप-पंजीयक श्री आर. के. सिंह ने करवाया था और इस प्रकार नियम विरुद्ध निर्वाचन कराने के लिए उन्हें सी.सी.ए रूल्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। चूंकि इस गलत निर्वाचन के संबंध में नियमानुसार धारा 75 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस प्रकार के संचालक मण्डल को हटाने की कार्यवाही तुरन्त किया जाना संभव नहीं हो सका। संचालक मण्डल जो दिनांक 20–10–88 को निर्वाचित हुआ था उसमें श्री वी. पी. गर्ग श्री ओमप्रकाश टाक एवं श्री एन. वी. बदलानी का निर्वाचन नियम विरुद्ध था अतः सहकारी विभाग द्वारा इन संचालकों को निर्दोष घोषित करने की कार्यवाही अब की जा रही है।

चूंकि श्री कच्छावा अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के ही कर्मचारी हैं अतः इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर को ही है। बैंक के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने या स्थानान्तरण करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होगा कि श्री हनुमान प्रसाद कच्छावा को वर्तमान संचालक मण्डल प्रश्रय दे रहा है और उसके विरुद्ध उसके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार का यह स्पष्ट मत है कि किसी भी सहकारी समिति का नियमानुसार निर्वाचित संचालक मण्डल ही कार्यवाही करे और समिति के नियमों के अनुसार ही उसकी कार्यवाही हो। चूंकि श्री

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

कच्छावा का प्रकरण कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ है और कई बार निलम्बित करने के उपरान्त भी न्यायिक स्तर पर एवं राजनैतिक स्तर पर उन्हें राहत दी गई है। अतः अब नये सिरे से राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि सम्पूर्ण प्रकरण की एक बार पुनः निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाये और इसलिए रजिस्ट्रार के स्तर पर संयुक्त पंजीयक, अजमेर खण्ड को पुनः निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की विस्तृत जांच करें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जो मुद्दे उठाये गये हैं उस संबंध में मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब दे दीजिए।

श्री सभापति : अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं पहले प्रश्न पूछ चुका हूं, दुबारा पूछ लेता हूं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा हूं कि राजस्थान को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट के रूल्स जो 1966 में बने हैं उनके सब रूल (7) के तहत जो रजिस्ट्रार को सस्पेण्ड करने की पावर है। जबकि इतनी जांचें हो चुकी हैं, अनियमितताएं पाई जा चुकी हैं और 26/5 की आपके पास पूरी रिपोर्ट है उस अधिकारी को इस अधिकार के तहत निलम्बित करने का आपका कोई इरादा है या नहीं।

दूसरा, जो आप खुद मानते हैं कि बोर्ड का चुनाव अनियमित हुआ है अगर उस समय 75 में किसी ने नहीं की होगी लेकिन आपके पास जो बोर्ड को भंग करने के अधिकार हैं उसके तहत आपने तीन आदमियों को नोटिस दिया है बाकी लोगों को आप कर रहे हैं। मंत्री महोदय, इसमें बैंक के जो नियम बने हुए हैं इसमें सरकार का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। इसमें जो को-आपटेड मेम्बर हैं दूसरे जो नामीनेटेड मैम्बर हैं। इनके जो रूल्स हैं कोआपटेड मैम्बर एक साल के लिए एक्सपर्ट हो सकता है। उन तीन आदमियों को आप हटा सकते हैं। नामीनेटेड मैम्बर तीन बनाये गये हैं, उन नामीनेटेड मैम्बर्स की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के नामीनेटेड मैम्बर वहीं होते हैं जहां सरकार का धन लगा हुआ हो। इसलिए तीन नामीनेटेड मैम्बर्स की जरूरत नहीं है। तीन को हटा दीजिये, दो को हटा दीजिये, तीन को आपने नोटिस दे दिये, बाकी बचेगे चार, यह बोर्ड वैसे ही भंग हो जायेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं आपकी पोलिटिकल विल है कि हम इसको संरक्षण नहीं देना चाहते तो आप इसकी करिये···· (व्यवधान)

श्री सभापति : आप केवल प्रश्न पूछ लीजिये, भाषण तो आपका हो चुका।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं यह पूछना चाहता हूं, इन कानूनों के तहत जैसा मैंने बताया है नामीनेटेड मैम्बर्स इस में नहीं हो सकते क्योंकि सरकार का इसमें कोई धन नहीं है कोआपटेड मैम्बर्स एक्सपर्ट सिर्फ एक साल के लिये हो सकते हैं····

श्री सभापति : आप बहुत सीनियर मैम्बर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मंत्री रहा हूं तो मेरी काबलियत से रहा हूं इनकी मेहरबानी से नहीं रहा हूं।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि आपको हाउस के नियमों की जानकारी हैं। आप प्रश्न ही पूछ लीजिये। आपने ध्यान आकर्षित करते समय सारी बातें कह दीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं सवाल पूछ रहा हूं...

श्री मदनलाल सैनी : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सदन का समय बर्बाद करने की बात नहीं कहनी चाहिये थी, आप ही फैसला करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह कौन से रूल से बोल रहे है ?

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप इनको रोकिये, जबरदस्ती खड़े हो गये हैं, बगैर कायदे कानून जाने।

तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि यह जो कोआपटेड मैम्बर्स हैं वह गलत है, जो नामीनेटेड मैम्बर्स हैं वह गलत हैं। इनको आप कब तक हटा रहे है इस बात का भी आप जवाब दीजिये ?

सभापति महोदय मेरा दूसरा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि हम कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते, मंत्री महोदय मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है, आपका अपना जो जनरल मैनेजर वहां लगा हुआ है वह ही लेखापाल के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है। आप उसको आदेश दीजिये कि इसको निलम्बित करें और जो कार्यवाही 16 सी. सी. ए. में कर रखी है उसको खत्म करिये। एक सवाल मेरा और है कितनी भी जांचें जो आपने ज्वाइंट रजिस्ट्रार को दे दी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास यह मामले बहुत सारे पहले जा चुके हैं और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर उनसे यह उम्मीद करें तो वहां कोई निष्पक्ष न्याय हो जायेगा, वह संभव नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रश्न करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके हैड क्वार्टर से, आपके लेबल से किसी भी आदमी को चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार (रूल्स), हैं और भी दूसरे आदमी हैं जो कानून को जानते हैं उनको आप यहां से भेज कर जांच करवा लीजिये तो आपके सामने सारी चीज आ जायेगी। वरना जो आरोपित है आप कह रहे हैं कि हमने संरक्षण दिया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप पर भी कभी यही आरोप लगेगा कि वर्तमान सरकार भी उसको संरक्षण दे रही है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, पूर्व मंत्री जी ने पूछा कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार क्या निष्पक्ष जांच करेंगे ? वह कह रहे हैं कोई कामां साहब है जो उसके सैक्रेट्री हैं वह सही जांच कर सकते हैं। मुझे तो इसमें विरोधाभास नजर आया है। उस आदमी से क्यों जांच करवाना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने यह नहीं कहा कि वह जांच नहीं कर सकते। मैंने

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मंत्री महोदय यह कहा है जांच तो सब कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जवाब सुन लीजिये, फिर पूछ लीजियेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सुनने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं सुनने को तैयार हूं। मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा हूं जो बैंक के जनरल मैनेजर हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लीजिये। उन्होंने आपकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, अब आप उनका उत्तर सुन लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप मेरा सवाल समझेंगे तभी तो सवाल का सही जवाब आयेगा।

श्री सभापति : आप उत्तर तो सुन लीजिये, वह जवाब दे रहे हैं। आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व मंत्री जी की भावना को जानता हूं, वास्तव में वह दुःखी हैं क्योंकि वह आदमी गड़बड़ है या नहीं है वह तो जांच करने के बाद निश्चित होगा। 13-2-85 को वो सस्पेण्ड हुआ, 11-9-85 को सस्पैण्ड हुआ, 10-3-88 को सस्पेण्ड हुआ। शासन आपका ही था आप क्यों नहीं इसके पीछे पड़े, उसको आपने सस्पैण्ड क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं आपने उसको हटाया ? क्यों नहीं उसकी निष्पक्ष जांच करवा कर सदन के सामने लाये····

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे ? यह कौनसा तरीका है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस आदमी के खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी, जो निष्पक्ष जांच होगी उससे मैं सदन को अवगत कराऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो यह चाहता हूं कि आप यहां से किसी अधिकारी को भेजकर जांच करा लीजिये। संयुक्त पंजीयक अजमेर वाले इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे।

श्री बालचंद आर्यवीर : यह स्वयं भी तो उसमें शामिल थे····(व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र····

व्यवस्था

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, आसन से स्थगन प्रस्तावों के ऊपर व्यवस्था दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे करके गये है। जिन-जिन स्थगन प्रस्तावों को रिजेक्ट किया है उनको दो दो मिनट बोलने की व्यवस्था दी है। आप सूची में देखिये।

श्री सभापति : नाम नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय आपको आसन पर बैठाकर गये, आप उस सूची को देखते ही नहीं है। यह कैसे हो सकता है।

श्री नाथूराम अहारी : आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिये, दो-दो मिनट के लिये कहा है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देकर गये हैं, आप सारे कागज तो देखा करें।

श्री सभापति : इस पर माननीय बी. डी. कल्ला और माननीय सुरेन्द्र व्यास बोल चुके हैं (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, यह मामला दूसरा है।

श्री नाथूराम अहारी : हमारा नाम है, आप सूची में देखिये न, दो थोड़े ही हैं और भी ज्यादा हैं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बाकायदा व्यवस्था दी है। स्थगन प्रस्ताव के मोशन करौली के मामले में मेरे लगे हैं....

श्री नाथूराम अहारी : मेरा भी लगा है साहब, नाथूराम अहारी।

श्रीमती रमा पायलट : सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय बोल गए थे।

श्री नाथूराम अहारी : यह हमारे अधिकार की बात है।

श्री सभापति : आपका इस सूची में कहीं भी नाम नहीं है। आप बिराजिए।

श्री नाथूराम अहारी : आप कार्यवाही में देखिये, नाम है, कैसे नहीं है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमने खुद ने देखा है। आसन से व्यवस्था हुई है।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय ने खुद ने कहा कि दो-दो मिनट बोलने का मौका दिया जायेगा (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या ने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना, मोशन दिया था, उस पर आसन की तरफ से व्यवस्था थी और उस व्यवस्था पर इन्हें दो-दो मिनट के लिए बोलने की आसन ने व्यवस्था की है। आप इसको देख लीजिये, आसन ने महिलाओं के कल्याण के सम्बन्ध में व्यवस्था दी। उस सम्बन्ध में जो एडजोर्नमेन्ट मोशन था, आसन ने यह व्यवस्था दी थी।

श्री सभापति : आप कितने लोग है, कितने माननीय सदस्य हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : जनार्दन सिंह जी, आप बोलिये महिलाओं के बारे में।

अनेक माननीय सदस्य : नाम बोले तो सही। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपने तो जानकारी के लिए भेजा है। आप चाहे तो बोल सकती हैं।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) : किस चीज की जानकारी के लिए भेजा है, मुख्यमंत्री साहब क्या फरमा रहे हैं ?

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो सभापति महोदय की आपकी तरफ से सुझाव दिया है। (व्यवधान) मैं नेता नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप सदन के नेता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नेता हूं तो मैंने सुझाव दे दिया है।

श्री सभापति : यह अध्यक्षीय व्यवस्था है।

श्री परसराम मदेरणा : बेनेवोलेन्ट एटीट्यूड के लिए सदन के नेता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन काल तो आसन ही करेगा न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था तो वो ही करेंगे। मैंने तो मेरी तरफ से प्रार्थना की है। (व्यवधान) यह महिलाओं का मामला है।

श्री सभापति : यहां जितने भी प्रस्ताव है, जानकारी के लिए सरकार के पास भेज दिये गये हैं। जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर आसन की तरफ से व्यवस्था हो जायेगी।

माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या व्यवस्था है इसमें ?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : व्यवस्था का भी ध्यान नहीं है।

श्री सभापति : मैं बता रहा हूं कि विधान सभा की ओर से श्रीमती बसन्ती देवी का ग्राम सुन्दरपुरा करौली से अपहरण कर अन्यत्र बेच दिये जाने के सम्बन्ध में।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : व्यवस्था क्या है इसमें ? दो-दो मिनट बोलने के लिए कहा है इस पर ? आपके आसन से यही तो व्यवस्था चाह रहे है। + + +

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : करौली से आने वाले माननीय सदस्य आये हैं, वे किस पर बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्री जी है, आप धन्यवाद दे दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुख्य मंत्री के सामने आपको धन्यवाद देना है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्यमंत्रीजी जी ने आपको मंत्री बनाया नहीं है, मैंने तो आपको व्यवधान मंत्री बना रखा है, इसलिए उसके लिए धन्यवाद दे दो।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और यह विश्वास आपको दिलाता हूं कि जब-जब भी आप नियमों का उल्लंघन करोगे, मैं अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करूंगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 50 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की ध्यान आकर्षित करने की तरफ लगाया था। उसके अन्तर्गत मुझे राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

करना है कि ग्राम रोडकलां में रहने वाले एक व्यक्ति गंगदेव, उसकी पत्नी बसंती देवी को सुन्दरपुरा ग्राम के प्रधान, करौली के प्रधान हंसराज गुर्जर और भरतसिंह ने अपहरण करके उसको कहीं अन्यत्र बेच आये हैं। इसके सम्बन्ध में वहां के 10,000 लोगों की पंचायत हुई। उसके अन्दर....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : माननीय सभापति, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। महोदय, यह बिल्कुल गलत है और बिल्कुल असत्य आरोप लगा रहे हैं।....

श्री सभापति : आप बिराजें अभी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जांच माननीय सभापति महोदय, डी. आई. जी. भरतपुर में चल रही है, एस. पी. सवाई माधोपुर में चल रही है (व्यवधान)

(1.38 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरी बात सुनिये। सभापति महोदय, जिस महिला का अपहरण हुआ है, वह शिड्यूल कास्ट की है, वह जाटव है, यह बिल्कुल गलत है। उसने अपनी औरत बनाकर रख रखा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किस चीज पर बोल रहे हो आप....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है इसलिए दो मिनट बोल लें।

श्री अध्यक्ष : कौनसे स्थगन प्रस्ताव की ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : एक जो करौली के सम्बन्ध में था साहब कि गंगदेव की पत्नी के अपहरण के मामले पर....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने....

श्री अध्यक्ष : मैंने तो जानकारी के लिए भेजा है। केवल माननीय सुरेन्द्र व्यास और कल्ला जी को दी थी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ठीक है साहब, व्यवस्था आ जाय जब बोल लेंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हमको कि आज ही हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

डा. चन्द्रभान, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35(2) के अन्तर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988–88 प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, जिसकी जानकारी आपने राज्य सरकार से मांगी है, उस सम्बन्ध में सदन के नेता ने यह अभी सुझाव दिया था, और उनका परामर्श था। ये तो चेयर के मानने की बात है कि हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या अगर कुछ कहती है

(श्री परसराम मदेरणा)

तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं, इस तरह की बात कही थी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस पार्टी का एक महिला प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला था। मैं अन्दर आया तो महिलाओं का जिक्र आ रहा था तो मैं समझा कि महिलाओं के प्रतिनिधि मण्डल के बारे में ये बोलना चाहती हैं। (व्यवधान)

उससे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मिल लिया उनसे, उनको जानकारी देना चाहता हूं और मिलने के बाद वो यहां से गई भी और बातचीत भी उनसे पूरी हो गई। कल प्रातःकाल 9 बजे मैंने और बुलाया है। मैं समझता हूं कि इसके बाद में और बोलने की कोई गुंजाइश तो रहती नहीं। फिर भी....(व्यवधान)

मैं वक्तव्य दे रहा हूं। वह मेरे से मिल चुकी और मुझसे मिलने के बाद में वह बड़ी खुशी–खुशी चली गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

श्रीमती रमा पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं मुख्य मंत्री साहब से, जब वो मेरी बहनें इधर आई। उनको सुनकर वो खुशी–खुशी चली गई, वह सदन को बतावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजें।

श्रीमती रमा पायलट : मेरा स्थगन प्रस्ताव आपने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रमा जी आपको भी बुलाया था, आपने कहा मेसेज नहीं मिला। आपके लिए 5 मिनट तक वहां चाय ठण्डी हो गयी कि रमा जी आ रही है, उसके बाद ही चाय पियेंगे।

श्रीमती रमा पायलट : साहब आसन नाराज हो जाता है एबसेन्ट यहां पर रहना ठीक नहीं है इस वजह से मुझे यहां रहना पड़ा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उन्होंने जो मांग पत्र दिया था, उससे यह सहमत नहीं थी, इसलिए आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र प्रतिवेदन

डा. चन्द्रभान (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988–89 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

विधायी कार्य

राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 का पुरःस्थापन

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अनुदान मांगे । श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मंत्री ।

आय–व्ययक 1990–91

अनुदान की मांग संख्या 36 व 37 का पुर:स्थापन

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,35,51,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,35,93,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर) :

1. विभाग में सुधार और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) :

2. जालौर जिले के सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक व भूमि विकास बैंक के चैक का भुगतान नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

3. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

4. को-आपरेटिव बैंक उदयपुर द्वारा खरीदी गई कार तथा उस पर मरम्मत के नाम पर उठाई गई फंडी धनराशि पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा वेचे गये भू-खण्डों में की गई अनियमितताओं एवं सहकारिता विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

6. सहकारी समितियों के माध्यम से दिलाए गये किसानों के कृषि ऋण माफ न करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

7. प्रत्येक पंचायत वाइज एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

8. पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विभाग द्वारा सस्ते दर की समस्त वस्तुएँ (सहकारी) समितियों को न देने से उत्पन्न कठिनाई के बावजूद भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के डायरेक्टरों के चुनावों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र न बनाने व सहकारी संस्थाओं के चुनाव विभाग द्वारा नहीं करवाये जाने से आ रही कठिनाइयों पर भी इन्हें दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. सहकारी समितियों के मैनेजरों द्वारा भारी गबन किये जाने पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना होने से भ्रष्टाचार को मिल रहे बढ़ावे पर भी इन्हें दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

11. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में सहकारी समितियों में बढ़ते गबन घोटालों पर भी इन्हें दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

12. प्रदेश में प्रति पंचायत एक सहकारी समिति नहीं होने से उत्पन्न जन-असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

13. राज्य में सहकारी आन्दोलन को प्रभावी बनाने के लिये जनता की भागीदारी बढ़ाकर सरकारी प्रभाव से सहकारी आन्दोलन को मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

14. सहकारिता का लाभ आम आदमी तक न पहुंचने से एवं सहकारी समितियों को पंजीयक के माध्यम से बढ़ते राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

15. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की असफलता की चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

16. बीकानेर डेयरी के एम. डी. द्वारा की गई अनियमितताओं पर भी डेयरी को दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन में अनियमितताएँ बरतने से सहकारिता की भावना को ठेस पहुंचने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री मनीराम सियाग)

18. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की भावना जागृत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

19. सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी इन्हें दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

20. किसानों की सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृति नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाई के बावजूद इन्हें दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

21. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. (राजफैड) की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक की वित्तीय गड़बड़ियों पर कार्यवाही न करने से उत्पन्न विषम स्थिति में भी इनको दी जा रही उधार के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

22. सहकारिता में बढ़ती अनियमितताओं के कारण राज्य कोष को हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

23. सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की रोकथाम करने पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

24. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

25. विभाग में प्राथमिक इकाई स्तर से केन्द्रीय जिला बैंकों के चुनाव विभागीय अधिकारियों को पृथक रख कर अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कराने हेतु राशि का प्रावधान न किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

26. ऋणी व्यक्ति की सीमा तय की जाकर सहकारी चुनावों में भाग लेने को पुनः नियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. पाली जिले के पूर्व अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों से बकाया लाखों रुपये की वसूली न करने पर भी इन संस्थाओं को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

28. गबन, अमानत में खयानत तथा धोखाधड़ी के गम्भीर प्रकरणों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिए।

29 पूर्व सरकार की घोषणानुसार हर ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियां पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. उचित मूल्य की दुकानें हर ग्राम पंचायत स्तर पर चलाने की व्यवस्था हेतु विभाग में अलग से सैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

31. भूमि विकास बैंक जयपुर द्वारा लालसोट नगरपालिका क्षेत्र के किसानों को नाली एवं कुओं के निर्माण के लिए ऋण नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

32. वर्ष 1990 में सहकारी बैंकों से किसानों को फसली ऋण नहीं मिलने से किसानों में उत्पन्न आक्रोश पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

33. सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर कराये जाने हेतु बजट प्रावधान नहीं रखने के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

34. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ पदोन्नति में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

35. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में सहकारिता के आधार पर डिस्टलरी प्लांट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

36. गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से केशोरायपाटन मिल तक सड़कों के अभाव से मिल को हो रहे घाटे पर चर्चा के लिए।

37. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में व्याप्त अव्यवस्था को प्राथमिकता से सुधारा जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिए ।

38. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के वेस्ट से सहकारिता के आधार पर गत्ता प्लांट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासी लाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :

39. ग्रामीण सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को पिछले चार माह से वेतन नहीं देने से उत्पन्न निराशा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को क्रोप लोन व खाद बीज का लोन न दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

डा. रतनलाल जाट (सहाडा) :

41. गंगापुर को-आपरेटिव स्पेनिंग मिल में व्याप्त अनियमितताओं के बावजूद दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर–ग्रामीण) :

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

(3) **श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

42. जयपुर नगर में जनाना महिला चिकित्सालय, जे. के. लोन तथा सवाई मानसिंह अस्पताल में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकानों के अभाव एवं रात्रि में औषधि न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):

43. जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा की जा रही

(श्री कालीचरण सराफ)

अनियमितताओं एवं धांधलियों के कारण जनता को हो रही असुविधा पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री सोमाभाई मीणा** (बागीडोरा) :

(2) **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) :

44. बांसवाड़ा में श्रमिक सहकारी समिति गठित नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण) :

45. सहकारी संस्थाओं में हुए गबन में विचाराधीन मामलों के वर्षों से निपटारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

46. सहकारिता के क्षेत्र में आसीन्द क्षेत्र की सहकारी मिल में सुधार न होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

47. सहकारी आंदोलन एवं संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (बैर) :

48. भरतपुर जिले की तहसील रूपबास के गांव मालोनी ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा सन् 1976 में दिये गये ऋणों में व्यवस्थापकों द्वारा किये गये घोटाले में विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण) :

49. सहकारी विभाग द्वारा पुराने तथा छोटे उत्पादक ऋणों की वसूली बन्द नहीं करने एवं ऋण समाप्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

50. गृह निर्माण सहकारी समितियों में व्याप्त घोटाले ज्ञात होने पर वहां प्रशासक नहीं लगाये जाने व दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने पर दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

51. सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को दिये गये कर्जों को माफ न करने से उत्पन्न जन असंतोष पर भी इन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

52. राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थाओं में चुनाव कराने हेतु बजट में राशि का प्रावधान न किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

53. रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा मई, 1988 में आडिट रिपोर्ट के आधार पर मामलों के दर्ज कराने पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

54. राजफैड की वर्ष 1981–82 की एन.सी.सी.एफ. को भेजी गई आडिट रिपोर्ट में चने की दाल में हुए 1.31 लाख रुपये के नुकसान को न वसूले जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

55. जयपुर के सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में व्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :

56. ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा दिये जा रहे फसली ऋण में बरती जा रही अनियमितताएं एवं भेदभाव पर भी इन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :

57. ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से पिछले दो वर्षों से कृषि ऋण बीज व फसली ऋण, मध्यावधि ऋण आदि देने में विफल रहने पर भी इन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

58. नागौर जिले में दो वर्षों से अनु-सूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंकों, को-अपरेटिव बैंकों से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता व ऋण आदि सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर भी इन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

59. पंचायत समिति जायल के अधी-नस्थ ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण करना बन्द करने से सहकारी विभाग के प्रति व्याप्त असंतोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

60. जिला सहकारी बैंक नागौर को पिछले दो साल से धनराशि देने में बरते जा रहे पक्षपात से हो रही असुविधा पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

61. किसानों को ट्रैक्टर आदि क्रय करने के लिए बजट में प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

62. सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दो वर्षों से कृषि कुओं की खुदाई हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री सुनील कुमार बिश्नोई (सूरतगढ़) :

63 गंगानगर जिले में ग्राम सेवा सह-कारी समितियों द्वारा पिछले दो सालों से किसानों को फसली ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई की स्थिति में भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

64. सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

65. हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल में सन् 1984–85 में हुए घोटाले की जांच कराने व दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री अमीन खां (शिव) :

66. बाड़मेर जिले के सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ऋण वितरण बन्द करने से हो रही कठिनाई पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

67. जिला बाड़मेर में सहकारी समितियों में व्याप्त भारी घोटालों पर कार्यवाही न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

68. सहकारी विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में सहकारी समितियों द्वारा बरसात होने तक किसानों को ऋण वितरण न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

69. सहकारी समितियों द्वारा बाड़मेर जिले में किसानों को खाद एवं बीज वितरण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेडा) :

70. सहकारी समितियों के चुनाव कराने हेतु बजट में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

(1) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) :

(2) **श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

71. सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार एवं गबन करने वालों की जांच कर उचित समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

72. केशोरायपाटन क्षेत्र की चितावा रडी, बलकाण, हिन्गोनिया, बालापुरा आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा गबन किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

73. केशोरायपाटन की सूनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापकों द्वारा भारी घोटालों एवं गबन की राशि न बसूले जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

74. ग्राम सेवा सहकारी समिति लबान में पूर्व व्यवस्थापक एवं वर्तमान सरपंच द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम ऋण उठाने पर भी ग्राम सेवा सहकारी समिति को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

75. कापरेन ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन एवं भ्रष्टाचार में लिप्त निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध उचित आवश्यक कार्यवाही न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

76. बूंदी जिले में सहकारी स्तर पर नया शुगर मिल खोले जाने पर चर्चा के लिए ।

77. केशोरायपाटन क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा की जा रही मनमानी पर भी इसे दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

78. कापरेन ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन की राशि की जांच न होने एवं दोषी कर्मचारियों से वसूली करवा कर दण्डित न करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

79. केशोरायपाटन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्याप्त भारी

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

भ्रष्टाचार एवं किये गये गबन की जांच न करवाये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

80. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में शराब/गत्ता एवं टाफी का प्लांट न लगा कर सहकारिता विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

81. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी से व्याप्त असन्तोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

82. कोटा में सहकारी सोयाबीन प्लांट में शुरू से ही हो रहे घाटे में चलने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

83. सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु बजट राशि का प्रावधान नहीं रखने के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

84. समिति के सदस्यों के एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति की ऋण राशि में केन्द्रीय बैंक में अन्तर कम करने एवं समानता नहीं लाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

85. सहकारी विभाग द्वारा कृषकों को बीज एवं दवाइयों की वितरण व्यवस्थाओं में कृषि विभाग का पूरा सहयोग लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

86. सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी न माना जाकर समान सुविधायें उपलब्ध न करवाने से व्याप्त असन्तोष पर भी इन समितियों को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

87. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत न होने पर भी दी जा रही सहायता के औचिन्य पर चर्चा के लिए ।

88. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों हेतु स्थायी सेल्समैन एवं आवश्यक राशि उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न असुविधा की स्थिति में भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

89. केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाबार्ड की योजना के तहत अकृषि कार्यों हेतु अपात्र शहरी व्यक्तियों को ऋण देने तथा ब्यावर कृषि उपज मण्डी की बैंक में जमा राशि में से भी ऐसे व्यक्तियों को गैर कानूनी तौर से ऋण देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

90. केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर के चेयरमैन द्वारा भ्रष्ट प्रबन्ध संचालक को संरक्षण देने व ईमानदार बैंक कर्मचारी की जगह गैर कानूनी नियुक्ति करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

91. अरबन को-आपरेटिव बैंक अजमेर के खातों का एस. बी. बी. जे., बैंक आफ

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

बड़ौदा एवं बैंक आफ राजस्थान के खातों के साथ रिकन्सीलेशन 12 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद भी जानबूझकर न करवाने पर दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

92. अरबन को-आपरेटिव बैंक अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता तथा बैंक के संचालक मण्डल के अवैधानिक चुनाव तथा लेखापाल के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर आरोप सिद्ध होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

93. केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर के एक डाइरेक्टर द्वारा अकृषि कार्य तथा यथा चक्की लगाने हेतु लिए ऋणों की एक भी किस्त अदा न करने से डिफाल्टर घोषित होने के बावजूद डायरेक्टर के पद पर बने रहने पर भी बैंक को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से सौ रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

1. कृषि को उद्योग का दर्जा तथा काश्तकारों की फसल नष्ट होने पर हर्जाना दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

2. भूमि-सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

3. कृषि के लिए दिये जाने वाले खाद और बीज में किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

4. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री प्रेमसिंह बहिया (भीनमाल) :

5. कृषि मण्डी प्रांगण में किसानों व व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने हेतु भीनमाल में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

6. राजस्थान में रबी व खरीफ दोनों फसलों पर बीमा योजना लागू करने हेतु बजट में राशि का प्रावधान नहीं किए जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री अमीन खां (शिव) :

7. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पिछले दो सालों से किसानों को चूहे मारने की दवाइयां न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

8. इस वर्ष कृषि के लिए बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मतीरा आदि की बीज

(श्री अमीन खां)

किसानों को अभी तक न मिलने पर चर्चा के लिए।

9. पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी फसल बीमा योजना लागू करने हेतु बजट में राशि का प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

10. सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर के किसानों को खरीफ का बीज समय पर न मिलने पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

11. प्रदेश में अलग-अलग किस्म के बीज राज्य स्तर पर पैदा नहीं करने और बाहर से हल्का व महगां बीज खरीदने से तथा बीज का वितरण व्यापारियों के हाथ में होने से किसानों का भारी शोषण और उत्पादन में हो रही राष्ट्रीय क्षति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

12. राज्य में कृषि अनुदान पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों के अभाव से कृषि उत्पादन प्रभावित होने पर चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :

13. अनादरा (सिरोही) की कृषि मंडी हेतु वर्तमान में प्रस्तावित भूमि की जगह परिवर्तन हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

14. कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव आज तक नहीं कराने एवं राजकीय आधार पर इसमें चुनाव के स्थान पर मनोनयन प्रस्तावित होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) :

15. कृषि अनुदान पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों की ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

16. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के कृषि भूमि सुधार हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के कृषकों को खाद, बीज नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. धरियावद जिला उदयपुर की कृषि मण्डी हेतु बार-बार एक ही व्यक्ति/परिवार की जमीन अवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

19. लूणकरणसर क्षेत्र में कृषि विस्तार हेतु अनुदान पर बीज, खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

20. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में कृषि हेतु विभाग द्वारा आधुनिक उपकरण किसानों को प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

21. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिये रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर—जैसलमेर में विशेष व्यवस्था करवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

22. पंचायत समिति लालसोट में कृषि उपज मण्डी द्वारा ग्राम कोलीपाड़ा में सम्पर्क सड़क बनाये जाने हेतु बजट राशि का प्रावधान न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

23. 19 अप्रेल, 1987 को नवीन मण्डी यार्ड लालसोट के शिलान्यास समारोह में किराये पर लिये गये टैन्ट तथा अन्य सामान का भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

24. पंचायत समिति लालसोट में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कों का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

25. सोजत रोड़ कृषि उपज मण्डी से रायपुर तक की सड़क का विभाग द्वारा डामरीकरण नहीं कराने पर चर्चा के लिये ।

26. ब्यावर कृषि उपज मण्डी के कोटडा ग्राम से पाली जिला सीमा तक रोड़ का डामरीकरण हेतु राशि का प्रावधान न किए जाने के औचित्य चर्चा के लिये ।

27. कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारियों की सेवाएं पंचायत समिति जिला परिषद तथा ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ी जाकर इसकी सेवाएं जन-उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

28. जनहित की दृष्टि से उप मण्डी यार्ड रायपुर मंडी समिति जैतारण (पाली) से हटा कर रायपुर गौण मण्डी यार्ड को ब्यावर मंडी समिति में मिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

29. कृषि को औद्योगिक दर्जा देने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

30. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

31. कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा अलवर को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

32. कृषि के काम आने वाली उर्वरक व पेस्टीसाइड व खाद की रेट कम करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

33. तहसील कोटपूतली में कृषि उपज मण्डी की सड़क बनाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

34. बीज और खाद का किसानों को पूरा तौल नहीं दिया जाता और अधिक पैसे लिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

35. अलवर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

36. कृषि बीमा योजना लागू करने हेतु बजट में राशि का प्रावधान न किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह) :

37. कृषि को औद्योगिक दर्जा देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

38. कृषि उपज मन्डी नागौर से स्टेशन तक माल गोदाम की सड़क न बनाने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

39. चारा मशीनों की खरीद में हुए घोटाले व अनियमितताओं पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

40. जिला पाली तहसील सोजत की कृषि उपज मण्डी में काश्तकारों की मेहन्दी की फसल के विक्रय पर 40 किलो पर 4 किलो कांटा काटकर काश्तकारों को वजन के आधार पर कीमत का भुगतान करने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

41. राज्य सरकार द्वारा मेहन्दी की फसल का उचित मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगू) :

42. कृषि की उन्नति के साधनों को उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

43. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. कृषि उत्पापन बढ़ाने हेतु ऋण पर्याप्त मात्रा में एवं उचित समय पर मिलने सम्बन्धी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. कृषि सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

46. जैतारण, रायपुर, सोजत (पाली) एवं बिलाड़ा (जोधपुर) तहसीलों में कपास परियोजना बनाई जाकर क्षेत्र का विकास करने पर चर्चा के लिये।

47. कृषि पर्यवेक्षकों को दस व बीस वर्षीय सेवा अवधि पर रिफ्रेशर कोर्स को 15 से 20 दिनों का देने पर चर्चा के लिये।

48. कृषि पर्यवेक्षकों को विभिन्न योजनाओं में दस, पन्द्रह व बीस वर्षीय सेवा अवधि बाद निश्चित रूप से पदोन्नति देने की नीति बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

49. समान योग्यता होने पर भी अपने लाभ एवं खजाने हेतु कृषि अधिकारियों

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

द्वारा विभिन्न श्रेणियानुसार वर्ग वार पद सृजित कर सरकारी खजाने का अपव्यय करने पर चर्चा के लिये।

50. कृषि पर्यवेक्षकों की वरीयतानुसार पदोन्नति न देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा भू-संरक्षण के प्रदेश भर में विशेष योजनानुसार सक्रिय कर अयोग्य कृषि भूमियों को कृषि योग्य बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

52. चम्बल बीहड़ सुधार योजना के तहत केशोरायपाटन क्षेत्र के लाखेरी सहायक अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. बीहड़ सुधार केशोरायपाटन सहायक अभियन्ता क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा सीमेन्ट भेजे जाने से जनता में फैल रहे आक्रोश पर चर्चा के लिये।

54. बीहड़ सुधार कार्यक्रम द्वारा भूमि समतलीकरण पर विशेष ध्यान देकर बुलडोजरों एवं अन्य उपकरणों का उपयोग करने पर चर्चा के लिये।

55. केशोरायपाटन क्षेत्र के मण्डी शुल्क, जो कोटा मण्डी में जमा होता है, से केशोरायपाटन क्षेत्र की सम्पर्क सड़कें बनाई जाकर समस्या का समाधान नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. केशोरायपाटन क्षेत्र की कृषि मण्डी गौण यार्ड कापरेन के उद्घाटन के बाद भी कार्य नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. कापरेन कृषि उपज मण्डी में फैल रही अव्यवस्था से कृषक वर्ग को हो रही परेशानी एवं लूट से बचाव हेतु उचित समाधान न ढूंढने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. कृषि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट योजना के रेशम कीट पालन योजना में प्रतिनियुक्ति से हटाकर यह योजना विभाग द्वारा चलाई जाने पर चर्चा के लिये।

59. लगातार किये जा रहे रासायनिक खादों के उपयोग से उर्वरा शक्ति के नष्ट होने से बचाव हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. चम्बल विकास क्षेत्र में सोयाबीन परियोजना चलाई जाकर क्षेत्रों को बढ़ावा देने एवं कृषकों का हित करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

61. अटरू विधान सभा क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

62. ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय कर्मचारियों का मुख्यालय पर नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

63. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र जैसलमेर में मूंगफली की खेती पर योजनानुसार विशेष ध्यान दिया जाकर विकास करने पर चर्चा के लिये।

64. केशोरायपाटन क्षेत्र में विभाग द्वारा गन्ना उत्पादन में विभिन्न किस्मों का चयन कर वर्ष भर गन्ना उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

65. कृषि विभाग द्वारा बनाये गये हाट बाजारों में बरती गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तर पर जांच करवाई जाकर दोषियों को दण्डित करने पर चर्चा के लिये।

66. कृषि विभाग में बीज, खाद एवं दवाइयों पर अनुसूचित जाति एवं चयनित परिवार वाले कृषकों को अनुदान दिलाया जाकर सहयोग करने पर चर्चा के लिये।

67. कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों तक जाने के विशेष निर्देश देकर कृषकों को सही तकनीकी जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. पश्चिमी राजस्थान एवं बीकानेर क्षेत्र में शुष्क खेती को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जाकर जल एवं समय का उचित उपयोग करने पर चर्चा के लिये।

69. बुवाई के समय पर ही उन्नत बीज रासायनिक खाद एवं दवाइयां वितरण संस्थाओं को देकर कृषकों को सहयोग करने पर चर्चा के लिये।

70. पौध संरक्षण यूनिट पुनः चालू करवाई जाकर दवाइयों का सदुपयोग कर कृषक वर्ग को उचित लाभ देने पर चर्चा के लिये।

71. पौध संरक्षण दवाइयों एवं यंत्रों पर अनुदान राशि बढाई जाकर कृषक वर्ग को उचित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. केशोरायपाटन चम्बल सिंचित क्षेत्र में जल भराव से कट वर्ग एवं पोट बोरर कीड़ों का प्रकोप हर फसल में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. कृषकों को दिये जा रहे मिनिकिट्स में हेरा फेरी कर कम मात्रा देने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में फल व सब्जियों की खेती पर विशेष ध्यान देकर उन्नत बीज दवाइयों एवं रासायनिक पर विशेष अनुदान दिलाने पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में फल विकास हेतु नये बाग लगवाये जाने एवं नये बाग लगाने वाले कृषकों को विशेष प्रशिक्षण एवं अनुदान दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में मिट्टी की उचित समय एवं शीघ्र जांच करवाने हेतु चलती फिरती प्रयोग शाला को सक्रिय करने पर चर्चा के लिये।

(श्री माँगीलाल मेघवाल)

78. कृषि विभाग में अनुसूचित जाति, जन-जाति का आरक्षित कोटा सभी पदों पर शीघ्र नई नियुक्तियां कर पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. दलहनी फसलों की वृद्धि हेतु जीवाणु प्रयोग (कलचर) का प्रयोग, बढाया जाकर कृषकों को लाभ दिलाया जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

80. किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने एवं प्रकृति प्रकोप से नष्ट होने वाली फसल को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

81. पीपल्दा क्षेत्र के फूंसोद, मीट खूंदना, गिरधरपुरा, करवांड, खेडली बेरीसाल, परेरा, गोरधनपुरा, सानोली आदि गांवों में पार्वती नदी के किनारे कृषि विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र के विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम गैंता, बयूलिया ककरावदा, ठीपरी, भियाना, बागली, धनवा देलोद, नयागांव गुठेला, केथोदा, छापोल आदि गांवों में चम्बल एवं पार्वती नदी के किनारे पर कार्य किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्रों के विकास हेतु किये गये कार्यों में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. दस्यु समस्याग्रस्त क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित राशि का प्रतिवर्ष खर्च नही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. मांगरोल (कोटा) का गौण मण्डी को अन्ता मण्डी से हटा कर बारां मण्डी में मिलाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. इटावा (कोटा) की कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं करवाये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

87. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में अनाज की बिक्री को बोली समय पर नहीं लगने से उत्पन्न समस्या पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी समिति में माल की छनाई के लिये गेज के अनुसार छलनियां नहीं लगाने से उत्पन्न समस्या पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

89. इटावा (कोटा) का कृषि उपज मण्डी में किसानों को भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में अनाज बीनने के ठेके को समाप्त करने से आ रही कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में बोली लगने पर स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं करने की शिकायतों के बावजूद दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

92. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

93. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में जानवरों हेतु पेयजल व्यवस्था सुलभ नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

94. इटावा (कोटा) कृषि उपज मण्डी में कुआ अधूरा होने तथा ट्यूब वैल भी अधूरा होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

95. किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न आर्थिक कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

96. विभाग द्वारा कच्चा माल तथा उससे निर्मित वस्तुओं के भावों में भारी अन्तर की विषमता को समाप्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. हाट बाजार योजनान्तर्गत निर्मित भवनों एवं प्लेटफार्मों का सदुपयोग नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

98. हाट बाजार योजना के तहत निर्मित क्षतिग्रस्त भवनों तथा प्लेटफार्म की मरम्मत नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

99. कृषि विभाग में अधिकारियों के अनावश्यक पदों को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा)

(3) **श्री बृजराम मीणा** (दीगोद)

(4) **श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

100. राज्य में कृषि अभियन्ताओं की सेवा से लाभ लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

102. कृषि कार्यों हेतु दिये जाने वाले ऋण में भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

103. अनुत्पादक कर्जों में से 10 हजार तक कर्ज माफ किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर अविलम्ब क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

104. फसल बीमा योजना हेतु धनराशि का प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा)

(3) **श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

105. जयपुर में दुर्गापुरा बीज निगम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा विभाग में हुए घोटालों से संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

106. बीज निगम द्वारा 1980 से आज तक की जा रही अनियमितताओं के बावजूद दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

107. कृषि अधिकारियों के नियमित दौरे न करने व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक वर्ग से सम्पर्क करने की व आवश्यक परामर्श देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. कृषि उपज मण्डियों में पूरी सलाहकार समितियां बना कर कृषकों की जरूरतें पूरी न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

109. वर्षों से कृषि करते आये किसानों की भूमि को वनों में दिखलाये जाने से होने वाली क्षति से बचाव के लिये कृषि भूमि व वन भूमि की सीमा कायम करने हेतु कृषि विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. कृषि उपज मण्डी के लिये गोदाम पंचायत स्तर पर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. जयपुर नगर में चौमू रोड, सांगानेर रोड, जमवारामगढ़ रोड, आमेर रोड पर गौण मण्डियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. राज्य में समय पर खाद बीज व कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराने। जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को नकली बीज उपलब्ध करवाने से किसानों को होने वाली हानि पर भी निगम को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

114. किसानों को उपज का सही मूल्य उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. जयपुर में कृषि प्रदर्शनी के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जयपुर जिले में बागवानी की विकास योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. कृषि उपज मण्डियों द्वारा किसानों का हित संरक्षण नहीं होने तथा मण्डी यार्ड बिना उपयोग के पड़े रहने पर भी विभाग को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा समय पर मिनि-किट्स वितरण की व्यवस्था न होने से खरीफ की बुवाई में कृषकों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

119. जयपुर नगर में फलदार उन्नत पौधों के उत्पादन एवं उनके सही वितरण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर्यवेक्षकों के लिये पंचायत मुख्यालय पर आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने से कार्य में उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

121. बीकानेर से कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर स्थानान्तरित करने से हो रही असुविधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा)

(3) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) :

122. राज्य में पौध संरक्षण यूनिटें हर तहसील स्तर पर बनाकर कृषकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा) :

123. विभाग द्वारा कृषि योग्य भूमि में अन्य उपयोग पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :

124. बांदीकुई में कृषि उपज मण्डी समिति का नया मण्डी यार्ड न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. मण्डी समिति बांदीकुई स्थित अनाज मण्डी में सफाई, रोशनी, सड़कों नालियों तथा पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था न कराने से हो रही असुविधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई से ग्राम पंचायत बहियाल खुर्द, ग्राम पंचायत पीचूपाड़ा के ग्राम सोमाड़ा में ग्राम पंचायत पूदरपाड़ा के रानापाड़ा में ग्राम पंचायत बांदीकुई में सड़कें नहीं बनवाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के किसानों को समय पर अच्छे बीज, खाद, व कृषि संबंधी अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय) :

128. दवा, खाद एवं बीज के प्रमाण स्तर को जांचने की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

130. डी. ए. पी. खाद से उत्पादित चारे से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

131. कृषि उपज मण्डियों द्वारा गांवों

(श्री सांवरलाल)

को सड़कों से नहीं जोड़ने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

132. राजस्थान में हरित क्रान्ति लाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

133. कृषि उपज के लिये कृषकों को भण्डारण व्यवस्था एवं उस पर ऋण सहायता दिलवाये जाने पर चर्चा के लिये।

134. कृषि बीमा योजना हेतु राशि का प्रावधान न किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

135. मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लवणीय व क्षारीय भूमि में जिप्सम उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

136. बीज खाद आदि क्रय करने हेतु छोटे कृषकों को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. कृषि विस्तार कार्यकर्ता एवं कृषि अधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू) :

138. चूरू जिले में शुष्क खेती हेतु अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) :

139. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में सी. उच्च माध्यमिक विद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. जिला बांसवाड़ा के गांव घाटोल तहसील मुख्यावास पर कृषि उपज मण्डी स्थापित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

141. जिला बांसवाड़ा में किसानों को समय पर खाद व बीज आदि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

142. जिला बांसवाड़ा में कृषि उपज समितियों द्वारा किसानों का अनाज सही भाव पर खरीदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. राजस्थान में किसानों को अपनी उपज का अपेक्षित सही लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये।

144. जिला बांसवाड़ा में किसानों को खेती संबंधी औजारों एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :

145. नागौर जिले में किसानों को अच्छा बीज तथा खाद उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसलों में लगने वाली तरह तरह की बीमारिया खास कर करवा, रतोंद रस्टेडीफ,

(श्री रिछपालसिंह)

कातरा आदि के कीटाणुओं को रोकने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये।

147. राज्य के पश्चिमी जिलों में खासकर बीकानेर, चूरू, नागौर में बारानी, नहरी फसलों में खासकर ग्वार की फसल मतीरे, काकड़ी की फसलों में तेतीये की बीमारी लम्बे अर्से से फैली हुई है इसकी रोकथाम के लिये चर्चा के लिये।

148. पश्चिमी राजस्थान नागौर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में तिलों की फसल में लगने वाली बीमारी व टंटी से फसल रोग ग्रस्त होकर समाप्त हो जाती है इस पर कृषि विभाग कोई रोकथाम नहीं कर सका है, पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

149. बाडमेर जिले के ग्रामों के कृषकों का सारा कर्जा माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) :

150. कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अनुदान व पेस्टीसाइड्स के छूट पर चर्चा के लिये।

151. कृषि विस्तार व अनुसंधान कार्यक्रम में फैले भ्रष्टाचार व निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) :

152. राजस्थान राज्य बीज निगम में हो रहे घाटे पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

153. कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कों का निर्माण न कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. कृषि उद्योग निगम का सुधार नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

155. पाली जिले के कृषकों को खाद एवं जिप्सम पर सबसीडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाये जाने हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. खेती में जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

158. मारवाड़ जंक्शन में निर्मित कृषि सब यार्ड की हालत खस्ता एवं चिन्ताजनक होने एवं इसके निर्माण में किये गये घोटालों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोराय पाटन)

(2) **श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

159. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल क्षेत्र में अलग-अलग किस्मों का गन्ना लगवाया जाकर वर्ष भर कच्चा माल उपलब्ध करवाया जा कर मिल को चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों के सम्बन्ध में यहां विचार हो रहा है, हमारे ग्रामीण भाई गांवों में रहते हैं और 80 प्रतिशत लोग जिनका आर्थिक संबंध इन दोनों मांगों से है और यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उन लोगों की लाइफ लाइन का सवाल है। ऐसे अहम विभागों पर आज यहां चर्चा होने जा रही है, उस सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान का जिस तरह से निर्माण हुआ, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश संगठित होकर राजस्थान प्रान्त बना और उसके बाद राजस्थान ने निरन्तर प्रगति की। कृषि के क्षेत्र में भी जब राजस्थान नहीं बना था उससे पहले हमारी सारी रियासतों को मिला लें तो केवल 15 लाख टन अनाज हमारे पूरे प्रदेश में पैदा होता था। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार की नीतियों से और पिछले समय में जो कांग्रेस सरकारें रहीं, उससे आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, आज एक करोड़ टन अनाज राजस्थान पैदा करता है। उसकी भी हमने सीमा पार की है। यदि उसका सबसे अधिक श्रेय जाता है तो हमारे इस प्रदेश के काश्तकारों को जाता है। इस प्रदेश के काश्तकारों को जब भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि विभाग के अधिकारियों ने और चाहे राजस्थान सरकार ने जो भी टेक्नीक अपनाने का अवसर दिया, उनको शिक्षा दी उसको उन्होंने ग्रहण किया। उस टेक्नीक और शिक्षा का ग्रहण करने के बाद खेतों पर उन्होंने अप्लाई किया, मैं समझता हूं, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस लक्ष्य को पूरा कर सके हैं। लेकिन उसके बाद भी हमको अभी बहुत करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले सालों में यहां पर निरन्तर अकाल पड़ते रहे और हमारे काश्तकारों को काफी परेशानी हुई है, उसके बावजूद भी प्रयास करके इस लक्ष्य की पूर्ति करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। अब सौभाग्य से हम ऐसी आशा करते हैं यह साल अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी और सरकार जो कुछ करना चाहती है उससे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है मैं उससे अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं। यदि काश्तकार को अच्छा बीज मिल जाय और उसका अंकुरण हो जाए तो मैं समझता हूं उसके पास जितने टेक्नीक हैं, वह सारे टेक्नीक उसके बाद ही काम आते हैं। इसलिये सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि काश्तकार को अच्छा बीज हम लोग मुहैया करा सकें। हमारे यहां पर राजस्थान में सीड कार्पोरेशन इस काम को करता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सीड कार्पोरेशन के माध्यम से जो बीज हमको मिलता है वह एक तो समय पर नहीं मिलता और समय पर नहीं मिलने के कारण जितना सीड कार्पोरेशन जिम्मेदार नहीं है उतनी सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी जिम्मेदार है। मैं आपको मिसाल के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। इसी साल यदि आप लें तो हमारे यहां पर जो ग्रो–

(श्री देवेन्द्र सिंह)

आउट् रिजल्ट आते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी से वह समय पर नहीं आते और समय पर नहीं आने से काश्तकारों के पास बीज समय पर नहीं पहुंचता। इस वर्ष हमारे यहां पर सी. एच. एस.–5 ज्वार का बीज सर्टिफाई किया जून महीने में, अब आकर उसमें सर्टिफिकेशन के ग्रो आउट रिजल्ट मिले। स्थिति यह है कि वह ज्वार का बीज सारा का सारा सीड कारपोरेशन के पास पड़ा रह गया और काश्तकारों के पास पहुंचा नहीं। उससे सीड कार्पोरेशन को नुकसान होगा और सरकार की मंशा अच्छा बीज देने की है उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, सीड कार्पोरेशन और सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी के बीच में ऐसा कोआर्डिनेशन होना चाहिये जिससे काश्तकारों को समय पर बीज मिल सके और वह अपने खेतों में समय पर बीज डाल सकें।

अध्यक्ष महोदय, सीड की उपलब्धि भी हमारे यहां पर सीड कार्पोरेशन के माध्यम से बहुत कम है। हमारा प्रदेश खास तौर से दक्षिणी राजस्थान बाजरा ग्रोइंग प्रदेश हैं। लेकिन इतने सालों के प्रयास के बाद भी हम बाजरे के सीड प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये। आज हमको बाजरा बाहर से मंगाना पड़ता हैं। आज यह स्थिति है, ज्वार जी–5 जो लाल मक्का उदयपुर डिवीजन में चलती है वह आज सीड कार्पोरेशन के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से प्रताप पिल जहां दो सौ-ढाई सौ क्विंटल एक जिले में चाहिये वहां कुल 40 से 50 क्विंटल पहुंचा पा रहे हैं। यह स्थिति आज सीड कार्पोरेशन की है। इसलिये मुझे आपसे यही निवेदन करना है कि इस सीड कार्पोरेशन को और स्ट्रेन्थन किया जाय, ऐसा वातावरण बनाया जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे इस प्रदेश में जो बीज की आवश्यकता है वह सीड कार्पोरेशन पूरा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि सीड सर्टिफिकेशन में घोटाले बहुत हैं। सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी के लोग काश्तकार के खेतों में जाते हैं। एकाध दफा जाकर उसको देख लेते हैं, बाद में मौके पर नहीं जाते। जिस काश्तकार से मिले हुए होते हैं उसके सीड को सर्टिफाई करके उसको सीड कार्पोरेशन को पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ में एक काश्तकार थे जिनका ज्वार का सीड ग्रो कराया गया। सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी से उसका सीड सर्टिफाई किया। करीब 800 क्विंटल ज्वार उससे ली गई। पता नहीं वह 800 क्विंटल कैसे उसने पैदा की। लेकिन उससे ली जाकर हमारे काश्तकारों को वहां पर डिस्ट्रिब्यूट किया गया। अब आप अन्दाज लगायें, उस काश्तकार ने जब यह सीड लिया तो समझा होगा कि मेरे खेत पर अच्छी ज्वार आयेगी, अच्छी फसल आयेगी और उससे मेरी आर्थिक हालत सुधरेगी। लेकिन दुर्भाग्य से जो सीड वहां पर पहुंचा वह सीड एफ–1 नहीं होकर सारा ही सीड एफ–2 हो गया। एफ–2 होने से जिन काश्तकारों ने वह सीड बोया, आम तौर पर हाइब्रिड ज्वार–5–6 फीट से अधिक नहीं जाती लेकिन वह ज्वार चढ़ गई 10–20 फीट और उसके सिट्टे तक नहीं आये। अब आप अन्दाज लगायें, उस

(श्री देवेन्द्र सिंह)

काश्तकार का तो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में उसने जब ज्वार बोयी और क्या उसने कल्पना की होगी, जब रिजल्ट आये तो उसको क्या परिणाम मिले। इस तरह की जो हालत इस सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें सुधार किया जाना चाहिये। मैं तो एक कदम और आगे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी काश्तकार को बीज खराब देना, मैं समझता हूं, किसी आदमी का मर्डर करने से कम सजा उसको नहीं मिलनी चाहिये। क्योंकि काश्तकार का तो सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। यदि उसको बीज सही नहीं मिला तो वह 6 महीने तक तो उस खेत में देखता रहे भले ही कुछ मिलता जुलता है नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सीड कार्पोरेशन के सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिये।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में जहां हम अनाज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हुए हैं वहां आयल सीड और पल्सेज के सम्बन्ध में अभी और हमको बहुत कुछ करना है। संयोग से हमारे यहां आजकल बरसात कम होने लगी। जहां भरतपुर और अलवर में सरसों बोयी जाती थी वहां मारवाड़ में रायड़ा के नाम से, और भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में सरसों के नाम से काफी सरसों बोयी जाने लगी है। लेकिन उसके बाद भी मैं ऐसा मानता हूं अभी इस सम्बन्ध में हमको बहुत कुछ करना है। 'आयल' सीड और पल्सेज के सम्बन्ध में हमारा प्रदेश और उत्पादन कर सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

बस।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट।

श्री देवेन्द्र सिंह : बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : 27 लोग बोलने वाले हैं, दस मिनट के हिसाब से 270 मिनट होते हैं। आपकी तो पहली घंटी है अभी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जिससे उत्तेजना बढ़े और आपको कहना पड़े।

श्री अध्यक्ष : आप करिये पूरी बात।

श्री जगतसिंह दायमा : वह भाव तो समझ ही गये वैसे, चाहें तो बैठ जाओ।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में हार्टीकल्चर का एक अलग डायरेक्टोरेट स्थापित किया है। हार्टीकल्चर की इस प्रदेश में बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल हार्टीकल्चर का डायरेक्टोरेट स्थापित हो जाने से सब कुछ बात समाप्त नहीं हो जाती। जब तक आप उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं करेंगे, जिन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इस हार्टीकल्चर के कार्यक्रम की शुरूआत की है उसमें यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं करेंगे और वहां फलदार पौधे उपलब्ध नहीं हों तो क्या मायने हैं उस हार्टीकल्चर डायरेक्टोरेट के। क्या मायने हैं हार्टीकल्चर विभाग के और क्या मायने हैं हार्टीकल्चर विभाग के अधिकारियों के जो वहां जिलों में रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना

(श्री देवेन्द्र सिंह)

चाहता हूं कि जिन 10–12 जिलों में हार्टिकल्चर का काम शुरू किया है वहां प्रत्येक जिले में हार्टिकल्चर की नर्सरी होनी चाहिए। आज आंवला जैसा पौधा राजस्थान में 40 रुपये तक में साधारण आदमी को भी नहीं मिलता। हार्टिकल्चर विभाग को यह देखना चाहिए कि हमने जहां पर हार्टिकल्चर का काम शुरू किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह डाइरेक्ट्रेट शुरू किया तो 12 जिलों में ही इसको सीमित क्यों रखना चाहते हैं ? सारे राजस्थान में इस कार्यक्रम को लागू कीजिए क्योंकि काश्तकार जो अनाज उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा लाभ उनको मिलता नहीं हैं। यदि इसके साथ–साथ बगीचा लगा कर फलदायक पौधे लगा लें तो उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी इसलिए इस ओर ध्यान दीजिए। हार्टिकल्चर विभाग ने जहां काम शुरू किया वहां पर हर जिले में 9 ग्राम सेवक दिये हैं और उनको इस बात के लिए बांध दिया कि जो ग्राम सेवक जिस जगह है वह अपने स्थान से 8 कि. मी. की परिधि से बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस जिले को हार्टिकल्चर विभाग के नीचे लेकर के विकसित करना चाहते हैं तो फिर ग्राम सेवकों को दायरे में बांध करके दूसरे काश्तकार जो उस सीमा के बाहर के हैं जो इस काम को करना चाहते हैं उनका क्या होगा ? आपने कहा कि वहां पर एक्सटेंशन के लोग काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सटेंशन काम तो सभी जगह हो रहा है फिर इस डाइरेक्ट्रेट की क्या आवश्यकता पड़ी ? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे यहां पर राजस्थान में हार्टिकल्चर का जितना काम होना चाहिए वह नहीं हुआ। सरकार ने यह महसूस किया और अलग से डाइरेक्ट्रेट कायम किया तो उसी आधार पर इसी पैमाने पर आपको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कोटा में एक सोयाबीन प्लान्ट लगाया गया और सोयाबीन की खेती बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में शुरू करने का कार्यक्रम बनाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया और आज यह स्थिति हो गई कि कोटा में यहां 88 हजार एकड़ में सोयाबीन बोया जाता है वहीं चित्तौड़गढ़ में 77 हजार एकड़ में इस साल सोयाबीन का प्रोग्राम लिया गया है। इसी प्रकार झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में भी सोयाबीन का प्रोग्राम लिया गया है। लेकिन आज तक सोयाबीन के प्रोक्योरमेंट की जो व्यवस्था है उसमें केवल कोटा में ही प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ में भी एक प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलें ताकि वहां के काश्तकारों को सोयाबीन के प्रोग्राम में प्रोक्योरमेंट में सुविधा मिल सके।

मैं तो आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सोयाबीन ऑयल प्लाण्ट कोटा में लगाया, उसी मात्रा में चित्तौड़गढ़ के आस-पास के जिलों में सोयाबीन पैदा हो रहा है। आप वहां पर एक मिल्क बॉटलिंग प्लाण्ट और सोयाबीन पाउडर का एक प्लाण्ट चित्तौड़ में लगावें मैं समझता हूं चाहे को-ऑपरेटिव में हो या पब्लिक सैक्टर

(श्री देवेन्द्र सिंह)

में, सरकार तय करे लेकिन वहां के काश्तकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और जिस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द मार्केटिंग बोर्ड के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से इसका निर्माण हुआ तभी से काश्तकारों से जो टैक्स लिया जाता था उससे उनको आशा जगाई गई थी कि इस बोर्ड के माध्यम से जो टैक्स आएगा उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। सड़कें, स्कूल और जो भी ग्रामीण लोगों की आवश्यकता होगी उसका निर्माण होगा। पड़ौस के हरियाणा राज्य में जाकर आप देखेंगे तो वहां केवल सड़कें ही नहीं बल्कि अस्पताल, स्कूल बनाते हैं तथा अन्य गांवों के लोगों की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी मार्केटिंग बोर्ड के मार्फत करते हैं लेकिन यहां पर स्कूल और भवन तो अलग बात है, लेकिन हमारी जो मण्डियां बनी हुई हैं उनकी छोटी-छोटी अप्रोच रोड्स भी मार्केटिंग बोर्ड नहीं बनाता।

एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 84–85 में इस बोर्ड के मार्फत हम लोगों ने शुरू किया था और तय किया था कि करीब पौने दो करोड़ की सड़कें सारे राजस्थान में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, चाहे कमजोर मण्डियां भी रही हों तो उन्हें भी बोर्ड से लोन देकर के, सारे राजस्थान में सड़कों के निर्माण कराने का कार्यक्रम शुरू किया लेकिन उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी यह आई कि आप जो लोन देते हैं वह उस मण्डी से वसूल कर सकते हैं जिस मण्डी को लोन देते हैं। हमारे यहां पर कुछ छोटी मण्डियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है जिन मण्डियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए उस सारे पैसे का डिस्ट्रिक्ट पूल बनाइये, राजस्थान बोर्ड का एक पूल बनाइए, उस पूल के माध्यम से कमजोर मण्डियों को आर्थिक सहायता मिल सके इसकी व्यवस्था कीजिए। मैं एक कदम आगे बढ़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप सवा प्रतिशत टैक्स मण्डियों का लेते हैं, यदि काश्तकारों को आप सन्तुष्ट कर दें कि हम दो प्रतिशत टैक्स लेना चाहते हैं लेकिन वादा करते हैं कि उस पैसे से सड़कों का निर्माण कराएंगे, गांवों का विकास करेंगे तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं होगी और सरकार पर भार कम होकर, बिना सरकार के एक्स-चैकर पर भार डाले आप स्वयं अपने पैसे से उस काम को कर सकेंगे।

एग्रो इंडस्ट्री के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काफी लम्बे अरसे से यह चर्चा चल रही है कि इस इण्डस्ट्री को घाटे की वजह से इसको बन्द किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई कि एक पति ने पत्नी से कहा कि चूंकि मैं बहुत परेशान हूं, शरीर पर राख लगा कर साधु होना चाहता हूं। पत्नी बोली–यह तो बहुत आसान काम है आप कहते कि मैं कोई बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती। ठीक यही बात यह सरकार करने जा रही है। किसी चीज को बन्द करना बहुत आसान है लेकिन जो चीज ठीक नहीं है उसे ठीक हालत में लाकर वापिस चालू करना मैं समझता हूं कि सरकार के लिए बहुत क्रेडिटिबिल्टी की बात है बजाय इसके कि आप इसको बन्द करें और मैं ऐसा मानता हूं

(श्री देवेन्द्र सिंह)

कि इसको बन्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज जो कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं यदि उनको सरकारी एजेन्सीज से सहयोग मिले और को-ऑपरेट करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन कभी घाटे में नहीं जाएगी। आखिर घाटा किस बात का है ? 70 लाख रुपये सरकार को यह कार्पोरेशन ब्याज के देती है। आप उस ब्याज की राशि को सॉफ्ट लोन में कन्वर्ट करके उनको मौका दें काम करने का, आज एग्रो इंडस्ट्रीज जितने एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स बनाता है लेकिन वहां के अधिकारियों ने स्वयं छोटी-छोटी इंडस्ट्री खोल कर अपने काम में लगे हुए हैं इसलिए एग्रो इंडस्ट्री के इम्लीमेंट्स का वह लोग उपयोग नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कर पाते। इस कार्पोरेशन को किसी समय में हमारे इधर के माननीय सदस्य चन्दनमल जी बैद ने चलाया था। वह जिस हालत में चला, उसको देखिये और यह भी कह दूं, थानागाजी से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने भी इसमें कुछ काम किया था लेकिन आज स्थिति यह है कि आप इसमें एक आई. ए. एस. अधिकारी को लगाते हैं तो वह समझता है कि मुझे सजा दी गई है, पनिशेवल पोस्ट इसको मानते हैं और साल, छः महीने से ज्यादा कोई अधिकारी वहां टिकता नहीं। इसलिए या तो वहां पर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके उनको दायित्व दीजिए कि इसको नफे में लाना है या किसी अधिकारी को लगाकर कहिए कि पांच साल तक इसमें काम करना है और इसको नफे में लाना है तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होने की उम्मीद बढ़ेगी।

दो मिनट, मैं को-ऑपरेटिव के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। को-ऑपरेटिव में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव कराने की घोषणा की गई थी उस समय भी हमने कहा था कि यह चुनाव आप नहीं करा सकते क्योंकि सरकार ने जो लोन रीति-नीति निकाली है जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता और जब तक काश्तकार को जो डिफाल्टर हो गये हैं उनको पूरा नहीं कर देते तब तक को-ऑपरेटिव के चुनाव नहीं करा पाएंगे। मैं आज भी सहकारिता मंत्री जी से फिर निवेदन करता हूं कि आपने जो कार्यक्रम निकाला है को-ऑपरेटिव में चुनाव का। उसमें आपने लोन-नीति की तफसील निकाली है उसमें आपने कहा है कि इन-इन शर्तों पर लोन माफ करेंगे। इसमें एक-दो पैरा मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि जो नीति राज्य सरकी लोन माफ करने की थी, उससे इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जिस आधार पर आप घोषणा करके सरकार में आये हैं उसकी इस लोन नीति से पूर्ति नहीं होगी और इसमें इतने लीगल कम्पलीकेशन्स पैदा हो जाएंगे कि संभवतः जो चुनाव कराने की मन्शा रखते हैं वह पूरी नहीं होगी।

आप जो मंशा रखते हैं वह मंशा आपकी पूरी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि जानबूझकर चूक नहीं करने वाला व्यक्ति ऋणकर्त्ता होगा। जिन्होंने देय ऋण अथवा देय किश्तों की अदायगी नहीं की हो और जिसको दो या अधिक वर्षों से चाहे वह लगातार हो या नहीं हो। चाहे खराब फसल का वर्ष में सामना करना पड़ा हो और उसमें

(श्री देवेन्द्र सिंह)

एक साल वह हो जिसमें उसने ऋण चुकाने में चूक की हो। कारीगर अथवा बुनकर के मामले में परिसीमन व्यक्ति द्वारा नुकसान के कारण वापिस अदायगी नहीं किया जाना ही जानबूझकर चूक करना माना जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि वे चुका पाते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इस तरह के राइडर्स लगा करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोन नीति कभी सफल नहीं होगी। लोग लिटिगेशन में जायेंगे और जो आपकी मंशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी। इससे आगे मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो कमेटियां बनाई हैं, इस लोन को कौन माफ करेगा उसकी दो कमेटियां बनाई हैं। एक ब्लॉक स्तर पर और एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। उन कमेटियों में जिन व्यक्तियों को रखा है, उससे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे काश्तकार का कितना भला होगा या नहीं होगा लेकिन इससे करप्शन जरूर बढ़ेगा। तहसील लेवल की इन्होंने जो कमेटी रखी है उसमें उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो एक व्यवस्थापक की हैसियत का आदमी होगा। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। विशेष लेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त ऑडिटर, केन्द्रीय सहकारी बैंक का सहायक अधिशाषी अधिकारी, ऋण पर्यवेक्षक, शाखा क्षेत्र का व्यवस्थापक आदि। और जिले की इन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें प्रबन्ध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. का सचिव, सम्बन्धित विशेष तथा परीक्षक, इकाई एवं उप सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिल कर के बहुत जोर से घोषणा की कि हम ऋण माफ करेंगे। आप चाहे इन कमेटियों में हमको नहीं रखना चाहे तो यह आपकी मर्जी लेकिन यह पोलिटिकल कार्य है और इसमें आपने एक भी जन-प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया है। आप यह सारा कार्य अधिकारियों के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। आपने यह घोषणा की है, इसका लाभ आपको मिलना चाहिए। यदि इसका लाभ थोड़ा बहुत हमको भी मिले। लेकिन आप हमको इन कमेटियों में नहीं भी लेना चाहे तो कम से कम आपका प्रतिनिधि या कोई सार्वजनिक आदमी इनमें मुकर्रर तो करो जिससे इन पर राइडर लग सकें और उस काश्तकार को यह पता लगे कि कौन हमारा ऋण माफ कर रहा है। आज स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, आप किसी बैंक में जाइये जो परचेजिंग होता है, उसके बाद वे बैंक मैनेजर को समझते है कि वह ही हमारा अन्नदाता है एवं हमको लोन देता है। इससे जन प्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं है। ठीक यहीं हाल इसका होने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सरपंच है, आपका प्रधान है, आपका प्रमुख है, आपका एम. एल. ए. है, ये लोग जो आपके सार्वजनिक रूप से काम करते हैं इनमें से आपने एक भी आदमी को कमेटी में नहीं रखा और आपने यह सारा कार्यक्रम छोड़ दिया है सरकार के भरोसे। मैं समझता हूं कि इससे न तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और न ही सरकार की मंशा इससे पूरी होगी। इसलिए

(श्री देवेन्द्र सिंह)

आप इन कमेटियों पर पुनर्विचार करें और इनमें जन प्रतिनिधि शामिल करें यही मेरा आपसे निवेदन है।

अन्त में आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक ही बात मैं अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी इच्छा इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की है तो जो कुछ मैंने सुझाव दिये हैं, यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कि आपके अधिकारी भी अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है दोनों की। यदि आप उनके साथ में काम करके इस क्षेत्र को, राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि इस आने वाले वक्त में कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और सहकारिता में आपने इस तरह से भ्रष्टाचार के समाप्ति की जो घोषणा की है इसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर एक लंकापति समिति का नाम आया। उसमें किसी शेखावत साहब का नाम आते ही उसकी सारी कार्यवाही बन्द हो गई। तो न तो हमारे शेखावत साहब, उस शेखावत साहब को जानते हैं और न ही शेखावत साहब का उसमें कुछ लेना है। क्योंकि इसमें श्री शेखावत साहब का नाम आ गया तो लंकापति सहकारी समिति की कार्यवाही बन्द हो गई। लंकापति को तो वैसे भी आप मार नहीं सकते क्योंकि उसको मारने के लिए कोई राम चाहिए....।

श्री अध्यक्ष : हर साल मारते हैं, उसको।

श्री देवेन्द्र सिंह : हम सब लंकापति ही लंकापति बैठे हैं तो कहां से मारेंगे। धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मार कर ही तो आते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह जी (अनुपस्थित)

माननीय श्री जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के इस इतिहास में लगातार 48 साल से 48 दिन किसानों के हम इसी सदन में उद्धार करने की चर्चा करते हैं और दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अलावा और जनता पार्टी के शासनकाल का बजट में देख नहीं पाया, उसमें जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को क्या दिया, क्या उनके उद्धार के कार्य किये? लेकिन निश्चित तरीके से मैं यह कहता हूं कि बाकी वर्ष जो किसानों के लिए त्रासदी के वर्ष निकले आज सहकारिता और कृषि की दोनों मांगे हैं वे किसानों से जुड़ी हुई हैं। उन पर आज हम इस सदन में विचार कर रहे है। किसानों के लिए मांग पारित होने का आज का यह दिन किसानों के लिए सौभाग्यशाली बनेगा।

महोदय, किसान हमारी राजनीति की व्यवस्था में, चाहे समाजवाद की व्यवस्था बाद में हुई हो लेकिन निश्चित तरीके से आदिकाल से आप व्यवहारिक रूप में देखेंगे कि इस हिन्दुस्तान में यदि बांट कर खाने वाला कोई इंसान है, बांटकर खाने वाला और समाजवाद के सही सिद्धान्तों पर चलने वाला अगर कोई वर्ग है तो वह किसान है।

(श्री जगमालसिंह यादव)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप में कि जब किसान अपना हल उठाता है और खेत में बिजाई करने के लिए जब वह जाता है तो मेरे साथ किसान भाई दोनों तरफ बैठे हैं आपने भी देखा होगा कि जब वह ओरने पर मुट्ठी रखता है तो सबसे पहले परमात्मा से दुआ करता है कि भगवान मेरे लिए, इस समाज में गरीबों के लिए, ना केवल गरीब और मेरे लिए बल्कि पशु पक्षी एवं जानवर के लिए भी मुझे देवें। अध्यक्ष महोदय, हल चलने के साथ बढई पहुंचता है, बढई को उसमें से देता है। कुम्हार पहुंचता है, उसको देता है। पिछड़े वर्ग के जो लोग उनकी सेवा करने वाले होते हैं, वह उनको देता है और जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो किसान इन सभी वर्गों के लिए अपने द्वारा पैदा की हुई चीज बांटता है। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जब उसकी फसल उठाने का काम आता है तब वह ऐसा एक ही वर्ग है जो अपने हिसाब का बगैर किसी प्रकार से हिसाब किताब लगाये कि मुझे नफा हुआ है इस खेती करने में अथवा मुझे नुकसान हुआ है। वह सबको बांटता है। चाहे उसको नुकसान उठाना पड़े। ऐसे वर्ग से सम्बन्धित जो दोनों मांगे हैं, आज सदन उस पर विचार कर रहा है। मैं आपके मार्फत जो माननीय श्री भैरोंसिह जी ने और कृषि और सहकारिता मंत्री जी की जो आज मांगे हैं, उनके समर्थन में बोलने को खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में खेती के लिए पहली बार एक किसान मुख्य मंत्री जी ने किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता है खेती से जुड़ी हुई। खेती को पानी चाहिए उससे सम्बन्धित जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी तरफ माननीय श्री भैरोंसिह जी शेखावत साहब ने, राजस्थान की सरकार ने ध्यान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रावधान रखा है क्योंकि विशेष कर अलवर, भरतपुर और पूर्वी राजस्थान का हिस्सा जो गेहूं और सरसों, दलहन को आपको सबसे ज्यादा पैदा करके देता है। वहां पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ने यह प्रावधान किया है कि ट्यूबवैल गहरे करने के लिए कोई भी किसान यदि ट्यूबवैल गहरा करना चाहे तो राजस्थान की सरकार उसको पचास फीसदी तक अनुदान देगी। यहीं नहीं दूसरी जो खेती से जुड़ी हुई मूलभूत समस्या है कि पानी का जिस तरह से वेस्टेज होता है। उस पानी के वेस्टेज को बचाने के लिए यदि नालियां पक्की करने का कोई काम हो, चाहे अण्डर ग्राउण्ड पाइप दबाने का काम हो, उसके लिए राजस्थान की सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। दूसरे और भी बहुत से प्रावधान रखे हैं जिससे किसानों की जो यथार्थ में समस्या है ना केवल कागजों में घोषणा करने की बात बल्कि खेत पर किसानों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन सभी समस्याओं का प्रावधान रखा है। जैसे फव्वारा सैट से खेती करने का प्रावधान है। जिससे पानी का वेस्टेज बहुत कम हो, उन सब कामों के लिए राजस्थान की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किये हैं। इसके लिए तो वे धन्य-

(श्री जगमालसिंह यादव)

वाद के पात्र हैं । लेकिन कुछ समस्यायें अफसरशाही के जाल में फंस कर राजस्थान की सरकार इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे सकी है वे निम्न हैं जिसके बारे में मैं संक्षेप में एक–एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं सरकार के साथियों के साथ इस तरफ बैठता था, मुझे वह दिन भी याद है जब आपकी कुर्सी पर बैठने वाले माननीय श्री किशनलाल जी मोटवानी साहब की लड़की की शादी थी, उस दिन हम लोगों ने फसल बीमा के प्रकरण में राजस्थान की सरकार को झुकाया और जो बीम के 22 करोड़ रुपये थे वह उसी दिन हमने मजबूर करके जमा करवाया था । लेकिन पता नहीं माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, इस फसल बीमा के प्रकरण को किन कारणों से हमारे इस बजट में नहीं रखा । मैं उनसे मांग करूंगा कि फसल बीमा के प्रावधान को इस बजट में अवश्य रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कृषि उपज मण्डी की बावत । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में कृषि उपज मण्डी का निर्माण करें या नहीं करें लेकिन मेरी आपको सलाह है कि चाहे वह गुजरात के बार्डर से जुड़ा हुआ आपका कस्बा हो, शहर हो, चाहे वह हरियाणा की तरफ से जुड़ा हुआ हो, चाहे भरतपुर की सीमा आपकी यू.पी. से लगी हुई हो, चाहे पंजाब से लगा हुआ गंगानगर का इलाका हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसान को अपनी फसल बेचने की सुविधा नहीं होती है उस स्थिति में राजस्थान जो खासकर खाद्य सामग्री के मामले में अभी तक भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, अभी तक भी न दलहन के मामले में, आत्म निर्भर नहीं हो पाया है, न तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया है न अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया है । और वह किसान कृषि जिन्स को बेचने की सुविधाओं के अभाव में गंगानगर का किसान पंजाब में अपना सारा गेहूं और दूसरी फसलें बेचता है, अलवर का किसान हरियाणा में अपने कृषि जिन्स को भेज देता है, भरतपुर का किसान यू.पी. की मण्डियों में अपनी कृषि जिन्सों को भेज देता है और दूसरी तरफ झालावाड़ और कोटा से लगने वाला जो इलाका है उसका किसान गुजरात में अपनी सारी जिन्सें बेचने के लिए बाध्य होता है क्योंकि कृषि जिन्स को बेचने की सुविधा उनके क्षेत्र के आसपास नहीं है । इसलिए न केवल मैं अपने क्षेत्र तिजारा की बावत आपसे बात कर रहा हूं, मेरी फाइल तो तैयार है ही मेहरबान आप मुझ पर हैं, उम्मीद है कि जल्दी कर देंगे, लेकिन मेरा सारे राजस्थान के हित में आपको सुझाव है कि आप अपने अधिकारियों को बुलाकर यह कहिये कि कहीं बड़े शहर, चाहे राजस्थान के बीच में छूट जाये लेकिन जो दूसरे स्टेट से आपकी सीमा से लगते हुए इलाके हैं जहां किसानों की पैदावार अच्छी होती है जहां से मण्डियों की सुविधा के अभाव में गेहूं, चने, दाल और दलहन आदि जिन्स राजस्थान के बाहर चला जाता है उसको

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रोकने के लिए अफसर आपको क्या सलाह देंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा व्यावहारिक ज्ञान है कि राजस्थान जो खाद्य के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे मामलों में आत्मनिर्भर नहीं है. अगर सारी जिन्सों को आपको राजस्थान में रोकना है, राजस्थान के विकास के लिए बात करनी है तो आपको अपनी सारी प्रापर्टी तोड़कर जो अन्तर्राज्यीय सीमाओं से आपके कस्बे लगे हुए हैं उनमें आपको कृषि उपज मण्डियों का निर्माण करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी से एक और निवेदन करूं कि आप राजनीतिक आधार छोड़ दीजिए। कहीं कोटा का प्रतिनिधित्व इस सरकार में ज्यादा है तो कहीं धौलपुर का ज्यादा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर आपको किसानों की उपज को बढ़ाना है तो निश्चित तौर से चाहे आप अलवर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करें, चाहे भरतपुर में कायम करें, चाहे जयपुर के उत्तरी हिस्से में कायम करें, आपसे इतना मेरा निवेदन है कि आप राजनीतिक आधार छोड़ कर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना वहां कीजिए जहां आपका फर्टाइल एरिया है, जहां आपके सरसों, गेहूं और दलहन का ज्यादा उत्पादन है। जहां से किसान और दूसरे लोग उस यूनिवर्सिटी से फायदा उठा सकें। मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे इतनी राय है।

(2.12 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक प्राकृतिक आपदाओं की बात है, इस सदन में हर बार यह चर्चा होती है....

श्री हेतराम बेनीवाल : आज सहकारिता पर है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कृषि से भी सम्बन्धित है। माननीय सभापति महोदय, अगर सबसे ज्यादा खतरे में आदमी कहीं अपनी सम्पत्ति को रखता है और अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वह किसान ही है। उसकी फसल चौड़े में खड़ी है, वह मकान में बंद नहीं कर सकता। यहां तक कि उसकी फसल जब तक बीजाई होती है और पेड़ से निकल कर जब तक राछ तैयार होती है तब तक वह असुरक्षित है, इन प्राकृतिक आपदाओं के रहते हुए। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं पर मांग कल है लेकिन चूंकि किसान से सम्बन्धित है....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तो खुद ही बैठ जाऊंगा, अभी तो दो ही मिनट हुए हैं। आपने देखा होगा कि कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी जाड़े का प्रकोप है तो कभी किसी फसल में चेपे का प्रकोप, तो कभी दूसरी कीटों का प्रकोप होता है। किसान अपने आप को फसल में सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। मेरा यह निवेदन है कि मेरे पड़ौस में लगने वाला हरियाणा स्टेट है, हरियाणा सरकार ने, न केवल लोकदल ने, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं

(श्री जगमाल सिंह यादव),

किसी पार्टीबाजी के आधार पर नहीं निवेदन कर रहा, चौधरी बंशीलालजी ने चार सौ रुपये एकड़ के हिसब से यह मुआवजा देने की घोषणा की कि जिसकी फसल को शत-प्रतिशत नुकसान हो जायेगा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अनावृष्टि से, तो हरियाणा सरकार उसको चार सौ रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। उसके बाद माननीय चौधरी देवी लालजी आये, उन्होंने इसको बदस्तूर ही नहीं रखा बल्कि किसानों को मुआवजा देने की राशि को बढ़ा कर 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया। एक तरफ जहां आपका बोर्डर से लगता हुआ इलाका है, उसकी फसल को अगर ओलावृष्टि हो जाय और हरियाणा के किसान की या यू. पी के किसान को अगर ओलावृष्टि हो जाय तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान अपना सिर पकड़ कर रोता है और खुशी से उनको यह आभास नहीं होता कि प्राकृतिक आपदाओं से हमारी फसल नष्ट हो गई है। इसलिए ऐसा प्रावधान आप रखें कि जिससे यह महसूस हो सके, किसान इतना आश्वस्त हो सके कि अगर उसकी फसल को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि ने बरबाद कर दिया तो मैं भूखा मरूंगा या चौराहे पर खड़ा होऊंगा, कृपया उसको आप इतना एन्श्योर जरूर करें कि वह अपने आप को निस्सहाय महसूस न करे।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के साधनों की जहां तक बात है, मैंने पहले बताया कि यह सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने सिंचाई के मामले में पहली बार बड़े-बड़े बांधों की स्कीम छोड़ कर किसान खेत में अपनी जो कठिनाई महसूस करता है उनसे निपटने के लिए ट्यूब वैल गहरे करने, पक्की नालियां बनाने, फव्वारा सेट से खेती करने की मूलभूत आवश्यकताओं पर सरकार ने पहले ही बहुत कुछ किया है। इसके लिए मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूं।

जहां तक विद्युत की बात है, मंत्री महोदय, मुझे विद्युत कनेक्शन्स के बाबत आपत्ति है। आपने घोषणा की है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हम 25 हजार कृषि कनेक्शन्स रिलीज करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, अब मैं वह आंकड़े आपको देकर बता सकता हूं कि 25 हजार कृषि कनेक्शन जो आप जारी करेंगे, उनमें 30 हजार के लगभग डिमाण्ड नोटिस आपके 31 मार्च, 1989 के पहले के आज भी ड्यू पड़े हैं जिनका कनेक्शन नहीं हुआ है, वह आने वाले वित्तीय वर्ष में बकाया किये जायेंगे। 30 हजार कनेक्शन आपके बकाया हैं, 25 हजार कनेक्शन आप किसानों को देना चाहते हो तो मैं मानता हूं कि कृषि के मामले में, एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए राजस्थान की उपलब्धि शून्य के बराबर है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन कनेक्शन्स को बढ़ा कर जो नये ट्यूब वैल बने, जिन नये कुओं का निर्माण हो, उनको बिजली की व्यवस्था तुरन्त दिलायेंगे, कोई ऐसे सिस्टेमेटिक ढंग से, जिससे किसान का शोषण भी न हो और उसको समय पर अपनी उपज बढ़ाने के लिए कनेक्शन उपलब्ध हो सके।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। हमारे अधिकारियों को इस बात का भान ही नहीं है कि किसानों की फसल में क्या–क्या जिन्स आती हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान के बहुत से इलाकों में आज से दस-पन्द्रह साल पहले सफेदे के पेड़ लगाने की एक परम्परा चली। खास तौर से मेरे अलवर जिले में ऐसे बड़े–बड़े प्लांटेशन हुए जहां सफेदे की पौध को केवल फसल मान कर प्लांटेशन किया गया। आज वह 15–15 साल के सफेदे तैयार खड़े हैं लेकिन जब किसान उन सफेदों को अपनी क्रॉप के रूप में काटना चाहता है तो कभी आपके फोरेस्ट अधिकारी कभी आपके तहसीलदार और कभी आपका एस. डी. ओ. उन पौधों को काटने से मना करता है। यह इस तरह का पेड़ नहीं है, पूछो माननीय मंत्रीजी, अपने अधिकारियों से कि सफेदे का क्या उपयोग होता है? अब तो भारत सरकार और पर्यावरण विभाग की यह रिपोर्ट भी आ गई है कि सफेदे का पेड़ जितनी जल्दी भारत की जमीन से हटा दिया जायेगा उतना आपका अन्डर ग्राउण्ड वाटर नीचे नहीं जायेगा वरना आने वाले दिनों में यह सफेदे का पेड़ आपके किसान को नहीं काटने से तो नुकसान पहुंचायेगा ही, बल्कि आपका अन्डर ग्राउण्ड वाटर भी बहुत नीचे चला जायेगा जिसका खामियाजा खेती को उठाना पड़ेगा। इसलिए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर कोई टी. पी. की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किसान ने जिस तरह से उसको फसल के रूप में बोया है, उसने पेड़ के रूप में पौधारोपण नहीं किया है, 50–50 बीघा में सफेदे आज खड़े हैं, वह कहते हैं कि दस पर्सेन्ट काटने की इजाजत देंगे। दस प्रतिशत से तो पौधे ही खराब हो जायेंगे। माननीय मंत्री महोदय, इन अधिकारियों को बताइये कि जब दस साल में सफेदा पक कर तैयार हो जाता है और ग्यारहवीं साल अगर उसको आप नहीं काटते हो तो उन किसानों को भी कोई रिटर्न नहीं मिलता और देश को भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है। उस सफेदे को अगर सात या दस साल के भीतर नहीं काटा गया तो वह सफेदे का पेड़ खराब हो जायेगा। आप पांच या छः मान लीजिए लेकिन अधिकतम दस साल से पहले काटा जाना चाहिए। आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, आपको मालूम होगा कि सफेदे का पेड़ एक बार कटने के बाद तीन–तीन फसल देता है। जो प्रथमतः सफेदा बोया गया, कम से कम आप अधिकारियों को निर्देश दें कि उसके काटने में कहीं कोई बाधा नहीं डालें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

पहली घंटी है, बैठ जाऊं मैं?

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह समाप्ति की नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे दांई ओर बैठे हुए किसानों के शुभ-चिन्तक, कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों की पीड़ा से इतने आहत हो गये कि न कभी वह किसानों के नाम पर कभी सदन चलने देने की बात करते हैं; इनको 24 घंटे, दिन और रात किसानों की चिन्ता सताये रहती

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है। मैं एक प्रकरण का जिक्र करना चाहता हूं। न केवल राजस्थान, बल्कि हिन्दुस्तान के हर किसान को इस बात का भान होगा कि आपने एक बहुत बड़ी स्कीम इस राजस्थान को दी थी–चारा उगाने की मशीन। किसान जो अपना काम चालीस साल में नहीं कर सका, हमारे खेती के विशेषज्ञ जिस काम को चालीस सालों में रिसर्च नहीं कर सके, आपकी पार्टी के बहुत बड़े लीडर ने, जिनका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता हूं इस राजस्थान पर बहुत बड़ा अहसान किया और 16 चारा मशीनें भेजी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। जब वह विदेश से मंगाई गई तो उन नेता महोदय ने यह कहा कि यह दान के रूप में किसानों को वितरित की जायेंगी, किसानों को अपनी पैदावार पर प्रयोग करने के लिए दी जायेगी। किसानों को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए लाई जायेगी। करोड़ों रुपये का, इसी तरफ बैठने वाले लोग, जो आज ज्यादा चिन्तित हो रहे हैं, चारा मशीनों के नाम पर घोटाला कर गये। 16 मशीनें राजस्थान की रीको ने खरीदी। माननीय सभापति महोदय, पड़ौस से लगते हुए बगरू में दस मशीनें आई थीं। आज से छह महीने पहले एक या दो मशीनें केवल काम कर रही थीं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। इतना और है कि एक या दो मशीनों के द्वारा जो चारा उत्पादन किया जाता है, आप किसी पशु को खिला कर देख लीजिए, कोई पशु उसको मुंह लगा जाये तो हम आपके कायल हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, चूंकि आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आप आसन पर हैं, मैं आपकी पार्टी-कांग्रेस के खिलाफ कह रहा हूं इसलिए घंटी कृपया जल्दी न बजायें....

श्री सभापति : ऐसी बात मत कहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। जयपुर में पृथ्वीराज नगर बसाया जा रहा है। अगर नगर आयोजना मंत्रीजी या सरकार के कोई प्रतिनिधि यहां विराज रहे हों तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी आप बड़े-बड़े नगर बसाना चाहते हैं, बताइये, आवासीय समस्या का हल होगा। लेकिन जयपुर से चाहे दस किलोमीटर दूर आपको कोई बड़ा नगर बसाना पड़े, लेकिन किसानों की वह उपजाऊ जमीन, जिसमें किसान पैदा करता है उन पर कृपया नगर बसाने की कोशिश न करें। वरना जो आज नगरीय आवासी समस्या से जूझ रहे हैं आने वाला समय ऐसा होगा—आप निकले होंगे जयपुर से दिल्ली तक, इस नेशनल हाइवे पर हर एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना होती जा रही है। आने वाले समय में अगर आपने उद्योग लगाने की इजाजत दी या बड़े–बड़े नगर उपजाऊ जमीन पर बसाने की कोशिश की तो आने वाले दस–बीस–पचास साल में इसका अन्जाम भुगतना पड़ेगा और राजस्थान की जनता एक–एक दाने के लिए मोहताज हो जायेगी।

इसके साथ साथ माननीय सभापति

(श्री जगमाल सिंह यादव)

महोदय, एक और निवेदन करके बैठना चाहता हूं। जिस तरह से किसान की जमीन का उद्योग के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें आपकी सरकार 40 साल तक किसान का शोषण करती रही लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार भी शायद इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी कि कृषि के काम में आने वाली भूमि को आप उद्योग के लिए एक्वायर करना चाहते हैं तो एक्वायर कर लीजिए। लेकिन मेरी इतनी राय अवश्य मान लीजिए कि अगर यह किसानों की हितैषी सरकार है तो आप इस बात पर विचार करें कि आप किसान और उद्योग के बीच से हट जायं। किसान पर आपका अहसान होगा। यह सरकार बिचौलिए के रूप में हट जाय। किसान जो जमीन बेचेगा वह सीधा उद्योग को बेचेगा और उद्योग को जितनी आवश्यकता है वह जमीन ले और किसान को जितनी जरूरत है वह पैसा लेगा। वर्ना आज किसानों का हमेशा शोषण होता है। आप एक्वायर करने की जो परम्परा है उसको कम से कम करने की कोशिश करें ताकि किसानों को महसूस हो कि कोई परिवर्तन हुआ है और किसानों के हक में सोचने वाली सरकार राज कर रही है।

एक सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह आपने बोर्डों को भंग किया, भूमि विकास बोर्ड और को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड उसमें आपकी लीगल और कानूनी खामियां रही हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बोर्ड्स में वही लोग बैठे हैं जो पेशेवर हैं। चाहे वह किसी भी पक्ष के हों। को-ऑपरेटिव और भूमि विकास बैंक घोटालों के सबसे बड़े स्थान हैं। जिस तरह से आपने हाउसिंग सोसायटीज का आप्रेशन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के बाद चाहे आर्डिनेंस निकाल कर या बिल लाकर इनको तुरन्त भंग करें। चुनाव की जल्दी न करें। पहले इन की जांच करायें। सहकारिता में जितने घोटाले मिलेंगे वह भूमि विकास बैंक और सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में मिलेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, किसानों के लिए सरकार संवेदनशील है। किसानों को कुछ रियायतें भी दी गयी हैं। कर्ज माफी पहली बार शुरू की है। इन सब बातों के होते हुए भी किसानों के काम आने वाली कुछ चीजों के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मंत्री महोदय आप किसानों को कभी कभी कुछ सब्सिडी भी देते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें तो आप एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। कृषि के काम आने वाले जो आदान हैं उसमें सारे देश के किसानों को जो सुविधा मिल रही है वह राजस्थान के किसानों को नहीं मिल रही है। ऐसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

फर्टीलाइजर को ही ले लें। फर्टीलाइ–

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जर उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान ही एक एसा प्रदेश है जहां फर्टीलाइजर पर चुंगी है। हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में चुंगी नहीं है। यह किस खुशी में आपने किसान पर चुंगी लगा रखी है जिसका भुगतान किसान को करना पड़ता है और तो और यदि हम सैल्स टैक्स का हिसाब देखें तो देश के तीन चौथाई प्रदेशों में सैल्स टैक्स नहीं है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, केरल और असम में नहीं है। बाकी जिस जगह पर फर्टीलाइजर पर सैल्स टैक्स है वे गिनती में दो चार प्रदेश हैं। उनमें भी मध्य प्रदेश में तीन प्रतिशत है, हमारे राजस्थान में 6 प्रतिशत है। सभापति महोदय, इस फर्टीलाइजर के माध्यम से राजस्थान के किसानों से आप पांच करोड़ से ज्यादा पैसा चुंगी और सैल्स टैक्स के नाम पर ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें कि जब इस फर्टीलाइजर पर सारे देश में चुंगी नहीं है तो राजस्थान में क्यों है ? देश के तीन चौथाई प्रदेशों में सैल्स टैक्स नहीं है और हमारे यहां जो सैल्स टैक्स हैं वह सारे प्रदेशों में जितना सैल्स टैक्स है उससे दुगना है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा फर्टीलाइजर के विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि फर्टीलाइजर में राजस्थान में जो पूर्व सरकार रही है उसे डी. ए. पी. में गुजरात फर्टीलाइजर की मोनोपोली बना रखी है। दूसरी कोई कम्पनी न होने के कारण यह मनमाने भाव पर बेचती रही है। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि पूर्वी राजस्थान की पैदावार पंजाब में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है। मैं कहता हूं कि फर्टीलाइजर भी वह दूसरे प्रदेशों से ले रहा है। यदि आपके प्रदेश से लेता है तो सैल्स टैक्स जो आपने लगा रखा है वह आपको मिलता। लेकिन हमारा गंगानगर का किसान पंजाब से ले रहा है और हमारे कोटा का किसान मध्यप्रदेश से ले रहा है। क्यों ले रहा है ? आपने कभी इस पर विचार किया ? आज वहां पर पचास किलो का यूरिया और डी.ए.पी. का कट्टा राजस्थान में जो भाव है उससे 15 रुपये कम पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ? क्योंकि वहां कई कम्पनी प्रतियोगिता में हैं। आज मध्यप्रदेश में 10 कम्पनी डी.ए.पी. की हैं, उत्तरप्रदेश में तो सर्वाधिक हैं। तो इस प्रतियोगिता के कारण फर्टीलाइजर पर रिबेट मिल रही है और राजस्थान में रिबेट नहीं मिल रही है क्योंकि एक कम्पनी की मोनोपोली गुजरात फर्टीलाइजर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने दो कम्पनियों को यहां इन्वाइट किया है। बी. पी. एल और स्पीक दो कम्पनीज के आने से वे 50 किलो के कट्टे पर गुजरात फर्टीलाइजर के मुकाबले 10 रुपये कम लेगी। गुजरात फर्टीलाइजर ने मोनोपोली होने से टाइम पर कृत्रिम अभाव क्रियेट किया ताकि उसे रिबेट न देनी पड़े जबकि हर कम्पनी रिबेट देती है पर गुजरात फर्टीलाइजर्स ने योजना पूर्वक रिबेट न देनी पड़ जाये इसके लिए कृत्रिम अभाव पैदा किया और किसानों को लूटा। आज यहां दो कम्पनी और आ गयीं हैं जिसके कारण उनमें प्रतियोगिता

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हो रही है जिससे किसानों को सस्ती खाद मिलेगी।

मैं आपसे और आग्रह करना चाहूंगा कि आप और कम्पनियों को यहां इन्वाइट करें, उनको सुविधा दें, एक कम्पनी की मोनोपोली को तोडें तो राजस्थान के किसानों को 10-15 रुपये कम प्रति कट्टा फर्टीलाइजर मिल सकता है।

एक सैकण्ड फ्रेंड है जिसको एफ.आई.सी.सी. तय करती है। सारे देश में सरकारें 52 रुपये प्रति टन सैकण्ड फ्रेंड देती है लेकिन राजस्थान की सरकार 21 रुपये देती है यह भी किसानों पर सीधा पड़ता है। यदि आप इसका हिसाब लगायें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मंहगा फर्टीलाइजर मिलता है।

आप यदि किसान को अन्य सुविधायें ज्यादा न भी देना चाहें तो फर्टीलाइजर पर जो सुविधा अन्य प्रदेशों में है, उतनी तो कम से कम दें। जो कुठाराघात किसान पर अभी हो रहा है उस पर ध्यान देंगे तो किसान को इससे राहत मिलेगी। यह कम्पनियों की मोनोपोली तोड़े। आज किसान यह विचार करता है कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में फर्टीलाइजर सस्ता है और क्या कारण है कि पंजाब में फर्टीलाइजर सस्ता है और राजस्थान में मंहगा है? इसके पीछे यही भाव है।

सरकार ने जानबूझकर अभी तक एलोकेशन नहीं किया है, टाइम पर नहीं किया ताकि जब फसल बोई जाते तो इसका अभाव क्रियेट हो। मैं चाहूंगा कि इस फर्टीलाइजर पर ध्यान देवें तो किसान को 15 रुपये कट्टे कम पर फर्टीलाइजर मिल सकता है।

इसी प्रकार बीज की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, सीड कार्पोरेशन की स्थापना हुई है किसानों को अच्छा बीज बहुतायत से मिलने के लिए। एग्रीकल्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि सीड कार्पोरेशन्स इसलिए स्थापित किये जा रहे हैं कि अधिक से अधिक किसानों को अधिक से अधिक अच्छा बीज मिले। यदि अच्छा बीज होगा तो 10-15% उपज बढ़ सकती है। लेकिन हमारे यहां सीड कार्पोरेशन क्या कर रहा है? मैं समझता हूं कि बड़े अपशुगन में इसकी स्थापना हुई है। हमारे राजस्थान के सीड कार्पोरेशन पर बार-बार यह आपत्तियां हुई हैं कि वह बीज अच्छा नहीं देता है। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले माननीय सदस्य मदान साहब ने प्रस्ताव रखा था कि 12 किलो सीड दिया जा रहा है 16 किलो के नाम पर। वह थैला ऐसा है कि उसमें 16 किलो बीज आ ही नहीं सकता है पर उस पर 16 किलो लिखा हुआ है। अब मैं आपको अभी की सूचना देता हूं। यह कल की सूचना है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सोयाबीन के लिए नया बीज मंगाया पंत नगर से पी.के. 472 और यह राजफैड और सीड कार्पोरेशन दोनों ने मंगाया और बांट दिया। उसका 10 प्रतिशत ही जनरेशन हुआ, 90 प्रतिशत बीज नहीं उगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह किन के दिमाग

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की उपज थी कि पंतनगर से पी.के. 472 बीज मंगाया। बिना एक्सपेरिमेण्ट किए इतना बीज मंगा डाला और किसानों को दिया और उससे किसान तबाह हो गये। क्या आपके पास फार्म्स नहीं हैं ? इसलिए सभापति महोदय, जिस बीज को हम राज-स्थान में चलाना चाहते हैं उसकी एक साल पहले ट्रायल ली जाय, ट्रायल लेकर देखा जाय कि वह बीज चलेगा या नहीं चलेगा। अंधाधुंध आपने पी.के. 472 बीज मंगा लिया। जब मैंने पूछा अधिकारियों से पूछा कि यह बीज उग क्यों नहीं रहा है तो जवाब देते हैं कि यहां की मिट्टी सख्त है। बीज बोने के बाद पानी गिर गया, बीज नहीं उगा तो यह पहले आपको पता नहीं था कि यहां की मिट्टी सख्त है। आपने क्यों बीज मंगाया, और आज जो किसान बरबाद हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह किसके दिमाग की उपज है कि बिना एक्सपेरिमेन्ट किये, बिना ट्राई लिए ही बीज यहां आ गया। यह पहली बार नहीं हुआ है, अनेक बार हुआ है। सभापति महोदय, इसी सदन में मैंने एक बार 40 लाख रुपये के संकर ज्वार का मामला उठाया था। जो मध्यप्रदेश से, आंध्र और गुजरात से लाया गया था। 40 लाख रुपये में बीज स्टॉर्च फैक्ट्री को बेचा गया। सीड कार्पो-रेशन को डायरेक्ट लोस हुआ लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि इसमें अधिकारी इनवोल्व होते हैं तो मेरा यह निवेदन है सभापति महोदय कि बीज के मामले में जो धांधली हो रही है, यह लक्ष्य नहीं होनी चाहिये। यह अक्षम्य अप-राध है। पिछले साल जो संकर ज्वार का बीज आया सभापति महोदय, वह संकर ज्वार का बीज बोया और जब उसमें भुट्टी आयी तो देशी ज्वार की आई। यह एक नये प्रकार का बीज पैदा हुआ और बोओ तो कैसा और उसमें भुट्टी आई कैसी। उसका हल्ला मचा। मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक परिपाटी तो डाली, कम से कम कि किसानों को मुआवजा देना शुरू किया। दिया कितना है। बीज का 5 गुना, लेकिन शुरू हुआ। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों को मुआवजा तो देना शुरू किया। तो यह जो सीड कार्पोरेशन में ज्यादती किसान के साथ हुई है, यह अक्षम्य है। इसमें किसने किया है, किसके दिमाग की उपज है, यह बात देखी जानी चाहिये। सभापति महोदय राजस्थान में किसानों को कितना बीज किस किस किस्म का चाहिये, इसका अनु-मान हमारे विभाग ने लगाया होगा। उसके अनुपात में सीड कार्पोरेशन कितना बीज पैदा करता है। आज भी हम बाजरे का बीज बाहर से मंगा रहे हैं। सीड कार्पोरे-शन के पास आज फार्म्स हैं, लेकिन उन फार्म्स में हम बीज नहीं उगा पाते। मैं कहता हूं आपने भागीरथ योजना शुरू की है। सभापति महोदय, यदि माननीय मंत्री जी इन सारे भागीरथों को केवल सीड कार्पोरेशन में लगा दें, और अच्छा बीज यदि हम पर्याप्त मात्रा में पैदा कर दें तो राजस्थान की उपज 15 प्रतिशत वैसे ही बढ़ जायेगी। लेकिन आज सीड कार्पोरेशन में कैसे लोग लग रहे हैं ? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, किसान हूं, सभापति महो-दय, इसलिए इनको भागीरथ नहीं कहा जा सकता है। गाड़ी चला रहे हैं, जो उद्योग चल रहे है, वह चल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहे हैं। आज यदि हम सोयाबीन का बीज देखेंगे तो पीली में काला मिलेगा। आज इतने लार्ज स्केल पर सोयाबीन होने के बाद भी····

श्री परसराम मदेरणा : आप तमाम भागीरथों की बात कर रहे है। लेकिन भागीरथों की संख्या क्या है, जिन्होंने अपनी सर्विसेज़ आफर की हैं, संख्या का कुछ पता है क्या आपको? आप तमाम को सीड कार्पोरेशन में लगा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भागीरथ तो विरले ही चाहिये. माननीय सदस्य, भागरथ ज्यादा नहीं होते। एक ही भागीरथ ने अपना नाम कमाया है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं वह एक भागीरथ नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भागीरथ अगर ज्यादा हो जायेंगे तो भागीरथ का महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस योजना में जो स्वतः सेवाएं देना चाहते हैं, वही कई भागीरथ हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वही याद आ गया, तो मैं यह कह रहा हूं कि यदि यह इन्वाइट करें कि सीड़ कार्पोरेशन में स्वेच्छा से कौन-कौन आना चाहते हैं, वही भागीरथ हैं। ऐसे लोग कम हैं डिपार्टमेण्ट में जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी की टीम बहुत अच्छी है। उनकी टीम कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती है, सिन्सीयर है, ओनेस्ट है लेकिन यह कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता होगा। यदि सीड कार्पोरेशन पर ध्यान देकर अच्छा बीज हम पैदा कर दें तो हम अपने प्रदेश की उपज बढ़ा सकते हैं। जब पिछली बार जो ज्वार हुई, जो पिछले साल की बच गई थी, उनको बीज देना चाहते हैं। रिवैलीडेशन में सारी फेल, मैं सोचता हूं कि जब पिछली बार ही फेल हो गई, इस बार तो चूंकि रिवैलीडेशन में हल्ला मच चुका था, इसलिए फेल हो गयी। वरना तो सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी मोहर लगा रही है और दुर्भाग्य एक और है सभापति महोदय, कि सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी अलग नहीं है, सीड कार्पोरेशन अलग नहीं है। सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी और सीड कार्पोरेशन के चेयरमैन एक ही हैं। अलग-अलग संस्थाओं का अलग-अलग उत्तरदायित्व होना चाहिये। यह स्वायत्तशासी संस्थाएं अलग हैं लेकिन एक ही होने के कारण इनमें जो सुधार आना चाहिये, वह सुधार अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहा है। जो भी बीज आता है, सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का ठप्पा लग जाता है। फिर वह बीज चाहे मूंग की जगह उड़द का आ जाये, कोई इसमें कार्यवाही नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें बीज प्रमाणीकृत संस्था का ठप्पा लग जाता है। तो यदि हमने बीज पर ध्यान नहीं दिया, आज हम संकर ज्वार का बीच खराब ला रहे हैं, सोयाबीन का बीज ठीक नहीं आ रहा है और जब सोयाबीन इतनी हो रही है हमारे यहां सोयाबीन के लिए क्या रिसर्च हो रही है? कौनसी नई वैरायटी हमने राजस्थान के अनुकूल और यहां की परि-

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

स्थितियों के अनुकूल पैदा की है क्या ? वही पुराने जमाने की चल रही है। और प्रदेशों में कई-कई वैरायटीज निकल गई, लेकिन यहां कुछ पता नहीं है कि इसके एक्सपेरिमेण्ट कहां हो रहे हैं। हमारे यहां दो रिसर्च फार्म हैं। एक यूनिवर्सिटी का, एक डिपार्टमेण्ट का। दोनों आपस में लड़ते हैं। वह कहते हैं कि यह वैरायटी ठीक है, वह कहते हैं कि नहीं यह ठीक नहीं है, हम कहते हैं यह ठीक है। वह दोनों यह तय नहीं कर पाते किसान....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बैठ जाऊं।

श्री सभापति : नहीं आप बोलें। लेकिन मुझे जो व्यवस्था दी गई, उसके हिसाब से दस मिनट बोलना है और आप करीब 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको व्यवस्था कौन देता है ?

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं वह तो आपका इन्टरनल ब्रेक है, व्यवस्था नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे अपने बीजों के सम्बन्ध में चाहे संकर ज्वार का हो, चाहे सोयाबीन का हो, फैसला करते समय, थ्रेशिंग के समय कोई इंस्पेक्शन की व्यवस्था करें। मुझे जैसा मालूम पड़ा है, उससे ठीक से बीज आ पायेगा। सीड कार्पोरेशन केवल प्रोफिट कमाने के लिए नहीं है, प्रोफिट तो उसमें कभी नहीं होगा। क्योंकि कितना भी प्रोफिट कमायें, जिस दिन एक अधिकारी के मन में बेईमानी आ जायेगी, वह सारे सीड कार्पोरेशन को चाट जायेगा। जैसा पहले एक बार एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने सारे सीड कार्पोरेशन को खा लिया। मैंने इसी विधान सभा में उन पर आरोप लगाया था। 40 लाख का एक इन्क्वायरी कमीशन बैठा था लेकिन एक आई. ए. एस. के खिलाफ कौन इन्क्वायरी कर सकता है, उसका नतीजा वही हुआ। मुझे बयान देने के लिए बुलाया। मैंने बयान दिया। बयान में लिखा कि He is personally responsible, कि इसने किसानों को बरबाद किया है। 40 लाख रुपये का नेट लोस सीड़ कार्पोरेशन को दिया। लेकिन एक आई. ए. एस. के खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं हो सकती। यही सीड कार्पोरेशन में हो रहा है। नो प्रोफिट, नो लोस पर आप बीज दें, आप प्रोफिट कम लें। बीज ज्यादा देंगे तो भी प्रोफिट उतना ही होगा। तो सीड कार्पोरेशन में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने कुछ पैदावार बढ़ायी। आज कोई सोयाबीन का बीज मांगने जाय तो सोयाबीन का बीज नहीं देते हैं। सारा मिनिकिट्स में में दे देते हैं। यह मिनिकिट्स किस बला का का नाम है ? लोग समझते हैं कि दान की गाय के कोई दांत तो देखता नहीं है। इनके मिनिकिट्स चाहे जहां खराब से खराब जगह हो फेंक देते हैं। हम कहते हैं कि आप इस सब्सिडी को अन्य प्रदेशों में जो सरकार सुविधा दे रही है फर्टिलाइजर में, बीज में, वही आपको सब्सिडी देनी चाहिए। आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, लार्ज स्केल का बीज दीजिए आपको प्रोफिट उतना ही हो

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जायेगा। परन्तु यह बीज वितरीत नहीं कर कर सकते। आज कोई सोयाबीन का बीज मांगे तो वह सोयाबीन का बीज हमको नहीं दे सकते हैं। एक आश्चर्य की बात और है, मैंने उनका आय-व्ययक पढ़ा है उसमें उन्होंने सोयाबीन का क्षेत्रीयकरण कर दिया। कभी इन्होंने विचार किया कि 1.60 लाख हैक्टेयर में पैदा करेंगे और 1.60 लाख टन ही करेंगे। अब यह अपनी 1988–89 की पैदावार बता रहे हैं। 1.06 लाख हैक्टेयर में 1.23 लाख टन हुआ है। तो इनको कोई अकाल की सम्भावना हो गयी जो इन्होंने पैदावार कम कर दी या क्या हुआ ? सोयाबीन जैसी फसल में 46 प्रतिशत प्रोटीन होता है। यह आदमी के लिए बहुत अच्छी है, इसकी खल जानवर के लिए बहुत अच्छी है। इस सोयाबीन की फसल पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, यही मेरा निवेदन है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए और रिसर्च से यह नतीजा निकलना चाहिए कि यहां की आबोहवा के लिए, यहां के क्लाइमेट के हिसाब से कौनसा प्रोडक्शन यहां ठीक रहेगा।

सॉइल सैम्पल की बात है, सॉइल के सैम्पल यहां कितने लिये जाते हैं ?

कई किसान ओवरडोजिंग कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, फास्फेटिक फर्टिलाइजर ज्यादा जमा हो रहा है खेतों में। आपके ए. ई. ओज. को आप कोई किट्स दे दीजिए। यह गांवों में दौरे पर जाते हैं, तुरन्त मिट्टी का परीक्षण कर लेंगे और किसान को बतायेंगे। एक बार प्रवृत्ति पड़ गयी तो फिर किसान अपने आप यह काम करने लग जायेगा, अपने आप वह किट्स ले लेगा। लेकिन एक बार उनको इस विषय में जानकारी दीजिए। किसान अभी इसके महत्व को समझा ही नहीं है। ओवरडोजिंग से जमीन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। आप क्या भूल गये ग्रीन मेनूरिंग ? आप क्या भूल गये गोबर का खाद ? एक बार पहले तो गोबर का खाद इतना बना था, इतने गड्ढे हो गये थे जितनी राजस्थान में जमीन ही नहीं थी। लेकिन आज गोबर की खाद की बात ही नहीं है, आज ग्रीन मेनूरिंग की बात ही नहीं। बस फर्टिलाइजर चल रहा है और फर्टिलाइजर का ओवरडोजिंग हो रहा है जिससे जमीन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। जमीन ज्यादा से ज्यादा सख्त होती चली जायेगी और पैदावार के ऊपर उसका असर पड़ेगा, यह विदेशों में सिद्ध हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत विषय हैं लेकिन अब समय नहीं है। लेकिन फिर भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में डाइरेक्टर एग्रीकल्चर टेक्निकल क्यों नहीं है ? एक बार कमेटी की मीटिंग में जब डिपार्टमेण्ट को एग्जामिन कर रहे थे, तब यह बात पूछी गयी थी। तब कहा गया था कि इनके केसेज चल रहे हैं हाईकोर्ट में इसलिए नहीं हैं। आज वह केसेज भी खत्म हो गये। मैं कहता हूं कि यदि आप यह समझते हों कि यहां कृषि विभाग में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है डाइरेक्टर के लायक, और चूंकि डाइरेक्टर टेक्निकल आदमी ही होना चाहिए तो यहां नहीं है तो हिन्दुस्तान भर में तो होगा। आप पोस्ट एडवर्टाइज कर दीजिए लेकिन आप टेक्निकल डाइरेक्टर यहां लाइये। मान्यवर, एक इंजीनियर इरिगेशन का सैक्रेटरी हो सकता है, एक इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी.

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

का सैक्रेटरी हो सकता है तो क्या एग्रीकल्चर का कोई डाइरेक्टर बनने लायक भी नहीं है, सैक्रेटरी तो छोड़ दीजिए ? मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस बात को देखें, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा टेक्निकल आदमी राजस्थान में एग्रीकलचर का डाइरेक्टर बनकर आना चाहिए। आज एग्रीकल्चर डाइरेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर सैक्रेटरी आते हैं। दो साल रहे और चले गये, उन्होंने कोई योजना बनायी, पीछे से कोई पता नहीं। एक टेक्निकल आदमी रहेगा तो उसका लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न किया था, सभापति महोदय, बस दो मिनट, कि कितने लोग कृषि उपज मण्डियों में 14 साल से डेली वेजेज पर काम पर चल रहे हैं। बड़े गर्व से माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में मुझे लिस्ट दे दी बहुत बड़ी। 14 साल से 14 रुपए रोज में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। वह फोर्थ क्लास हैं, फोर्थ क्लास में भर्ती हो रही है लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। यह एक बड़ी ज्यादती है, मानवीय दृष्टिकोण से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डेली वेजेज पर ऐसे जितने आपके यहां काम कर रहे हैं उनको आप रेगुलर करें।

सभापति महोदय जिले की मण्डी है, जिले का सारा माल वहां आता है। जिले की मण्डी तो पैसे से भरपूर हैं और आसपास की मण्डियां कमजोर हैं। इससे विकास का क्षेत्रीय सन्तुलन बिगड़ रहा है। आज कोटा की मण्डी का यह हाल है, माननीय सदस्य, कोटा की मण्डी क्षेत्र के हैं। एक तहसील उसका क्षेत्र है। इनकी तहसील में एक भी गांव नहीं बचा जहां डामर की सड़क नहीं गयी हो। मेरी तहसील इनसे जुड़ी हुई है, मेरी तहसील का 80 पर्सेण्ट माल इनकी मण्डी में आता है लेकिन मेरी मण्डी आज तक एक किलोमीटर सड़क नहीं बना पायी। यह क्षेत्रीय सन्तुलन बिगड़ रहा है। इस विषय में विचार किया जाय। जिले की सभी मण्डियों का पूल करके उनमें समान वितरण होना चाहिए। या फिर माल का हिसाब लगाइये कि जिस क्षेत्र का माल आया, मण्डी शुल्क का पैसा वहां लगे। इस विषय में कोई न कोई विचार किया जाना चाहिए। या छोटी मण्डियों को तोड़कर उनका सब-यार्ड बना दीजिए। लेकिन एक मण्डी मालामाल हो जाय और एक मण्डी में एक किलोमीटर की सड़क भी न बने, सभापति महोदय, यह अन्याय है उनके साथ।

माननीय सभापति महोदय, कुछ एक बात थोड़ी कड़वी भी कहना चाहूंगा। मण्डी टैक्स राजस्थान में सबसे कम है। यदि मण्डी टैक्स ठीक हो जायेगा यहां तो मण्डियों के पास जो पैसा आयेगा वह सड़क या किसी और विकास में काम आयेगा, हम यह देखें। मैं जहां यह मांग कर रहा हूं कि जो सुविधायें हरियाणा, पंजाब व मध्य प्रदेश में मिल रही हैं वहीं सुविधाएं यहां के किसानों को मिलें तो मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि यदि वहां मण्डी टैक्स ज्यादा है तो यहां भी मण्डी टैक्स आप बढ़ा दें ताकि गांवों का विकास हो सके।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

एक, कर्मचारियों के प्रमोशन की बात थी जो आप डिपार्टमेण्टल प्रमोशन करते हैं। 10 पर्सेण्ट की बात है। वह भी ग्रेजुएट हैं। उनका कोटा यदि आप 10 पर्सेण्ट से बढ़ाकर 20 पर्सेण्ट कर दें तो उन कर्मचारियों के साथ न्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय आपकी भृकुटि को मैं समझ रहा हूं। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस केवल इतना आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने छोटी छोटी बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है कोई बड़ी योजना लाकर किसानों को बहुत अनुदान वगैरह की बात नहीं कर रहा। जो कुछ स्ट्रक्चर है उसमें फर्टिलाइजर सस्ता कैसे मिले बिना अनुदान दिये, बीज अच्छा कैसे मिले, और सुविधाएं कैसे हों। हमारे माननीय जगमाल सिंह जी बोले थे पानी की बात वैसे तो ऐसा है कि सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पी. एच. ई. डी. और बिजली विभाग—इनकी कोई एक ऐसी कमेटी बने। आपने गन्ना उत्पादन का इसमें लक्ष्य बताया कि इस साल आप ज्यादा गन्ने का उत्पादन कर लेंगे। हमारे केशोरायपाटन में तो 60 प्रतिशत गन्ना ही नहीं रहा। जब नहरों में पानी नहीं दिया तो क्या यह कृषि विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो किसान ट्यूबवैल लगा रहा है उस पर बिजली का कनेक्शन मिले? क्या किया विभाग ने इसके लिए? यदि वहां बिजली का कनेक्शन मिल जाता तो उनका गन्ना खड़ा रहता। नहर में पानी नहीं होने के कारण 40 प्रतिशत गन्ना सूख गया और आप कह रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन इस साल हम बढ़ा लेंगे। इन विभागों का कुछ ऐसा कोआर्डिनेशन होना चाहिए, जो किसान के बारे में सोच सके, जिससे किसान का हित हो। इस विषय में सोचने की, माननीय मंत्री महोदय, आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वह सिंचाई से सम्बन्धित हो, चाहे वह कोआपरेटिव से सम्बन्धित हो और चाहे वह बिजली से सम्बन्धित हो। बस मैं इतना ही कहकर अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : बारां से, आने वाले माननीय सदस्य साइकेट्रिस्ट दिखते हैं क्योंकि वह आपकी भृकुटि को समझ लेते हैं। मैं समझा नहीं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी से। सम्माननीय कृषि मंत्री जी, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि भारत सरकार ने लांग टर्म एग्रीकल्चर पालिसी निर्धारित की है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भूमि के ऊपर देश की 80 फीसदी जनता अपना जीवनयापन करती है, लेकिन भूमि का स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है इसलिए शनैः शनैः उसको 50 फीसदी किया जाय। क्या वह लांग टर्म पालिसी आपको प्राप्त हो गयी है? आपने जो निष्पादन आय-व्ययक आज वितरित किया है उसमें उसकी कोई झलक मिलती नहीं है अगर नहीं मिली है आपको या वह पालिसी अण्डर-फ्रेम है तो क्या राजस्थान में भी इस प्रकार की लांग टर्म पालिसी निर्धारित करने का राज्य सरकार ने विचार किया है? जैसा कि माननीय मंत्रीजी, आपके साथी ने इण्डस्ट्रियल पालिसी की सूचना हमें भेजी है कि आपके कोई सुझाव या परामर्श हों तो आप दे सकते हैं। इस

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार की शार्ट टर्म और लांग टर्म इण्डस्ट्रियल पालिसी है वह दो-तीन दिन पहले हमको उद्योग मंत्रीजी ने वितरित की है। क्या भारत सरकार की कृषि नीति आपको प्राप्त हो गयी है ? हो गयी है तो राज्य सरकार कोई इस राज्य की कृषि-नीति बनाने का विचार रखती है ?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं वैसे विस्तार से जवाब दूंगा तब सारी बात आपको बतला दूंगा। पर अभी राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रश्न है, वह हमको प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राज्य की एक कृषि नीति बनाने जा रहे हैं। उसके सम्बन्ध में अपनी चर्चा के दौरान बता दूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप घण्टी बजाने का कष्ट नहीं करें। मैं अपनी बात समय के अन्दर ही समाप्त करने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं इसलिए अगर कोई विशेष समय लूंगा भी तो आप देख लें।

सभापति महोदय, आज जिन दो मांगों पर चर्चा हो रही है वह देश के उस वर्ग से सम्बन्धित है जो वास्तव में देश का मालिक है। हमारे देश के अन्दर 80 प्रतिशत आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसान समृद्ध है, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, देश का विकास होगा और देश में खुशहाली भी बढ़ेगी। किसान की खुशहाली के साथ ही देश की खुशहाली जुड़ी हुई है।

इसलिए उस वर्ग का हम समुचित ध्यान रखकर और उसको किसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाए, इसी में हमारे देश का हित है। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या है कि किसान जो वास्तव में देश का मालिक है और जिस पर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है वो हमेशा शोषित रहा है, पीड़ित रहा है और उसका शोषण होता रहा है। इस शोषण से बचाने के लिए देश की आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया। सहकारिता आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे एक और उद्देश्य था जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन में की गयी है कि सहकारिता के प्रसार से किसान के जन-जीवन को शोषण और उत्पीड़न से राहत पहुंचाने की दिशा में योगदान करना है। लेकिन सहकारिता आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उसका उद्देश्य था कि किसान का जो शोषण वहां के महाजन से या तथाकथित बनिए समाज से हो रहा है उससे राहत दिलाए और उसको अन्य आवश्यकताएं दी जानी चाहिए जिससे उसकी खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सस्ता बीज मिलना चाहिए, उसको सस्ता खाद मिलना चाहिए। ये सारी बातें नहीं होने के कारण सहकारिता आंदोलन की नींव पड़ी और राजस्थान ने भी इस दिशा में काम किया।

आज बहुत कुछ अपनी आर्थिक दृष्टि से अर्थ के मामले में और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से हमारा किसान सहकारी संस्थाओं

(श्री जीतमल जैन)

पर निर्भर है । राजस्थान का ही नहीं भारत का किसान भी इन संस्थाओं पर निर्भर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिस वर्ग को शोषण से बचाना चाहते थे वो शोषण से नहीं बच पाया । आज चेहरे जरूर बदल गए, शक्लें जरूर बदल गई लेकिन उस किसान का शोषण और उत्पीड़न आज भी निरन्तर बना हुआ है । आज भी सहकारिता आंदोलन के माध्यम से और उन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो कुछ हम उसकी सेवा करना चाहते थे वो सेवा नहीं कर सके । कारण यह है कि हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं वो स्वावलंबी नहीं बन सकी और किसान का शोषण निरन्तर होता जा रहा है और वास्तव में आज हमारी सारी सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार का एक केन्द्र बन गई हैं। उनकी चर्चायें आए दिन समाचार पत्रों में होती रहती हैं। आज माननीय सदस्य इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस सदन के अंदर भी सहकारिता आंदोलन के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर बहुत सारी चर्चा हो सकती हैं। सन् 1977 से 1980 के बीच में जब राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय इस विषय के ऊपर सहकारिता आंदो-के विषय में और गंभीर चिन्तन····

श्री परसराम मदेरणा : क्या ये सारी संस्थाएं भ्रष्ट हैं ?

श्री जीतमल जैन : नहीं, नहीं सारी संस्थाएं नहीं हैं । इसके अंदर ···

श्री परसराम मदेरणा : माननीय रेवेन्यू मंत्री जी जानते हैं क्या सारी संस्थाएं भ्रष्ट हैं ? को-ऑपरेटिव सैक्टर में एक लम्बे अर्से से काम कर रही ये सारी संस्थाएं भ्रष्ट नहीं हैं ? हो सकती हैं····(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : हो ही नहीं सकती । सहकारिता आंदोलन के अंदर जो भ्रष्ट तत्व घुस गए हैं और उसके कारण जो संस्थाएं बदनाम हो रही हैं उसके कारण सारा सहकारिता आंदोलन बदनाम हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : कोई क्षेत्र आपने छोड़ा हीं नहीं जो अछूता रहा हो ।

श्री जीतमल जैन : वास्तव में संस्थाएं भ्रष्ट नहीं हैं । उनमें काम करने वाले और उनसे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति भ्रष्ट हैं उसके कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई । उस समय कुछ विचार किया गया था जिससे सहकारिता आंदोलन ठीक प्रकार से चल सके । इसके लिए कुछ बातें तय की गई थी। उस समय सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे लेकिन 1980 में सरकार जाने के कारण उन निर्णयों की क्रियान्वित नहीं हो सकी ।

हमारे जितने भी शीर्ष और केन्द्रीय तथा भूमि विकास बैंक हैं जिनसे हमारे किसान को कर्ज मुहैया होता है उसके अंदर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जो सहकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इन सारी प्रतिनियुक्तियों को समाप्त किया जाय और एक कॉमन कैडर बनाया जाए । इस संबंध में हजारी रिपोर्ट एवं बी. एल. मेहता कमेटी की रिपोर्ट ने भी एक बात कही थी कि इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करना चाहिए । बी. एल. मेहता कमेटी ने लिखा था कि सहकारी संस्थाओं में प्रति-नियुक्ति पर कर्मचारी लगाना संस्थाओं की

(श्री जीतमल जैन)

स्वायत्तता के अनुकूल नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि उधार के लिए धन तो कारोबार चलाए लेकिन उधार लिए हुए व्यक्ति से नहीं चलाएं। यानि हम धन तो उधार लेकर चलाए लेकिन धन दिया हुआ व्यक्ति नहीं। अतः प्रतिनियुक्ति की जो बातें हैं उनको इस बारे में वर्तमान सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

यदि हमें इन सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता रखनी है तो हमें निश्चित रूप से जो प्रतिनियुक्तियों की बात है उसको समाप्त करना चाहिए। एक मांग सर्वमान्य भारत सरकार ने इस देश में स्वीकार किया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अन्तर होना चाहिए लेकिन सहकारी संस्थाओं के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक व्यक्ति के हाथ में होने के कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार को जन्म देने का यह कारण बना हुआ है। इस संबंध में माननीय शोभाराम जी जो कभी इस प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहे उन्होंने भी इस बात को कहा, सहकारी संस्थाओं के संबंध में अपने सुझाव के अन्दर कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सिविल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जानी चाहिए कि जो सिविल और क्रिमिनल केसेज को निपटाया करे। बाकी सहकारी विभाग से आने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो केवल कार्यपालिका तक उनका अधिकार सीमित रखा जाय।

तीसरी बात, जो उस समय सुझाव आए थे वो सुझाव बहुत हैं लेकिन मैं मुख्य-मुख्य सुझावों की चर्चा करना चाहूंगा। इस सारे नियम, अधिनियम के अंतर्गत एक नियम बना था कि जो चार्टर्ड आकउन्टेंट हैं उनके थ्रू आडिट कराया जाना चाहिए। लेकिन आज तक इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हम चाहते हैं कि निष्पक्ष आडिट हो और इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ सकें, सरकार उनको दूर कर सकें इसलिए चार्टर्ड अकाउन्टेंट के माध्यम से आडिट होने के बात सामने आनी चाहिए और मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउन्टेंट वाले नियम को सख्ती से लागू करके इन संस्थाओं में होने वाली अनियमितताओं को रोकने का प्रयास करें।

अब भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, आपके सामने लाना चाहूंगा। वैसे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, साथ में मैं सहकारिता मंत्री जी का भी आभारी हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। सहकारिता मंत्री जी ने जयपुर के अंदर और गृह निर्माण सहकारी समितियों का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है और मैं उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता लेकिन हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। इसके संबंध में मैं आपसे एक-दो उदाहरण आपके सामने लाना चाहूंगा जिससे हमें पता लगे कि हमारे यहां भ्रष्टाचार किस सीमा तक व्याप्त हो गया है।

(श्री जीतमल जैन)

माननीय सभापति महोदय, जालौर के अंदर राजस्थान कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने 10 लाख की जमीन को 51 लाख में खरीदकर 40 लाख रुपए का चूना सरकार को लगाया है। वहां पर एक कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति है। इस समिति ने और सायरा रोड के ऊपर 24 बीघा जमीन खरीदी। उस 24 बीघा जमीन को खरीदकर उसने 1000–1000 वर्ग गज के प्लाट काटकर 30–35 सोसाइटी के मेम्बर्स को अलाट कर दिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि जो 30 मैम्बर हैं सोसाइटी के वो बाहर के व्यक्ति न होकर उनके कुनबे के मेम्बर हैं, उनके मिलने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं। उनको यह जमीनें अलाट की गई, उनको यह अलाटमेंट हुआ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी से साहिला रोड सोसाइटी और जालौर सोसाइटी का नाम ले रहे हो वहां सेक्रेटरी कौन थे और उसके लिए हाउस में सदन के नेता ने प्रमाण-पत्र नहीं दिया कि वो बहुत ईमानदार हैं और अब ये सारी बातें सदन में कर रहे हैं लेकिन वो सेक्रेटरी कौन थे, यह भी आप थोड़ा सा बता दें तो।

श्री जीतमल जैन : आपकी जानकारी में है।

श्री रामनारायण वर्मा : वो तो रिकार्ड में है। (व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : इन सारे भूखण्डों का अलाटमेंट होने के बाद यही भूखंड उन व्यक्तियों से वापस कल्याण गृह निर्माण समिति से खरीद लिए और खरीदने के पश्चात् इस सारी जमीन को और हाउसिंग सोसाइटी को और राजस्थान कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 51 लाख रुपये में बेचा। इस प्रकार से उन्होंने लगभग 40 लाख रुपया का नुकसान राजस्थान सहकारी समिति को पहुंचाया। इसमें एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके रूपान्तरण के लिए कागजी कार्यवाही के लिए रूपान्तरण शुल्क की जमा खर्ची दिखाई गई उसके बाद उसकी खरीददारी दिखाई गई और उसके बाद खरीदी। कुल 60,000/– रुपये के अंदर जमीन खरीदी गई और 51 लाख रुपये में गई। आप आश्चर्य करेंगे जिस प्रकार यह जमीन बेची गई वह 170 रुपए वर्ग गज है जबकि जालौर के अंदर सामान्य भूमि का भाव रूपान्तरण भूमि का भाव 50 रुपया प्रति वर्ग गज है।

(3.00 म. प.)

इसी प्रकार से मुझे आश्चर्य होता है जोधपुर के अन्दर 170 रुपये गज के भाव से जमीन खरीदने का जब प्रस्ताव आया, तो मना कर दिया, 170 रुपये गज की भूमि जोधपुर के अन्दर तो दाम ज्यादा लगा लेकिन जालौर के अन्दर 170 रुपये गज की जमीन, यह भी आश्चर्य का विषय है। आबू नगर पालिका से भी इस प्रकार से रियायती दर से जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी लेकिन वह भी प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया जबकि जालौर के अन्दर 50 रुपये गज वाली जमीन को 170 रुपये गज के अन्दर हाउसिंग सोसाइटी को बेचा

(श्री जीतमल जैन)

गया। जब सोसायटी एग्जिस्टेन्स के अन्दर आ गई तो इसको समर्थन देने के लिए वहां के तत्कालीन कलक्टर, जो आज कल सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार हैं, +++ ने उसकी रिकमण्डेशन्स करके भेजा कि इस सहकारी समिति को रजिस्टर्ड करवाएँ। इस सहकारी समिति के लिये वहां से पत्र लिखा, इस पत्र के माध्यम से कहा कि सहकारी समिति को इस प्रकार की जमीन की स्वीकृति दे दी जाय। आश्चर्य की बात है कि +++ वह रजिस्ट्रार बने हैं। अगर वास्तव में मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि सहकारिता विभाग पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं न लगें तो इन +++ जैसे व्यक्ति को अपने विभाग से अलग करना पड़ेगा, इनके खिलाफ इन्क्वायरी करनी पड़ेगी। जब यह गृह निर्माण सहकारी समिति चर्चा में आ गई और वह कोर्ट में गई, तो आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, वहां की कोर्ट ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किये हैं। इसी प्रकार से वह +++ रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, सी. सी. बैंक में प्रशासक लगाए जाये और मामला कोर्ट में गया तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए। अभी अभी जो यह सारे जितने चुने हुए बोर्ड थे उन बोर्डों को अधिकार देने के लिये.... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके खिलाफ कुछ आरोप लगा रहे हैं। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 के तहत अगर उनको कोई इस तरह के आरोप लगाने हैं तो उसकी सूचना पूर्व में मंत्री महोदय को और स्पीकर साहब को देनी चाहिए और उनकी परमिशन के बाद ही इस प्रकार के आरोप लगाने चाहिए। इसलिए जो आरोप लगाए गए हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने कोई नोटिस दे रखा है?

श्री जीतमल जैन : मैंने कोई नोटिस नहीं दे रखा है।

श्री सभापति : तो आप बाई नेम नहीं लगायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री सभापति : यह पत्रावली मेरे पास लायें इनको एक्सपंज करवा देंगे।

श्री जीतमल जैन : इस सोसाइटी का काम केवल गृह निर्माण का था, उसको उस तक ही सीमित न रखकर इसने चारे की खरीद वगैराह की है। यह रेकार्ड मेरे पास है। क्या इस प्रकार की गृह निर्माण समिति को इस प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं? जो चारे का काम उसकी सीमा में नहीं आता है वह उसको दिया जाय?

+++ नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन खरीदी गई वह उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं थी, जमीन पहले खरीदी गई और सीमा क्षेत्रफल बाद के अन्दर बढ़वाया। इस प्रकार की अनियमितताएं इस गृह निर्माण समिति ने की हैं। इस सम्बन्ध में जब सारा मामला माननीय मंत्री महोदय के पास आया, तो मंत्री महोदय ने, क्योंकि जमीन रही नहीं, सारी जमीन हाउसिंग सोसाइटी को दे दी। इसलिये यह समिति वैसे ही भंग हो जानी चाहिए थी। डिफंक्ट हो गई थी, लेकिन मंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिए, लिक्विडेशन कर दी जाय। मैं उन अधिकारियों के नाम तो नहीं लेना चाहता, उसके अन्दर रजिस्ट्रार महोदय ने फिर एक पत्र लिखकर हमारे माननीय मंत्री महोदय को भ्रमित किया है और वह भी उसके भ्रम में आ गए। तो मेरा निवेदन करना है कि अगर वास्तव में मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, तो जो मुहिम चलाई है उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के जो लोग अन्दर आ गए हैं, जो सहकारिता आन्दोलन को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही तुरन्त करनी चाहिए और शीघ्र उनको बेनकाब करें और सहकारिता आन्दोलन पर जो धब्बे लगे हैं उनको आप मिटायें। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। पूर्वी राजस्थान में, अलवर कृषि के अन्दर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अलवर जिले के अन्दर एक कृषि विद्यालय स्थापित किया जाए ताकि किसानों और नागरिकों का उसका लाभ मिल सके। इतना ही मुझे भी निवेदन करना है।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कृषि की डिमाण्ड पर कुछ बात कहना चाहती हूं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी उसी केटेगिरी के अन्दर आता है। राजस्थान में टोटल आय का 45.50 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है और 80 प्रतिशत लोग इस राज्य के कृषि कार्यों पर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कृषि में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण यह रहा है कि जब जब नये बजट रखे जाते हैं उनमें कृषि को जितनी मदद देनी चाहिए उतनी नहीं दी जाती है। जो नई सरकार आई है उसने भी कृषि के लिये बजट के जो प्रावधान रखे हैं वह आवश्यकता से बहुत ही कम हैं। मैं इस बजट की आलोचना करना चाहती हूं और अपनी तरफ से थोड़े सुझाव देना चाहती हूं।

केन्द्र में बहुत से आयोग कृषि पर बैठे है और बहुत सी रिपोर्ट्स भी वहां से आती हैं। उन रिपोर्ट्स और आयोगों से जो हमें निर्देश/आदेश और बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं उनकी भी हमारा राज्य यदि अनुपालना करे तो हमारा कृषि का विकास जितना आज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। कृषि आयोग को जो भी

(श्रीमती रमा पायलट)

रिपोर्ट्स आई हैं उनमें सभी लोगों ने यह माना है कि हमारी कृषि में कुछ कमियां हैं, कृषि करने का हमारा तरीका गलत है, कृषि की हमारी जोत छोटी है। हालांकि इसमें बड़ा कारण जनसंख्या भी रहा है, लेकिन चूंकि आज जनसंख्या पर कोई ऐसा वाद-विवाद या बात-चीत करने का सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह सकती हूं कि कृषि को विकास के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा जनसंख्या की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।

साथ ही राज्य के अन्दर जो हमारी भूमि है वह भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है लेकिन उसके मायने यह नहीं हैं कि जैसी भूमि हमको प्राकृतिक रूप में मिली है उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और हम उसको अपनी खेती के रूप में नहीं ला सकते हैं या उसको ज्यादा उपजाऊ नहीं बना सकते हैं। ऐसी मिट्टी जो कृषि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है या जो उपजाऊ नहीं है उसको भी हम नई नई तकनीकों के द्वारा, अच्छे अच्छे अनुसंधान द्वारा उपजाऊ बना सकते हैं और इसमें जो पथरीली जमीन है वह भी बहुत सारी कृषि के कार्य में आ सकती हैं। जहां पथरीली जमीन हैं वहां हम गेहूं पैदा न करके नींबू के पेड़ आदि लगा सकते हैं, माल्टे के पेड़ लगा सकते हैं। इस तरह के लगाये हुए पेड़ों से किसानों को भी लाभ होगा और उसके साथ साथ राज्य सरकार को भी लाभ होगा।

इसके अलावा ऐसी मिट्टी जहां खेती न होती हो, उसमें यदि हम जिप्सम का उपयोग करें तो मैं समझती हूं कि उसको उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। लेकिन जिप्सम अपने खेत के अन्दर डालने की आज राजस्थान के किसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिप्सम की आज जितनी कीमतें बढ़ रही हैं उसको केवल बहुत बड़े जमींदार ही उपयोग में ले सकते हैं या वह उद्योग-पति, जिनके पास बड़े बड़े फार्मस हैं, और उन फार्मस के तहत काले बाजार से कमाये हुए पैसे को सफेद करते हैं, वह उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं इस सरकार से अनुग्रह करना चाहती हूं कि वह यदि जिप्सम की कीमत नीचे ले आए तो मीडियम किसान और छोटा किसान भी यह हिम्मत कर सकता है कि वह एक बीघा जमीन या दो बीघा जमीन, जो उसके पास है, उसमें जिप्सम डालकर उसको अपनी खेती के लिए उपयोग में ला सकता है। लेकिन चूंकि बजट छोटे किसानों के लिए, गरीब तबके के लिए, नहीं बनाया जाता है, बल्कि उद्योग-पतियों के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं नहीं समझती कि सरकार उस पर अपना ध्यान देगी, सोच पाएगी अपने किसान के लिए। हालांकि किसान के नाम पर सत्ता पक्ष आज बैठा है और किसान के नाम पर वोट भी लिए हैं। और मेरे ख्याल से किसानों के नाम से कोई वंचित है नहीं। मुख्य मंत्री के समेत सभी किसानों के रह-नुमा हैं। लेकिन फिर भी शायद ही वह इस बात पर गौर करेंगे कि जिप्सम की कीमत कम की जाय और उद्योग से हटकर उसको कृषि के लिए उपयोग में लाया जाए।

दूसरी बात, हमारी खेती में कमी का कारण है कि आज भी हमारा किसान

(श्रीमती रमा पायलट)

इतना पिछड़ा हुआ है, वह आज भी अपने पुराने उपकरणों से खेती का कार्य करता है। बैलों से, ऊंटों से, भैंसों से आज भी वह अपने खेत में हल चलाता है जबकि कहने के लिए हमारी तकनीकी भी बहुत ऊपर है। हम लोग भी विदेशों में अपने देश को किसी गिनती में रखते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे गांव का छोटा किसान यह हिम्मत नहीं कर सकता कि वह ट्रैक्टर से अपने खेत को जोत ले या उसमें वह अच्छी खाद डाल ले या उसको पानी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो। हर तरह से किसान को नेग्लेट किया गया है। किसान अपने हाथ से हल का निर्माण करता है, अपने आप वह ऊंट के बच्चे को पालकर बड़ा करता है, अपने आप वह भैंस के बच्चे को पालकर बड़ा करता है और उन्हीं से वह अपना हल चलाता है, अपने काम में लेता है और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। होसकता है कि गांवों में पंचायत घर में कभी वह टेलीविजन में यह देख ले कि खेती में बिजली से कैसे पानी आ रहा है और ट्रैक्टर कैसे चल रहा है। लेकिन उसकी सोच से यह बहुत दूर है, बहुत बाहर है। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जबकि उस किसान को सरकार भी वैसे का वैसा ही रखना चाहती है। अगर वैसे का वैसा नहीं रखना चाहती थी, तो सरकार को अवश्य ही कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिये था जिससे छोटे किसानों को भी जो आज नई तकनीकी शिक्षा और नये तकनीकी उपकरण दुनियां के अन्दर चले हुए हैं वह मिल पाते। हमारे देश में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े फार्म वाले हैं, उनके पास तो हैं। यदि ऐसी तकनीकी या ऐसी कोई बात निकाल पाती सरकार कि छोटे किसानों के लिए भी वह बीज मुहैया करा देती। जैसे उसमें कई रिपोर्ट्स भी हैं जिनके ऊपर हम अपनी छोटी जोत को बड़ा बना सकते हैं। एग्रीकल्चर रिपोर्ट आफ दी नेशनल कमीशन आन नेशनल सीड्स कार्पोरेशन 1963 में जब हुआ था तक उसमें यह साफ लिखा और माना गया था कि आक्ट्राय ड्यूटी, टैक्स और लोकल टैक्स यह किसानों के लिए नहीं होना चाहिये और किसान इससे एग्जेम्प्ट होना चाहिये। लेकिन आज भी किसानों के उपकरणों पर बराबर टैक्स है और वह भी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, दूसरे राज्यों से ज्यादा टैक्स है। इस हालत में कोई किसान कैसे उम्मीद कर सकता है कि वह अपनी एक बीघा जमीन में दस बीघा के बराबर गेहूं उगा सकता है। अपने हल के माध्यम से तो वह सोच ही नहीं पाता। वह तब सोच सकता है जब सरकार उसकी सहायता करे, जब उसे सहयोग करे और जब उसको यह बताए, इन बातों की शिक्षा दे, मुहैया कराए इन बातों को। लेकिन वह इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है और बहुत दूर है। इस बात के लिए मैं बहुत दुखी हूं। मैं खुद कृषक परिवार से हूं। एक प्रार्थना बड़े विनम्र शब्दों में करना चाहती हूं सरकार से, यदि अब बजट में कुछ प्रावधान नहीं रखा है और अब यदि उसको थोड़ा सा उलट फेर करके उनके लिए कोई ऐसी चीज आप रख दें कि छोटे किसानों की जोत को एक सामूहिक रूप से उस जोत को बड़ा कर दिया जाए तो उन सबको मिलाकर एक ट्रैक्टर पंचायत के माध्यम से

(श्रीमती रमा पायलट)

उनको दे दिया जाए और पंचायत के माध्यम से ऐसे छोटे किसानों को जितनी सब्सिडी दी जाती है उससे कम सब्सिडी दी जाय तो उन किसानों को भी कुछ ऐसी राहत आप लोगों से मिलेगी, सरकार से मिलेगी, वह भी अपने बच्चों का जीवन स्तर थोड़ा बहुत एक दो प्रतिशत ऊपर उठाने में सक्षम हो सकेंगे ।

इसी के बारे में मिर्धा रिपोर्ट 1970 में आयी थी । उसमें भी उन्होंने इस बात की पुरजोर अपील की थी कि रिसर्च एजुकेशन और ट्रेनिंग को हमको महत्ता देनी चाहिये । लेकिन राजस्थान में रिसर्च एजुकेशन और इन्सटीट्यूट नाम मात्र के लिए हैं । इतने बड़े राज्य के अन्दर एक ही विश्वविद्यालय कृषि का है और उस विश्वविद्यालय में भी, कल मैं जब यहां बैठी थी तो डिबेट भी सुन रही थी, चर्चा भी सुन रही थी, माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीजी आपस में सवाल जवाब भी कर रहे थे और उसमें यह पाया गया था कि पहले तो एजुकेशन का कोई केन्द्र ही नहीं, नाम मात्र के लिए है, एक केन्द्र है जबकि कम से कम राजस्थान प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय होने चाहिये । लेकिन उस एक विश्वविद्यालय में भी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है हर तरह के अनुशासन के विभाग में, शिक्षा विभाग में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब यह प्रश्न चिन्ह आप पर है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब मैं आसन पर नहीं होऊं तब बताना मुझे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बता दूंगी ।

श्रीमती रमा पायलट : नियुक्तियों के मामले में उस विभाग में घोर घपला हुआ है । जो भी उस विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, चाहे वह आफीसर रेंक के हों, चाहे तृतीय श्रेणी के हों या द्वितीय श्रेणी के या चतुर्थ श्रेणी के हों सब के सब में एक इतना भ्रम सा पैदा हुआ है, वह इतने बौखलाये हुए हैं अपने आप में कि एक तो यह स्थानान्तरण की नीति, दूसरा भ्रष्टाचार की, तीसरा आपस में गुटबाजी, चौथा राजनैतिक दबाव और राजनैतिक हस्तक्षेप उसमें इतना ज्यादा बढ़ा हैं कि कोई भी आफिसर, कोई भी कर्मचारी, आज यह सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है कि मेरा क्या कर्त्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही मुझे सरकार तनख्वाह दे रही है । आज हर व्यक्ति को यह लगा हुआ है कि फलां फलां जगह ट्रांसफर हो गया, फलां ने फलां को हटाकर फलां जगह भेज दिया । यह बड़े दुख की बात है ।

मैं बड़ी विनम्रता से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि वह ऐसे एकमात्र विश्वविद्यालय में जो हमें जैसे तैसे उपलब्ध है, प्रदेश में, भ्रष्टाचार से दूर करे । ऐसी बातें, जो उसके कार्य करने में व्यवधान डाल रही हैं, उनको यदि हम दूर करें तो मैं आभारी होऊंगी, राजस्थान की जनता भी बहुत आभारी होगी, वह कर्मचारी भी बहुत आभारी होंगे जिनको अन्याय की जगह न्याय मिलेगा ।

(श्रीमती रमा पायलट)

ऐसे विश्वविद्यालय के अन्दर आज जो कुलपति हैं उन कुलपति जी के लिए माननीय सदस्य गण, जो विपक्ष मे हुआ करते थे, आज सरकार में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने लिखित में उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको अयोग्य माना है और यह कहा है कि यह व्यक्ति फलां फलां आरोप के तहत आता है। और ज्ञान की दृष्टि से भी इस जगह के लिए, अब कुलपति की बात नहीं कर रही, जहां वह पहले थे वहां के लिए भी अनफिट बताया है और यह डाक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। और वही हमारे सदस्यगण, जो आज सरकार के अन्दर हैं, आज इस बात की अपील करते हैं और इस बात को दिखाते हैं कि यह एक बहुत योग्य व्यक्ति है, इसलिए इनको अपने पद से लेकर एडहॉक बेसिस पर सही लेकिन उनको कुलपति के पद पर पदासीन किया जाता है।

मैं बहुत खेद के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि एक इकलौता बेटा जैसे मां बाप को प्यारा होता है, बड़ी देखरेख से उसको पालते हैं उसको सब तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, हमारे प्रदेश में भी एक इकलौता विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। मैं सरकार से आग्रह करूंगी अपने इकलौते, चहेते और प्यारे बेटे की तरह उसको देखें और उसका ज्यादा नहीं कर सकते तो जैसा है उसको वैसा का वैसा सुचारू रूप से चलायें और भ्रष्टाचार के रास्ते से उसको दूर करें, राजनीति से ऊपर रखें। जो थोड़ी बहुत सुविधायें मुहैया हैं, हम उस अनुसंधान केन्द्र, उस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, बीज मुहैया कराने, बीजों का टैस्टिंग करना, यह तो हम प्रदेश में दें। पांच प्रतिशत तक हमारे प्रदेश में इससे लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है, इस प्रदेश का पैसा बहुत जाया हो रहा है। हम हमेशा यह रोते हैं कि हमें केन्द्र सरकार ने पैसा कम दिया है और हमारे पास पैसों की कमी है इसलिए हम इस मद से कटौती कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के पास पैसा कम है, सड़क नहीं बना पाते हैं, हम जनता को सुविधायें मुहैया नहीं करा पाते, तो उस पैसे को ऐसी जगह से निकालें जहां गलत जगह उपयोग हो रहा है। और जिन व्यक्तियों को बिना कार्य किये हुये पैसा मिल रहा है, बिना मेहनत किये हुये पैसा मिल रहा है, कृपया उस पैसे को वहां से बचावें और जहां जरूरत है, पैसा वहां खर्च किया जावे ताकि हमारी जनता राहत की सांस ले सके। माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के रहनुमा हैं, उन्होंने बहुत सी बातें चुनाव के पहले कही थीं जनता को। मैं आपके लिए यह करूंगा। उसमें उनको गलत बात का सामना न करना पड़े, प्रदेश का मुख्य मंत्री अब भी किसी गांव में जाये या किसी इलाके में जाये तो उसको खूब इज्जत की निगाहों से देखा जाये, ऐसा न हो कि उसको कहीं काले झण्डों का मुंह देखना पड़े, इसलिए मैं यह पुरजोर अपील करती हूं कि ऐसी-ऐसी संस्थायें, ऐसे कर्मचारी और ऐसे ऐसे कार्य जो हमारे समाज के नाम पर एक कलंक हैं उनको हटाने में मुख्य मंत्री जी और हमारे प्रदेश की पूरी सरकार अपना सहयोग दे। हमारे देश में बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार ने ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं रखा, कोई जिक्र नहीं किया।

(श्रीमती रमा पायलट)

इसलिए मैं इस बात की आलोचना करती हूं कि उनको कुछ इसमें इस बात का जिक्र करना चाहिए।

स्प्रिंकलर पद्धति के लिए उन्होंने कहा 1.50 करोड़ रुपया रखा है, उसकी सराहना करती हूं। उसमें 12 सौ स्प्रिंकलर्स के लिए प्रावधान रखा है। यह पद्धति आन्ध्र प्रदेश में बहुत सफल हुई है और हम लोगों को पता है कि यह पद्धति सफल है फिर इसमें कंजूसी करने की क्या बात थी? 12 सौ कनेक्शन बहुत कम हैं राजस्थान के कृषकों को देखते हुये, कृषि के क्षेत्रफल को देखते हुये, एक ऐसी बात है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसमें और इजाफा करें।

इसके साथ साथ एक दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूं। आज जो हमारा किसान अपने बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटकता है जगह जगह जाता है, पंचायत में जाता है, अधिकारी के पास जाता है, नेताओं के पास जाता है और आज भी 1980 में जिन किसानों ने अपनी फाइल जमा करवाई थी बिजली के लिए, उनको आज भी बिजली के कनेक्शन प्राप्त नहीं हुये हैं। और जिन लोगों के पास, चाहे वह सिफारिश से कहिये, चाहे बाइ चान्स कहिये, चाहे तरीके से कहिये, डिमाण्ड नोटिस आये हैं उन डिमाण्ड नोटिस में उस कृषक को इतना ज्यादा पैसा भरने को कहा गया है जो उसकी क्षमता से बिल्कुल बाहर है। अधिकारी गण पैसा जमा कराते हैं ज्यादा से ज्यादा तीन हजार रुपये एक पोल के, दो पोल के लिए 6 हजार रुपये लेकिन आप सोचिये जिस किसान के पास पांच बीघा जमीन है क्या वह 6 हजार रुपये दो पोल के लिए जमा करवा कर बिजली ले सकने में सक्षम है? उसकी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, न उसकी हिम्मत है। कई किसान मेरे पास आये, उन्होंने कहा कि डिमांड नोटिस तो आ गये लेकिन +++ मैंने कहा ऐसी बात नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आपकी बात है। आपने अवगत क्यों नहीं कराया? उसको अवगत कराना चाहिए था।+++

श्रीमती रमा पायलट : उजला जी, आपकी टर्न आयेगी तो आप बोल लेना। मेरी टर्न है तो मुझे बोलने दें आप।

उन कनेक्शन्स के लिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि कहीं कहीं तो ऐसे उदाहरण आये हैं मेरे पास डाक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, कि दो खम्बे जहां पर लगाने पड़ रहे हैं, 29 हजार रुपये एक किसान के लिए उन्होंने भेजा है और फिर यह बताया है कि ट्रान्सफार्मर की कीमत, दो खम्बों की कीमत, तार के बण्डलों की कीमत मंहगी हो गयी है, आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा तब आपको कनेक्शन मिलेगा। शर्म की बात तब होती है जब इतने पैसे जमा कराने के बावजूद भी उस किसान को कनेक्शन नहीं मिले और उसके बाद उसमें 29 की जगह 19 हजार कर दिया और कहा गया इसमें कि 10 हजार रुपये ट्रान्सफार्मर की कीमत, सरकार बड़ी रहनुमा है, नई सरकार आई है, 10 हजार रुपये कम कर दिये हैं, 29 की जगह 19

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती रमा पायलट)

हजार कर दिये हैं और अब आपको कनेक्शन मिल जायेगा। लेकिन शर्म की बात है कि उसको फिर भी कनेक्शन नहीं मिला। ऐसी बातों के लिए सरकार से आग्रह करूंगी कि वह इसकी ओर ध्यान दे और ऐसे अफसरान पर अपनी निगरानी रखें, उनको सही तरीके से दिशा निर्देश दें ताकि किसानों को दर दर भटकना न पड़े। पहली बात तो पैसा बहुत ज्यादा है। उसमें मैं सरकार से कहूंगी कि कुछ न कुछ सोचें ताकि छोटे किसान अपनी बिजली का कनेक्शन ले सकें और वह भी कि बाबा आदम के जमाने के कृषि के तरीकों को छोड़ कर आज 1990, बीसवीं सदी के किसानों के उपकरणों, से अपने आपको लाभान्वित कर सकें। यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती रमा पायलट : एक मिनट।

मेरा सरकार को सुझाव है; पहली बात तो छोटे किसानों के लिए कुछ है नहीं; दूसरी बात जब कभी किसानों को सरकार सुविधा किसी बात के लिए मुहैया करा देती है तो किसान उस काश्त को स्पेशल तौर पर ज्यादा पैदा करते हैं। चाहे वह गन्ना हो, चाहे कपास हो, चाहे मक्का हो, या बाजरा हो या सरसों हो, लेकिन फिर क्या होता है कि जिस फ़सल को किसान ज्यादा पैदा करता है उसकी पैदावार ज्यादा होती है, तो नतीजा क्या होता है कि जब मंडी में फसल आती है बेचने के लिए तो बहुत ज्यादा क्वान्टिटी आ जाती है। बहुत ज्यादा पैदावार उसकी होकर आती है तो एकदम उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है और किसान सिर पीट कर रह जाता है। उसके लिए क्या बढ़ावा दिया गया ? इस बात के लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूं। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी जब पावर में थे, उन्होंने गन्ने को बहुत बढ़ावा दिया था और मुजफ्फर नगर, यू. पी. में बहुत सारा गन्ना किसानों ने लगा दिया। नतीजा यही हुआ जो मैं आपको बता रही हूं। दो रुपये क्विंटल गन्ने का भाव हो गया तो किसान बहुत परेशान हुये और चौधरी चरण सिंह जी के पास गये, वह बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा, साहब, दो रुपये क्विंटल कर दिया, इससे तो कहीं ज्यादा हमारा गन्ना उत्पादन में लागत आई है, बताइये क्या करें ? चौधरी चरण सिर जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सिर पर से टोपी उतारी और बोले कि यह तो सिर है यहां पर भी उगा लो। यह कोई सरकार का जवाब नहीं है। अगर कोई किसान मेहनत करके विशेष फसल की पैदावार करता है; उत्पादन करता है....

श्री जगत सिंह दायमा : यह गलत है।

श्रीमती रमा पायलट : दायमा जी, मैं वहां मौजूद थी। आपको कोई डाक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए तो ले लेना। जिस किसी फसल की सरकार सुविधा मुहैया कराती है; किसान ज्यादा पैदा करता है। तो कृपया मंडी में उनकी कीमतों के लिए कोई किसी तरीके की बात रखी जाये जिससे किसानों को कम से कम लागत तो मिले और उसको कुछ फायदा भी मिले। इसके अलावा एक बात और कहना चाहती हूं कि जालौर और सांचौर में जीरे की खेती बहुत होती है और तकरीबन 20 और 30 करोड़ रुपये का

(श्रीमती रमा पायलट)

जीरा जालौर और सांचोर में पैदा होता है लेकिन....

श्री जगमालसिंह यादव : यह गलत बता रही हैं। जब यह सत्ता में थे, गेहूं का भाव 181 था।

श्रीमती रमा पायलट : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि सांचोर और जालौर में जीरा सबसे ज्यादा पैदा होता है। करीब 20 और 30 करोड़ रुपये के करीब का जीरा पैदा होता है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश की पैदा हुई, हमारे किसान की पैदा की हुई फसल से ही हम लाभान्वित नहीं हो रहे। उस किसान को यहां से गुजरात ले जाना पड़ता है। ऊंझा मण्डी में उसको बेचना पड़ता है। अगर हम अपने जीरे की पैदावार को यहीं प्रदेश की मण्डी में, जैसे भीनमाल में, इसको खपा सकते हैं तो इससे हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मैं चाहूंगी कि सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती रमा पायलट : इसके अलावा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कृषि के साथ-साथ ऐसे भी बहुत से उत्पादन स्थानीय जगहों पर पैदा होते हैं, जिससे हम छोटे-छोटे उद्योग, जिनको ग्रामीण लघु उद्योग का नाम दिया जाना चाहिए, वह हम गांव वालों को मुहैया करा सकते हैं। किसी जगह पर या किसी झील में पानी होता है तो वहां पटैया पैदा होता है या मूंज पैदा होती है। उसी जगह पर ग्रामीण लोग भेड़ रखते हैं वहां पर। ऊन उनको बड़ी आसानी से और सुलभ तरीके से मिल जाती है। मैं सरकार से यह अनुग्रह करूंगी कि अपने संभागीय दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से जिस जगह पर जो रॉ-मेटीरीयल आराम से गांव वालों को मिल जाता है वहां पर हम ऐसी एजुकेशन का प्रावधान रखें ताकि उस रॉ-मेटीरीयल को वेस्ट न जाने दें, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसमें जो खर्च आता है उस खर्च को भी हम बढ़ावा न देवें, उस रॉ-मेटीरीयल की हम उसी स्थानीय जगह पर खपत करें और वह खपत हम कर सकते हैं छोटे-छोटे ग्रामीण लघु उद्योगों के द्वारा। महिलाओं को भी हम रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। अगर पटेरा है, गेहूं की बाली है, या ऊन है उनसे हम महिलाओं को गलीचा बनाने की शिक्षा दे सकते हैं, पटेरों से टोकरी आदि बनाने की शिक्षा दे सकते, छोटे खिलौने बना सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बातों पर यदि हमारी सरकार गौर करे तो हम ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार दे सकते हैं और ग्रामीण जो किसान हैं उनको कृषि के अलावा साइड में थोड़ा काम दे सकते हैं। मैं यह सरकार से अनुग्रह करती हूं और आशा करती हूं कि आप इस बात पर अवश्य ही गौर करेंगे ताकि हम अपनी कृषि को थोड़ा-बहुत विकास की तरफ ले जा सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक शब्द कहना चाहती हूं। आपके शब्दकोश में "अनुग्रह' का क्या अर्थ है? "मैं सरकार से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अनुग्रह करती हूं" "अनुग्रह" तो बिल्कुल कृपा वाचिक है, जिस अर्थ में, कहां वह "आग्रह" शब्दार्थ।

श्रीमती रमा पायलट : उजलाजी, उसको ठीक करवा दीजिये, खाना खाया था, जबान स्लिप हो गई है।

श्री सभापति : किसानों पर अनुग्रह करने की बात कही है।

श्री नत्थीसिंह : "अनुग्रह" की बजाय "आग्रह" होना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। आपने अपनी गलती मान ली।

श्रीमती रमा पायलट : बिल्कुल।

श्री राजेन्द्र पारीक : उजला जी को हिन्दी का अध्यापक रख दीजिये ताकि बाकी के सदस्य महानुभावों को भी व्याकरण का ज्ञान कराती रहें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय सम्पतसिंह जी, आप अपना वक्तव्य देवें।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैं सिर्फ कृषि की मांग के ऊपर संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

जब से वर्तमान सरकार आई है....

श्री राजेन्द्र पारीक : "आई" कहां है, बी. जे. पी. और जनता दल है।

श्री सम्पत सिंह : वह "आई" तो तब हो गई आइसक्रीम। इसलिए अब आई गई का तो सपना ही छोड़ें।

तब से यह विचार आया कि राजस्थान प्रान्त में, जो खास तौर पर कृषि पर निर्भर करता है, हमारे सरकारी खर्चों में, फिजूल खर्ची के ऊपर पाबन्दी लगाई जाय। सभापति महोदय, सन् 1989 में जहां कृषि विभाग में एक ही निदेशक हुआ करते थे, आज उसी विभाग में तीन-तीन निदेशक हैं। आज उद्यान निदेशक अलग है, कृषि निदेशक (सोईल कन्जर्वेशन) अलग है, प्रबन्ध निदेशक सीड के अलग हैं। इनमें भी अगर देखा जाय तो जो होर्टीकल्चर का काम देखता है। निदेशालय, कुल बीस नर्सरी हैं राजस्थान प्रान्त में और इतना बड़ा खर्चा हो रहा है। और फिर इनको खुद को नहीं मालूम कि हमारी नर्सरी में कौनसे पौधे का बीज दिया जा रहा है। वह सीधा पौधा लाते हैं या बीज लाते हैं और उसको किसान को दे देते हैं।

सभापति महोदय, अभी कोटा में आपने एक खबर सुनी होगी, सभी माननीय सदस्यों ने सुनी होगी, बीज का जहां 12-14 किलो का बैग होना चाहिए था, वहां दो-दो, तीन-तीन किलो कम उस बैग में निकला। पैकिंग में गड़बड़ी क्वालिटी में गड़बड़ी, क्योंकि हमारे यहां सीड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और तो और, सभापति महोदय, हमारे इस परम्परागत कृषि के जगत में, आप ताज्जुब करेंगे, बड़े-बड़े विचारक लिखते हैं इस बात को कि जिस आदमी ने चिड़िया भगाने के लिए गोपिया का प्रयोग सबसे पहले किया होगा, उसमें मिट्टी का ढेला रखकर दूर तक फेंकना होता है, वह अपने वक्त का कितना बड़ा इन्जी-

(श्री सम्पत सिंह)

नियर रहा होगा । और आज मैं खुद अपने व्यक्तिगत ज्ञान की बात निवेदन कर रहा हूं । मेरे पड़ौस से ही हैं, राजस्थान के ही हैं, बहुत बड़े अधिकारी, उप निदेशक, निदेशक के समकक्ष हैं, वह अमेरिका रिटर्नड हैं खुद, उन्होंने अपने घर पर, चार–छः साल पुराना किस्सा है, ईख लगाने के लिए इरादा व्यक्त किया । तो महकमे के जो एक्सपर्ट लोग कहे जाते हैं, उन्होंने वहां ईख लगाई । महीने भर बाद गये तो पिताजी ने शिकायत की कि तुम्हारे महकमे के लोग थे, महीना भर हो गया, उसमें ईख ही नहीं फूटी । जब उन्होंने एक एक पौध को उखाड़ कर देखा तो पाया कि छील–छील कर लगा दी । अब बताइये जो साधारण ज्ञान किसान में है वह भी नहीं है । आपने एक स्कीम चला रखी है टी. एण्ड डी. की, उसमें वी. ई. डब्ल्यू. आपका जाता है । एक वीक में उसे चक्कर लगाकर आना पड़ता है । आठ किसानों के खेत को देखता है । ज्यादा से ज्यादा 64 किसानों के खेतों को वह देख सकता है । अब मान लीजिये हजार घर की बस्ती है, हजार किसान उसमें हैं । वह सिर्फ 64 के ऊपर लिमिटेड है । तो जितनी खेती हो रही है वह सब किसान के अपने साधारण ज्ञान से हो रही है । हमारे विभाग का इसमें क्या सहयोग जा रहा है, यह समझ के बाहर है । सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें, विभाग की जो साधारण साधारण बातें हैं उस पर अगर तफसील से जाया जाय, तो माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, उनका समय भी जाता है और मेरे लिए भी उचित नहीं है । पिछले पांच वर्ष इस बात में गए और अब केन्द्र सरकार के उप-प्रधान मन्त्री हैं, कृषि मन्त्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम छोटा ट्रैक्टर लेने की बात विदेशों से कर रहे हैं । वह पहले आया करता था । यहां इस पवित्र सदन में हमारे पूरे प्रयास रहे कि आप राजस्थान जैसे प्रान्त के लिए किसान को बड़े–बड़े ट्रैक्टर की बजाय छोटे ट्रैक्टर देने की बात करें । जब हमने विभाग और सरकार से जानकारी चाही तो उस वक्त जवाब आते थे कि हमारी रूस और दूसरे देशों से वार्ता चल रही है, उस पर हमने कमीशन भी बैठाया हुआ है । मुझे नहीं मालूम जी. टी.-14 जैसा लोकप्रिय ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए, उसके नेगोशिएशन की आज दिन तक क्या व्यवस्था है । सभापति महोदय, जैसा हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं, आज बड़ी–बड़ी नहर से, बड़े-बड़े प्रोजक्टों से सिचाई से, खेती को मित–व्ययी साधन नहीं माना जाता । स्प्रिन्कलर सिस्टम है, ड्रिप इर्रीगेशन है, अकाल जैसे माहौल में बिजली के पांच–पांच कनेक्शन किसान को मुहैया किये गये पूरी एक एक तहसील में, कहीं कहीं तो पूरे एक जिले में । निश्चित रूप से हमको अपने सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा । जहां मितव्ययता की बात कही जाती है, मैं सिर्फ दो उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं । आपने राजस्थान में कृषि निदेशालय भवन बनाया । मुख्यमन्त्रीजी ने यह घोषणा की कि हमें एक एक पैसे को सोच-समझकर खर्च करना है, ठीक दूसरे दिन कृषि निदेशालय ने एक दूसरा मकान किराये पर ले लिया । आज इतनी भव्य इमारत, जहां आपकी विधान सभा और इस जैसी संस्थायें चल सकती हैं, वहां महज चन्द अफसरों

(श्री सम्पत सिंह)

और अहलकारों को बैठने के लिए किसान का महती रुपया आपने इमारत बनाने में लगाया।

आप निश्चित रूप से अपनी सोच पर देखिये। अगर रिजर्व बैंक की बिल्डिंग होती, दूसरे बैंकों की बिल्डिंग्स होती तो समझ में आता है, लेकिन किसान की आप बात कहें और फिर ऐसी ऐसी भव्य इमारत बनें। सभापति महोदय, इमारत के रख रखाव पर आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी वहां एक अनुबन्ध हुआ है 5 लाख 70 हजार रुपये में जो आप उसकी रख रखाव, सफाई पर खर्च करेंगे और वह भी सिर्फ बाथ रूम की और शीशे की खिड़कियों की, यह भी नहीं कि विम जैसे किसी पाउडर से सफाई करवायेंगे। कहां आपके हरिजन कर्मचारी थे, कहां आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, फिर भी साल भर में पांच लाख 70 हजार रुपया महज सफाई के ऊपर खर्च करने जा रहे है। आज बाढ़ में जो निरीह लोग है उनके लिये भोजन मुहैय्या नहीं कर पा रहे हैं. उस समय यह हमारे लिये एक विलासिता की खबर है। सभापति महोदय, सचिवालय के ऊपर यह खर्चा नहीं आता, विधान सभा के रख रखाव के ऊपर यह खर्चा नहीं आता। आखिर कृषि विभाग में ऐसा कौन सा मुफ्त का पैसा इकट्ठा हो गया जो आप इतना रुपया उस पर खर्च कर रहे हो? सभापति महोदय, और तो और, एक अचरज की बात देखिये। मैंने मुख्य मंत्री का चेम्बर भी देखा है। आप निदेशक के चैम्बर में जाकर देख लीजिये, मुख्य मंत्री जी स्वयं सहम जायेंगे क्या डेकोरेशन होती है।

आपने एक सौदा किया है 25 लाख रुपये का, गोदरेज का फर्नीचर आप वहां लगायेंगे। दसों लाख का फर्नीचर जो आज वहां लगा हुआ है वह बेकार जायेगा। आपने तर्क क्या दिया है, जैसे राजस्थान में और और तो सब पट्टी बांध कर बैठे हैं, उनका तो कोई साधारण ज्ञान भी नहीं है, कहते हैं कि गोदरेज का फर्नीचर लगाने से कमरे में स्पेस ज्यादा हो जायेगा। हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के काम की एफीशियेन्सी बढ़ जायेगी। लिखित में तर्क दिये गये हैं। यह जगह जो है अगर इसकी कीमत आज की आंकी जाये पर स्क्वायर फिट में, और आज अगर दूसरी जगह प्लाट लिया जाये तो पर्याप्त कमरे बैठने के लिये भी मिलेंगे और वह व्यवस्था सस्ती पड़ेगी 25 लाख रुपये का गोदरेज फर्नीचर खरीदने से। सभापति महोदय, इससे ज्यादा और अचरज की क्या बात हो सकती है? एक से एक विलासिता की चीजें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हिण्डोली से आने वाली माननीय सदस्या ने इस मद का विरोध किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, स्वयं की तरफ से, इस पद के समर्थन में तो खड़ा हुआ हूं लेकिन इस बात को भी मैं दृढ़ता से कहता हूं कि आपकी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। कृषि विभाग जैसी व्यवस्था में, आप गरीब किसान के लिये क्या दे रहे हैं? आपको निश्चित रूप से अपने सोच में तबदीली करनी पड़ेगी और जो बड़े बड़े अफसर आपको ब्रीफ करते हैं, आपकी योजनाओं को बनाते हैं. आपको निश्चित रूप से उनके लिये अपनी तरफ से खुद का प्रोग्राम देना पड़ेगा। यह उनका काम है वह आपकी

(श्री सम्पत सिंह)

योजनाओं को केरी आउट करें, न कि उनकी योजनाओं को हमारी सरकार कैरी आउट करें। सभापति महोदय, मैं संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 37 कृषि पर जो सदन में विचार किया जा रहा है, अपने विचार प्रकट करते हुए निवेदन करूंगा।

मान्यवर, राजस्थान गांवों का और किसान का और खेती का प्रदेश है। कृषि का सिंचाई से संबंध है। कुओं में पानी नहीं है। बिजली का अभाव है। नहरें पर्याप्त रूप से पानी देती नहीं हैं। इन सब विषमताओं के होते हुए हम खेती कर रहे हैं। कृषि महकमें को संचालित करने के लिये राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत बड़ी सात आठ हजार की फौज इस विभाग में रख रखी है। लेकिन जो लाभ इस विभाग के माध्यम से इस पिछड़े प्रदेश को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। उसकी बानगी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मान्यवर, कृषि विभाग में 103 प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं जैसे इस प्रतिवेदन में बताया गया है, द्वितीय श्रेणी के, जिनमें सहायक निदेशक, और जिला लेवल के अधिकारी हैं, वह 566 हैं। तृतीय श्रेणी के अधिकारी, जो पंचायत समिति स्तर पर है वह हैं, 1408। इस प्रकार मान्यवर 2077 अधिकारी हैं। और किसान के खेत तक जाने वाले जो फील्ड वर्कर्स हैं, वह राजस्थान में मात्र 4843 हैं। राजस्थान में 7300 के लगभग पंचायत मुख्यालय हैं। बहुत दुख का विषय है कि हर ग्राम पंचायत में किसान के खेत तक आने वाला कार्यकर्ता आज चालीस वर्षो में भी यह सरकार नहीं दे पाई है यह भी बड़े दुख का विषय है कि दो हजार अधिकारियों की टीम, दो कर्मचारियों के ऊपर एक अधिकारी सवार है। इन सबका काम छोटे कर्मचारियों की वाचिंग करना है। यह कोई खेत पर नहीं जाता। इस युग में तकनीकी जानकारी किसान के खेत तक जाये, किसान तक जाये तब जा कर के किसान की प्रगति होगी। और किसान के साथ इस देश का विकास जुड़ा हुआ है, वह सारा इन अव्यवस्थाओं के कारण अवरुद्ध हो रहा है। अधिकारियों ने अपनी मन मर्जी से एक समान योग्यता वाले अधिकारियों के लिये, जो एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट हैं, क्या व्यवस्था कर रखी है कि सहायक कृषि अधिकारी, उसके बाद में विषय विशेषज्ञ, जिला लेवल के कृषि अधिकारी या विस्तार अधिकारी, उसके बाद सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक। मान्यवर 7 सीढ़ियां हैं इनके ऊपर चढ़ने के लिये। अपने जीवन में सात प्रमोशन प्राप्त कर लो और जो किसान के टच में आने वाला, खेत में जाने वाला है, वह आदमी जीवन भर अपने गांव में पड़ा रहे। उनका कार्य क्षेत्र, मैंने पूर्व में निवेदन किया, सात हजार ग्राम पंचायतें होने हुए भी 4800 कर्मचारी है। एक एक फील्ड वर्कर का कार्यक्षेत्र 15–15, 20–20 किलोमीटर है, उसको किसी तरह का कोई भत्ता नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं और इस तरह से वह उपेक्षित कार्यकर्ता किसान तक

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

नहीं पहुंच पाता है और सही मायने में जो विकास होना चाहिये था वह इन परिस्थितियों के कारण अवरुद्ध हो रहा है। इसलिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करके, आज की तकनीकी जानकारी किसान तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करें, तभी किसान को राहत मिलेगी और हम सही प्रगति कर पायेंगे।

मान्यवर इसी कृषि महकमें के अनुसार यहां राजस्थान में ऐसी जमीनें जो पड़त पड़ी हैं, जो भिन्न भिन्न पानी की खराबी के कारण खराब हुई हैं, ऐसी जमीनें जो राजस्थान में कृषि के अयोग्य है, उनका रकबा 18 लाख हैक्टेयर है। उनमें 7.29 लाख लाख हैक्टेयर खारिया है, 3.48 लाख लवानियां है, 2.66 लाख जलपलावन सीपेज वाली हैं और 4.52 लाख हैक्टेयर रेवाइन्स है। मान्यवर, राजस्थान में 18 लाख हैक्टेयर जमीन खराब पड़ी है। विभाग का ध्यान कभी इस ओर नहीं गया। इसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजगा में जो 1985 और 1990 के बीच थी, योजनायें बनाई गई। उसके बाद केवल मात्र 8 हजार हैक्टेयर भूमि को सुधारने के लिये योजना बनाई गई और इन पिछले वर्षों में भिन्न भिन्न स्कीमृज के माध्यम से, वाटर इरोजन को रोकने के लिये स्कीम बनी, सायल कन्जर्वेशन के लिये स्कीम बनी, मरु विकास, सूखा संभावित, आर.एल.ई.जी. पी, राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास, मैस्यू प्रोग्राम, बीहड़ सुधार न जाने कितनी कितनी स्कीमृज बना करके राज्य सरकार का पैसा खर्च किया गया।

मैं आपको दो साल के आंकड़े बताऊं, इन भिन्न-भिन्न स्कीमों के माध्यम से 23 करोड़ 72 लाख 36 हजार रुपये इन दो सालों में खर्च किये गये हैं। और इस वित्त वर्ष में 15 करोड़ 90 लाख रुपये की और योजना बनाई गई है। केवल मात्र मरु विकास में, पश्चिमी राजस्थान का विशाल क्षेत्र बड़ा उपेक्षित है, उसके लिए पिछले दो वर्षों में 6 करोड़ 64 लाख 64 हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं। प्रगति क्या है? पश्चिमी राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य इस पवित्र सदन में विराजमान है, वे स्वयं जानते हैं कि किसी तरह की प्रगति वहां नहीं हो रही है। किस तरह के विकास के काम वहां हो रहे हैं, वो स्वयं जानते हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी हम सही अर्थों में हमारा विकास नहीं कर पाये। पैसा खर्च हो रहा है और हमारा क्षेत्र उपेक्षित है। इसलिए मेरा यह आग्रह है, मैं निवेदन करूंगा कि विशेष प्रयास किये जावें।

मान्यवर, बीहड़ सुधार के नाम पर चम्बल और राजस्थान में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो खालदड़े पड़े हैं, मैंने निवेदन किया था कि 4 लाख 52 हजार हैक्टेयर रवाइन्स का क्षेत्र पड़ा है। इतने बड़े विशाल क्षेत्र को लेवलिंग करने के नाम पर, उसको सुधार करने के नाम पर, कटाव के नाम पर, बन्डस बनाने के नाम पर, पिछले दो वर्षों में 3 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। 4 करोड़ इस चालू वित्त वर्ष में भी रखे गये है जिसकी बानगी आपने प्रश्न के माध्यम से प्रश्नकाल में सुनी थी। सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न था, उस समय

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बताया था, मैंने भी कहा था। मेरे यहां सीमेन्ट बेची जा रही है। एक करोड़ रुपये खर्च किये गये। अधिकारी लूट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट दी जा रही हैं। इस तरह की व्यवस्था है जिसमें 3 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, 4 करोड़ की फिर है। 5 करोड़ कर दो और 10 करोड़ कर दो, लेकिन यदि अधिकारियों पर अंकुश नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं होगा, तो हमारे राजस्थान की गरीब जनता का खून पसीने का पैसा इन अधिकारियों की जेब में जायेगा। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि बीहड़ के नाम पर, मरू विकास के नाम पर जितना भी पैसा प्रदेश में खर्च किया जा रहा है, इसमें लगाम लगाई जाय और सही अर्थों में पैसा खर्च हो। अभी माननीय मंत्री जी ने जो पेश किया, 76 करोड़ रुपये और कुछ लाख रुपये का बजट है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मान्यवर, इसमें 1989–90 में 36 करोड़ 72 लाख रुपये की कृषि मण्डी के नाम से किसानों की खून पसीने की कमाई से आमद हो रही है जिससे कृषि की बिल्डिंगें बन रही हैं और अधिकारी लिफ्ट में चढ़ते हैं। इन पैसों को सड़कें बनाने पर लगाना चाहिये, इस पैसे से कृषि मण्डी में किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये वहां पर लगना चाहिये। इस तरह से अगर यही सोच रही, अगर यही कार्यक्रम कृषि विभाग के माध्यम से रहा तो बड़े दुःख का विषय होगा। 76 करोड़ रुपये में से 36 करोड़ रुपये किसानों के है। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था 5 करोड़ रुपया किसानों से खाद पर टैक्स किया जा रहा है। किसान से पैसा चूस करके पैसा किसानों के उपयोग में नहीं लगे इससे ज्यादा दुख का विषय और क्या हो सकता है? इसलिए मेरी पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग है कि खाद पर सेल टैक्स समाप्त किया जावे। और कृषि मंडी के नाम पर जो पैसा वसूल किया जा रहा है। 1980–81 में 4 करोड़ 34 लाख रुपया था, उसके 5 साल बाद में डबल पैसा हो रहा है, 1985–86 में 18 करोड़ 29 लाख रुपया और उसके बाद में 1989–90 में 36 करोड़, उसके लिये मेरी मांग है कि इसका राजस्थान लेवल पर एक कोष बनाया जावे और जहां-जहां सड़कों का अभाव है, कृषि मण्डी में सड़कों पर वह पैसा लगाया जाय।

मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, केशोरायपाटन, वहां चम्बल की नहरों का क्षेत्र है, वहां राजस्थान को अन्न देने वाली धरती है हम लाखों टन खाद्यान्न, दालें, पैदा करते हैं। बड़े दुःख का विषय है कि वहां कृषि मण्डी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के बैलों को पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है। किसान दिनभर धूप में खड़ा रहता है। व्यापारी लूटते हैं, व्यापारियों के घरों में, कृषि अधिकारी की मिली भगत से अनाज तोला जाता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कापरेन कृषि धान मण्डी यार्ड का श्रीगणेश किया, जा करके उद्घाटन किया, आज उसका कोई काम नहीं हो रहा है 1977 में वहां की धान मण्डी घोषित हुई। इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी कोई काम नहीं करना और हमारा 35 से 40 लाख रुपया प्रतिवर्ष कोटा की मण्डी में जमा होता है। बारां से आने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कोटा में लाडपुरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जहां कोई गांव सड़कों से न जुड़ा हुआ बाकी नहीं है। परन्तु हमारे 95 प्रतिशत गांव अपेक्षित हैं। मान्यवर, यहां जो विषमताएं हैं, इनको मद्दे नजर रखते हुए व्यवस्था की जाय। और कृषि मण्डी के चुनाव जो वर्षों से नहीं हुए हैं जल्दी से जल्दी इनके चुनाव कराये जावें। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में चुनावों के माध्यम से यह किसान का पैसा खर्च किया जावे।

मान्यवर, राजस्थान में कई तरह की जलवायु है, कई तरह की भूमि है। मेरी मांग है कि यहां क्षेत्रवार, जिस क्लाइमेट में जिस जमीन में जिस तरह की फसल हो, क्षेत्रवार योजनाएं बनवाई जायं। जोधपुर में सोयाबीन का स्पेशलिस्ट बैठा रखा है। क्या जरूरत है उसकी वहां? उनको उस क्षेत्र में बैठायें वहां उनकी आवश्यकता हो।

मान्यवर, कृषि पर आधारित उद्योग होने चाहिये। मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन किया था। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर है संतरे पैदा करने में। आपको यहां जयपुर में 4 रुपये किलो संतरे मिलेंगे, कोटा में ढाई-तीन रुपये किलो मिलेंगे। आप कल्पना करिये कि किसान को क्या मिलता है? किसान को एक किलो पर 50 पैसे मिलते हैं। 7–8 पीस आते हैं एक किलो में। एक पीस पर 10 पैसा। इससे ज्यादा और किसान का क्या अहित होगा कि एक संतरे पर 10 पैसा। किसान रात में जागता है, प्लान्ट प्रोटेक्शन की दवा पर खर्च करता है, पानी पिलाता है, नीमता हैं, उसके बाद में मिलता क्या रे उसको? मेरी मांग है कि वहां आरेंज जूस के कारखाने खोले जायें।

अफीम की तस्करी होती है झालावाड़ में, वहां दवाई के कारखाने खोले जावें। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि केशोरायपाटन में सहकारी शुगर मिल में 10 करोड़ रुपये का घाटा है। इस तरह से कृषि पर आधारित एक मात्र उद्योग घाटे में है। मेरी मांग है उसमें सुधार किया जाय। और जहां-जहां भी जिस तरह की फसल होती है, वहां कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जायं, जिस क्षेत्र में जैसी फसल होती है, उनके प्रोजेक्ट खोले जाय। जहां-जहां भी कपास पैदा होती है, वहां उसके प्रोजेक्ट खोले जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मान्यवर, बस थोड़ा सा।

राजस्थान में जहां रेशम कीट पालन की बात है, इसमें मैं जरा सा निवेदन करूंगा कि रेशम की खेती छोटा सा किसान भी कर सकता है। एक हैक्टेयर में भी शहतूत के पेड़ लगा करके खेती की जा सकती है, जिसमें हमारी मां-बहनें पत्ती तोड़ कर खिला सकती है, विकलांग खिला सकते हैं, वृद्ध खिला सकते हैं। उसको डी.आर.डी.ए. के अण्डर में दे रखा है जहां कृषि कर्मचारियों से शोषण हो रहा है। इसलिए, मेरी मांग है कि इस रेशम कीट पालन को विभाग के अण्डर में देकर के सही अर्थों में छोटे गरीब किसान की मदद की जाय जो पेड़ के नीचे अपनी घास पैसा करते हैं, पशु पालन भी कर सकते हैं। राजस्थान में 40 टन रेशम की खपत

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

है और हम, चाहे वह बांसवाड़ा क्षेत्र में हो, चाहे कोटा बूंदी में हो, हम आधा टन रेशम उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान में यह पैसों को बचाने के लिए मेरी मांग है कि इस रेशम कीट पालन को, इसकी खेती को, कृषि विभाग में दिया जाकर तकनीकी लोगों के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बस थोड़ा सा।

मान्यवर, अपने प्रदेश में फल और सब्जी के लिए विशेष प्रयास किये जावें। हमारा यह राजस्थान कुपोषण का शिकार है। शिड्यूल कास्ट के भाई, गांव के किसान और मजदूर ये कुपोषण का शिकार हैं। इसलिए गांव में फल पैदा करने वाले लोगों को विशेष अनुदान दिया जाय। सब्जियों की भिन्न-भिन्न किस्मों को ला-ला करके उनको दिया जाय ताकि उसके माध्यम से हमारा उत्पादन अधिक हो।

मैं थोड़ा सा मांग संख्या 36, सहकारिता, के बारे में बोलना चाहूंगा। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स में ढाई प्रतिशत की कटौती जबरन की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा, उन्होंने आश्वासन दिया था, कि, किसानों की जो लूट हो रही है, इसको रोका जाय और किसानों के पैसे वापिस किये जावें।

बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री ने गृह निर्माण सहकारी समितियों की खुली जांच कराने का अभियान छेड़ने की बात कही थी, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचारी नंगे होंगे। मैं और निवेदन करना चाहूंगा। भिन्न-भिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियां, जो राजस्थान के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं उनमें इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। कई लोगों के बेनामी खाते हैं। गरीब किसान से पैसा लिया जा रहा है। नो-ड्यूज नहीं दिया जा रहा है। जो चयनित परिवार हैं, वे लोन नहीं ले सकते। आज वशिष्ठ संगठन मंत्री महोदय ने नेनवां से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 100 चयनित हो गये थे। उन चयनित परिवारों का भी अहित हो रहा है। मेरी मांग है कि खुला दरबार लगा करके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जिन लोगों में कर्जे हैं, उनको नंगा किया जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक-एक व्यवस्थापक दो-दो लाख रुपये का गबन करके बैठा है और नियमों की ओट लेकर के उनके पुलिस में मुकदमे नहीं किये जाते हैं। इस पवित्र सदन में हम लोग किस लिए बैठे हैं ? हम लोग किसी की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे है, हम यहां बैठ कर राजस्थान का शासन चलाते हैं। हम लोग ऐसे कानून बनायें यहां बैठ कर कि इसे तरह के भ्रष्टाचारी नहीं बचें। कानून बनाना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। इसलिये जो अरन्तु-परन्तु वाली बात है, यह खुली बात है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को नियमों के अन्दर तब्दीली कराकर सजा मिलनी चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मान्यवर, एक बात । केन्द्रीय सहकारी बैंक जो भिन्न भिन्न जिला स्तर के हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक-एक सदस्य से जो लोन वसूल किया जाता है, मान्यवर, देखिये, अगर चालीस पर्सेन्ट लोन वसूल किया गया, केन्द्रीय सहकारी बैंक में जब उस पैसे को जमा कराया जाता है तो बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति के खाते में पैसा जमा करता है, किसी व्यक्तिगत सदस्य के खाते में नहीं । ग्राम सेवा सहकारी समिति के खाते में जब पैसा जमा हो रहा है तो वह सारा पैसा ब्याज में जमा हो जाता है और सदस्य डिफाल्टर रहते हैं । इस तरह की जो विषमताएं हैं, मैं पुरजोर शब्दों में माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा, ऐसी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, सदस्यों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में यह जो असमानता है इसको दूर किया जाय । आज प्रदेश की हजारों ग्राम सेवा सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं, गरीब लोगों का कर्जा, खाद और बीज रुका है । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामप्रसाद (बैर) : +++

श्री रामकरण सिंह(कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, आज जो मांगें रखी गई हैं, सबसे पहले खुशी तो मैं इस बारे में जाहिर कर रहा हूं कि वित्त मंत्रीजी, सहकारिता मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी तीनों ही किसानों से संबंधित हैं या किसान हैं । इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने किसानों के दर्द की बात कही हैं उसके ऊपर वह विशेष ध्यान रखें । मैं इस समय केवल अन्नदाता ही नहीं, सब दाता, सर्व दाता किसान की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसलिए मै यह चाहता हूं कि मैं इस पर भाषण नहीं देकर केवल, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कुछ सुझाव दे दूं । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस कृषि को उद्योग घोषित कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करें । उद्योग अगर घोषित हो जाता है तो बिजली के कनेक्शनों में जो रियायतें और जो तत्परता दिखाई जाती है वह दिखायें और माननीय सदस्यों का जो वास्तव में तत्कालीन और इस समय बर्निंग पाइन्ट है कनेक्शन का, वह साल्व हो जाय । दूसरी अन्य सहूलियतें भी उन्हें मिल सकें ।

दूसरा, फसल बीमा के बारे में मैं कहना चाहूंगा । वर्तमान सरकार ने इन चालीस वर्षों में बार-बार किसानों की वकालत की है । वकालत करते वक्त यह कहा है कि किसान की फसल का बीमा होना चाहिए । तो मैं यह चाहूंगा, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय अभी यहां विराजमान हैं, उन्होंने यह बात स्टेज पर भी कही है और वैसे भी मांग की है, वह भी इसमें सहयोग करें और सब माननीय सदस्य भी किसान का यदि भला चाहते हैं फसल के बीमे को कम्पलसरी लागू कर दें, यह निर्णय, यह घोषणा होनी चाहिये ।

इसके अलावा खाद और बीज और दवाइयां, बार-बार यहां दुहाई दी जाती है कि खाद अच्छा नहीं है, बीज अच्छा नहीं नहीं हैं, दवाइयां कारगर साबित नहीं हुई । मैं यह कहना चाहता हूं, वह कौनसी ऐसी एजेन्सी है जिनके माध्यम से यह सप्लाई

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रामकरण सिंह)

की जाती है ? क्या परमात्मा ऊपर से बरसाता है, क्या जमीन से वह उगती है ? माननीय जो सरकार चलाने वाले हैं उन्हीं के अपने चहेते यह सब चीज करते हैं। इनमें कमीशन लेते हैं । माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह तय कर लें या कोरी थोथी बातें करना छोड़ दें, किसानों के लिए हमदर्दी दिखाना भोले भाले किसान के लिए हमदर्दी दिखा कर दो तीन मौके पर उनको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन धीरे धीरे वह जागरुक हो रहा है वह नहीं बनता जायगा बेवकूफ आपको लोहे के चने चबवायेगा। आप खाद समय पर नहीं दे सकते । खाद पर आप चुंगी लेते हैं और जितने भी उपकरण कृषि के हैं उन पर सैल्स टैक्स वसूल करते हैं । राजस्थान का किसान ही हिन्दुस्तान में ऐसा दुर्भाग्यशाली है जिसके ऊपर इतने टैक्सेज, चुंगी यह सब चीजें लगाई जाती हैं। चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी यह नहीं ली जाती है और यहां का किसान इतना मूक है, पशु की तरह है कि बोल नहीं सकता, आन्दोलन नहीं कर सकता इसलिये आप उसको चाहे जैसे जितने टैक्सेज और टैक्सेज के ऊपर जितना दबा सकते हो, दबाये जाते हो । आप करोड़ों रुपया उन फार्मों के उपर खर्च करते हो, अपने चहेतों को पालते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से उनको फायदा पहुंचाते हैं। जो कृषि फार्म चलते हैं, चाहे गंगानगर में हों, चाहे पड़ौस में बसई में है, चाहे दूसरी जगह हों, वहां करोड़ों रुपयों से लूले और लंगड़े पलते हैं आपके। वहां खाद बीज पैदा नहीं कर सकते हैं ? जो इन लोगों को मुहैय्या करा सको, किसानों को मुहैय्या करा सको। यही नहीं, बीज के विश्वास पर जो किसान 12 महीने अपनी आस लगाये बैठे रहते हैं, लू के अन्दर तपता है, उन ठंडी हवाओं, जो तीर जैसी चुभती है, के अन्दर अपने कुटुम्ब को बाहर जंगल में खुले आसमान में छोड़ता है उस फसल को पैदा करने के लिए लगा रहता है लेकिन जिस समय आता है टाइम बीज का, बीज या तो उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध हो गया तो आप धोखा देते हो, फोर ट्वन्टी करते हो, खराब बीज देकर उसे बरबाद कर देते हो। किसान की बात कहने वाले क्या इस बारे में कभी सोचते हैं ? एक दफा मैं कहता हूं, 302 दफा का जुर्म खराब बीज देने वाले पर आप लगाइये, फिर देखते हैं कौन देता है। मैं कहता हूं मेरे यहां कोटपूतली में कम से कम हजारों बीघा जमीन में ऐसा बीज है जो सूखे का सूखा रह गया है। यह हालत है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्रीजी आज ही इस बारे में घोषणा करें, कम से कम ट्रैक्टर और दूसरे औजार जो कृषि के काम में आने वाले हैं उनके ऊपर जो टैक्स हमारे पडौस में हरियाणा में है उतना आप लगायेंगे। अगर आप यह नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप किसानों के हमदर्द नहीं हैं। आप भी अंकुश में आकर किसानों के ऊपर जुर्म करने वाले हैं। इसलिए आप यह ऐलान कीजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा यदि वह किसानों के हमदर्द हैं तो एक पाइन्ट ही ले लीजिये कि जो कृषि के औजार हरियाणा में जिस रेट पर उपलब्ध होते हैं उन्ही रेट्स पर सैल्स टैक्स और चुंगी खाद बगैरा के ऊपर आज ही उनके

(श्री रामकरण सिंह)

बराबर कर दीजिए और इसी रेट से यहां मिले, यह निर्णय कीजिये और घोषणा कीजिए वरना केवल थोथी बात कह कर किसानों को धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं, हर गांव और हर घर में पिछले दिनों लोक सभा और असेम्बली के चुनावों में घोषणा की थी, कृषि मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी तीनों सुन लें, कि बंजर और बारानी भूमि का लगान माफ करेंगे । यह घोषणा कहां गई ? मैंने उस समय कहा था कि बारानी भूमि का लगान माफ करें तो उस समय कहा कि एक साथ सब नहीं कर सकते, दूसरी बातें और होंगी । आज किसान शहर के दुकानदारों की तरह दुकानें बन्द करके आन्दोलन नहीं कर सकता । रोडवेज या ट्रांसपोर्ट की तरह कोई चक्का जाम नहीं कर सकता इसलिए उसकी बात नहीं सुन सकते । आज माननीय सदस्य कहते हैं कि 80% आदमी हिन्दुस्तान के काश्तकार हैं । तो उनके द्वारा जीते हुए आप लोग यहां हो । आप लोगों की चाहिए पार्टी का अंकुश होता है अनुशासन के लिए, लेकिन यह जायज मांग है । इस मांग के लिए आपको तय करना चाहिये कि कम से कम किसान को जो औजार और खाद उपलब्ध होती है उस पर चुंगी और सैल्स टैक्स हरियाणा की तरह ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिये । यह मेरी मांग है ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, अगर वास्तव में सभी दलों के माननीय सदस्य यह चाहते हैं, उनसे में निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसान से प्यार है तो आप वह प्यार यहां दिखाएं और निर्णय करके जायें कि हमें कम से कम पक्षपात नहीं करना है । आज देश में राजस्थान के किसान ही इस तरह के गये बीते साबित नहीं होने चाहिये कि उनको आप गधे की तरह लादते जायें । उनको भी दूसरे प्रान्तों की तरह हक मिलना चाहिये और आपको देना चाहिये, यह आप तय करें ।

इसके अलावा कृषि के बारे में एक विश्वविद्यालय है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा राजस्थान ही एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश है जहां 80% लोग जिस पेशे में रहते हैं और काम करके अन्न, कपड़ा, गन्ने के रूप में मीठा, ऑयल सीड्स देते हैं, दुनियां की फैक्टरीज चलाते हैं उनके लिए मात्र एक विश्वविद्यालय है । इसलिए इस विश्वविद्यालय के बारे में भी यदि, कृषि मंत्री जी, आपके पास पैसे की व्यवस्था कम हो तो कम से कम एग्रीकल्चर स्कूल तो चालू कर दीजिये । इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपको 50 बीघा पक्की जमीन पर जो सरकार की है । पावटा ग्राम में एस. टी. सी. चलती थी वह बन्द हो गई । बिल्डिंग है मौजूद, 50 बीघा जमीन है, वहां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चालू कीजिए । हायर सैकण्डरी मौजूद है, अगर यह करेंगे तो आपको कोई विशेष खर्चा नहीं पड़ेगा । मामूली तनख्वाह का ही सवाल है । 50 बीघा पक्की जमीन, कूआ, ट्यूब वैल और भवन है जो खाली पड़ा है । इसलिए इसको काम में ले सकते हैं ।

सभापति महोदय, आज गांव में ग्राम सेवक, व्यवस्थापक और पटवारी यह तीन

(श्री रामकरण सिंह)

बीमारियां हैं। इन तीनों को आप एक बीमारी कर दीजिए। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि खर्चा कम करो। तो ग्राम सेवक गांव में कुछ भी काम नहीं करता, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं, छिपायें तो बात दूसरी है। दूसरा व्यवस्थापक केवल चीनी गांव में ले जाकर कभी भूले भटके अगर उसका स्वार्थ हो तो बांट देता है बाकी फर्जी कागजात तैयार करके लोन हड़पना और लोगों को फंसाने की व्यवस्था करता है। लाखों के घोटाले सहकारिता मंत्री जी के सामने हैं और कोई काम नहीं करता। पटवारी केवल लगान वसूल करता है और बाकी का टाइम लोगों को भिड़ाने के लिए किसी की जमीन किसी के नाम करता है इसलिए इन तीनों का एक ही बना दीजिये तो आपको बचत होगी, फायदा होगा और अंकुश भी रहेगा।

दूसरे, हर पंचायत समिति और सब डिवीजन में आपने एक-एक कृषि अधिकारी रखे हैं उनका कोई उपयोग नहीं है, वे बिल्कुल अनजान हैं। मैं साफ कहता हूं कि खेती के बारे में कोई किताबी नॉलेज काम नहीं दे सकता, खेती के बारे में तो प्रेक्टीकल अनुभव ही काम दे सकता है। तो किताबी नॉलेज के हिसाब से आपने ग्राम सेवक बना दिये। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसा ढ़ांचा, जाल सा बुन दिया तो आप इन किसानों के विभाग को तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखिये ताकि राष्ट्र स्वच्छ बन सके। जैसी कि कहावत है "जैसा खायगा अन्न, वैसा होगा मन।" अगर किसानों के प्रति चार सौ बीसी होगी तो व्यक्तियों के मन में भी चार सौ बीसी आएगी। इसलिए इस विभाग में तो ऊपर से नीचे तक छंटनी करके सफाई ला दीजिए ताकि और विभागों की तरह यह गन्दा नहीं बने। ग्राम सेवक आपके कोई काम नहीं कर सकते तो वह काम पटवारी से ले सकते हैं। पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी और उप जिला में अधिकारी होते हैं वह नहीं रख कर केवल जिले के कृषि अधिकारी रखिये, उनके माध्यम से काम लीजिए।

इसके अलावा सहकारिता के बारे में दो शब्द, माननीय मंत्रीजी के क्षेत्र झालावाड़ की बात कहना चाहता हूं। वहां केन्द्रीय सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कोई मि. जैन हैं उन्होंने छपाई के साढ़े तीन लाख का हिसाब बैठाया। हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने 28.6.88 को आदेश दिया कि यह छपाई न करायें। उस आदेश को बताये ताकि रख कर उन्होंने छपाई का काम करवाया साढ़े तीन लाख का और आज वह पड़ा पड़ा सड़ रहा है, दीमक खा रही है, कोई काम नहीं आ रहा है। इसी तरह कई लाख का फर्नीचर रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद खरीदा, उनकी परवाह नहीं की और लाखों रुपये दलाली के लिए। लाखों रुपये लेकर सैल्स मैन और व्यवस्थापकों को नौकरी पर लगाया उनको ऊंची ग्रेड दे दी और रजिस्ट्रार का इसमें भी काबू नहीं है। इसलिए यह क्या ऐसी जादू की छड़ी है इन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास कि इतनी चीजें होने के बावजूद रजिस्ट्रार की कुछ परवाह नहीं और रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर पाये। संयुक्त रजिस्ट्रार, कोटा ने इनकी जांच की और इनको हटाने और सस्पेण्ड करने के लिए निर्णय दे दिया, रजिस्ट्रार को अक्टूबर

(श्री रामकरण सिंह)

1989 में और शीर्ष बैंक के मैनेजर को भी दिया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा व्यवस्थापकों की यूनियन ने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया 9.3.90 को, तबादला भी हुआ लेकिन 15 दिन बाद कौनसी जादू की छड़ी उनके ऊपर असर कर गई

(4.19 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

कि वह एस. के जैन वापस वहीं आ गये और उन व्यवस्थापकों और सैल्स मैन यूनियन वाले को कहने लगे कि आपने मेरा क्या कर लिया ?

इसलिए ऐसे अधिकारी को जो चैलेंज करके आपके रह रहे हैं, या तो मैं कह सकता हूं कि माननीय सभापति महोदय, एक जगह गड़बड़ी नहीं, कई जगह गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को सम्भालो। माननीय मंत्रीजी तो ऐसे नहीं लगते लेकिन न जाने उनके पीछे ऐसा कोई चहेता है जो उनके पीछे लगा हुआ है और ऐसे काम करने को मजबूर कर रहा है। इसलिए आप यह देख लीजिये।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और कहूंगा। कोटपूतली की क्रय–विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुये आठ महीने हो गये। डाइरेक्टर्स के चुनाव हो गये। मैंने पर्सनली माननीय मंत्रीजी को लिखकर दिया, मैंने खूब टेलीफोन किये। मैंने कॉआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों से भी कहा लेकिन न जाने माननीय मंत्री को कह्यो कोणी चालेया कै बात होगी भगवान ही जाने। ऐसा लगता है कि मंत्री जी चाहते हैं, दिल साफ है उनका, मगर न जाने किसी अधिकारी की वजह से कौनसी अड़चन आ रही हैं कि डिपार्टमेंट उस काम को नहीं करना चाहता। डाइरेक्टर्स के चुनाव हो गये दस को और उसके बाद में एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा और आठ महीने हो गये लेकिन कहते है कि साहब, हम तो चुनाव करवाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आपको यह डिपार्टमेंट ले डूबेगा। बहुत साफ कहता हूं। इसलिए आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहो और बाकायदा उनकी हर चीजों की जानकारी लो। और माननीय मंत्री महोदय, इस तरह से डिपार्टमेंट वालों से गुमराह न हो। यह मेरा विशेष निवेदन है। क्योंकि मैं भी आप लोगों का शुभ चिन्तक हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं सहकारी विभाग की मांगों पर मेरे से पूर्व वक्ता कोटपूतली से आये माननीय सदस्य ने जो बात झालरापाटन केन्द्रीय सहकारी बैंक के सम्बन्ध में कही है, एक बात उसमें मैं अपनी और जोड़ना चाहता हूं। सभापति महोदय, श्रीमान् जैन जो कि इसके एम. डी. हैं बैंक के, उनके खिलाफ एक जांच जोइन्ट रजिस्ट्रार, जयपुर के द्वारा विचाराधीन है और मैं उसकी जांच के आदेश को पढ़कर अपनी बात को खत्म करूंगा। बाकी माननीय मंत्री जी पर निर्भर है कि उस जैन साहब को वहां से हटाये या उनके वहां रहते हुये. उन परिस्थितियों में जांच हो सकती है या नहीं हो सकती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बात कर रहे है मंत्री जी, सुन नहीं रहे है। चौपाल बना रखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सब सुनते हैं, बहुत ज्यादा कान लगाकर सुन रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आदेश, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, झालरापाटन के प्रबन्ध संचालक श्री ए. के. जैन द्वारा संस्था में कार्यरत....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री जी सारा सुन रहे हैं बहुत ज्यादा कान लगाकर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप अपनी सीट पर पधारें। सभापति महोदय, श्री ए. के. जैन द्वारा संस्थान के कार्य समिति के व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों, जो कि चयनित नहीं हैं, को व्यवस्थापक के पदों पर लगाकर चयनित व्यवस्थापक का वेतन देने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृति जारी कर अनाधिकृत कार्य किया है एवं इससे संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इस कारण झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. झालरापाटन की कार्य प्रणाली आदि की जांच करवाई जानी आवश्यक हो गई है। मैं, सभापति महोदय, आपसे यही निवेदन करता हूं कि श्रीमान् ए. के. जैन साहब, यदि वहां रहेंगे तो यह जांच जो विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है वह निष्पक्ष रूप से हो सकेगी क्या? यह माननीय मंत्री महोदय के विवेक पर निर्भर है'। सभापति महोदय, मेरा यहां जो अजमेर में केन्द्रीय सहकारी बैंक है, उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके जो चैयरमैन साहब हैं, वे आज हमारे यहां राजस्थान के राज्य मंत्री है।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : डॉक्टर हरि सिहजी की बहन के बारे में तो आप कुछ बोलो.... ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : क्या फरमाया? मैं ठीक कर दूं? हम तो यह उम्मीद करते है आपसे। आपने जो घोषणायें की कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा.... ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उसमें काम तो बताओ। वे कह रहे हैं कि डॉ. हरिसिंह जी का जो है उसके बारे में उनको कहो कि वे इसको सुधारें।

एक माननीय सदस्य : तब क्या मजबूरी थी?

श्री सभापति : कृपया परस्पर बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हमारी यह मजबूरी थी। यह जो सारी चीजें है, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत साफ तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि....। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। आप नोट भी नहीं करेंगे तो बाद में मैं आपको लिख कर दे दूंगा। इस बैंक ने अपनी शीर्ष बैंक के आदेश, जो आपकी अपेक्स बैंक है, उसने 26.4.90 को आदेश दिया कि अकृषि कार्यों के लिए ऋण वितरित नहीं किया जाये। मुझे अफसोस है यह बताते हुये कि इन आदेशों के विपरीत वहां पर ऋण वितरित किया गया बीस लाख रुपये का। सभापति महोदय, इस तरह से

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अकृषि कार्यों के लिए ऋण देने के लिए मापदण्ड नाबार्ड के द्वारा बनाये हुये हैं लेकिन इस बैंक ने नाबार्ड के उन मापदण्डों का उल्लंघन करते हुये, एक प्राइवेट संस्था है राजकोन, उससे योजनायें बना कर प्रोजेक्ट बनवाकर यह ऋण वितरित करवाया गया, जो बिलकुल गलत है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिनांक 4.5.90 को यह निर्णय लिया कि ऋण वितरण....। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभापति महोदय, यह स्थिति क्यों आई ? पूर्व मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं। आप उसके ऊपर भी प्रकाश डालिये।

श्री सभापति : आप बोलते रहिये। माननीय सदस्य, बोलिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके लिए आप रेसपोंसिबल है, उसके लिए आप जवाब देंगे। 297 पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मंत्री महोदय जी का जवाब श्री महावीरजी दे रहे हैं। यह बात हमारे समय की नहीं है। आप तारीख अच्छी तरह से सुनिये।

श्री सभापति : उनको भी विरोधी पक्ष ने मंत्री बना रखा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पहली तारीख थी 26.4.90 जो आपके समय की है। दूसरी जो मैं बता रहा हूं वह तारीख है 4.5.90 जो भी आपके समय की है। उस समय यह निर्णय लिया गया कि जो ऋण दिये गये हैं अकृषि कार्यों के लिए, उनका फिजिकल वेरीफिकेशन पन्द्रह दिन बाद किया जायेगा ताकि वास्तव में जिस काम के लिए वह ऋण दिया है उसके उपयोग में आया है या नहीं। लेकिन बैंक के चैयरमेन साहब ने और एम. डी. साहब ने उस निर्णय को अभी–तक लागू नहीं किया। चूंकि यह बात बहुत स्पष्ट है कि इसका फिजिकल वेरीफिकेशन होगा तो पता लग जायेगा कि गलत लोगों को निर्णय दिया इसलिये वे करना नहीं चाहते हैं। तो भी आप करवा लीजिये।

चौथा, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय, इसी तरह से 16.4.90 को बैंकों के शाखा व्यवस्थापकों की एक मीटिंग एम. डी. साहब के यहां पर हुई और उसमें यह निर्णय लिया एम. डी. साहब ने कि अकृषि कार्यों के लिए 16.4.90 के बाद में कोई ऋण वितरण नहीं किया जायेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऋण वितरण किया गया। खास तौर से ब्यावर में ऋण वितरण किया गया। आप उनकी जांच करवायें।

इसी तरह, मंत्री महोदय, आपकी इस अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बहुत से लोगों की एफ. डी. जमा है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर समय पर आपने इसका निराकरण नहीं किया तो जिन लोगों ने एफ. डी. जमा करवा रखी है, वे लोग अपनी एफ. डी. निकलवा लेंगे। और आपका यह बैंक डिजोल्व होगा एवं लिक्वीडेशन में आ

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जायेगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि बीस लाख रुपये की एफ. डी. ब्यावर की है। माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच कर ले, बीस लाख रुपये की एफ. डी. ब्यावर में जो कृषि उपज मण्डी की है, उसने उस बैंक में जमा करवाये हैं। यह बीस लाख रुपये अकृषि कार्यों के लिए आपके बैंक ने लोगों को दे दिया। आज अगर ये बीस लाख रुपये मंडी मांग ले तो आपका बैंक उसी वक्त लिक्विडेशन में आ जायेगा। इस तरह की कार्यवाहियां ये बैंक कर रहे हैं और इसके साथ–साथ इस बैंक की डेढ़ साल से कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई। सात महीने से बैंक के डाइरेक्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई और सारे काम एम. डी. साहब और चैयरमेन साहब अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। इसके तहत भ्रष्टाचार की भी कई शिकायतें आपको की गई। आप जब ब्यावर पधारे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को, चूंकि उसने कोई पानड़ी चैयरमेन साहब के कहने से नहीं बनाई, उसका ट्रांसफर भीलवाड़ा करवा दिया। आपको लोगों ने शिकायत की। इसी तरह से आपके पास इसी विधान सभा के सदस्य श्री सांवर लाल, श्री शम्भूदयाल बड़गुजर आदि दो–तीन एम. एल. ए. आये और कहा कि इस तरह से. एम. डी. साहब ने एक हजार रुपये एक गरीब खटीक से लिये और उसके लिए उसने आपको एफिडेविट भी दिया, लिख कर भी दिया। वह मुख्य मंत्री के पास भी गया, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्यवाही न तो चैयरमेन साहब के खिलाफ हुई, न एम. डी. साहब के खिलाफ हुई। तो हम क्या समझें इस बात को, कि मुतवातिर आपको शिकायतें आ रही हैं, लोग शपथ-पत्र दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्य, यह भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। एक ही नतीजा निकाल रहे हैं कि उनको प्रश्रय दिया जा रहा है।

इसी तरह अनिल रावत निरीक्षक है, एक आपके यहां ए. ई. ओ. है, उसका ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उनकी पानड़ी से नहीं बनी। उनके कहने से गलत लोगों के लिए लोन एप्लीकेशन नहीं बनाई। अजमेर की कोर्ट में उसने दावा किया है और यही बात लगा कर उसने कोर्ट से स्टे भी लिया है। इन बातों को जब वह बैंक कर रही है और सब शिकायतें आपको मुतवातिर तौर पर बैंक के एम्पलाइज की ओर से, बैंक के डाइरेक्टर की तरफ से, और लोगों से, एम. एल. साहब से आपको मिल रही है, उसके बावजूद भी आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपसे उदाहरण के तौर पर दो–तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कृषि पर कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहता, दो–चार टप्पेदार बातें ही कहूंगा। इस सम्बन्ध में आपके मार्फत मैं सहकारिता मंत्रीजी को दो–चार उदाहरण/नमूने बताना चाहता हूं कि किस तरह से बैंक के चेयरमैन और एम. डी. लोन दे रहे हैं। एक पट्टी और कातले बेचने वाले आदमी को मूर्ति कला के नाम से 1.80 लाख रुपये दे दिये जबकि वह मूर्ति बनाना जानता ही नहीं। इसी तरह आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाने वाली कोई कम्पनी,

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें पास दवा बनाने का लाइसेंस नहीं है, उसको दवा बनाने के लिए रोनक आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से 1.80 लाख रुपये दे दिये। इसी तरह से ब्यावर में वेस्ट कॉटन रिफाइनरी की जितनी भी फैक्ट्रियां पहले लगी हैं, सारी फेल हो गई हैं और यह निश्चित है कि वहां यह चल नहीं सकती। इसके बावजूद भी, एतराज के बावजूद भी करीब 4.37 लाख रुपये उसको ऋण दे दिया। बैंक के एक डाइरेक्टर साहब ने चक्की लगाने के लिए ऋण लिया, चक्की लगाई नहीं और ऋण लेकर आराम से डाइरेक्टर बना हुआ बैठा है। इस तरह की हरकतें अगर बैंक में हो हो रही हैं तो वह बैंक कब तक चलेगा, कब तक लोगों का उसमें विश्वास रहेगा? यह मंत्री महोदय के विचार की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि जो श्योकरण खटीक ने एफीडेविट के साथ आपको शिकायत की है, एम. एल. ए. साहब के साथ शिकायत करी है, मूलचन्द व्यवस्थापक ने जो एफिडेविट के साथ सात सौ रुपया देने की शिकायत की है वह रोड के व्यवस्थापक और ऋण निरीक्षक के खिलाफ जो एफ. आई. आर. दर्ज कराने का आदेश कलेक्टर ने दिया है, वह नहीं करने की भी शिकायत है, आधाराम बावरी को पुनः व्यवस्थापक कैडर अथारिटी की अनुमति के बिना लगाने की जो शिकायत है, वह जो गलत कार्यवाही है, इस तरह की जो कार्यवाहियां बैंक में हो रही है और जो गलत चुनिंदा लोगों को पक्षपातपूर्ण तरीके से ऋण वितरण किया जा रहा हैं, यदि यही होता रहा तो यह बैंक और यह संस्थाएं बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को गम्भीरता से लेंगे और इस रोग का कोई इलाज जल्दी करेंगे ताकि ऐसी समस्या वहां पैदा न हो जाये कि यह बैंक लिक्विडेशन में चला जाये।

मैं कुछ बातें कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं—कृषि मंत्रीजी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृषि मंत्रीजी वन मंत्रीजी से चर्चा में व्यस्त हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं दो–तीन बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि इण्डियन सीड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने बनाया है। इस एक्ट के विरुद्ध बीज के विक्रेताओं ने, जो बीज उत्पादन करने वाली बहुत बड़ी–बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट करके स्टे ले लिया। इस सीड एक्ट के प्रावधानों के स्टे करने के कारण आज तो केन्द्रीय सरकार के पास और न हमारे पास इस प्रकार की शक्तियां हैं कि गलत बीज बांटने वालों के खिलाफ हम कोई प्रभावी कार्यवाही कर सकें। इसी तरह मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो लैंप टू लैण्ड का प्रोग्राम है, यह भागीरथ योजना जो आपने चलाई है, इसके तो रिजल्ट बाद में आयेंगे, तभी पता लगेंगे लेकिन मेरा यह अनुभव है कि जो कृषि विस्तार के कार्यकर्ता हैं, यह व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं समझता हूं, इसमें कोई भागीरथ पैदा होगा, यह मुझे सम्भव लगता नहीं। आप कर सकें तो बहुत खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद है कि आपके लॉ सैक्रेटेरी साहब हैं शायद वह ढूंढ कर कोई ला सकें। लेकिन व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है, उनकी

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि वह बियोन्ड रिपेयर है, उनमें सुधार होना सम्भव ही नहीं है। अब आप एक पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, इतने साल से बैठे-बैठे उनकी आदतें खराब हो गई, पैसा खाने की, अब आप उनसे उम्मीद करें कि इनमें कोई भागीरथ आ जायेगा, मुझे तो उम्मीद नहीं।

दूसरी बात जो रघुवीर सिंहजी कौशल साहब ने भी आपको कही, और भी दूसरे साथियों ने कही, यह जो डाइरेक्टर साहब हैं, यह तो ठीक है कि हमारे मीठालालजी मेहता किसान हैं खुद, खेती का काम जानते हैं, करते भी हैं लेकिन जो हमारा डाइरेक्टर बनता है वह डाइरेक्टर तो कम से कम कोई कृषि का आदमी बना दीजिए जो कम से कम यह तो समझ सके कि जौ का बीज क्या है, गेहूं क्या है, गेहूं की डाली क्या है और जौ की डाली क्या है ? मेहरबानी करिये यह तो। हमने कोशिश की, हम उस कोशिश में असफल रहे। छह महीने वह डाइरेक्टर रहे, बाद में फिर एक आई.ए.एस. लाकर बैठा दिया। तो यह 'jack of all trade but master of none' वाली जो बात चल रही है, मेहरबानी करके आप हौंसले के साथ करिये, इस काम में हम आपके साथ हैं। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपीराम चौधरी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 और 37 के विषय में बोलना चाहता हूं और इसका समर्थन करता हूं। कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि जयपुर की आवासीय योजनाओं का जो विस्तार हो रहा है और उस विस्तार में हजारों बीघा जमीन, जो कृषि योग्य है, उनके ऊपर आवासीय कॉलोनियां बसा कर किसानों को भूमिहीन किया जा रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन आवासीय योजनाओं को निरस्त कर उपजाऊ भूमि को, जिसमें किसान एक-एक साल में चार-चार फसल पैदा करता है, उस किसान को भूमिहीन नहीं किया जाये। इसी के साथ-साथ जयपुर तहसील और आमेर तहसील के अन्दर जो आर्मी एरिया में एक्वायर की हुई जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, आर्मी एरिया उबड़-खाबड़ जमीन या पहाड़ी क्षेत्र में भी बसाया जा सकता है। इस प्रकार निवारू और मूण्डोता ऐसे गांव हैं उनमें फायरिंग रेंज के लिए जो जमीन एक्वायर की गई है उनको निरस्त किया जाये। क्योंकि पहले फायरिंग रेंज विद्याधर नगर जहां कॉलोनी बसाई गई है, उसमें था और उसकी बजाय निवारू में भूमि अवाप्त की गई है, वहां पर आबादी इतनी बढ़ गई है कि उस जगह भी फायरिंग रेंज नहीं बन सकता। अतः उस जमीन को और मूण्डोता में जो जमीन अधिग्रहण करने की योजना है, उन दोनों योजनाओं को निरस्त करके जिस उपजाऊ जमीन में किसान अच्छी पैदावार कर सकता है, जयपुर में, खास तौर से मात्र एक जयपुर तहसील और आमेर तहसील ऐसा एरिया है जहां पर अच्छे किस्म की जमीन है और अच्छी फसल की पैदावार उस एरिया में होती है तो उनको डि-एक्वायर किया जाये।

इसी के साथ-साथ कृषि पर आधारित उद्योगों के विषय पर निवेदन करना चाहूंगा

(श्री गोपीराम जाट)

कि जयपुर जिले में टमाटर की और इसी तरह की अच्छी पैदावार होती हैं जिसमें कि यहां के किसानों को अपनी उपज, खास तौर से टमाटर, जो जयपुर और यहां पर भी पूरी फसल की बिक्री न होने पर उनको दिल्ली तक की मण्डियों में टमाटर बेचने के लिए जाना पड़ता है, मेरा अनुरोध है कि टमाटर पर आधारित उद्योग इस क्षेत्र में लगाये जायं तो यहां के किसानों को अपनी उपज के पूरे पैसे मिल सकेंगे और उनको दर-दर छोटी छोटी मंडियों में नहीं घूमना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ मैं कृषि उपज मंडियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कृषि उपज मंडी द्वारा जयपुर जिले में जितनी भी सड़कें निर्मित हुई है उनकी बहुत खराब हालत है। उनके बनने के बाद उनके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, न क्वालिटी कण्ट्रोल की व्यवस्था की जाती है। मेरा ऐसा अनुरोध है कि इनके रख रखाव, निर्माण और रिपेयर के लिए अलग अलग डिवीजन खुल जायें तो आस-पास की सड़कों की जो दुर्दशा हो रही है वह सड़कों की हालत ठीक हो जायेगी और गांवों के लोगों को इससे राहत मिलेगी।

मण्डी समितियों द्वारा कई गांवों में मण्डी यार्ड बनाये गये थे वहां पर खाली प्लेट फार्म बनाकर छोड़ दिये गये थे। वह इसलिए बनाये गये थे कि गांव के लोग वहां अपनी उपज लेकर बेच सकें। एक-एक यार्ड पर पांच-पांच और सात-सात लाख खर्च हुआ था। उदाहरण के तौर पर बोराज और बिचून गांव में इन यार्डों को देखने मैं गया हूं लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पाता है। वहां कोई बैठता नहीं है, जिसकी वजह से किसान को अपनी उपज शहरों में लानी पड़ती है और वहां जो पैसा लगा उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है।

नाबार्ड के अन्दर जो कृषि विस्तार के कार्यालय खुले हैं, खास तौर से जहां की मेरे को जानकारी है, झोटवाड़ा के पास एक कृषि विस्तार का आफिस है जिसमें 6–7 कर्मचारी काम करते हैं लेकिन देखने में यह आता है कि यह कर्मचारी और अधिकारी किसान से कभी सम्पर्क नहीं करते हैं और न वहां किसान आते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो दफ्तर हैं वह बेकार हैं और किसानों के हित के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। न वह सम्पर्क करते हैं और न किसानों को अच्छी सलाह देने के लिए गांवों में यात्राएं करते हैं।

किसानों के कुओं के निर्माण के लिए भूमि विकास बैंक से जो लोन स्वीकृत किया जाता है वह 17 से 20 हजार का है। आज के इस जमाने में जहां सीमेण्ट का भाव 80 रुपए कट्टा है और अन्य सामग्री बहुत मंहगी है। इस स्थिति में कुओं का निर्माण बहुत मंहगा हो गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि यह 17 से 20 हजार तक की जो राशि है इसको बढ़ाया जाय और इसके साथ जो सब्सिडी दी जाती है वह तो है ही।

डार्क जोन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर तहसील और आमेर दोनों तहसीलों को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। और एक माननीय सदस्या बता रही है कि जमवारामगढ भी डार्क जोन में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना

(श्री गोपीराम जाट)

भी होगा कि बांडी बेसिन योजना बनायी गयी है। उसकी काफी चर्चा भी रही थी। यह योजना जयपुर और आमेर तहसील दोनों के लिए बनायी गयी है। तब सरकार के जो अधिकार हैं उनको वहां पानी कहां से नजर आ गया। अब वहां पर डार्क जोन बना दिया कि इसमें पानी नहीं है। इसको मैं किसान के साथ धोखाधड़ी मानता हूं कि पानी पीने के लिए तो मिल गया लेकिन खेती के लिए पानी उनको नजर नहीं आ रहा है जिससे किसानों को जो सुविधाएं बैंक वगैरह से मिलनी वाली थीं उससे किसान वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस डार्क जोन को खत्म किया जाय।

सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति में सहकारी प्रसार अधिकारी का पद है। खास तौर से जयपुर जिले में देखने में यह आया है कि पंचायत समितियों में इन अधिकारियों का कोई काम नजर नहीं आता है। जितनी ग्राम सहकारी समितियां हैं वह डायरेक्ट जयपुर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई हैं। सारा लेन देन उसी बैंक के माध्यम से होता है लेकिन फिर भी सहकारी अधिकारी बैठा रखा है जबकि इनका कोई काम वहां नजर नहीं आता है। इसके वनिस्पत मेरा मानना है कि वहां उद्योग प्रसार अधिकारी लगाया जाय तो गांव के किसानों को, ग्रामवासियों को लघु उद्योग लगाने के लिए सलाह देते और उद्योग लगते तो गांव के लोग जो कृषि पर ही निर्भर हैं छोटे-छोटे उद्योगों की ओर अपने को डायवर्ट कर पाते।

इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–36 सहकारिता और मांग संख्या 37–कृषि के ऊपर विचार और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री जगतसिंह दायमा : मेरा नम्बर है।

श्री सभापति : आपका नाम है, बिराजें। आपका नाम आयेगा।

श्री जगतसिंह दायमा : नाम है तो कब आयेगा ? मेरा नाम पहले है, आप देखें तो सही।

श्री सभापति : आप बिराजें। आपका नाम आ जायेगा।

माननीय श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय सभापति महोदय हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें 85 प्रतिशत लोग किसान हैं। लेकिन जब भी किसान की बात आती है तो बजट कम रखा जाता है इस-

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

लिए जो कृषि के बारे में बजट रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारा देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है जब तक खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान न दिया जाय। खेती को उद्योगों का दर्जा दिया जाय क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगों को मुआवजा दिया जाता है, उनको सस्ती रेट पर बिजली दी जाती है लेकिन हमारे किसानों को वह भी उपलब्ध नहीं होती है और पानी भी सस्ती रेट पर उपलब्ध नहीं किया जाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप आते है तो उसके लिए भी हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता है और फसल नष्ट हो जाती है तब भी हमको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि हम लोगों को जो बीज और खाद दिया जाता है वह भी मंहगे भाव पर दिया जाता है। किसान जो बीज पैदा करता है उसको सस्ते भावों पर खरीदते हैं और जब किसान वापस लेता है तो उसको मंहगे भाव पर मिलता है। तो बीज और खाद सस्ती रेट पर देने का इन्तजाम करें।

खाद और बीज में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। खाद असली न दी जाकर नकली दी जाती है। उसको भी सरकार को देखना चाहिए और इसका भी प्रबन्ध करना चाहिए। इसको सरकार अपने हाथ में लेकर उनको उपलब्ध कराये जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके।

राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों फसलों पर बीमा योजना लागू करें। वैसे तो सरकार बहुत बड़ी-बड़ी बात करती है परन्तु जब उद्योगों पर बीमा योजना लागू हो सकती है तो किसानों के खेतों के ऊपर यह योजना क्यों नहीं हो सकती है? किसान के खेत पर भी बीमा योजना लागू करनी चाहिए, यह भी मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी।

किसान को जो दवा दी जाती है वह बहुत मंहगे भाव पर दी जाती है और वह भी नकली दवा दी जाती है। इसका भी इन्तजाम करना चाहिए कि उनको अच्छी से अच्छी दवा दी जा सके। मैं दवा के सम्बन्ध में एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि हमारे गंगानगर जिले के अन्दर कपास सबसे ज्यादा पैदा होती थी लेकिन आज हालत यह है कि दिनों दिन कपास की खेती कम होती जा रही है। वह इसलिए हो रही है कि इसमें काफी बीमारी लगती है और उनके ऊपर जब दवा छिड़की जाती है तो उसका कोई असर नहीं होता है और कपास की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि इस ओर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गंगानगर जिला राजस्थान के अन्दर पहले नम्बर का जिला है जो कि राजस्थान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अच्छी से अच्छी दवा हैं, वह किसानों को उपलब्ध कराई जायें जिससे कि वहां की जो कपास की खेती है, वह बचायी जा सके।

दूसरी बात मैं गन्ने की कहना चाहूंगी हमारे गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती हुआ करती थी। लेकिन आज दिनों दिन वह नाम मात्र की खेती रह गई है। क्योंकि उसके ऊपर जो खाद और बीज का खर्चा आता है, वह इतना मंहगा हो गया

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

है कि आज उसको बेचते हैं तो उसका फायदा किसान को नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। इसलिए जो गन्ना हमारे गंगानगर जिले में होता है, उसको बचाने के लिए भी आप लोगों को गंगानगर की तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगी कि कृषि के अन्दर जो उपकरण काम आते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रोली हो, हल हो, यह सब चीजें किसानों को सस्ती दर पर सरकार उपलब्ध कराये जिससे कि जो गरीब किसान हैं, वह सही ढंग से खेती कर सकें। इसका भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं सभापतिजी, आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

दो साल पहले भयंकर तरीके से गंगानगर जिले में बाढ़ आई थी और बाढ़ के अन्दर लाखों बीघा जमीन डूब गई और वहां के लोग बेघर हो गये। लेकिन उनको मुआवजा नाम की चीज एक पैसे की भी नहीं दी गई, इसलिए इसकी ओर ध्यान दें। गंगानगर जिला आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इसलिए अगर आपको फायदा होगा तो इन लोगों को इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उस टाइम में जो हमारे प्रधान मंत्री थे, वह राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने हिमाचल प्रदेश के अन्दर मुआवजा दिया, पंजाब में दिया, लेकिन राजस्थान के अन्दर एक पैसा का भी मुआवजा नहीं दिया गया। हमारे गंगानगर जिले के अन्दर खेती और फसल का नुकसान तो हुआ ही है, वहां पर हजारों ट्यूबवैल भी नष्ट हो गए। मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अन्दर जो गंगानगर जिला है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये और बाढ़ जैसी चीजों के ऊपर भी पैसे खर्च करने का प्रावधान रखा जाये, जिससे किसान को फसल पर पैसे बच सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

जोधपुर के अन्दर काजरी संस्था के नाम से एक संस्था चलती है। टीबा स्थिरीकरण पर व काजरी संस्था पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। वह काजरी संस्था अगर लाभदायक हो तो फिर यह जो अकाल पड़ते हैं, उससे भी उस संस्था के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, वह यह है कि उस भूमि के अन्दर फसल पैदा हो सके। लेकिन अगर उस जगह इस तरह की कोई बात है, उस जगह करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। उस सूखी खेती के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वह करोड़ों रुपये यदि किसानों को दिये जायें तो उनको लाभकारी मूल्य दिया जाये तो उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसान की कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय बृजराज मीणा।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि की मांगों पर कोटा जिले की कृषि मंडियों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे कोटा जिले में कोटा और

(श्री बृजराज मीणा)

बारां मन्डी तो ऐसी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इन्कम होती है और विशेष रूप से कोटा कृषि उपज मण्डी में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ करोड़ रुपये की आय होती है और भी कुछ ऐसी छोटी-छोटी मण्डियां हैं अन्ता, इटावा, सांगोद- जहां पर तनख्वाह देने के लिए ही पैसा आता है, तो कोटा में यह स्थिति है कि वहां का प्रशासन यह सोचता है कि इस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाये । जबकि दूसरी जगह की यह व्यवस्था है कि वहां पर तनख्वाह देने के अलावा और कोई पैसा नहीं बचता है । कोटा कृषि उपज मण्डी में गांव-गांव में लिंक रोड बन गई जबकि और दूसरी मण्डियों में एक किलो–मीटर सड़क भी नहीं बनी ।

श्री अर्जुनदास मदान : जैसे डाक्टर की फीस होती है, स्कूल की फीस होती है कालेज की फीस होती है, फीस के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, किसी संस्था का अधिकार होता है। उसका अधिकार होता है जो इसको वसूल करता है। आप कानून की पुस्तक में पढ़ लीजि–एगा। मान्यवर इसमें यह लिखा हुआ है कि मण्डी टैक्स नहीं है ।

श्री सभापति : आप विराजिए, मान–नीय सदस्य ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभा-पति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । यह आप जो सदन चला रहे हैं, किस प्रकार चला रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो लिस्ट आपके पास है। उसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है ।

श्री सभापति : आपके दल की जो सूची है, उसको उसी क्रम से चलाया जा रहा है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभा-पति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री सभापति : कौन से रूल में आप पाइण्ट आफ आर्डर रख रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आप सुनिये, ना। मैं पाइण्ट आफ आर्डर रख रहा हूं मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आप जिस तरह से हाउस को चला रहे हैं, एक स्पीकर को आपने बोलने की आज्ञा दी, वह स्पीकर दो तीन मिनट बोला। उसके बाद एक और स्पीकर खड़ा हो गया और वह बोलने लगगया। हो सकता है तीसरा और खड़ा हो जाये, आप इस तरह से चला रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर व्यवस्था दें।

(5.00 म. प.)

श्री सभापति : उनको विठा दिया।

श्री बृजराज मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड में एक विशेष तरह का फन्ड बनाया जाये कि उसका पैसा गांव की सड़कों और छोटी-छोटी पुलियाएं हैं, उन पर लगाया जाये। जो मण्डी कमेटियां ऐसी हैं, जिनमें तनख्वाह के अलावा पैसा नहीं बचता है, उनको विशेष रूप से अनुदान दिये जायें । माननीय सभापति महोदय, मेरी कांस्टी–ट्वेन्सी में सुल्तानपुर पंचायत समिति, अंता कृषि उपज मण्डी समिति गौण मण्डी हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह

(श्री बृजराज मीणा)

अनुरोध है कि सुल्तानपुर को अंता की गौण मण्डी से हटाया जाकर कोटा कृषि उपज मण्डी, गौण मण्डी बनायी जाये, जिससे मेरे दीगोद का और सुल्तानपुर की सड़कों का निर्माण हो सके।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना था कि मण्डी कमेटियों के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं। अधिकांश मण्डी कमेटियों के प्रशासक या सरकारी अफसर होते हैं। तो जो सरकारी अफसर होते हैं, उनको मण्डी कमेटियों के पैसे को कॉलोनियों पर या इस तरह के निर्माण पर खर्च करने का विशेष उद्देश्य होता है जैसे हाट बाजार बना दिये जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, राजगढ़ का। वहां पर कृषि उपज मण्डी समिति सांगोद का हाट बाजार बना हुआ है। वहां पर गायें बैठती हैं और कोई उपयोग में नहीं आता है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के जो निर्माण किये जाते हैं, जो उपयोग में नहीं आते हैं, उनको नहीं दिये जाये। वह पैसा जो कॉलोनियों में खर्च किया जाता है, इस तरह के निर्माण कार्य में खर्च किया जाता हैं, वह सड़कों पर खर्च किया जाये। इस सभी कार्यों के लिए माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से व्यवस्था करेंगे तथा शीघ्र ही कृषि उपज मण्डी समिति के चुनाव कराने की घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय, तीसरा मुझे निवेदन करना था कि आज काश्तकार अपना माल लेकर मण्डियों में आता है तो उसको पानी पीने के लिए भी अनाज देना पड़ता है। मण्डी कमेटी की ओर से पानी तक नहीं पिलाया जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री महोदय से कि काश्तकार को कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पिलवाने की व्यवस्था तो करें। कृषि उपज मण्डी समिति में कोई भी काश्तकार जाता है तो उसको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन कोई व्यापारी जायेगा तो उसको सम्मान दिया जायेगा। ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस काश्तकार को, जो दूरदराज के इलाकों से अपना माल बेचने के लिए आता है, कृषि उपज मण्डी के आफिस में आदर मिले। माननीय सभापति महोदय, कृषि की चर्चा हो रही है। सब्सिडी की जो कीटनाशक दवाइयां आती हैं वे दवाइयां या तो फसल में जब बीमारी लग जाती है उसके बाद जाकर पहुंचती हैं या समय पर पहुंचती भी हैं और काश्तकार उनको लेने जाता है तो कह दिया जाता है कि खत्म हो गयीं। ऐसी स्थिति में बीमारी लगने के पूर्व ही उन दवाइयों को भेजने की व्यवस्था की जाय, जिससे काश्तकारों की फसल में लगने वाली बीमारी की रोकथाम हो सके। माननीय सभापति महोदय, हमारा काश्तकार माल लेकर जब मण्डी में आता है तो सीजन के टाइम में उसको 15–15 दिन तक पेमेण्ट नहीं दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था की जाय कि उसको माल तुलने के तुरन्त बाद पेमेण्ट किया जाय। माननीय सभापति

(श्री बृजराज मीणा)

महोदय, ग्राम सेवक और कृषि प्रसार अधिकारी को निर्देश दिये जायें कि जब फसल बोने का समय आये उससे पूर्व ही वह गांवों में जायें। काश्तकारों को मौसम के बारे में बतायें, फसल के बारे में बतायें कि यह फसल उचित है, इसकी ज्यादा पैदावार हो सकती है। जितने भी ग्राम सेवक हैं सब कस्बों में रहते हैं, गांवों में जाते नहीं हैं। उनकी कोई ड्यूटी नहीं, उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं। उनके केवल तनख्वाह लेने के लिए वर्किंग आवर्स हैं, केवल तनख्वाह लेने के लिए ही वह जाते हैं। कृषि प्रसार अधिकारी या अन्य कृषि अधिकारी तो गांवों का कोई दौरा नहीं करते हैं। मिट्टी का टैस्ट वगैरह भी नहीं करते हैं कि यह बीमारी इसमें लगने वाली है, फसल में यह बीमारी लगने वाली है, इसकी कोई जानकारी नहीं देते। इस तरह की व्यवस्था करें कि ज्यादा से ज्यादा वह काश्तकारों से गांवों में जाकर सम्पर्क करें।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता की मांग पर भी थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूं। भूमि विकास बैंक द्वारा कोटा जिले की तहसील सांगोद में कुएं के लिए लोन दिया गया था। काश्तकारों को दो किश्त तो दे दीं, लेकिन तीसरी किश्त नहीं दी गई। जब टाइम निकल गया, दूसरी किश्त के बाद लेट हो गये तो उनसे कहा गया कि आप लोग डिफॉल्टर हो गये। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस काश्तकार की क्या गलती है? गलती है आपके प्रशासन की। आपके प्रशासन को चाहिए था कि वह तीनों किश्त बराबर टाइम पर देता। यदि उसके बाद काश्तकार रुपए जमा नहीं करता तो वह डिफॉल्टर होता। वह अपने कुएं का निर्माण नहीं करता है तो दोषी ठहराया जाता है। यह प्रशासन की गलती है। दो किश्तों से उसने कुएं का निर्माण कर लिया, अब बरसात में उसकी क्षति हो रही है। क्या सहकारिता विभाग ऐसी व्यवस्था करेगा कि उनको कम्पनसेट किया जाय? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सहकारिता की व्यवस्था में सुधार करें। अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आज से 10-15-20 साल पहले गबन-घोटाले हो गये थे। उन गबन-घोटालों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी रिकवरी की कोई कार्यवाही की जा रही है? मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी के ध्यान....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

में लाना चाहता हूं कि हमें खाद और बीज का लोन लेने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 20 पर्सेण्ट शेयर खरीदने पड़ते हैं। उस शेयर का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, केवल डिविडेण्ड दिया जाता है। कोटा जिले की एक भी सोसाइटी का आज तक डिविडेण्ड नहीं मिला। को-ऑपरेटिव बैंक का सारा पैसा लोन रिकवरी की प्रक्रिया में ही खर्च हो जाता है और उसके वास्तविक लाभ के रूप में काश्तकारों को जो डिविडेण्ड मिलना चाहिए वह आज

(श्री बृजराज मीणा)

तक नहीं मिला। रिकवरी का जितना पैसा खर्च होता है उसमें कटौती की जाय और काश्तकारों को लाभ का उनका हिस्सा--डिविडेण्ड दिलाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, ट्रैक्टरों और विशेष रूप से ट्यूबवैल के लिए लोन लेने के लिए काश्तकारों ने काफी संख्या में प्रार्थना पत्र दिये थे भूमि विकास बैंक को। परन्तु सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा उनका लोन आज तक भी सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। उनसे यह मांगा जाता है कि आप लाइट वालों से यह एश्योर कराकर लायें कि आपको दो साल में या एक साल में बिजली दे दी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या काश्तकार के बस का है कि वह बिजली वालों से आश्वासन लाये कि वह दो साल में देंगे और तब उसको लोन दिया जावेगा? इस तरह के अवरोधों को समाप्त किया जाय। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आपने जो समय दिया, उसके लिए आपको बार-बार धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या--36 और 37 का समर्थन करता हुआ अपनी बात कहने खड़ा हुआ हूं। कृषि किसान और राजस्थान एक ही शब्द के तीन अर्थ हैं। जहां कृषि की चर्चा करते समय हमें हमारे प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर भी सोचना पड़ेगा, वहीं उस किसान को भी याद करना होगा जो इस देश और प्रदेश का असली मालिक है, जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, जो इस देश का अन्नदाता है। हमें कृषि की बात करते समय यह भी सोचना पड़ेगा कि उस किसान का जीवन स्तर कैसे उठे जो अपने बचपन के नवें--दसवें बसन्त में हल की मूंठ पकड़कर खेत में जाता है, पूरी जवानी खेत--खलिहान में बिता देता है और जिन्दगी की संध्या में भी खेत और खलिहान में ही जुटकर देश की सेवा करता है। किसान प्रदेश की राजनीतिक दिशा मोड़ने में सक्षम है और एक दशक के बाद राजस्थान के किसान ने वापस राजस्थान की हुकूमत पर कब्जा किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भैरोंसिंह जी शेखावत, जो खुद एक किसान परिवार में जनमे, किसान के दुःख--दर्द को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनको इस प्रदेश के नेतृत्व का मौका मिला। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट के अन्दर 60 प्रतिशत खजाने का हिस्सा गांव के लोगों पर खर्च करने का फैसला लिया। यह स्वागत योग्य है। प्रदेश में खेती का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश के अन्दर सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो। इस बार बजट में 182.7 करोड़ का प्रावधान सिंचाई विभाग के लिए रखा गया है, जो पूर्व से लगभग 30 पर्सेण्ट अधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। सिंचित भूमि का रकबा बढ़े, इस हेतु कई परियोजनाएं राज्य सरकार ने हाथ में ले रखी हैं, परन्तु सभापति महोदय, समय के साथ-साथ इन परियोजनाओं का आकार भी बढ़ता रहता है, हनुमान जी की पूंछ की तरह कहीं कोई छोर नजर नहीं आता। आये साल यह जानने को मिलता है कि इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार सिंचित भूमि का रकबा बढ़ गया, परन्तु वास्तविकता इस बात से मेल नहीं खाती। सिंचित भूमि का रकबा कागजों में में बढ़ जाता है। जो भूमि वास्तव में बारानी होती है, जिसमें पानी नहीं लगता उसको सिंचित भूमि बताने पर किसान को सिंचित भूमि का लगान जरूर देना पड़ता है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिए जो इस चीज का आंकलन करे कि जो परियोजनाएं हाथ में ले रखी हैं उन परियोजनाओं से वास्तव में लाभ हो रहा है या नहीं, जिन परियोजनाओं से भूमि का सिंचित होना बताया गया है वास्तव में उन परियोजनाओं से भूमि सिंचित हो रही है या नहीं। इस तरह की एक समिति बनाकर इस चीज की जांच करनी चाहिए। सभापति महोदय, राजस्थान की कृषि के साथ राजस्थान नहर का नाम जुड़ा हुआ है। राजस्थान नहर में पिछले वर्ष 36500 हैक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने बताया कि 32200 हैक्टेयर भूमि सिंचित कर दी गई। परन्तु नहर के अन्दर नहर का निर्माण हुआ, सिंचित भूमि का रकबा भी बढ़ा, परन्तु भ्रष्टाचार की जो अटूट गंगा नहर के पानी के साथ–साथ बही वह भी अपने आप में सोचने की बात है। हमारे जिले से आने वाले माननीय सदस्य जो अपने आपको राजस्थान का भागीरथ बताते हैं और कई बार यह एलान करते हैं कि उनके समय में जब वह नहर मंत्री थे तो राजस्थान नहर के अन्दर जो निर्माण हुआ वह अपने आप में एक मिसाल है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय वैदजी के समय आर. डी. 1126 से लेकर 1196 का जो निर्माण हुआ और उसके अन्दर भ्रष्टाचार की गंगा बही उसका भी कोई सानी नहीं। हमारे तत्कालीन विपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंहजी ने इस बात को उठाया तो 45 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया जबकि वास्तव में राजस्थान नहर का काम आर. डी. 1126 से लेकर 1196 तक का माननीय बैदजी की देख रेख में हुआ था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर किसानों के सपनों के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं मंत्री जी कि जो लोग किसान के सपनों को तोड़ने का काम करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्य-वाही करने का मन बनाना चाहिए। इसलिए राजस्थान नहर के अन्दर जो इस साल की वार्षिक योजना है उस पर भी आपकी पैनी निगाह रहे। इसके लिए सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो जाकर इस बात का आंकलन करे कि वास्तव में नहर का निर्माण हुआ या नहीं हुआ और नहर के निर्माण के अन्दर जिस तरह की निर्माण सामग्री का उपयोग होना चाहिए उस तरह की निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ या नहीं। इसके अलावा, सभापति महोदय, इस बार बजट के अन्दर कुओं की जो बीमा योजना लागू की है वह स्वागत योग्य बात है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कुओं में पानी निकले। इसके लिए तो आपने बीमा योजना प्रारम्भ कर दी परन्तु किसान ने ऋण लिया, ऋण लेने के बाद कुआं बनाया, कुएं के अंदर पानी निकाला पर उस किसान को बिजली का कनेक्शन मिलेगा इसका भी कोई न

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई कार्यक्रम देना चाहिए जिससे किसान को यह लगे कि उसका कुआं जमीन लेने के बाद बन जाएगा और उसको जरूर-जरूर लोन मिल जाएगा। क्योंकि 1982 से पहले जिन किसानों ने कुओं पर बिजली लेने के लिए आवेदन किया था आज तक भी वह इन्तजार कर रहे हैं कि उनके कुएं पर बिजली आये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की योजना भी सरकार को बनानी चाहिए कि किसान को उसका कुआं बनने के बाद एक निश्चित समय में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना करना तो अलग बात हैं, पीने का पानी नसीब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस क्षेत्र के अन्दर शुष्क खेती के लिए जिला स्तर पर कोई केन्द्र स्थापित हो जो नवीनतम तकनीकी जानकारी वहां के किसानों को दे क्योंकि चूरू जिले के अन्दर किसान इन्द्र देवता की कृपा पर निर्भर करते हैं। अगर बरस जाए तो खेती हो जाती है और नहीं बरसे तो किसान को जीवन-यापन के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए किसान को शुष्क खेती के बारे में तकनीकी जान-कारी मिले इसके लिए जिन जिलों के अन्दर मरूस्थल है वहां जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार को चलाने चाहिए। इसके अलावा, सभापति महोदय, जिला स्तर पर जो सूखा सम्भावित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश पर जिले में चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कोटा और सवाई माधोपुर में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम चालू हैं परन्तु चूरू जिले को जहां सर्वाधिक सूखा पड़ता है, जहां सर्वाधिक अकाल की छाया पड़ती है, इससे अलग रखा गया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के अन्दर चूरू जिले को शामिल किया जाए। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भगीरथ योजना प्रारम्भ की है वह अपने आप में एक प्रेरणादायक और अनूठी योजना है। इसका लाभ निश्चित तौर पर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में रहने वाले किसानों को मिलेगा। इस तरह की प्रेरणा-दायक योजना तो आपने शुरू कर दी परन्तु इस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा है या नहीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने एलान किया था कि 15 मई तक किसान को अनुदानित रेट पर बीज उपलब्ध हो जाएगा। मई गया, जून गया, जुलाई जाने वाला है। मैं पूरे राजस्थान की तो नहीं जानता परन्तु मैं यह जानता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुन-कर आया हूं वहां के किसानों को अनुदानित बीज आज तक मुहैया नहीं हुआ है और इसके साथ-साथ जो एक बहुत बड़ी कठि-नाई किसान के सामने आकर खड़ी हो गई वह यह है कि सरकार ने एलान किया था 10,000/- रु. तक का कर्जा माफ करने का। को-ऑपरेटिव बैंक की वसूली हुई नहीं। नए ऋण किसान ले नहीं सकता, नए ऋण न ले सकने के कारण उसकी जो बीज खरीदने की क्षमता है वह समाप्त हो गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़).

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 10,000/– रुपए तक का कर्जा माफ करने का फैसला आपने लिया यह स्वागत योग्य है परन्तु इस कर्जे के बारे में जो किन्तु, परन्तु, अगर, मगर लगा रखे हैं उसके बारे में फैसला आप कर दें। किसान को अब ऋण उपलब्ध जरूर हो जाए और किसान उससे बीज ले ले इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा जो पूर्व में घोषित बारानी भूमि पर लगान माफ करने की बात थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने इसमें एक बात की घोषणा की थी। समाचार पत्रों में यह चीज छपी थी कि कृषि मंत्री जी ने यह कहा है कि बारानी भूमि पर लगान नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बारानी भूमि पर भी ऋण नहीं लें इस तरह की घोषणा आप इस सत्र में करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो किसान की उपज है, खून-पसीने की कमाई के बाद किसान अन्न पैदा करता है उसका लाभकारी मूल्य मिले। राजस्थान के किसान को उसकी मेहनत और उसके खर्चे सबको मिलाकर लाभकारी मूल्य मिले जिससे वह अपना जीवन-यापन अच्छी तरह से कर सकें। उसके लिए भी केन्द्र सरकार ने जो नीति निर्धारित की है उसके अन्दर राजस्थान के किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा। इस तरह की उम्मीद करता हूं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, भू-संरक्षण विभाग जो प्रत्येक जिले के अंदर अपनी यूनिट स्थापित करके भूमि का संरक्षण किस तरह से हो इस तरह की योजना बनाता है। इस भू-संरक्षण विभाग की कोई इकाई चूरू जिले के अंदर नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि भू-संरक्षण विभाग की इकाई इस जिले के अन्दर हो। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो अनाज किसान अपने खेत में मेहनत से पैदा करता है कई बार उसको जब यह महसूस होता है कि उसने जो अनाज पैदा किया उसका असली मूल्य उसको नहीं मिल रहा तो वह अपनी मेहनत के अनाज को कहीं रोककर रखे इसके लिए पंचायत स्तर पर गोदामों का निर्माण हो, इस तरह की मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि इस बार राज्य सरकार ने यह एलान किया कि जो नए उद्योग स्थापित होंगे उनमें चुंगी नहीं लगेगी। आपने उद्योग-पतियों को तो राहत दे दी परन्तु वो किसान जो खून और पसीने की कमाई करके अन्न पैदा करता है वो अपनी जीन्स बाजार में लेकर आता है, मण्डी में लेकर आता है तो उस पर चुंगी लगे यह बात गलत है। इसलिए मैं मांग करता हूं किसान की जीन्स पर पूर्णतः चुंगी माफ हो इस तरह की घोषणा माननीय कृषि मंत्रीजी करेंगे यह मुझे उम्मीद है। मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज हम किसान की बात करने के लिए अपने विचार रख

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रहे हैं। हमारे देश का किसान जो हमारे देश के अन्दर मनुष्य का पेट भरता है, जानवरों का पेट भरता है और इसके साथ-साथ उस सीमा के ऊपर लड़ने वाले जवान भी उसी घर के होते हैं। आज अधिकांश जवान इसी किसान के ही बेटे हैं। इसलिए जय-जवान जय किसान का वह नारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी का है वह याद आता है। आज इसी बात को लेकर हम इस सदन में किसान की चिन्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के साथ जो भी रियायत वगैरह की बातें की जाती हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बीच में कई इस प्रकार दिक्कतें उसके सामने आती हैं किसान अपनी फसल को जब तैयार करता है तो अनेक तरह के दुश्मन उसके सामने होते हैं। सबसे पहले वह अपनी फसल बोता है तो उसके लिए बढ़िया बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हालात यह हो गए कि बढ़िया बीज नहीं मिलते हैं। सरकार ने शंकर बीज चलाया, अच्छी वैरायटी चलाई लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शंकर बीज में वर्णशंकर बीज और पैदा हो गया। यह वर्णशंकर बीज किसानों को खा गया, बड़ा महंगा बीज लेता है किसान लेकिन किसान को पैदा कुछ भी नहीं मिलती है। इसलिए शंकर बीजों की शुद्धता रखी जाए और इनमें जो वर्णशंकरता पैदा हो गई है उसको हटाया जाय, पहली बात।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कीटनाशक दवाइयों के बारे में। फसल के अंदर, उसकी जड़ के अन्दर इस प्रकार के रोग लग जाते हैं, इस प्रकार के कीड़े लग जाते हैं चाहे वह चींटी हो, चाहे दीमक हो कुछ भी हो। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार की दवाइयां जो उनको नष्ट करती हैं, इस प्रकार का जहर जो उनको नष्ट करता है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस जहर में भी मिलावट हो गई। जहर भी शुद्ध नहीं मिलता किसान के लिए। सरकार को, किसी को इससे लेना-देना नहीं है। हम किसान का भला करने के लिए विचार कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, शुद्धता को लाना पड़ेगा। आप आने वाले समय में चाहे उसके लिए ज्यादा चीजें न दें लेकिन जो कुछ है किसान के लिए उसी की व्यवस्था सही कर दें यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। इसमें किसान के लिये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।

इसके साथ-साथ किसान की आवश्यकता पड़ती है बिजली की, किसान को बिजली टाइम पर नहीं मिलती है। किसान जब सर्दी के अन्दर अपनी फसल के अन्दर खड़ा हुआ होता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, निमोनिया हो जाता है, दिन के अन्दर बिजली नहीं मिलती है। किसान जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे अन्न की उपज करता है उसके लिए तो रात में बिजली और इन उद्योगों के लिए आप दिन में बिजली देते हैं जो छाया के अन्दर बैठे रहते हैं। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को दिन में बिजली दी जाय।

इसके साथ-साथ दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अन्दर आपने जो 25 हजार कनेक्शन देने की बात कही है, यह बहुत कम है। हमारी पिछली डिमाण्ड 31 हजार की रखी हुई है और जब पिछली डिमाण्ड ही अभी पूरी नहीं हुई तो नये कनेक्शन्स कहां से मिलेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए नए कनेक्शन्स दिये जायं। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, किसानों का काम आज चोरी से चल रहा है, यह सत्य बात है, आप चाहें इसे स्वीकार नहीं करें। किसान को डीजल महंगा मिल रहा है, डीजल वह खर्च नहीं कर सकता, ऐसे हालत है सब जगह, आप कहीं देख लें किसानों की मोटरें बन्द नहीं हैं लेकिन उनको कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं और वह अवैध रूप से चल रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान हमको हो रहा है इसके कारण ? आप यह समझते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है इसलिये बिजली नहीं दे सकते हैं लेकिन आपकी बिजली चोरी से काम में आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को बिजली के कनेक्शन्स दे दिए जायं, एक नीति निर्धारित कर दी जाय कि कोई भी कनेक्शन मांगें उसको कनेक्शन दे दिया जाय, एक निश्चित पैसा बांध दे उन लोगों के लिए कि यह पैसा आपको देना पड़ेगा तो आपको लाभ मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। और किसानों पर जो चोरियों के मुकदमें लगाए जाते हैं, मरता क्या नहीं करता, वह बिजली की चोरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे ? जिसने कनेक्शन के लिए अपनी फाइल लगा रखी है, कनेक्शन 3–3 साल से मिल नहीं रहा है उसके बावजूद मरता हुआ क्या करता है कि डाइरेक्ट लाइन से जोड़ता है, डिपार्टमैण्ट वाले देखते रहते हैं। उसका नुकसान कई बार गलत लोगों को भी उठाना पड़ता है। खास तौर से मैं उदाहरण दूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर कोई ट्रांसफार्मर जल गया, किसान का अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसके बाद में बिजली विभाग वाले कहते हैं कि नया ट्रांसफार्मर तब लगायेंगे जब आप बकाया हमको दे दें। इसका परिणाम निकलता है कि कुछ व्यक्ति जिनका कनेक्शन्स का पैसा पूरा दे रहे हैं, लगातार बिल भी चुका रहे हैं उनका जो डिफॉल्टर्स हैं उन लोगों के साथ जोड़ा जाता है और वह डी.पी. फूंकी हुई है, ट्रांसफार्मर तब तक नहीं देते हैं जब तक कि बकाया वसूल नहीं हो जाय। लेकिन वह किसान जो लगातार बिजली का पैसा जमा करा रहे हैं उनको 10–10, 15–15 दिन तक की देरी का सामना करना पड़ता है। उनकी फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को भी नुकसान उठाना पड़ता है, ईमानदारी का फल मिलता है उनको। यह हालात गांवों में है, चाहे वैसे ईमानदारी के जितने भी कनेक्शन्स हैं उनको बिजली टाइम पर नहीं मिलती है और जो डाइरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं वह एक लाइन से दूसरी और दूसरी से तीसरी लाइन में ले लेते हैं, अलग-अलग लाइन बदल लेते हैं बिना कनेक्शन्स के और ईमानदारों को उल्टा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय आप इस ओर भी जरा ध्यान दे।

इसके साथ-साथ मेरा एक और निवेदन है कि किसान के जितने उपकरण हैं वह सारे उपकरण आज महंगे होते जा रहे हैं। किसान का ट्रैक्टर 1 लाख की कीमत वाला आज डेढ़ लाख का हो गया, किसान का इंजन जो 6 हजार की कीमत का था

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आज वह 10 हजार का हो गया, लगातार उसके काम में आने वाले उपकरणों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आसमान छू रही हैं लेकिन उसके अनुपात में उसकी उपज की कीमत नहीं बढ़ रही हैं। किसान जब मण्डी के अन्दर अपनी फसल बेचने जाता है उसको पैसे की आवश्यकता होती है, अपनी लड़की की शादी के लिए पैसों की आवश्यकता होती है इसलिए जैसे ही फसल घर में आती है वह उसको बेचने के लिए चल देता है, सारे किसान इकट्ठे होकर बेचने के लिये चल देते हैं उसका परिणाम यह होता है कि भाव डाउन होते चले जाते हैं, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और उसका लाभ मिलता है बड़े-बड़े व्यापारियों को इसलिए किसान को उचित वक्त पर उचित पैसा, उचित दाम उसकी उपज का मिले। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि उसे अपनी लड़की की शादी के वक्त पर पैसा मिल सके और शादी कर सके और उसकी उपज का उसे उचित मूल्य भी मिले। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई और उसके काम में आने वाले उपकरणों का बढ़ता हुआ पैसा इसके लिए उसे उसकी फसल का उचित मूल्य भी वक्त पर दिलाना पड़ेगा इस पर विचार करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की आज जो स्थिति है, बरसात ज्यादा हो जाती है तो किसान मरेगा, बरसात नहीं होती है तो किसान मरेगा, ओलावृष्टि हो जाती है तो किसान मरेगा। इस किसान पर तो हमेशा विपदाएं बरसती रहती हैं प्रकृति हमेशा इसके साथ भेद-भाव करती रहती है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आ रही है और पूर्वी राजस्थान में हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है। हमारे यहां कोई विशेष बरसात नहीं हुई अभी। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे सच निवेदन कर रहा हूं आप आ जाइए भरतपुर की तरफ, टोडाभीम की तरफ....

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अभी पिछले दिनों में जब बाढ़ की चर्चा हुई थी उस समय तो आप बाढ़ की बात कर रहे थे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, आपर माधोपुर की कह रहा था। इसके अलावा और क्षेत्र में इस प्रकार की बात नहीं है। इसलिए आज भी भेद-भाव चल रहा है, प्रकृति हमारे साथ अन्याय करती है, प्रकृति की मार से किसान मरता है, ओलावृष्टि से मरता है, बाढ़ से मरता है और टाइम पर पानी नहीं बरसता है तो किसान मर जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए फसल बीमा अनिवार्य कर दी जाय यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ-साथ, अन्त में सहकारिता के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सहकारिता में जो ऋण किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है उसमें सबसे बड़ी बुराई है तो वह एक है कि किसान को समय पर लोन नहीं मिल पाता है। जैसे ही किसान की फसल का वक्त होता है, अपने इंजन के लिए फाइल लगाता है, 6–6 महीने तक दफ्तर के चक्कर लगाता फिरता है, पटवारी के पास जाना पड़ता है, जमा बन्दी लगानी पड़ती है, गिरदावरी लगानी पड़ती है, इस तरह की अन्य बैंकों से नो-ड्यूज लेना पड़ता है।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

यह सारी जिम्मेदारी किसान से हटाकर नो-ड्यूज वगैरह की सारी जिम्मेदारी बैंक पर डाल दी जाए ताकि किसान को वक्त पर लोन मिल जाए। माननीय मंत्रीं महोदय आप इस पर विचार करें कि किसान के नो ड्यूज की व्यवस्था, रेकार्ड की व्यवस्था, किसान दफ्तरों के चक्कर लगाता फिरता है यह व्यवस्था आप खत्म करें और सीधे लोन की व्यवस्था उन अधिकारियों के जिम्मे कर दी जाय तो वक्त पर किसान को लोन मिल सकता है। आज भूमि विकास बैंक और सहकारिता बैंक हैं, जितनी भी बैंक्स हैं वह वक्त पर किसान को लोन नहीं दे रही हैं। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर पाताल में बहुत पानी है लेकिन हमारे यहां डार्क जोन घोषित कर दिया गया है' पानी नहीं है इसलिए कनेक्शन्स नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, भूमि विकास बैंक्स ने लोन देना बन्द कर दिया है। इस तरह की हालत हो रही है। वहां पर पाताल तोड़ कुओं में पानी बहुत है, पाताल तोड़ कुओं की व्यवस्था कर दी जाए तो मेरा एक सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि उस गांव के अन्दर पाताल तोड़ कुएं की व्यवस्था कर दी जाय जहां पर कि पानी पर्याप्त है, पहाड़ के नीचे एक-एक पाताल तोड़ कुएं में कनेक्शन लगा दिया जाय तो जिस प्रकार से आप सिंचाई करवाते हैं बान्धों के द्वारा उसी प्रकार से कनेक्शन के द्वारा सिंचाई करवाइए, एक कुआ 50 किसानों को पानी मुहैया करा सकता है यदि आप पाताल तोड़ कुआ खुदवा दें और उसके द्वारा कनेक्शन दे दें तो आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी और पैसा भी वक्त पर मिलेगा, इस सम्बन्ध में आप विचार करें, गौर करें और पाताल तोड़ कुए की व्यवस्था करवायें। अगर आप किसानों का हित चाहते हैं तो हर गांव के अन्दर एक एक दो-दो पाताल तोड़ कुए की व्यवस्था अवश्य की जाय और उन पाताल तोड़ कुओं से कनेक्शन्स देकर किसानों के खेतों की पिलाई की जाय, उसके जरिये से आप टैक्स लें, वह टैक्स आपको डायरेक्ट मिलेगा और दुनिया भर की जो चोरियां चल रही हैं वह बन्द हो सकती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय आप इस तरह की व्यवस्था गांव के अन्दर करेंगे जहां पर कि पानी का भण्डार है।

अन्त में, ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक निवेदन और करना चाहूंगा कि किसान जो को-आपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेता है उसको पास बुक दी जानी चाहिए। पास बुक नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है, फर्जी लोन डाल दिया जाता है, दिया कुछ जाता है और लिख कुछ दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, कि जो भी लोन दिया जाय उसकी किसान को पास बुक दी जाय। पास बुक में एन्ट्री हो, उसके दस्तखत कराये जायें कि इतना लोन दिया गया, यह सामान दिया गया, यह वस्तुएं दी गई। इस तरह की व्यवस्था पास बुक के द्वारा करा देते हैं तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता के अन्दर मिट सकता है। यह एक बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण से सहकारिता से भ्रष्टाचार फैलता है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आभारी हूं और किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसानों के बिजली के कनेक्शन के बारे में, सहकारिता के बारे में खाद-बीज आदि के बारे में आप व्यवस्था करेंगे, किसानों के बारे में आप ध्यान देंगे और उनका हित सोचेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण चौधरी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति, आज सदन में यह हिन्दुस्तान और राजस्थान का जो सबसे बड़ा तबका है उसके बारे में विचार किया जा रहा है, अपने आप में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे प्रान्त की जो रूरल इकोनोमी है वह केवल किसान और खेती पर आधारित है। सरकार भी मानती है, भारत सरकार भी मानती है। इसलिए इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

खेती एक ऐसी है जो कई विभागों से जुड़ा हुआ महकमा है सबसे पहले जमीन है, जमीन के बाद में बुवाई के लिए उसके उपकरण, पानी बिजली, खाद और उसकी उचित मात्रा, उचित मूल्य इसका मिले और इसके साथ किसान को संरक्षण, जिससे उसके लिए क्या कानून है, यह सारे मुद्दे ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी से पूरे सम्बन्धित नहीं हैं, पर चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी विराजमान हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी नीयत राजस्थान के किसानों को राहत देने की है या खेती के मामले में विशेष रूप से तरक्की करने की योजना है। आपके इस बजट में जो भागीरथ योजना लागू की है, भागीरथ योजना में आपने यह बात बताई है कि हर क्षेत्र के, लोअर स्तर पर जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं वह उस क्षेत्र की क्या डिफिकल्टी है उसके लिए स्कीम बनाकर के अगर इसका युद्ध स्तर पर काम किया जाय तो यह भागीरथ योजना का जो उद्देश्य है, मैं सभापति महोदय इसी संदर्भ में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र की ज्याग्राफी की अलग-अलग सिचुऐशन है। किसी क्षेत्र में बाढ़ से नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ एक क्षेत्र में सूखे के कारण मर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, अकाल के लिए तो मैं कल भी निवेदन कर दूंगा, स्थाई अकाल से निपटने की योजना के बारे में भी आपकी स्कीम है। मैं कृषि के बारे में आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अगर खेती में पानी नहीं मिलेगा तो खेती नहीं की जा सकती है और खेती के लिए पानी दो तरीकों से मिलता है। एक तो जमीन के ऊपर बरसात से जो पानी आता है उस पानी का अगर मैग्जिमम उपयोग किया जा सके, उस पानी को बरबाद नहीं होने दिया जाय, उस पानी को फालतू बहकर नदियों से समुन्द्र में न जाने दिया जाय, उसको रोककर के अगर सिंचाई कर ली जाए तो इस प्रान्त में खेती का अच्छा विकास हो सकता है। दूसरा, जो पानी जमीन के अन्दर है उस पानी का सर्वे करवाया जाकर अगर उस पानी को कुएं खोदकर, ट्यूबवैल खोदकर के अगर उसका मैक्जिमम उपयोग किया जाय तो

(श्री रामकरण चौधरी)

हमारा प्रान्त हरा भरा हो जायगा । मैंने पहले भी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त यह निवेदन किया था, विशेष रूप से नागौर जिले के लिए कि मेरे क्षेत्र में करीब 65–70 फीट के नीचे इतना हार्ड सरफेस का पत्थर है कि जितनी भी जो मशीनें ट्यूबवैल बोरिंग करती हैं उनसे वह पत्थर नहीं तोड़ा जाता, नीचे पानी कितना है, या नहीं है, पानी की क्या कैपेसिटी है, पानी की क्या पोजीशन है, पानी की किस प्रकार की क्वालिटी है इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है । इसलिये मैंने यह सुझाव दिया था कि भूगर्भ विभाग से भारी ताकत की मशीनों से अगर यह ट्यूबवैल जगह जगह खोदकर के पांच-पांच किलोमीटर के अगर यह पता लगा लिया जाए और वह पानी अगर प्रचुर मात्रा में मिलता है तो उससे दो फायदे हो जायेंगे, खेती में सिंचाई तो बढ़ेगी । इसके साथ साथ जो पेयजल की आज समस्या है, नागौर जिले में विशेष रूप से भयंकर समस्या है, दूसरा कोई पानी का साधन नहीं है केवल मात्र जमीन के अन्दर से जो पानी निकलता है वही पीने के काम आता है और वही सिंचाई के काम आता है । इसलिए आप जगह जगह जैसा माननीय सदस्य ने एक पत्थर तोड़ कुएं का सुझाव दिया था, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि जगह जगह 5–5 किलो मीटर के एरिया में आप ट्यूबवैल खोदकर, टैस्ट ट्यूबवैल खोदकर पानी का सर्वे करवाया जाए, सिंचाई के साधन बढ़ाये जाए ।

जहां तक बिजली की बात है मेरे क्षेत्र के कुछ इलाकों में कुदरत की देन से अच्छा पानी है । करीब 400 से 500 फीट की गहराई में बहुत पानी है । बीस से लेकर 50 किलो हार्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं । मगर सभापति महोदय, आज हालत यह है । मैं सदन में स्पष्ट रूप से माननीय मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं, वैसे आपसे सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह विद्युत का मामला है । मगर चूंकि कृषि विद्युत से सम्बन्धित है । अगर आप बिजली नहीं देंगे तो आपकी कृषि पर अफेक्ट होगा । इसलिये आप मेरे क्षेत्र के अन्दर, मेड़ता सिटी में 132 का जो ग्रिड स्टेशन है, आज उसकी कैपेसिटी से डबल से ज्यादा ओवर लोड चल रहा है और उसके लिए अगर बीस के. वी. ए. के दो टांसफारमर सीजन से पहले नहीं लगाये गये तो उस पूरे इलाके में सिंचाई नहीं हो सकेगी और वह पूरा टांसफारमर फेल हो जायेगा ।

इस प्रकार के जो हालात हैं केवल विस्तार कर देने मात्र से खेती आगे तरक्की नहीं करेगी । केवल योजना बनाए, इसके लिए मैं मानता हूं सरकार के पास सीमित साधन हैं । एक साल में हम चाहें कि पूरी योजनायें बन जाए, कोई भी सरकार नहीं कर सकती । माननीय मंत्रीजी यह जो भागीरथ योजना के जरिये प्रयास कर रहे हैं इससे मैं मानता हूं कि जितनी भी मात्रा में आज पानी ज्यादा जमीन से ऊपर जो आ रहा है उसको रोककर के योजनायें सिंचाई के जरिये बनाओ, जमीन के अन्दर जो पानी है उसका सर्वे कराकर के बाहर निकालो और इलाके में दो ताकि ज्यादा सिंचाई हो ।

(श्री रामकरण चौधरी)

बीज और खाद के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत बातें कह दी हैं। मैं उसको रिपीट करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कह रहा हूं कि किसानों के बारे में जो कानून बना है एक तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सन् 1955 में बना था, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बना था, इस कानून के तहत में सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसान आज किस तरह से इस कानून की गलती के कारण इसमें सैक्शन–5 में एक परसन कल्टीवेशन की जो डेफिनेशन है इसके मामले में आज देखा जा रहा है कि आज जितने भी आपके आइडोल मिले हैं, आज लाखों मामले आपके बोर्ड आफ रेवेन्यू में कलैक्टर्स के पास, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और एक जमीन जो बीस हाथों में ट्रांसफर हो चुकी है। आज बीसवां व्यक्ति जिसने ट्रांसफर की तो बीस व्यक्तियों के पास में ट्रांसफर हो गई, आज किसान बरबाद हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए सैक्शन पांच, टीनेन्सी एक्ट और सैक्शन 46 और सैक्शन 90, टीनेन्सी एक्ट में इसके अन्दर यह प्रावधान किया जाए कि जो माइनर की डेफीनेशन दी हुई है उसके अन्दर इस आइडोल को उन्होंने परपीचुअल माइनर माना है तो यह परपीचुअल माइनर मानने का मतलब यह हुआ कि वह किसान जो पीढ़ियों से काश्त करते आ रहे हैं उनको खातेदारी राइट कभी मिल भी नहीं सकते। यह उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार की ज्वाइंट लायबिलिटी है इसी सत्र के अन्दर अमेण्डमेंट का जो है राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में, इनको बिल पेश करना चाहिए। आज आप लोग देख लीजिए लाखों लोग मुकदमों से बरबाद हैं। तो यह मैंने आपसे बिजली पानी के बारे में निवेदन किया था।

इसी प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने इस बजट भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वह यह है कि आज जो ट्यूबवैल किसान खोदना चाहते हैं, पानी की जो कुओं में कमी है उसका मैक्जिमम यूज करने के लिए पक्की नालियों के बारे में आपने सब्सिडी की बात कही, ट्यूबवैल के बारे में बात कही, इसमें मैं माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय कृषि मन्त्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आपने पांच-छः खातेदार मिलकर अगर कोई ज्वांइटली ट्यूबवैल खोदना चाहे उसके लिए तो आपने 25 प्रतिशत जनरल प्रोवीजन में 33 प्रतिशत मार्जिनल, छोटे किसानों के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। माननीय मन्त्री जी वैसे भी आज सहकारिता के मामले में सदन में बहुत चर्चा हुई। सहकारिता का विभाग पूरी तरह से बदनाम है। प्रेक्टिकली इस विभाग का ऋण के रूप में सही सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। आज पांच भाई, जो एक मां के गर्भ से पैदा होते हैं वह भी साथ मिलकर के अपना काम नहीं कर सकते। 5–6 किसान साथ मिलकर न तो कोई ट्यूबवैल खुदवायेंगे और न प्रेक्टिकली उसका कोई यूज होगा। अगर सरकार उनको वास्तव में कोई सब्सिडी देना चाहे, वास्तव में किसानों को कोई मदद देना चाहे, इसके लिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक किसान चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे छोटा

(श्री रामकरण चौधरी)

किसान हो, चाहे मार्जिनल किसान हो, चाहे स्माल फार्मर हो, प्रत्येक किसान को, हर इण्डीवीजुअल को यह सब्सिडी 25 प्रतिशत, 33 प्रतिशत जो देना चाहे यह उसके लिए जरूर जोड़ा जाए। पांच और छः किसान मिलकर न तो वह ट्यूबवैल खोदेंगे, न इसका कोई लाभ होगा। लाभ तभी होगा जब प्रत्येक, क्योंकि हर आदमी में अपना धंधा बढ़ाने की प्रवृति होती है, 5–6 आदमी न तो साथ बैठ सकते हैं, न उन खातेदारों के दिमाग मिलेंगे, न उनमें आपस में सामंजस्य होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो स्कीम आप इस प्रकार लागू करना चाहें....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

यह इण्डिविजुअल किसानों के ऊपर लागू की जाए।

बाकी बातें सदन में जितनी भी खाद बीज, एक बात यहां मैं और कहना चाहता हूं। जैसा माननीय कौशल साहब आपने खुद ने फरमाया था कि मध्यप्रदेश और प्रान्तों में जो खेती के ऊपर सब्सिडी दी जाती है चुंगी नहीं ली जाती है, सैल्स टैक्स का मामला है, उनमें किसानों को खाद, बीज, दवाइयां, खेती के उपकरण जितना भी सामान हैं, इनके जरिए सरकार कुछ न कुछ राहत दे सकती है। खाद, बीज पर नहीं दी गई और ट्रैक्टरों पर नहीं दी गई, टैक्टरों के काम आने वाले टायरों में नहीं दी गयी। इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि कास्ट आफ प्रोडेक्शन बहुत भारी है। उसकी तुलना में मार्केट की प्राइस है कम-जोर है इसलिए किसानों की साठ प्रतिशत गांवों के विकास की मुख्य मंत्री जी ने बात की है मैं उसका स्वागत करता हूं और इन सुझावों के साथ आज कृषि की मांग है। मैं इसका समर्थन करते हुये मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री जगतसिंह दायमा।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं कृषि एवं सहकारिता की मांग के समर्थन में अपने विचार रखूंगा। मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश का 80 प्रतिशत हिस्सा जहां रहता है, जिस कौम, जिस वर्ग का जिस व्यक्ति का, उसके ऊपर या उसके विभाग के ऊपर आज चर्चा होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि :–

ऐसा कौन जगत में त्यागी
जिसने अपना सब दे डाला।

पेट काट कर निज शिशुओं का भी,
सदा उदर औरों का पाला।

आज उस व्यक्ति के बारे में चर्चा होने जा रही है। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिह शेखावत को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक के मुख्यमंत्रियों में पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा किसानों के लिए हित की बात अपने बजट भाषण में रखी। हम जब देखते हैं पिछले इतिहास को तो देखते हैं कि हम जोर-जोर से दोहराया करते थे, मीटिंग होती थी भाषण होते थे। हम कहते थे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं माननीय शेखावत

(श्री जगतसिंह दायमा)

जी को और हमारे प्रधान मंत्री श्री वी. पी. सिंह जी को कि, इन्होंने किसानों की जो उपज है उसका सही भाव तय किया।

(5.44 सांय)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

गेहूं का भाव जहां 183 रुपये क्विंटल था वहां किसानों को 215 रुपये क्विंटल किया। जहां सरसों के भाव चार सौ रुपये थे; साढ़े तीन सौ रहते थे वहां 6 सौ 7 सौ रुपये क्विंटल हमारी सरकार ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि किसानों को भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने प्रोत्साहन दिया। गहरे कुऐ करवाने के लिए 25 हजार रुपये की सब्सिडी एवं पाताल तोड़ में 50 प्रतिशत का अनुदान देकर मुख्य मंत्री ने किसानों की भलाई का कार्य किया है। नाले पक्के करवाना, फव्वारों से खेती में अनुदान, ऋण घोषणा यह एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं अब अपनी बात किसानों के लिए जो समस्यायें यहां पर आई और आ रही हैं और उनका किस तरीके से समाधान किया उसके लिए क्या-क्या हमारी सरकार ने किया, कृषि बोर्ड से या किसी से हमारे किसानों के लिए दिया उसके बारे में अपने सुझाव और विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड का गठन इसलिए हुआ कि किसानों की जो उपज होती थी तो उनको उनका भाव सही मिले, बिचौलियों को दूर करने के उद्देश्य से कृषि बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य नियमन लागू करने का था परन्तु आज वह नियमन बावजूद निर्माण कार्य कर रहा है। निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार है। हर सरकार आती है चाहे पिछली कांग्रेस सरकार थी, हर बार हर सत्र में यही बात हुई कि हम निश्चित रूप से चुनाव करवायेंगे और अस्थाई जो व्यवस्था है इसको हटायेंगे परन्तु बड़े खेद की बात है कि आज तक कहीं चुनाव नहीं हुये। मैं मांग करता हूं माननीय शेखावत जी से कि सबसे पहले कृषि विपणन बोर्ड का चुनाव करवाये जिससे यह होगा कि जो प्रशासक महोदय आज बैठे हैं अपनी मनमानी करते हैं, कम से कम वह बात नहीं होगी। बोर्ड में प्रशासक नियुक्त किये जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वह अपने कुटुम्ब की, अपनी जेब की सोचते हैं। एक तरीके से वह अपनी जेब की बात वहां सोचते है आज बोर्ड में टेण्डर समिति बनाई गयी। टेण्डर समिति सरकार ने बनायी और टेण्डर समिति को प्रशासक महोदय ने बिना सरकार से पूछे उस टेण्डर समिति को खत्म कर दिया। अब प्रशासक महोदय स्वयं इस तरह से हो गये जैसे कोई तानाशाह हो। चाहे जो करे कोई कुछ कहने वाला नहीं है इसलिए आज सीधा पांच प्रतिशत कमीशन खुले आम मांगा जाता है अगर कमेटी होती है तो इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। आज बोर्ड के प्रशासक ने अपने स्तर पर उसे खत्म कर दिया। पूरे राजस्थान में मंडी समितियों के निर्माण कार्य बोर्ड करवा रहा है। कार्य क्षेत्र जयपुर से मीलों दूर है। माननीय सभापति महोदय, परन्तु अधिकारी यहीं बैठे हैं। काम हो रहा है जा कर बीकानेर में, काम हो रहा है जोधपुर में,

(श्री जगतसिंह दायमा)

काम हो रहा है गंगानगर और हनुमानगढ़ में परन्तु उसका जो अधीक्षण अभियंता है उसका आफिस है यहीं पर। पिछले दिनों तारा-प्रकाश जी जोशी थे प्रशासक। राज्य सरकार से उन्होंने अनुमति ली कि यह जो अधीक्षण अभियंता का आफिस है वह जयपुर में है वह जयपुर से बाहर होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो। तारा प्रकाश जोशी चले गये परन्तु आज तक अधीक्षण अभियंता का आफिस यहां का यहां है। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है क्योंकि जो वहां पर काम हो रहा है दूर-दूर क्षेत्रों में सब जानते हैं कि रोज रोज तो कोई अभियंता वहां आता नहीं है इसलिए बड़ा बुरा हाल वहां पर हो रहा है। काम अच्छा हो हो नहीं रहा, कोई डर उनको है नहीं, मुख्यालय बाहर करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया। अब उसका उदाहरण देना चाहता हूं। गंगापुर सिटी में घटिया कार्य करवाये गये। प्रशासक ने उच्च अधिकारियों को दोषी पाया, मामला सरकार को भेजा, राज्य सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये परन्तु कुछ कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरह अलवर, महुआ, मंडावर, जोधपुर, बाड़मेर, मेड़ता, झालरापाटन में घटिया कार्य हुआ। जांच होने के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं हुई। ठेकेदारों पर सीमेंट और डामर के लाखों रुपये बकाया हैं। कृषि मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि डामर और सीमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रत्येक साल करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता। जयपुर खंड की बात आप लीजिए बजट था पिछली बार 2 करोड़ 50 लाख का, काम हुआ 3 करोड़ का। पचास लाख रुपये बिना किसी की इजाजत के अभियन्ता खर्च कर देते हैं। यह बोर्ड जिस उद्देश्य को लेकर गठित हुआ उसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। आज हमने स्टेट वेयरहाउस किसानों का माल रखने के लिए बनवाये। वह इसलिए बनाये गये थे कि उसमें जब किसानों का अनाज तैयार हो जाता है तो वह वहां पर रख ले और जब उनको उचित मूल्य उसका मिल रहा हो उस समय उसको बेच दे। परन्तु उनको सही भाव नहीं मिल रहे। वह इसलिए दिया गया था कि किसान अपने अनाज को वहां पर रख लेंगे। उसके बदले में किसानों को ऋण दे दिया जायगा। मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई किसान ऋण भी ले रहा है। जब कृषक भवन बनाये गये किसानों के लिए उन पर अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। इस तरह से आप देख लीजिये कि बोर्ड कुछ भी नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा कृषकों पर यदि भार पड़ रहा है तो निदेशालय का। निदेशालय का गठन हुआ, सभापति महोदय, जब बोर्ड है तो निदेशालय क्या करे। चलो, निदेशालय का भी गठन हो गया परन्तु यह पहला उदाहरण है कि निदेशालय का सारा भार बोर्ड वहन करता है। किसान वहन करते हैं। इस तरह जो फिजूल पैसा खर्च हो रहा है उसको रुकवाया जाय।

मेरे कुछ और सुझाव हैं। हमारे अलवर में कृषि उपज मण्डी द्वारा, बोर्ड द्वारा थोड़ी–बहुत सड़कें बनवाई गई हैं। आज वह सारी सड़कें बन्द पड़ी हैं। इस तरह का अभियन्ता लगाया है, हमारी समझ में

(श्री जगतसिंह दायमा)

नहीं आ रहा है कि सारे काम क्यों बन्द पड़े हैं। सारे माननीय सदस्यों ने मन्त्रीजी को लिखकर भी दे दिया कि सारे काम ठप्प पड़े हैं, कोई ढंग का अभियन्ता भेजकर वहां काम चालू करवाया जाय। जब हम यह बात मानते हैं, सभापति महोदय, कि अलवर, भरतपुर एक बहुत बढ़िया ऐसा केन्द्र है जहां हम सबसे ज्यादा उपज पैदा कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर कृषि महाविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय नहीं है और ऐसे स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय है जहां पर कोई काम ही नहीं होता। इसलिए मेरी मांग है, माननीय शेखावतजी यहां बैठे हैं, कि अलवर में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय। दूसरी एक मेरी और मांग है,

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

लास्ट। एक प्लस स्कीम जो मांकों से उठाकर दुर्गापुरा ले आये। हमें यह समझ में नहीं आ रही कि काम वहां पर हो रहा था और वह हुआ इसलिए कि सारे अधिकारी जयपुर के थे। उन्होंने डाइरेक्टर को किसी तरह पटा लिया और वह ऑफिस उठवा दिया। एक और बात मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, कि भूजल विभाग के द्वारा एक प्रयोगशाला थी वहां, वहां पर जल का प्रयोग होता था कि कौनसा जल ठीक है, नहीं है, वह प्रयोगशाला वहां से उठवाकर जयपुर में ला दी। मैं मांग करता हूं, कृषि मन्त्री महोदय से कि वह प्रयोगशाला वापिस भिजवाइये। मेरे क्षेत्र में बागरिया व हरसौरा बांध काफी सालों से बेकार पड़े हैं। हरसौरा बांध के तो गेट चोरी हो गये और दूसरे गेट अभी तक लगे नहीं। पिछली विधान सभा में भी बार–बार मांग की परन्तु उस सरकार ने तो कोई काम किया ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जगतसिंह दायमा : परन्तु जहां चोरी की वहां पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। इसलिए बागरिया और हरसौरा को तुरन्त बंधवाने के लिए आप सिंचाई विभाग को लिखें।

दूसरी बात, मेरे यहां पर किसानों के काम आने वाली जो बिजली है उसके लिए 132 के. वी. का जी. एस. एस. का सब–स्टेशन का निर्माण करवाया जाय। मैं यही मांग रखकर अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट में जो किसानों की बात कही गई उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत किसानों के लिए कोई और आगे काम करें।

श्री सभापति : माननीय श्री खंगारसिंह।

श्री नवनीतलाल नीनामा : माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपका नाम आ जायगा।

श्री नवनीतलाल नीनामा : इन्हीं के आसपास में है।

श्री सभापति : आपका नाम आ जायगा, बिराजिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा : आपके पीछे ही मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपका नाम आ जायगा, बिराजिये। (व्यवधान)

आप धैर्य रखिये, बिराजिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : सभापति महोदय, जो अपना प्रदेश है, राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से देश में दूसरे नम्बर पर है। कृषि के लिए आज मांग पारित हो रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पाली जिला एक ऐसा जिला है जिसमें दो–तिहाई जमीन खारी है। उस क्षारीय जमीन को सुधारने के लिए सरकार ने पहले जिप्सम का प्रोग्राम रखा था कि पचास पर्सेन्ट सब्सिडी बड़े काश्तकारों को और 75 पर्सेन्ट सब्सिडी लघु और सीमान्त काश्तकारों को। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षारीय भूमि जो है और नीची जमीन, उनका अन्तर इतना है कि क्षारीय भूमि सौ बीघा, और यह मीठी जमीन दस बीघा बराबर होती है। इसलिए इस जमीन को सुधारने के लिए जिप्सम की जो सब्सिडी है वह भी बड़े काश्तकारों को 75 पर्सेन्ट देने का प्रावधान रखें तभी उस जमीन का सुधार हो सकता है और क्षारीय जमीन हमेशा के लिए सुधर सकती है। यह मेरा निवेदन है। पाली जिले की सर्वे 78–79 के अन्दर जियोलॉजिकल डिपार्टमेण्ट द्वारा कराई गई थी उसमें सौ-डेढ़ सौ फुट तक जमीन में पानी बताया गया था। उसके नीचे 600 फुट की चट्टान बताई गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में कुओं से सिंचाई के लिए जगह–जगह पाताल तोड़ कुए बनाये जावें, जिससे काश्तकारों को यह मालूम भी पड़ जायगा कि नीचे के लेवल में पानी है उससे हम सिंचाई कर सकेंगे। क्योंकि काश्तकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह दो लाख रुपये खर्च करके ऐसी जोखिम मोल ले सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए और सिंचाई को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए पाली जिले के अन्दर पंचायतवार एक–एक ट्यूब वैल एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर कराया जावे। अगर पानी हो गया तो उसकी कीमत काश्तकार खड़े-खड़े अदा कर देंगे। इसलिए मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

पाली जिले में जितनी भी कृषि मण्डियां बनी हुई हैं और सब यार्ड बने हुए हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। पहली विधान सभा में मैंने इस बात के लिए कहा था कि मारवाड़ जंक्शन के अन्दर जो सबयार्ड बनाया गया है वह दो–तीन साल से बना हुआ पड़ा है, बनते–बनते ही वह बिखरने लग गया है और टूट गया है। उसके लिए मैंने पहले वाले कृषि मन्त्रीजी से भी निवेदन किया था। उन्होंने जांच के लिऐ कहा था लेकिन न मालूम उसकी जांच लटक गई, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। इस बरसात में और भी पड़ गया।

पाली जिले के अन्दर मेंहदी का उत्पा-

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

दन बहुत ज्यादा होता है। मेंहदी एक ऐसी चीज हैं जो फोरेन करेन्सी से सम्बन्धित है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मेंहदी को प्रोत्साहन देने के लिए काश्तकारों को सब्सिडी दी जाय और उनको प्रोत्साहित किया जाय कि क्षारीय भूमि और कमजोर भूमि में भी यह मेंहदी का दरख्त हो सकता है। एक बार लगाने के बाद बीस–तीस साल तक इसको बोने की जरूरत नहीं रहती है और इससे फोरेन करेन्सी में अपने को फायदा होता है। जिले में जितनी कृषि मण्डियां हैं, वैसे हमारी कृषि मण्डी जिले में सबसे बड़ी मण्डी सुमेरपुर और ब्यावर हैं। पाली जिले के अन्दर कपास और ऊन ज्यादा होती है। उसका विक्रय ब्यावर या सुमेरपुर में होता है। इसलिए सुमेरपुर और ब्यावर की कृषि मण्डियों की आय है उसका हिस्सा हमारी सब कृषि मण्डियों में बांटा जाय। जिससे हमारी सड़कों का उद्धार हो सके और किसानों को राहत मिल सके। बिजली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में सिंचाई का साधन कुओं से ही है। 16,000 कनेक्शन आज तक हैं और 7,000 कनेक्शनस के लिये दरखास्तें पैन्डिग पड़ी हैं। जहां तक सिंचाई का साधन बिजली से नहीं होगा तब तक खेती सुधरेगी नहीं और खेती सुधार के लिये यह अति आवश्यक है कि सरकार बिजली का इन्तजाम करे और 82 से लेकर आज तक 7000 बिजली के पैन्डिग कनेक्शन्स पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी देने का निस्तारण करे। जिससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। जगह जगह इस साल भगवान की दया से आधे जिले में बाढ़ आई है, वहां लेवल भी ऊंचा आयेगा और काश्तकार आने वाली रबी की फसल में ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। इसलिये मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली जिले के काश्तकारों की तरफ से आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन्स देने के लिये सिफारिश करें जिससे 7000 कनेक्शन्स की जो पैन्डिग फाइल पड़ी है वह पूरी हो सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि को एक उद्योग घोषित किया जावे और उद्योग के आधार पर जो भी सुविधायें उद्योग के अन्दर दी जाती है वही कृषि वालों को भी उद्योग मानकर के भी जनरेटर और अन्य कृषि उपकरणों को दिलाये जाने की व्यवस्था कराई जावे। फसली बीमा लागू किया जावे। कीटनाशक दवाइयों व खाद का सही मात्रा में वितरण किया जाये। दो साल पहले भी मैंने एक प्रश्न किया था। कृषि वालों ने पाली जिले के अन्दर मेरी तहसील में चार जगह डिमांस्ट्रेशन्स लगाये थे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बोलने दीजिये साहब। मैं कम ही बोलता हूं। उसके अन्दर काश्तकारों को यह नहीं बताया गया कि आपका खाद और बीज फ्री है। मरे हुए काश्तकारों के अंगूठे कराकर के सब्सिडी पूरी की पूरी खा गये। उसकी इन्क्वायरी के लिये भी मैंने लिखा था। न मालूम इन्क्वायरी कहां रुकी हुई है इसका मुझे पता नहीं लगा। मैं नाम तो बताना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी थी। श्री जे. के. जैन नाम के पाली में कृषि के अफसर थे। फसली चीजों के भाव हमारे उत्पादन के आधार पर और उनकी लागत को देखते

(श्री संगारसिंह चौधरी)

हुए जो गवर्नमेंट के फार्म हैं, जहां लाखों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है और वहां पर उत्पादन बढ़ाने के हिसाब से सब तरह की सहूलियत मुहैय्या होने के बावजूद जो उनको उत्पादन का भाव पड़ता है वह मूल्य किसान को दिया जाये। एक तरफ आपने मिनिमम वेजेज के 22 रुपये कर दिये और किसानों के लिए इसमें कुछ करना बहुत जरूरी था। आज किसानों के पक्ष में अगर 22 रुपये देकर के खेती के काम में मजदूरी कराना चाहते हैं तो उसको जूते पड़ेंगे मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मजदूरों को राजी करने के लिये मिनिमम वेजेज बढ़ा रहे हैं इसी तरह से किसान को भी, जितना मजदूर को पैसा मिले, उतना डेली वेजेज के हिसाब से मिल जाना चाहिये। इस प्रकार सारे भावों का निर्धारण होना चाहिये, जिससे काश्तकारों को फायदा मिल सके।

भू संरक्षण विभाग का भी काफी बड़ा बजट है और भू-संरक्षण विभाग के लिये हमारे अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाली जिले में बहुत सारे नदी नाले हैं उन पर भू संरक्षण का कार्य हो सकता है। इसके अलावा एनीकट्स का मामला भी सिंचाई विभाग द्वारा रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बजट इन अरावली पर्वत शृंखला के अन्दर खेती को प्रोत्साहन देने के लिये दिया जाये। कुओं के पानी का लेबल ऊपर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा एनीकट और भू संरक्षण का कार्य पाली जिले में कराया जाये जिससे हमारे काश्तकारों का काफी फायदा होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां फूलाड एक बांध बना हुआ है उसके अन्दर अभी दो फिट पानी आया है और उसके नीचे के 20 गांव बरबाद हो गये हैं। जब कभी भी मुख्य मंत्री जी वहां पधारे हैं उन 20 गांव वालों ने यही बात कही है कि खाली यह बंधा भरता है तो पिलाई से सरकार को चार हजार रुपये की रेवेन्यू इनकम होती है परन्तु नीचे वाले 20 गांव कृषि से महरूम रह गये। उनकी हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं रामपुर का बांध और फूलाड बन्धे का पानी सिंचाई के लिये कृषि के लिए, पूनम के बाद में आसोज के महीने में जितना भराव हो, क्षमता के आधार पर तीसरे हिस्से का पानी नदियों में छोड़ा जावे ताकि वहां के कुओं के पानी का लेबल ऊपर आये। यही निवेदन करता हुआ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, कृषि और सहकारिता की मांग पर काफी चर्चा हो चुकी है। काफी अमूल्य विचार मेरे पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं। किसान का जहां नाम आता है उसके साथ विद्युत सिंचाई, सहकारिता, कृषि, और आजकल विशिष्ठ योजना संगठन विभाग स्वतः ही जुड़ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, किसान के दुख दर्द की बात कही गई है। किसान की कितनी देखभाल होती है,

(श्री रामनारायण वर्मा)

किसान के साथ क्या व्यवहार होता है, इसका एक ही उदाहरण काफी है। गर्मी के दिनों में उसका कुआ सूखा रहता है फिर भी किसान मिनिमम चार्जेज बिजली के देता है। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा, वैसे मुझे खुशी है कि सदन में किसानों के रहनुमा, किसानों के प्रति हमदर्दी रखने वाले किसान परिवार के लोग ज्यादा संख्या में आने लग गये हैं। सन् 1983 से किसानों के कुएं में कनेक्शन नहीं हैं। किसान जो ढाणी में रहता है, उसके लिए पीने का पानी नहीं है। हालांकि यह बात दूसरी है। मैं आपसे निवेदन करूं कि किसान जब गलती करता है, उसका खामियाजा उसको मिलता है। अफसर किसान के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, किसी अफसर की वजह से किसान का नुकसान होता है तो मेरे ख्याल से किसी फील्ड सुपरवाइजर को कभी इस आधार पर सस्पैण्ड नहीं किया होगा।

कृषि विपणन बोर्ड के बारे में बात हुई। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे पड़ौसी हैं। मैं उनके दिमाग में एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं मेरी तहसील नैनवां में जब से कृषि विपणन बोर्ड बना है जहां तक मेरा ख्याल है एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। पूर्व कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं नैनवा तहसील में भाटूंडा नहीं आता है। भाटूंडा दूसरी तहसील में आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं नैनवा तहसील की बात कर रहा था। एक किलोमीटर सड़क नहीं बनीं है। नैनवां का माल या तो बूंदी मण्डी में जाता है या कोटा मण्डी में जाता है। कोटा मण्डी में बूंदी जिले का 60 या 70 पर्सेण्ट अनाज बिकने के लिये जाता है। कोई इस तरह का आधार ढूंढा जाये ताकि सैन्ट्रल पूल बना करके, मैं माफी चाहता हूं उसका राजनैतिककरण नहीं किया जाये और जहां आवश्यकता हो, वैसे माननीय कृषि मंत्री जी इस बारे में प्रयासरत होंगे जहां आवश्यकता हो वहां इसका उपयोग किया जाये। मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि जब बूंदी जिले में कृषि उपज मण्डी समिति से कुछ रोड़ मन्जूर करने की बात कही गई है लेकिन उस रोड से पंचायत हैड क्वार्टर को नहीं जोड़ते। वहां पर कोई मिट्टी नहीं पड़ी हुई है, इसमें प्राथमिकता उस काम को दी जाये जहां मिट्टी का काम पहले हो चुका हो। अकाल राहत के द्वारा हुआ हो या किसी और माध्यम से जे.आर.वाई. से या फूड फार वर्क के माध्यम से हुआ हो ताकि हमारा खर्चा कम आये। कृषि मण्डल बोर्ड बनाते समय एक बात सामने आई थी कि किसान को बिचौलियों से बचाया जाय। किसान की उपज सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचे लेकिन दुख है कि आज की तारीख में भी मण्डी में आड़तिये काम करते हैं। उपभोक्ताओं और किसान के बीच में कुछ प्रतिशत आज भी तीसरा आदमी लेता है। किसान की उपज उपभोक्ताओं के पास महंगे दामों में जाती है। मुझे ध्यान नहीं, सरकार इस बारे में कितनी प्रयासरत है। किसानों को उपज का आज के समय में लागत के मुकाबले भाव कम मिलता है। स्टॉकिस्ट को या व्यापारियों को ज्यादा मिलता है। यह बात ऐसी है जो सीधी किसान से जुड़ी हुई है। यह सारी बातें, माननीय कृषि मंत्री जी, जहां तक मेरा ख्याल है माननीय

(श्री रामनारायण वर्मा)

सभापति महोदय, जानते हैं। वह कितना इस पर कुछ कर पायेंगे। इस बजट में किसानों को प्रोस्पेरिटी के लिए सिंचाई के मद में कुछ करोड़ रुपये बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ कहा है। उनका कहना राजनीति से प्रेरित नहीं था, वह वास्तविकता थी। आज भी किसान को रात में बिजली दी जाती है, जो जीव जन्तु रात में होते हैं, किसान को उससे नुकसान होता है। दिन में बिजली किसको दी जाती है ? जिसका रात में काम नहीं चलाया जा सकता हो तो किसानों को बिजली दी जाय रात में, इसके बजाय किसान को दिन में बिजली क्यों नहीं दी जाय उद्योगों को रात में बिजली क्यों नहीं दी जाय, इन बातों पर भी विचार करना होगा। मैं आपसे और निवेदन करूंगा आपके भू-संरक्षण और रेवाइन्स रिक्लेमेशन के जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं। केशोराय-पाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं यह सही है कि सीमेण्ट बिकती है। यह सही है कि जो काम हो रहा है, घटिया किस्म का हो रहा है और यह भी सही है कि उन कामों को कराने वाले इंजीनियर्स थोड़े दिनों में काफी कुछ ठीक स्थिति में होते जा रहे हैं। इन बातों पर ध्यान दिया जायेगा ? वैसे बहुत ही खुशी की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की घोषणा की है। चार महीने में कितना कुछ कर पाये हैं, यह सदन के सभी मैम्बर जानते हैं। आगे कितना कुछ कर पायेंगे, यह देखने की बात है। मैंने इसी सम्बन्ध में सहकारिता के मामले में, माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते थे कोई उदाहरण तो दीजिये, मैंने दिये हैं। काफी दिन हो गये, आज तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, तब तक कथनी और करनी में अन्तर नहीं आयेगा, जो कहे वही किया जाय तब ही जाकर के कुछ सुधार होने की बात हो सकती है। राज-नीतिकरण या राजनीतिक बातों से कोई विशेष अन्तर आने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसान किससे सीखे। मैं तो....

(6.15 सांय)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

यह भी चाहूंगा कि इस तरह की कोई एजेन्सी हो जो इस बात की जांच करें इस बात को ध्यान में लाये, मैं तो....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी खड़ा ही हुआ हूं। मेरा जहां तक ख्याल है, 15-20 लाइनें ही बोली होंगी।

श्री अध्यक्ष : टाइम गलत लिखा है फिर।

श्री रामनारायण वर्मा : हो सकता है गलती हो गई हो।

श्री अध्यक्ष : आपने 6.05 से बोलना शुरू किया है।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं साहब मैंने 6.10 के बाद से बोलना शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास में लिखा है, वही है। अच्छा, आप जल्दी करें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि विभाग में ऐसे अफसर लगाये जाते हैं जिन्होंने कभी भी मेरा जहां तक ख्याल है, कार से या जीप से नीचे पांव नहीं रखा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अफसरों को कम से कम डाइरेक्टर स्तर के अफसर, डिप्टी डाइरेक्टर स्तर के अफसरों को या जिला कृषि अधिकारी हो, जिन्होंने फील्ड में प्रेक्टिकली कम से कम 5 साल काम किया हो, यदि यह स्थिति हो जायेगी तो किसानों की देखभाल करने वाला, किसानों के दुःख दर्द समझने वाला, कृषि उपज की बढ़ोतरी के लिए क्या किया जा सकता है, नए एवं पुराने इक्वीपमेन्ट में क्या फर्क होता है, इन सारी बातों को पेस्टीसाइट्स कैसे किसान को मिलता है। किसान दो बीघा जमीन, चार बीघा जमीन में किस तरह से अपने परिवार को पालता है, किस तरह से शादी–ब्याह करता है, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाता है, यह सारी बातें उसके ध्यान में रहेगी तो उसी तरह की रीति बनेगी, उसी तरह की नीतियां बनेगी। बहुत दुख है सेक्रेटेरियट में ए. सी. के रूम्स में रह करके नीतियां बनाई जाये तो हम सदन में कितना ही कुछ कहें, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों के अनुदान का सवाल है, एक बात काफी कही जाती है कि आई. एस. आई. मार्का के पम्प सैट लिये जायं या कोई दूसरे इक्वीपमेन्ट लिये जाय तो अनुदान दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वह चाहें तो इस बात का सर्वे करवा लें, जितने भी अनुदान से पम्प सेट दिये गये या डीजल पम्प सेट दिये गये, उनमें से 50 प्रतिशत पम्प आज की तारीख में आपको खराब मिलेंगे। एजेन्सी में 5000 रुपये का पम्प 7000 रुपये में बिकता है। बैंक में कितना करप्शन है लेकिन आज यह मुद्दा नहीं है। यह सारी बातें देखने की है ताकि किसान को सीधा उसका फायदा मिले। गवर्नमेन्ट जो पैसा, अनुदान में करोड़ों रुपया दे उसका सीधा उपयोग हो, इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा तब ही जाकर सारी बातें ठीक हो सकती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसली बीमा के बारे में मेरे पहले बोलने वाले सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। मैं इस बारे में एक ही निवेदन करूंगा कि गरीब किसान, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसको कुछ मिलता नहीं है। टेल के एरियाज में अधिकारियों की वजह से या सरकार की कमजोरी से या किसी और कारण से पानी नहीं पहुंचता है। एक पानी के बाद में फसल नष्ट हो जाती है। किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता। एग्रीकल्चर के ऊपर लगने वाला उसका खर्चा वह भी माफ नहीं होता है, यह कह, करके कि इसमें पानी गया है। मैं आपको मेरे क्षेत्र में बूंदी तहसील के टेल एरियाज के बारे में बात करूं। बी. बी. सी. के टेल एरियाज

(श्री रामनारायण वर्मा)

में जिसके लिए मैंने 295 में भी निवेदन किया था। उनके यहां एक दफा इस साल पानी दिया, कुछ क्षेत्र में दो दफा पानी दिया, फसल बिल्कुल नहीं हुई। हमने इसको जिला परिषद् की मीटिंग में रखा। ये अधिकारियों का लिखा हुआ आ गया माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसमें हमने पानी दिया है। उनके पास टेल के कोई गेज रजिस्टर्ड नहीं हैं। इस तरह का व्यवहार किसान के साथ होता है। किसान की फसल पैदा नहीं होती बल्कि किसान को नुकसान होता है। मैं निवेदन कर रहा था कि किसान के साथ इतना कुछ होता है, यह सारी बातें मेरे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी काफी निवेदन कर दिया है, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भागीरथ योजना, माननीय अध्यक्ष जी, चलाई है। भागीरथ योजना कागजों में है। हम लोग चर्चा करते हैं लेकिन भागीरथ योजना कितनी कार्य–कारी सिद्ध होगी, इसके बारे में मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इसके बारे में पुनर्विचार करें और इसमें थोड़ा संशोधन इस टाइप का करें जिससे यह कारगर साबित हो। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपने अभी तक जो भागीरथ योजना चलाई है, यह तो उसी तरह से किया, 20 पाइन्ट प्रोग्राम, जैसे हैल्थ में 10 सूत्री कार्यक्रम दे दिया, सूत्रों से काम नहीं चलेगा। प्रेक्टिकली इससे कितना फायदा....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

किसको होता है, इसके बारे में बिना सोचे काम नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं को-ऑपरेटिव के बारे में....

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्री लाल जी। मेरे पास भी समय लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप बीस मिनट बोल चुके हैं। श्री मिश्री लाल जी, नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप बिराजिये माननीय सदस्य बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं को-ऑपरेटिव के बारे में केवल दो लाइन ही बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : केवल दो लाइन बोलिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, को-ऑपरेटिव में, एक्ट में, रूल्स में प्रोवीजन है। सब तरफ करप्शन का मामला सामने आता है। मैं इसको ध्यान में लाना चाहता हूं। तो उसकी मियाद शायद 6 साल की है आप को-ऑपरेटिव के करप्शन के मामले में जांच होते होते ही 6 साल गुजर जाते है। क्या उसकी मियाद को बढ़ाया जावे। उसकी मियाद नहीं बढ़ाई जायेगी तो आप को-ऑपरेटिव में पुराने करप्शन्स को पकड़ोगे तो निश्चित तौर से आप किसी को पकड़ नहीं सकते। कोर्ट से, डिपार्टमेन्ट से या ट्रिब्यूनल से इसको माननीय राजस्व मंत्री भी अच्छी तरह जानते हैं, कोर्ट में निश्चित तौर पर छूटेंगे। को-ऑपरेटिव सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। शहरों में को-ऑपरेटिव का बहुत कम लेना-देना है। किसान का हित को-ऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। 20 प्रतिशत किसान से रखा जाता है, लोन 18 प्रतिशत कटता है। ऐसी स्थिति में, इसमें सुधार किया जाय, कानून को बदला जाय, और करप्शन के मामले में कम से कम मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो

(श्री रामनारायण वर्मा)

मामला मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के दिमाग में लाया हूं, उसके बारे में भी मैं अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस तरह के केसेज को वह जरूर देखें।

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्री लाल।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 37 कृषि पर जो चर्चा चल रही है उसमें मैं मेरा समर्थन देते हुए सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से आपको बताया। उसमें खासकर जो सहयोग की भावना और उसका मोनोग्राम है, "एक सबके लिये और सब एक के लिये" करीब करीब चालाक लोग 'सब एक के लिए" का काम में ले रहे हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी का आपके सामने रखूंगा, आप इसको नोट करेंगे। यह आपके विभाग की कमजोरी है या लापरवाही, अभी मैनेजर का ट्रांसफर हुआ बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी के, अभी तक वह अण्डर ट्रांसफर है। उसने जाते जाते क्या किया? पैट्रोल सण्डे को बेचना बंद हुआ पिछली 8 तारीख को। दिन भर चौकीदार ने उसका जितना डीजल था, बेचा। सण्डे की शाम को तिजोरियां ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने मिलीभगत करके वह गायब की हों। पहला तो आरोप यह है कि उन्होंने सण्डे को डीजल बेचा क्यों? तो वह व्यवस्था मिलीभगत से थी। उसके बाद वह कैसे तिजोरियां गायब हुई। इसकी भी जांच आप अपने लेवल पर करायें।

सहकारिता विभाग में मेरी दूसरी मांग आपसे यह होगी, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति कई जगह दो दो पंचायतों की शामिल हैं, उसमें एक पंचायत जहां पर हैडक्वार्टर है वहां के लोगों को दे देते हैं, दूसरी पंचायत वाले धरे रहे जाते हैं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मेरे ध्यान में भावी और तिलवासनी गांवों की दो अलग अलग ग्राम पंचायतों की सोसायटी हैं उनको अलग की जाय, अलग अलग सोसायटी बनाई जाय। उदलियावास और कालोवना ग्राम पंचायत की दोनों की शामिल सोसायटी है उनको भी अलग की जाय। सहकारिता में जो भी और दूसरी कार्यवाहियां हैं उनको ईमानदारी से तुरन्त लागू की जाय ताकि लोगों को किसी तरह से गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की मांगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। भारत की सारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि उपज को माना जाय और कहते भी आये हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बार जो भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि के लिये ध्यान दिया, गांवों की तरफ ध्यान दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देते हुए कुछ जो कमी रही हैं या मांग मैं करूंगा उस पर आप सुझाव मेरे नोट करेंगे। जिस वर्ष कृषि की अधिक अच्छी पैदावार होती है, बाजार में सब जगह खुशहाली हो जाती है, अनाज सस्ते हो जाते हैं, घी, दालें वगैरह सब जगह अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जब भी कृषि उत्पा-

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

दन में गड़बड़ी होती है भारत का महंगाई सूचकांक ऊपर चला जाता है और सब जगह महंगाई के हिसाब से भाव बढ़ जाते हैं। इतना होते हुए भी कृषि की तरफ जो खास कर ध्यान दिया जाता है, बिजली के लिये बार बार कहा जाता है, इतनी कोताही से बिजली कनेक्शन दिये जाते हैं उसकी ओर आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। किसानों को जब भी मांगे, तुरन्त कनेक्शन मिलना चाहिये। इसके कारण जो भी उत्पादन होता है वह राष्ट्रीय हित में होता है परन्तु 80–82 से कनेक्शन बाकी पड़े हैं वह तो पड़े जो पड़े ही हैं, मार्च 90 में जो पैसे भर दिये, लोगों से अमानत ले ली उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिये हैं। बिजली की मांग नहीं होते हुए भी मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रभाव को काम में लेते हुए बिजली बोर्ड को यह कहें कि कृषि के जो कनेक्शन हैं उनको तुरन्त दिलाया जाय क्योंकि अब कपास की फसल तो गई और मिर्ची की फसल भी जा रही है।

बिलाड़ा क्षेत्र में रणसी गांव एरिया है जिसको अभी तक डार्क जोन कहा जाता था। जोधपुर में जो जल संकट आया तो इमरजेंसी में वहां दस ट्यूब वैल खोद कर पिलाई के लिये प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया गया इस कारण उस एरिया के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ, पानी नीचे गया उनके लोड एक्सटैंशन तो हुए या नहीं हुए, अब मैं मांग करता हूं कि जोधपुर में जल संकट मिट गया है, उसकी मार्फत जो पानी दिया जा रहा है किसानों का, उसको रोक कर वहां के किसानों के जल स्तर को बचाया जाय ताकि वह अपने खेतों में पिलाई आराम से कर सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पांच मिनट ही हुए हैं। खैर। कृषि अनुसंधान के मार्फत जो भी दवाएं वगैरह मिलती हैं कुछ चालाक लोग अपने हिसाब से अलग अलग नाम से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाय रजिस्टर में कि लघु, सीमान्त और दूसरे लोग जो भी किसान हैं जरूरतमंद, उनको दिलायी जाय। किसानों को पेड़ पौधे लगाने के लिये भी अनुदान दिया जाय। भू संरक्षण के लिये जो भी डिजाइन बनी हुई हैं। उनमें तकनीकी स्वीकृति आड़े आती है। मौके पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो, डाक्टरों को वह निर्देश दें कि मौके पर जो भी स्थिति उपलब्ध है उसके अनुसार मेड़बंदी और इस तरह की सुविधा की जाय जिससे भू संरक्षण किया जा सके।

जिप्सम के बारे में मैं आपकी नालेज में यह लाना चाहता था कि सरकार जो सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जिप्सम देती है, किसान अगर डायरेक्ट खरीदें तो वही ट्रक दो सौ रुपये के हिसाब से मिलता है परन्तु सब्सिडी के मार्फत सेम रेट से खरीद हो और किसानों को देने में बीच में जो सरकार का पैसा उठता है वह भी काटें, इसको आप बराबर चैक करवायें। इसमें भी भारी घोटाला है। इसके अलावा कृषि में जो भी आवश्यक है, बिजली के बारे में मैं एक बार और पुनः....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपसे निवेदन करूं कि उद्योगों के लिये

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

रात को जो कनेक्शन दिये जा सकते हैं, किसानों को पूरे टाइम दिन में कनेक्शन दिया जाय ताकि वह आपके इस राष्ट्रीय उत्पादन में अच्छा सहयोग दे सकें।

इसी के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज कृषि और सहकारिता की मांग पर चर्चा कराई है। मैं इन दोनों मांगों के समर्थन में अपने विचार निवेदन करूंगा। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है और यहां की जनता कृषि पर निर्भर करती है और कृषि उत्पादनों से सम्बन्धित जो दूसरे कार्य हैं उन पर आजीविका कमा कर मुख्य रूप से उन्हीं को केन्द्रित मान कर धंधा करती है। लेकिन राजस्थान की जो कृषि है वह कभी कभी तो अतिवृष्टि से नष्ट होती है और कभी अनावृष्टि से फसल बरबाद होती है और हर साल अकाल की स्थिति बनती है। यद्यपि कृषि का जो विभाग है, विषम परिस्थितियों में भी कृषि का उत्पादन बढ़ाने में और प्रान्त में हरित क्रान्ति लाने में कृषि विभाग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले चार दशकों में जो कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, 1988-89 तक खाद्यान्नों का जो उत्पादन है 33.86 से बढ़कर 106.43 लाख टन तथा तिलहन का उत्पादन 8.34 से बढ़ कर 19.12 लाख टन हुआ है और प्रान्त में हरित क्रान्ति को बढ़ावा मिला है। कृषि विभाग ने इन विषम परिस्थितियों में काम करते हुए जो कुछ उपलब्धि की है, कृषि विभाग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। किसान अपनी जमीन पर जो उत्पादन करता है यह बात सही है कि यह किसान की ही हिम्मत है जो अपनी सारी पूंजी खुले मैदान पर बिखेरता है और प्रकृति पर ही उसकी फसल घर में आयेगी भी या नहीं, यह सारी बातें निर्भर करती हैं। कृषि उत्पादन के लिये कृषि विभाग है, यद्यपि वह कई सारी बातों में काम कर रहा है लेकिन मैं खास तौर से बीज, खाद, उर्वरक तथा पौध संरक्षण के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। किसानों को जो बीज उपलब्ध होता है वह राजस्थान बीज निगम के माध्यम से उपलब्ध होता है। कई बार किसानों को जो बीज मिलता है वह अच्छा नहीं मिलता है। पिछले दिनों में ज्वार और बाजरे का जो नकली बीज किसानों को दिया गया उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ और साथ ही दलहन का जो बीज दिया गया था पिछले दिनों मूंग और उड़द का वह बढ़ने में तो बहुत बढ़ा लेकिन उनकी फलियां नहीं आई इस वजह से उत्पादन कुछ हुआ नहीं और किसानों को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। जो बीज प्रमाणीकरण संस्था और बीज निगम है वह उन बीजों का कई प्रकार का परीक्षण करती है। वर्ष 88-89 में 6130, वर्ष 89-90 में 4714 परीक्षण किये गये और इस वर्ष बीस हजार बीज परीक्षण करने का इनका विचार है। लेकिन परीक्षण तो केवल होते हैं, उनमें किस किस संस्था के बीज अमानक सिद्ध हुए हैं उनके विरूद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है इसके बारे में विभाग बिल्कुल तत्पर नहीं है। मैं चाहूंगा कि बीज की वजह से किसानों का नुकसान होता है और जिन संस्थाओं का बीज नकली बताया जाता है उनके विरूद्ध

(श्री हीरालाल आर्य)

कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय ताकि किसानों का नुकसान न हो।

विभाग द्वारा भूमि व जल परीक्षण के बाद जो उर्वरक और खाद दिये जाते हैं, फसलों को किस प्रकार से बचाया जाय इसके परीक्षण करने के बाद किस फसल में किस तादाद में कौन सी खाद दी जाय, इसकी व्यवस्था की जाती है लेकिन खाद का जिस प्रकार मैन्यूफेक्चर होता है उसमें न तो मैन्यूफेक्चर डेट होती है और न ही एक्स–पायरी डेट होती है। कभी कभी किसानों को मार्केटिंग के माध्यम से जो खाद मिलती है वह बोरों में इतनी कम निकलती है कि किसानों को लाभ मिलने के बजाय नुकसान होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को दी जाने वाली खाद के बोरों पर मैन्यूफेक्चर और एक्सपायरी दोनों डेट होनी चाहिए और पूरी मात्रा में किसानों को मिलनी चाहिए। साथ ही राजस्थान में जो खाद पर चुंगी लगती है, पड़ौस के प्रान्तों में खाद पर चुंगी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस खाद पर लगने वाली चुंगी को अविलम्ब समाप्त करें।

पौध संरक्षण में किसानों की फसलों को कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए विभाग कई प्रकार के पौध संरक्षण के परीक्षण करता है लेकिन कई फसलों में परीक्षण के बावजूद भी फसल बच नहीं पाती। खास तौर से चने के बारे में निवेदन करूंगा कि उसमें जो लटें फैलती हैं और किसानों की चने की फसल एक साल बरबाद हुई उसमें विभाग सारे प्रयत्न करने के बाव-जूद भी चने की फसल को बचा नहीं सका तो खास तौर से चने की लटें और गेहूं में रोली नामक बीमारी फैलती है उनसे बचाने के लिए ठीक प्रकार से दवाएं वगैरह दी जायें। कई बार दवाएं किसानों को उपलब्ध नहीं होती। जो सबसीडी के आधार पर मार्केटिंग के माध्यम से दवाएं उपलब्ध होती है उनका लाभ व साधारण किसानों को मिल नहीं पाता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की फसल को बचाने के लिए जो फसल बीमा योजना है, वैसे भी बजट में किसानों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है लेकिन फसल बीमा योजना भी निश्चित रूप से लागू की जाय।

कृषि की उन्नति और विस्तार के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाये जाते हैं लेकिन वहां के जो ग्राम विस्तार कार्यकर्ता है और सहकारी कृषि अधिकारी वगैरह हैं उनकी यह ड्यूटी है कि वह किसानों के इलाकों में जाएंगे और उनको सही सलाह देंगे लेकिन वह कहीं घूमते नहीं और किसानों को सही सलाह दे नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, आप विराजिए। प्रो. सांवरलाल। (व्यवधान)

प्लीज टेक योर सीट, अब आप विराजिए, प्लीज।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश की सकल आय का आधा कृषि से मिलता है। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तब से दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति थी। उस समय जितने लोगों के

(श्री सांवरलाल जाट)

हाथ में शासन था, जो एक दिशा देना चाहते थे, इसके विपरीत उन्होंने फैसला लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी इस हिन्दुस्तान का अगर विकास करना है, कृषि और कृषि से संबंधित जो कुटीर और लघु उद्योग हैं, उन्हें हमें प्राथमिकता देनी होगी परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारी उद्योगों को तो, जो यूरोपीय देशों के लिए स्युटेबल थे, उनको लिया और कृषि को गौण करके जो अर्थ व्यवस्था को आयाम दिया उसका नतीजा यह हुआ कि देश की स्थिति दिन प्रति दिन दयनीय होती गई। देश में खाद्यान्नों का अभाव हुआ तो एकदम सोचने के लिए मजबूर हुए और 71 में उन्होंने हरित क्रान्ति शुरू की तब जाकर कृषि में हम आत्म निर्भर हुए और वह स्थिति भी तब पैदा हुई जब अमेरिका ने कहा कि हिन्दुस्तान को हम खाद्यान्न नहीं देंगे तो मजबूर होकर उन्होंने हरित क्रान्ति के रूप में कृषि के लिए सोचा।

राजस्थान के इस साल के बजट में मैं माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी का तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में किसानों से संबंधित जितनी असुविधाओं को आज तक नहीं सोचा गया था, पहली बार स्थान दिया है। कुओं का बीमा होना और उससे संबंधित जो सिंचाई के स्प्रिंकलर वगैरह हैं उनके ऊपर सबसीडी और उसके साथ ही कृषि से संबधित जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनके काम में आने वाले कच्चे माल को टैक्स से मुक्त करना निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के किसानों और कृषि के बारे में आजादी के बाद सोचा नहीं गया। कृषि मंडियों का विचार सर्व प्रथम चौधरी चरणसिंह जी और सर छोटूराम ने रखा था। हिन्दुस्तान के किसानों को बाजार में बनिये लूटा करते हैं उनको लूट से रोकने के लिए कृषि मंडियों की स्थापना हुई परन्तु मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज मंडियों में हालत यह है कि उन किसानों की स्थिति वही हैं जो पहले थी। जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, वह उलटी बिगड़ी है। अफसरशाही हावी है। कृषि मंडियों के चुनाव नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जो, मैं अवगत कराना चाहता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि आप वहां पर रखिये जिससे कृषि मंडियों के सचिव और अन्य कर्मचारी मनमाने तरीके से व्यवहार न करें। आज भी किसानों के साथ इन मंडियों में व्यापारी कान में बात करके भाव लगाते हैं और अगर कोई किसान की पगड़ी उछाल दे तो कोई कहने वाला नहीं मिलता। इसी प्रकार किसानों की फसल की कीमत, सपोर्टिंग प्राइस, हालांकि अब किसानों की ताकत जगी है लेकिन उसमें भी मजबूरी यह है कि उनकी फसल की कीमत निश्चित नहीं होती। इसका पहला कारण तो मैं कह सकता हूं चूंकि कृषि मौसम पर आधारित है, कितना उत्पादत होगा, कितना नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जब उत्पादन बढ़ता है, किसानों की फसल के भाव कम हो जाते हैं और जब उत्पादन नहीं होता तो कीमत बढ़ जाती हैं। यह असंतुलन दूर होना चाहिए क्योंकि जो भाव

(श्री सांवरलाल जाट)

उनको मिलने चाहिए, कभी नहीं मिलते अगर फसल अधिक होगी तो भाव कम हो जाएंगे। उनकी परचेजिंग पावर कभी नहीं बढ़ी इसलिए किसान की फसल की कीमत का निर्धारण कोस्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर सरटेन परसेन्टेज आफ प्रोडक्ट इसमें एड किया जाय।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है : कई नदी–नाले निकलते हैं। छोटे–छोटे एनीकट्स, तालाब बनाकर हम बरसात का जो पानी बहकर चला जाता है उसको रोक कर यह व्यवस्था कर सकते हैं। आज हमारे अजमेर जिले की क्या हालत है। अरावली की पहाड़ी है, वहां पर छोटे–छोटे नाले पूरे क्षेत्र के अन्दर और नागौर के दक्षिण–पूर्वी भाग में निकलते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, हमारा एरिया के अन्दर विशेष सर्वे करवाकर जहां-जहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है छोटे-छोटे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाय। चूंकि मनोहरपुरा के पास एक नाला निकलता है, अगर वहां पर छोटा सा बांध बन जाता है तो निश्चित रूप से 26 गांवों को फायदा होगा। इस प्रकार की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी का अर्थ होता है ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का अभाव रहे जो व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करती है और यही वस्तुयें और सुविधायें कृषि एव कृषितर संसाधनों से प्राप्त होती हैं। लेकिन कृषक फिर भी अभाव की जिन्दगी जीता है। चूंकि अभी तक जो सत्ता पार्टी रही है उसने कभी भी कृषि के अन्दर पूंजी का विनियोजन नहीं किया। पूंजी का विनियोजन हमेशा उद्योगों के अन्दर होता रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि में पूंजी का अधिक से अधिक विनियोजन होना चाहिए। बिजली की जो सुविधा है वह अधिक से अधिक किसानों को दी जाए। खेती को आप उद्योग का दर्जा देंगे तो निश्चित रूप से उनको पर्याप्त लाभ मिलेगा। बिजली में उनको लाभ मिलेगा। उनकी फसल की कीमत निर्धारण में लाभ उनको मिलेगा। इस प्रकार उनको ये सुविधायें मिलेगी। फसल के ऊपर आप उनको ऋण दीजिए। फसली बीमा लागू कीजिये। इसके साथ ही हमारे अजमेर जिले की जो मुख्य समस्या है हमारे किसान जो खेतों में बीज डाल चुके है उसको लाखों रुपया जुर्माना देना पड़ता है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 91 के केस जितने अजमेर जिले में चलते हैं उतने कही नहीं है। किसी को पता नहीं है कि किसके नाम का खेत है? कौन बीज बो रहा है? अजमेर जिले की इस समस्या का समाधान कीजिए और जो संशोधन 1971 में हुआ उसे आप लागू करें तो निश्चित रूप से हमारे जिले की समस्या का समाधान होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी। अब हो गया आपके अजमेर की समस्या का हल। अच्छा एक मिनट....।

श्री सांवरलाल जाट : एक मिनट साहब। इसी प्रकार से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारा कृषि विश्वविद्यालय है जहां अच्छे बीज मिले, अच्छे बीज हम तैयार करें, इस पर शोध और अनुसंधान होता है यहां पर, जो उप कुलपति महोदय, बैठे हैं वह एक दल विशेष एवं जाति विशेष के अन्दर फंसे हुये हैं। निश्चित रूप से फंसे हुये हैं। इसके लिए हमारे पास सबूत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालयों के अन्दर गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे आदमियों को निरापाद बनाया जाये जो निर्विवाद हो, किसी विवाद से ग्रस्त नहीं हो....।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री हरि सिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कृषि विभाग और उससे सम्बन्धित दो विभागों की अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में आज चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से कुछ कहूं, उससे पहले राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों का साधुवाद पेश करना चाह रहा हूं जिनके कठिन परिश्रम, अथक प्रयास और अच्छे वैज्ञानिक अन्वेषण ने किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करवाये, जिससे आज हम हरित क्रांति जिसे कहते हैं वह सम्भव हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो यह हुआ कि किसानों के लिए चाहे वह किसी भी दल का शासन हो और कोई मुख्य मंत्री रहा हो, कभी दया करके भी किसी ने नहीं सोचा और सोचा तब; जब कि हमारे पास देश में खाद्यान की कमी थी और उसकी आपूर्ति करनी थी। उस आपूर्ति को करने के लिए ही किसानों की बात सोची गई। वैसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके हित में किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जिससे किसानों को कोई लाभ मिले। अभी जो बनाया वह खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति को दृष्टिकोण में रखकर बनाया गया। अध्यक्ष महोदय मैं निसंदेह माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद पेश करूंगा जिन्होंने पहली बार किसानों के कुऐ की बीमा योजना लागू करने की बात कही। इसमें मेरे को कोई संकोच नहीं है। प्रतिपक्ष में बैठा हूं लेकिन अच्छा काम है तो वह अच्छा ही है। इसके साथ ही मैं उनसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप कृषि सहकारिता, राजस्व और सिंचाई, इन चारों विभागों की एक समन्वय समिति बनाये क्योंकि ये चारों विभाग ही किसानों से सम्बन्धित हैं और कोई भी योजना बनाने से पूर्व यह चारों विभाग जो हैं इसकी समन्वित योजना किसानों के लिए बनाये तो उसका किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। हमारे यहां पर हर विभाग की अलग-अलग योजना बन रही है और दूसरे विभाग अपने आपको अलग रखे हुये है। अगर इन चारों विभागों की एक समन्वित योजना बने, आपस में बैठकर इसके अधिकारी और मंत्री स्तर पर एक समन्वय समिति बनाई जाए और उसके बाद में कौन सी बात किसानों के हित में है, कौन सा कानून उसके हित में है; कौन से नियम उसके हित में हैं औरक्या-क्या हम उनको सुविधा दे सकते हैं, यदि इनके समन्वित प्रोग्राम माननीय मुख्य मंत्री जी अगर आप लाये तो श्रेष्ठकर होगा, लाभकारी होगा किसानों के लिए हितकारी होगा। मैं इसके साथ ही आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि खेतों की मालिक जो है वह राज्य सरकार है। किसान सिर्फ उस पर किरायेदार

(श्री हरिसिंह)

है। मालिक का फर्ज है कि वह विकास के जितने भी काम हैं वह मालिक स्वयं करें। किरायेदार से तो लगान वसूल किया जाता है। अगर आप सिंचाई के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करा रहे है कहीं बांध बनाकर, कहीं पर नहरों के माध्यम से। जिस प्रकार लगान वसूल करते हैं, उसका अतिरिक्त लगान वसूल करते हैं। इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर किसानों का आप सबसे बड़ा हित करना चाहते हैं तो आप ट्यूबवैल की स्कीम को भी राज्य सरकार के अण्डर में ले लीजिये। आपने जो कुछ भी किया है, उससे मुझे खुशी है कि कुछ तो किया। आज यदि पांच-छह सात किसान सामूहिक रूप से ट्यूब वैल लगाते हैं तो उनको अनुदान देने की घोषणा की है लेकिन श्रेष्ठकर यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, एक मालिक की भूमिका मानते हुये उस पर विकास की घोषणा करें और जो सिंचाई की सुविधा देते हैं उसके लिए अतिरिक्त लगान उससे वसूल करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इसके साथ ही एक और अनुरोध करूंगा, चूंकि वह आज का विषय तो नहीं है लेकिन किसानों से सम्बन्धित ही है, हमारे टेनेन्सी एक्ट और हमारे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के जो कानून-कायदे हैं उसके मुताबिक बाप जब तक जिन्दा है, बेटे को खातेदारी का हक नहीं मिलता है। बेटा जब जवान हो जाता है एवं शादी हो जाती है तो वह अलग जरूर हो जाता है लेकिन बाप उसको आपसी समझौते से खेत का टुकड़ा तो दे देता है लेकिन उस पर बेटा डवलपमेंट का काम नहीं कर सकता। वह न तो उस पर कुआं बना सकता है, न ही उस पर वह इंजन लगा सकता है, और न ही वह बिजली की मोटर लगा सकता है क्योंकि खातेदारी का अधिकार उसके पिता को ही है। अगर, दुर्भाग्य से बाप-बेटों के बीच में कोई मन मुटाव है तो बेटा विकास के काम के लिए ऋण से वंचित रह जाता है। इसलिए आप इस पर निश्चित रूप से सोचिये। इसके साथ ही मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा। साहब, एक मिनट और लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप यह समझते हैं कि मैं सदन का ज्यादा समय खराब कर रहा हूं तो मैं अभी बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप अपनी पहेलियां बोल रहे है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप पांच मिनट बोल चुके हैं।

श्री हरिसिंह : लेकिन आपने घन्टी बहुत जल्दी बजा दी। मैं इसके साथ ही एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी, वह यह है कि किसानों को जो बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उसके लिए पटवारी से लेकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने तक उसका काफी समय और पैसा इन डोकूमेंट्स को तैयार करने में खर्च करना पड़ता है। आप स्वयं कबूल कर चुके हैं और हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है? पटवारी जमाबंदी के सौ रुपये भी ले लेता है, ढाई सौ रुपये भी ले लेता है। अगर ट्रैक्टर का लोन है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर जमीन का लोन है तो कम हो जाती है। और अगर फसली लोन है तो उससे भी कम हो जाती है। इसलिए आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने की एवं किसान को ऋण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी के लिए कोई ऐसी सरकारी एजेन्सी कायम करें जिसे किसान जाकर कहे कि मुझे ऋण लेना है।

(श्री हरिसिंह)

वह एजेंसी ही सारा काम पूरा करके ऋण स्वीकृति की टेबिल तक पहुंचा दे। जब आप उद्योगपति को एक खिड़की पर, एक विण्डो पर सभी सुविधायें देने की बात कर रहे हैं तो समझता हूं कि किसान को भी आप एक विण्डो पर सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सहकारिता के विषय में थोड़ा-सा अर्ज और करना चाहूंगा। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है। उसमें कौन-कौन लोग कैसे-कैसे हैं, वह तो आपका विषय है, आपकी जांच चल रही है लेकिन मैं एक अनुरोध सिर्फ एक सेन्टेन्स में करना चाहूंगा कि इन सहकारी समितियों में निश्चित रूप से बड़े राजनेताओं का हाथ है।

इनमें निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों के हाथ हैं और निश्चित रूप से ही राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के आशीर्वाद प्राप्त लोगों के हाथ हैं। तो मेहरबानी करके आप इस जांच के दौरान यह और पता कर लें कि किन–किन राज–नेताओं के किन–किन सरकारी अधिकारियों के किन–किन सोसाइटीज में प्लाट्स हैं और उन्होंने अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कानूनों में किस प्रकार के रद्दोबदल और हेर–फेर किये। यह आपकी जांच का विषय है, मेरा तो अनुरोध मात्र है। आप चाहें तो इसको विस्तार रूप दें।

मैं इसके साथ ही मुख्यमंत्रीजी, आपसे एक और अनुरोध करूंगा। क्योंकि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टरजी जो बहुत गहरे रूप में भरतपुर के बैंक से जुड़े हुए हैं, उनके सम्बन्ध में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपसे विनम्र शब्दों में क्षमा चाहता हूं आप जब मुख्यमंत्री थे तब भरतपुर के बैंक में गबन–घोटालों के लिए आपने जांच की। 37 सोसाइटीज का सेम्पल आप लोगों ने लिया। 37 सोसाइटीज को डिफाल्टर पाया गया। बैंक की 74–75 की ऑडिट रिपोर्ट में एक बात सामने उभर कर आई कि बैंक को सोसाइटीज पर जितना लेना है, जितना कर्जा दिया है, सोसाइटीज ने उतना कर्जा किसानों को नहीं दिया और यह डिफरेंस था एक करोड़ अस्सी लाख रुपये का और यह शिकायत आप तक आई। बहुत खुशी की बात है कि आपने उसमें जांच करवाई। 37 सोसाइटीज में से 28 बैंक अधिकारी, 58 सरकारी अधिकारी और 62 सोसाइटीज के व्यवस्थापकों के खिलाफ आपने केसेज बनवाये और चालान पेश करवाये और उसके बाद में यह प्रक्रिया, अभी उधर बैठे हुए मेरे भाई लोग कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मैं भी मान लेता हूं कि कुछ नहीं किया। लेकिन अब चूंकि आप पुनः आ गये और इस उम्मीद के साथ में कि आप अपने अधूरे काम को पूरा करने का अन्जाम देंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप भरतपुर बैंक की स्थिति की तरफ गम्भीरता से देखें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, ठीक है। बोलिये आप, एक सैकण्ड।

श्री हरिसिंह : जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपने जोशीजी को एक पत्र लिखा और आपने उनका ध्यान आकर्षित करवाया कि मैंने मेरे शासन काल में यह किया था, अब यह काम अधूरा रह गया है, कृपया इसको पूरा करें।

माननीय मेघवालजी ने भी एक पत्र लिखा है, उसकी दो-तीन पंक्तियों में आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड से ज्यादा हो जायेगा।

श्री हरिसिंह : साहब, मैं बैठ जाता हूं फिर।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा हो, आप बैठ जाओ तो।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप ना चाहें, मैं ना सुनाऊंगा। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारी या बैंक के मैनेजमेंट से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जायेगा। आज समय है। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर संदेह के घेरे में बैठे हैं, जहां तक इस बैंक का सवाल है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मेरे खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं है। आपको यह मालूम भी नहीं कि मैं उन दिनों में बैंक में और बैंक के बोर्ड में भी नहीं था। होश ही नहीं है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना प्रमाणित हुए आप कैसे आरोप यहां लगा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दिया जाय।

माननीय श्री मीनाजी।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + जोइन्ट रजिस्ट्रार ने एक गोपनीय पत्र लिखा है...

श्री अध्यक्ष : आपका एक सैकण्ड का पैमाना 120 सैकण्ड हो गया है।

श्री हरिसिंह : सिर्फ तीन लाइन सुनाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : तीन लाइन पढ़ दो।

श्री हरिसिंह : + + + जोइन्ट रजिस्ट्रार ने यहां पर जो रजिस्ट्रार थे + + +

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप नाम मत पुकारें। नाम काट दीजिए।

श्री हरिसिंह : मैं नाम नहीं बता रहा हूं। उनको एक गोपनीय पत्र लिखा है उसकी तीन लाइनें सुनाना चाह रहा हूं। यह है कि मुझे यह लिखने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि जिले के सहकारी आन्दोलन के रक्षक ही वास्तव में आन्दोलन के अध्यक्ष बने हुए हैं और इन्हीं के इशारे पर पूरे क्षेत्र में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, गबन

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिसिंह)

किये जा रहे हैं, कराये जा रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ वे स्वयं उठा रहे हैं। वाक-चातुर्य एवं कानूनी ज्ञान के कारण इन पर उत्तरदायित्व करना फिलहाल सम्भव नहीं है····

श्री अध्यक्ष : तीन लाइनें हैं यह ?

श्री हरिसिंह : अतः समस्त मामले की राज्य सरकार····जांच करावे····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कोई पैमाना नहीं है। एक सैकण्ड का पैमाना नहीं है।

श्री हरिसिंह : बस, मैं बंद हो गया।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बिराजिए। माननीय श्री नीनामाजी।

श्री नत्थीसिंह : आपको यह भी मालूम नहीं, जब अध्यक्ष कौन था। नत्थी सिंह उस बैंक का अध्यक्ष नहीं था, आप स्वयं गलत बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही।

श्री हरिसिंह : जो कुछ उस पत्र में लिखा है वह पढ़ा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बिराजिए आप। प्लीज हैल्प मी। माननीय श्री नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (धाटोल) : मान्यवर अध्यक्ष महोदयजी, मैं कृषि विभाग पर चल रही चर्चा में मेरे सुझाव रखना चाहता हूं····

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप पर चार्ज नहीं लगाया है साहब, संदेह की बात थी।

श्री देवेन्द्र सिंह : इस पर चर्चा करा दो आप।

श्री नवनीतलाल नीनामा : हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है····(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : संदेह की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : संदेह का निवारण करते हैं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : इस देश में पंचायती राज का न्याय पेड़ों के नीचे हुआ करता था लेकिन आज जन साधारण किसानों का न्याय किताबों में और बन्द कमरों में सड़ रहा है जिसके लिए जन साधारण किसान इन्तजार करता रहता है। सरकारी अधिकारियों के द्वार पर मिलने के इन्तजार में खड़े रहते हैं। मेरा यह मानना है आप सभी माननीय सदस्यों ने आज इस कृषि विभाग पर चली चर्चा में भाग लिया लेकिन दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर डिवीजन की जो विशेष समस्या है, वह भिन्न है। उत्तरी राजस्थान व रेगिस्तान में ऊंट से खेती होती है और दक्षिणी राजस्थान में बैल से खेती होती है। वहां बैल से खेती होने से आज इन दिनों किसान को बैल इतना महंगा पड़ चुका है, तीन चार हजार रुपये में एक बैल मिल रहा है। हमारे देश की सरकार ने गाय को कटवा दिया। बैल को जन्म देने वाली मां गाय, जंगलों की बरबादी के कारण दिनों दिन समाप्त होती चली जा रही है। अतः में मांग करता हूं कि

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

कृषि से सम्बधित किसानों का जो एक सहारा बैल है और बैल की मां गाय है और गाय को जिन्दा रखने के लिए जंगलों की आवश्यकता पड़ी है और पड़ती रही है । आज दिनों दिन जंगल बरबाद होते जा रहे हैं, अतः मैं राजस्थान सरकार, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कई बार दक्षिण राजस्थान के दौरे के दरम्यान यह विश्वास दिलाया है और उदयपुर डिवीजन के जन साधारण किसान चालीस वर्षों से इस इन्तजार में हैं और आज भी नई जो मिली-जुली सरकार मान्यवर शेखावत जी की सरकार आने से उदयपुर डिवीजन का किसान इस आशा को लिए बैठा है कि वहां पर जंगलों की रक्षा की जाये, गाय की रक्षा की जाये और वन विभाग, राजस्व विभाग चरागाह की जमीन की जो भिडन्त हो रही है नाजायज कब्जे मे हर साल किसान एक रुपये का दस गुना से लेकर के पचास गुना तक पैनल्टी भरता है । इस प्रकार की अजीब तरह की समस्या आज दक्षिणी राजस्थान में है । अतः मैं मांग करता हूं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से, यह सैटलमेंट पैमाइश, वन मंत्रीजी से यह जो वन विभाग की जमीन है जिस पर आदिवासी किसान नाजायज कब्जे से खेती करते चले आ रहे हैं, वहां पर पेड़ हैं नहीं, कुए बना दिये गये, जंगल यानि पेड़ लगा दिये गये हैं, उनको मकान बसाए वर्षों बीत गये हैं लेकिन वन विभाग की जमीन मान करके नाजायज कब्जे से सरकार दण्ड और पैनल्टी वसूल करती है । मेरा यह मानना है कि गत सन् 1982 से लेकर 86 तक के वर्षों में 21 लाख 78 हजार 515 रुपये नाजायज कब्जे की दण्ड/ पैनल्टी वसूल की गई जबकि जिला बांसवाड़ा अकेले का तीन लाख के करीब लगान है और 21 लाख के करीब दण्ड और पैनल्टी वसूल होती है । इस प्रकार किसान की एक अजीब तरह की समस्या है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की नाजायज परेशानी से निपटने के लिए विशेष ध्यान दें ।

हमारे राजस्थान व केन्द्रीय सरकार ने सन् 1975 में 8.10.75 को जनजातीय ट्राइबल योजना, पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने की योजना बनाई और उदयपुर डिवीजन में एक ट्राइबल कार्यालय खोला गया लेकिन राज्य व केन्द्रीय सरकार ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया कि जन-जाति पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने के लिए ट्राइबल योजना का ऑफिस तो खोल दिया गया लेकिन वहां पर किसान ज्यादातर खेती करके अपना पेट पालते हैं.... नाजायज कब्जे वालों से दण्ड और जुर्माने वसूल किये जा रहे हैं उस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । अतः मैं राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों के एक जैसे विभाग हैं । सिर्फ सैटलमेंट और पैमायश की कमी के कारण बड़ी परेशानी पैदा हो रही है । राज्य में सर्वे एवं सैटलमेंट की वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल 213 तहसीलों में से 119 ऐसी हैं जिनमें पिछला भू-प्रबन्ध अधिभार हो चुका है तथा यह तहसीलें ओवर ड्यू हो चुकी हैं । साथ ही 16 तह–सीलें ऐसी हैं जो कि रियासती काल से लेकर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(9.00 रात्रि)

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

अब तक पैमाइश व भूमि मापन से वंचित हैं। अतः मेरी मांग है कि दक्षिणी राजस्थान में सैटलमेण्ट और पैमाइश कराकर किसानों की समस्याओं को दूर किया जाय साथ ही मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार ने यह नियम बनाया है कि जन साधारण की, किसानों की समस्याओं को दूर किया जायेगा, किसानों को ऊंचा उठाया जायेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास में कई प्रकार के ऐसे रिकार्ड आये हैं, जो माही डेम बनाया गया है और 1985 में जिसका काम पूर्ण हो गया है उसके विस्थापितों को भूमि अलॉट की गयी है और उनके नामान्तरण खोले हुए हैं। वहां पर जिन काश्तकारों ने 15–20 साल पहले कुआ, मकान बना लिया वहां शादी व्यवहार हो रहा है, बाप मर चुका है, छोटे बालक यह जानते हैं कि हम यहां पर जन्म से निवास करते हैं। ऐसी भूमि माही विस्थापितों को अलॉट करके नामान्तरण खोल दिये हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में हमारी राजस्थान सरकार के अभी आदेश आये हों या नहीं आये हों अगर दिये गये हों तो उन्हें तुरन्त स्थिगित करें। वहां पर हालत यह हो गई है कि तहसीलदार और थानेदारों की आमदनी का जरिया खोल दिया है। तहसीलदार साहब क्षेत्रीय थानेदार को साथ में लेकर गन्ने के खेत में चले जाते हैं। वहां पर गन्ने के खेत मौजूद हैं, पेड़ मौजूद हैं, कुए मौजूद हैं। वहां पर मकान तुड़वाये जा रहे हैं। गन्ने की खेती नष्ट कर रहे हैं और स्थानीय किसान लाठी और पत्थर लेकर सामना करने को तैयार हैं और वहां पर भिड़न्त होने की संभावना बना दी गई है।

अतः मेरा निवेदन है कि माही अधिकारियों को निर्देश दिये जायं कि इस प्रकार से नाजायज तौर पर जो झगड़े कराये गये हैं, राजस्व अभियान चलाया गया है। कब्जे दिलाने का जो अभियान चलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिला बांसवाड़ा के कलक्टर को कहा जाय कि इस प्रकार का अभियान तुरन्त स्थगित करें और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कई वर्षों से हमारे यहां पर पैमाइश नहीं हुई है। 50 वर्षों से वहां पर पैमाइश नहीं हुई है। अतः नाजायज कब्जे से ही वहां का किसान अपना पेट भरता है। सैटलमेण्ट, पैमाइश या पट्टे नाम की चीज वहां नहीं है। 40 वर्ष की उम्र होने को आयी आज दिन तक उन लोगों के पास पट्टे नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की जो समस्या पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिए तुरन्त ध्यान दें।

श्रीमान् आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के किसानों की विशेष समस्या है। वह है पानी की। हमारे यहां माही में जो नहर ठेकेदारों द्वारा बनायी गयी है उसके कारण हमारे वहां के किसानों की भूमि दिनों दिन नष्ट हो रही है सीपेज हो रहा है, उससे। सीपेज के कारण फसल कम होती जा रही है अतः निवेदन है कि नहर का शुरू से सर्वे करवाया जाय और जहां से नहरों में सीपेज होता है। उसको ठीक तरह से दुरुस्त किया जाय। वर्ना वहां के किसान दस साल बाद बरबाद हो जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

कि नहरों का सर्वे कराके, इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । अब आप विराजें । श्री नन्द किशोर शर्मा ।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अब मैं समय अभाव में राजस्व मंत्री जी से, कृषि मंत्रीजी से और अभी इस मौके पर हमारे नेता महोदय बिराजे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर जिलों में भूमि पैमा- के अभाव में नाजायज कब्जे के नाम से किसान परेशान हो रहा है। क्या आप उन को राहत देने का इरादा रखते हैं, वहां का सर्वे कराके किसानों को राहत देने का इरादा रखते हैं तो आप मुझे आश्वासन दें। यही कहना चाहता हूं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्री से आश्वासन दिला दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको दूंगा ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि व सहकारिता विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं । साथ ही मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जो अन्त्योदय के जनक हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र में भी जो 60 प्रतिशत धन दिया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कृषि एक ऐसा विषय है है जिससे सारे ही विभाग जुड़ जाते हैं सिंचाई जुड़ जाती है, सड़क जुड़ जाती है, मण्डी जुड़ जाती है, उद्योग जुड़ जाता है। इसलिए कृषि पर आप जितना बजट दोगे उससे अपने आप सारे विभागों को मिल जायेगा और उनकी उन्नति होगी । इसलिए किसान की सेवा भगवान की सेवा है । यहां पर कृषि पर बहुत बातें कहीं गयी हैं इसलिए मैं थोड़ी सी बात सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं ।

"सहकारिता" शब्द है सबको मिलकर चलने का नाम । वसुधैव कुटुम्बकम् हमारा उद्देश्य है । इसके लिए हमको सब को साथ लेकर चलना चाहिए, इसके लिए आपको बार-बार धन्यवाद है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों पर आपने कार्यवाही की है। इसी तरह से गांवों में भी है और उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। इनको पहली बार जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद ।

यही हालत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्रत्येक गांव में है । अगर आपका इनकी ओर ध्यान जायेगा तो बहुत बड़ी बात होगी । सहकारी समितियों के चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिए । यह सबसे बड़ी बात है । चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए । इनमें सबसे बड़ा झगड़ा होता है और वह यह है कि अध्यक्ष को वह स्वयं मैम्बर्स चुनते हैं चाहे बैंक का हो या सोसायटी का हो लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास वे नहीं ला सकते हैं । जबकि प्रधान और सरपंच को पूरी जनता चुनती है उसके बावजूद भी उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पंच सरपंच लें आते हैं लेकिन इसको कितनी भी बुराई करने के बाद भी नहीं हटाया जाता है इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन होना चाहिए ।

वैसे ही एक और बात है कि जो साख

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

मंजूर की जाती है उसको पांच साल के लिए करना चाहिए और जो किसान समय पर जमा करा दे उसको सात दिन के अन्दर ऋण मंजूर हो जाय तो वसूली भी ज्यादा होगी और उसकी आस्था भी ज्यादा बढ़ेगी।

वैसे ही ग्राम सेवा सहकारी समिति का एक ही काम है लोन देना। इसके बाद खाद, बीज, ट्रैक्टर, कुआ आदि पर लोन भी भूमि विकास बैंक से बंटवा देते हैं तो क्या यह भी उनसे बंटवाना चाहिए। इससे आदमी कम लगेंगे। काम अच्छा होगा, उन की देखरेख ज्यादा होगी। इसलिए सारा काम खाद बीज देने का उनसे कराया जायेगा तो ज्यादा ठीक होगा। भूमि विकास बैंक जिले में अलग से काम करता है उसमें बहुत बड़ी बेइमानी होती है वैसे इन दिनों में अगर बैंक द्वारा लेंगे तो दो हजार कम से कम ज्यादा लगेंगे। इसको देखें कि अगर किसान सीधा लेता है तो दो हजार उसको कम लगते हैं और टेण्डर या इनवाइस द्वारा लेता है तो दो हजार ज्यादा लगते हैं। इसको देखें।

को-आॅपरेटिव बैंक एक और काम करें छोटे छोटे किसान जिनको कोई उधार नहीं देता है। अगर वह बाजार में जाता है तो चांदी सोने की रकम होती है वह देता है तो उससे 10 रुपया, पांच रुपया सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। यदि बैंक यह व्यवस्था करे कि छोटी रकम पांच सौ, सात सौ की उसको जरूरत हो तो एक रुपया सैंकड़ा या डेढ़ रुपया सैंकड़ा पर उनको मिल जाये। जिस व्यापारी को लाखों रुपया देते हैं तो किसान के लिए थोड़ी सी रकम दी जाय तो यह उसको बहुत बड़ी सहायता होगी और वह लुटेगा नहीं।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, जिनमें एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि लाखों रुपया लगाकर उनको शुरू किया जाता है, लेकिन हर सोसायटी घाटे में चलती है। इसकी देखरेख ऐसी की जाये कि वह हर समय हर चीज किसान को बाजार को देवे भी और खरीदे भी, और बाजार से सस्ती दे। जो बाजार से महंगी खरीदे। जबकि व्यापारी उससे कम रुपये लगाकर भी, टैक्स देकर भी सस्ती चीज देता है और उसका लाभ उसको मिलता है। आप हर बार मकान बना देंगे। उसके कर्मचारी भी काम करेंगे, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कि पढ़े-लिखे लोग लगेंगे, उसके बाद भी उसमें लाखों रुपया लगने के बाद भी घाटा होता है, हमें इस पर विचार करना चाहिये। पढ़े-लिखे लोग उस घाटे में, अपने देश को किस प्रकार से सोसायटियों के द्वारा घाटा दे देते हैं, इन पर हमें पूरा विचार करना चाहिये। दूसरी बात है कि कार्यपालिका, आॅडिट और न्यायपालिका, तीनों संस्थाएं अलग-अलग होनी चाहिये। एक ही संस्था एड को पचा जाती है और काम नहीं कर पाते। मेरा एक और भी कहना है कि इसके व्यवस्थापकों को यह अधिकार दिया हुआ है, जिसमें आज तक एक बार उसको सस्पैण्ड कर दिया है, उसको हटा दिया, उससे चार्ज ले लिया, तो वह सोसायटी समाप्त ही हो गई। उसको कोई पूछने वाला आज तक कभी नहीं

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

होता। इस बात पर हमें पूरी तरह से सोचना चाहिये कि वह व्यवस्थापक बिल्कुल उस चुनी हुई कार्यकारिणी के अण्डर में रहे, या उनकी तनख्वाह भी ग्राम सेवा सहकारी समिति दें। बैंकों के हिसाब से नहीं दे। नहीं तो कई सोसायटियां इसी नाम से डूब गई है और जितना काम करें, उतना ही वेतन लेवें। नहीं तो यह एक उवाऊ काम है। उनको हम शक्कर देते हैं और दूसरा काम नहीं कर पाते। उस शक्कर में वह चाहे जितना बचा लेते हैं। इतना मुनाफा होता है, लेकिन सहकारी संस्थाओं को घाटे के नाम पर सौ या दो सौ रुपये मानकर सहकारी संस्थायें डूब जाती हैं। इसी प्रकार से मार्केटिंग में चाहे बेइमानी में जाये पर जेब में जाता है। लेकिन शक्कर के नाम पर अब यह विचार की बात है कि उसमें 2 या 5 प्रतिशत से कम नहीं देते और खुली छूट बेइमानी की देते हैं, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। कृषि विभाग के बारे में तो मेरी एक ही बात है कि बीज की व्यवस्था बढ़िया हो। बीज की व्यवस्था भी पंचायत समिति स्तर पर की जाये। पंचायत समिति स्तर पर अच्छे किसानों के यहां बीज पैदा किये जाये और वहीं पर बीज भंडारण निगम उसको रखे, वहीं से वांटें। उसका पहले एक साथ परीक्षण करें। जिसका बीज ठीक हुआ है, उसको रखा जाये, तो ज्यादा सुन्दर व्यवस्था होगी। कृषि उपज मण्डियों में भी एक बात है कि 50 प्रतिशत टैक्स मण्डियों में जिन गांवों का जाता है, कम से कम 50 प्रतिशत पैसा वहीं सड़कों पर लगना चाहिये। वैसे ही नगरपालिका में जब किसान चुंगी देता है, 25 प्रतिशत उसका पैसा भी सड़क पर लगना चाहिये। दोनों से लगेंगे तो रास्ते ठीक होंगे। मैं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद श्री दिलसुख राय चौधरी।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो मांग संख्या 36 और 37 पर चर्चा हो रही है, उस पर मैं भी अपने विचार रखता हूं। सहकारिता के बारे में मेरे पूर्व साथियों ने बताया, सहकारिता में गांवों में को-ऑपरेटिव संस्थाएं हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके बारे में एक सुझाव यह है कि हमारे क्षेत्र में 3-3, 4–4 पंचायतों के बीच में एक–एक सहकारी समितियां हैं। तो मेरा एक तो सुझाव यह है कि हर पंचायत में एक–एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि सहकारी समितियों में, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो व्यवस्थापक लगे हुए हैं, वह न तो कार्यकारिणी की राय मानते हैं। वह अपनी मनमर्जी से एक–एक सहकारी समिति में 10–10, 15–15 साल से बैठे हैं, तो उनको दो, चार साल में ट्रांसफर करवाना चाहिये और क्रय–विक्रय सहकारी समितियां हैं, उनमें भी यही है। आज से 15–20 साल पहले गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उन लोगों ने फार्म भरे नहीं, लोगों ने लोन लिये ही नहीं हैं, दूसरे फर्जी लोगों ने अंगूठा निशानी करके लोगों के नाम से पैसे उठा लिये और अब उनकी कुर्कियां निकल रही हैं, तो मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे

(श्री दिलसुख राय चौधरी)

जो मामले हैं, 10–10, 15–15, 20–20 साल से लोगों के पैसे पैण्डिग पड़े हुए हैं, उनकी जांच करवाकर जो दोषी हैं, उनको सजा दिलवायी जाये और जिनके नाम पैसा है, उनके लिए तो अभी ऋण माफ कर दिया, शायद अभी हो जायेगा । दूसरी बात कृषि के बारे में है । चौधरी चरणसिंह कहते थे कि गांवों की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से है । उस हिसाब से खेती के ऊपर राज्य में कई तरह के बोर्ड बना दिये, परन्तु गांव वालों को उसका सही फायदा नहीं मिलता । कृषि विपणन बोर्ड बना दिया, कृषि उपज मण्डियां बना दी, गांव वाले सामान लेकर आते हैं, उनसे टैक्स तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा मुहैय्या नहीं कराते । बीज के बारे में तो यह हालत है गांवों के अन्दर, शहरों में हमारी तरफ तो पान की थड़ी लगा रखी है, उसने बीज के बैग रख रखे हैं । जूतों की पालिश करने वाला है, वह भी बीज की थैलियां लेकर रखता है । काश्तकार मजबूरी में क्या करे, उसको बाजार में मिलेगा, वही से लेना पड़ेगा । परन्तु मेरी राय यह है कि उसके लिए अप्रेल के महीने से पहले–पहले बीज की व्यवस्था हो जानी चाहिये । जुलाई का महीना चल रहा है, बुवाई जून में हो गई और कई जगह बीज अब पहुंच रहा है । तो मेरा कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि बीज के बारे में आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि आगे के लिए मई के महीने से पहले–पहले बीज पहुंच जाये । दूसरी बात यह है हर एक जिले में हैड क्वार्टर पर तहसील हैड क्वार्टर पर कृषि मण्डी होनी चाहिये । हमारे क्षेत्र में फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ एक सब डिवीजन है । दोनों में तहसील हैड क्वार्टर है, दोनों जगह पंचायत समिति हैड क्वार्टर है। फतेहपुर मण्डी में गौण मण्डी है। रामगढ़ भी आता है, और लक्ष्मणगढ़ तहसील अलग है, तो मेरा यह सुझाव है कि हर तहसील और पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर मण्डी होनी चाहिए और मण्डियों के मार्फत से हमारे एरिये में तो आज तक एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। गांव वालों से पैसे ले लिये जाते हैं, उनका बेनीफिट दूसरी जगह, दूसरी मण्डियों में या शहरों में पैसे खर्च करके दिया जाता है, तो मेरा सुझाव है कि गांवों में भी मण्डी में जो पैसा आता है, उससे उसका भी विकास होना चाहिये । इतना ही कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो आज कृषि की नीति पर बहस चल रही है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार की दोनों पार्टियां हैं, जिन्होंने राज्य में परिवर्तन के लिए आह्वान किया है । मैं इस मांग पर यहीं कहना चाहूंगा कि इस राज्य में 40 साल से जो कृषि नीति चल रही थी, उस नीति का फायदा उस कृषि में जो भी राज्य सरकार ने पैसा लगाया, जो भी राज्य सरकार ने विज्ञान के द्वारा प्रगति की किसानों की चीजें उपलब्ध करायी, कृषि के सिलसिले में जो भी ढांचा था, उसमें फायदा पहुंचाया राजस्थान के बड़े किसानों को, राजस्थान के जो धनी किसान हैं, उन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लोगों ने उसका उपयोग किया । राजस्थान का वह किसान जिसके बारे में राजस्थान सरकार ने तो शायद सर्वेक्षण नहीं किया हो परन्तु केन्द्रीय सरकार के करवाने पर यहां सर्वेक्षण हुए हैं । 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके प्रदेश की 60, 70 प्रतिशत कब्जे में है और 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो 30 प्रतिशत भूमि पर गुजारा करते हैं । 5–5 10–10, 15–15 बीघा जमीन के जो मालिक हैं, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या परिवर्तन किया है कि कृषि विभाग उनकी किस तरह से मदद करेगा । मेरा अपना अनुभव है कि कृषि विभाग पूरा का पूरा उन धनी किसानों के लिए बना हुआ है । यह जो सुविधाएं देता है, उसका भी असर उसका भी लाभ वह लेते हैं । चाहे वह लोन के रूप में हो, चाहे वह इम्पलीमेण्ट के रूप में हो, चाहे वह पेस्टीसाइड्स के रूप में हो, उसको निश्चित तौर से रोकना चाहिये कि उस गरीब किसान को, जिसको पता ही नहीं है कि किस प्रकार क्या परिवर्तन हुए हैं, खेती किस तरह की है । बहुत कुछ सही आलोचना कुछ साथियों ने की है कि आज भी टूटे फूटे ऊंट और बैल से हमारी जो खेती होती है, उसके पुराने औजार स्थाई हैं । इस तरह से जो किसान पददलित हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, मैं समझता हूं जो अधिकारी बैठे हैं, आपने आई.ए.एस. अधिकारी लगा रखे हैं, कृषि विभाग में । आपने उन अधिकारियों को लगा रखा है, जिनको उन किसान से बदबू आती है । किस तरह से यह सरकार उसका सामन्जस्य कर पायेगी । इस सरकार से मेरी सबसे पहली यह प्रार्थना है कि इस पर अपनी नीति स्पष्ट करे । दूसरी बात इस सिलसिले में मुझे ये कहनी है, मार्केटिंग के बारे में मेरा खुद का अनुभव है । सारे प्रदेश के व्यापारी, बड़े–बड़े व्यापारी, किसानों को लूटते हैं । जो भाव रहते हैं उनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र है । अभी सरसों जब किसान ने बेची तो 650 रुपये थी और आज सारे बाजार में हजार रुपये है । अभी कपास बेची गंगानगर जिले के किसानों ने, कपास का भाव 550–600 रुपये रहा लगातार चार महीने तक, बाजारों में ठोकरें खाती रही । जैसे ही सीजन खत्म हुआ, 800–850 हो गई । जो बड़ा किसान है वह उस दिन तक रोककर रख सकता है । उसके पास क्षमता भी है, गोदाम भी है । पर जो गरीब किसान है 8, 7, 10 बीघा वाला वह निश्चित तौर से नहीं । मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान का 70 पर्सेण्ट किसान जिस दिन उसकी फसल निकलती है, 10 दिनों के अन्दर उसको बाजार में ले जाना पड़ता है । यह सबसे बड़ा नुख्सा है । क्या हमारा कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों मिलकर इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि एक ऐसी सोसायटी बने जो उसका माल ले, ले, अपने पास कृषि जिंस रख ले और उसके बदले उसको पैसा दे दे जिससे वह अपने दूसरे कृषि प्रोग्राम शुरू कर सके । मुझे एक बात और कहनी है कि हमारे लिए जो आपने बनाई हैं उपज समितियां, सारी की सारी कृषि उपज समितियों पिछले 4-5 सालों में भ्रष्टाचार ने उन व्यापारियों से मिला दिया है । वह सारी की सारी एक तरह से व्यापारियों से गवर्न होती हैं । मेरे गंगानगर जिले में आपको निवेदन करूं कि तीन–तीन महीने तक नरमे की बोली नहीं हुई । तीन महीने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तक बिना बोली के बाजार में नरमा बिका। हमने सबको शिकायत कर ली, पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह सरसों जब बाजार में आई, बाजार गलत हो गया। पूरी की पूरी सरसों बिना बोली के बिकी। वजह वही है। आज आपने किसानों के लिए बना रखे हैं रेस्ट हाउसेज। मुझे ताज्जुब होता है। राजस्थान के इतने विधान सभा सदस्य हैं, कोई कह सकता है कि उसके क्षेत्र में ऐसा रैस्ट हाउस है जिसमें किसान जाकर ठहरते हों? वह सबके सब अधिकारियों के लिए हैं। उनके या तो बाल बच्चे ठहरते हैं या कोई न कोई उनका दोस्त ठहरता है किसान को पता ही नहीं है कि उसके लिए किसी शहर में रैस्ट हाउस बना हुआ है। किसान के लिए जो सुविधाएं आपने पैदा की हैं वह आम किसान के लिए नहीं हो पातीं। इसी तरह से मुझे आपको यह कहना है कि हमारी पुरानी राज्य सरकार अनुदान दिया करती थी। जब भी कोई फसल में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और। विशेष तौर से पेस्टिसाइड्स पर अनुदान मिलता था। वह कभी गरीब किसान को नहीं मिल पाया। या तो अधिकारियों तक रहता था या बड़े बड़े असरदार लोग लेते थे। मुझे निवेदन करना है कि इस अनुदान को अगर वाकई देना हैं तो सारे राजस्थान के किसानों को फायदा दें। इससे तंग आकर ही हरियाणा और पंजाब ने यह तय किया कि पेस्टिसाइड की कीमत कम कर दी जाय। जिस पेस्टिसाइड की बहुत ज्यादा जरूरत हो, किसी फसल में अटैक हो गया हो तो बात अलग है। सारे पेस्टिसाइड्स को ही सस्ता कर दिया जाय, यह न हो कि वह थोड़े-थोड़े रूप में कुछ लोगों को दिया जाय। वह निश्चित तौर से गलत हाथों में जाता है। दूसरा निवेदन है कि पेस्टिसाइड के बारे में पिछले 4-5 सालों से लगातार शिकायत रही है गंगानगर के हजारों किसानों की कि पेस्टिसाइड नकली मिलता है। पेस्टिसाइड पंजाब और हरियाणा के गलत कारखानों में बनकर आता है और हमारे अधिकारी इसकी जांच करते नहीं। क्योंकि यह तो बिकता है, जहर बिकता जो है। एक शहर में 200 दुकानें हैं। इसको जरूर रैगूलराइज किया जाय जिससे कि इस मामले में किसान को सही फायदा पहुंच सके।

मुझे एक शब्द सहकारिता के बारे में कहना है। मंत्रीजी के दो महीने बच गये हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके सारे मगरमच्छ बचे हुए हैं, अभी तक आपने मछलियों को पकड़ा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दो महीने बच गये मंत्रीजी के ?

श्री हेतराम बेनीवाल : दो महीने इसलिए कि उन्होंने एलान किया था 6 महीने में भ्रष्टाचार मिटाने का।

मेरे यहां हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल है। स्पिनिंग मिल की जांच हुई आज से 3–4 साल पहले। जांच होने के बाद यह रिपोर्ट आ गई कि पांच लाख रुपये उसके चेयरमैन के, हमारे इधर बैठे हैं उनके मित्र थे, जिम्मे हैं। पांच लाख रुपये वसूल किये जायें। उसका फैसला हो गया लेकिन आज

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तक वसूल नहीं हुए और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। बहुत से ऐसे घोटाले, जयपुर की नवजीवन....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और पिंक सिटी, यह तो आप जानते ही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम....

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में आपका नाम बहुत बाद में जोड़ा गया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, साहब, बाद में नहीं, शुरू में ही दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट बोलेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर तो कृपा रहनी चाहिए आपकी, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का टाइम आपको दूंगा बोलने का, और किसी को नहीं। (व्यवधान)

पहले श्री महिपाल यादव।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, फिर बाद में आप एक-दम से रूलिंग दे देते हैं और हम कुछ कह भी नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो जाना चाहिए।

श्री महिपाल यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्तुत कृषि की मांग का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव संक्षेप में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। राजस्थान की जनता ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ इस राज को बदला इस उम्मीद से, इस आशा से बदला कि किसानों का कायाकल्प होगा। आज हमारा किसान जब मण्डी में जाता है तो उसके अनाज की बोली लगती है। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां अनाज की बोली लगती हो। हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है और हिन्दुस्तान में भी किसान अभागा, जिसके अनाज की बोली लगती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर यह बोली बन्द हो जाय तो किसान पहली बार आजादी महसूस करेगा। मैं समझता हूं कि चालीस साल की आजादी के बाद भी आज किसान गुलामी की जिन्दगी जी रहा है, वह आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में भयंकर रूप से जकड़ा हुआ है। एक माचिस बनाने वाला, एक सुई बनाने वाला, प्लास्टिक की गुड़िया बनाने वाला भी बाजार में अपनी कीमत बोलता है और किसान खून–पसीना बहाकर, कर्जा लेकर और जमीन में अपनी अंतड़ियां सुखाकर जब मण्डी में जाता है तो वहां पर उसके माल की बोली लगती है, जैसे वह कोई

(श्री महिपाल यादव)

चोरी का माल लाया हो। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा जिस दिन हिन्दुस्तान में किसान के अनाज की बोली नहीं लगेगी। यह सबसे बड़ा किसान के साथ कुठाराघात और शोषण हो रहा है 40 साल की आजादी के बाद भी, जब कि किसान को हम देश की रीढ़ की हड्डी बताते हैं। वह तो एक फुफसिया जानवर की तरह से है जो जमीन पर से उठ भी नहीं सकता। एक कृषि भवन यहां आलीशान बन सकता है, लेकिन एक भी किसान अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सकता क्योंकि उसको आज तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक कानून बनाया गया 1964 में, राजस्थान रिमूवल आफ डिफिकल्टीज एक्ट, 1964। एक ऐसा काला कानून, कि एक उद्योगपति को, एक कारखाने के मालिक को कोई भी कर्जा अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है और एक किसान के बाबत मात्र एक बैंक की चिट्ठी एस.डी.ओ. के पास आ जाती है तो उसकी सारी सम्पत्ति कुर्क कर ली जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस ओर कि इस काले कानून को एक बिल के जरिये समाप्त करने की कोशिश करें। इस "रोडा" कानून को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक किसान आजादी की सांस नहीं ले सकता। तो राजस्थान रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट जो है यह कांग्रेस के लोगों ने ढोंग रचा था कि किसान को हम राहत देंगे, किसान को हम सहायता देंगे परन्तु आज यह तलवार किसान की गर्दन पर लटकी हुई है। अगर मैनेजर की चिट्ठी एस. डी. ओ. को आती है तो वह चिट्ठी उसकी कुर्की बन जाती है। उसका जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए अध्यक्ष जी यह जो काला कानून है इसको एक बिल के जरिये समाप्त किया जाय। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, सुझाव है। एक सबसे बड़ी बात कि जब किसान कर्जा लेता है तो उसको 30 जगह गिड़गिड़ाना पड़ता है। आपने एक पास बुक किसान को दी है उसमें उसके खसरा नम्बर अंकित होते हैं कि किसान के पास 10 बीघा जमीन है या 10 एकड़ जमीन है इसका फलां-फलां खसरा नंबर है। अगर उस किसान को उस पासबुक के माध्यम से बैंक से सीधा लोन दे दिया जाए जिस खसरा नम्बर पर वो लोन लेना चाहता है उसको बैंक गिरवी रख ले ताकि उसको इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और लुटते-पिटते उसको आधा पैसा मिलता है अधिकारी उसको रिश्वत के नाम से खा जाते हैं। 6 महीने तो पटवारी उसमें लगा देते हैं। इसलिए यह मेरा सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री बैठे हैं अगर आप वास्तव में किसानों के हितों को सोचते हैं तो ये ऐसे काले कानून हैं जिनको आप समाप्त कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं।

एक आपने टीनेंसी एक्ट में एक्सचेंज आफ लेन्ड जमीनों के कन्सोलिडेशन का एक कानून आपने बना रखा है सैक्शन 49। आपने कह दिया कि जमीन कि किस्म समान होनी चाहिए उसका रकबा समान होना

(श्री महिपाल यादव)

चाहिए। राजस्थान में कोई ऐसा जिला है जिसमें ये शर्तें लागू हो। मैं समझता हूं कि किसी भी जिले में ये शर्तें लागू नहीं हो सकती और उसका लाभ किसान को नहीं हो सकता। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो समान रकबा और किस्म का रोड़ा है उसको हटा दो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो मैं निश्चित तौर से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको चकबन्दी करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का किसान स्वयं अपनी जमीन को कन्सोलिडेट कर सकता है। अब किसान को पानी चाहिए हमारे देश में हिमालय से पानी चलता है और रामेश्वरम् तक बिना किसी दबाव के इतना उसका बढ़िया फ्लो है कि रामेश्वरम् तक पहुंच जाता है।

माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी थी 'Economic Nightmare of India and Its targeted Growth आज उस पुस्तक को अमरीका की हैवर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कक्षाओं में लागू किया गया है और उस पर शोध हो रहा है लेकिन हमारे देश में माननीय चौधरी साहब की नीतियों पर कोई अमल नहीं किया जाता। आज भी यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने उस पुस्तक को लागू नहीं किया है। चौधरी साहब ने कहा था कि खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। यदि गांव संपन्न नहीं होंगे तो शहर संपन्न नहीं हो सकते। अगर गांव खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश की जनता खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी और उस खुशहाली का जो रास्ता है उन्होंने एक बात बताई कि जब देश आजाद हुआ उस समय जितना प्रतिशत आदमी कृषि पर लगा हुआ था वह प्रतिशत आज 40 साल बाद बढ़ गया। जबकि कृषि पर प्रतिशत घटना चाहिए था और उसका एक ही तरीका था कि प्रति एकड़ पैदावार तो बढ़े लेकिन उस पर प्रति एकड़ पर काम करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत है वो घटे तब हमारे देश की इकानामी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री महिपाल यादव : एक मिनट लूंगा, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको 10 मिनट दी हैं।

श्री महिपाल यादव : एक मिनट, आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट बोल लीजिए।

श्री महिपाल यादव : चौधरी साहब ने जो रास्ता बताया था वही रास्ता हमारे देश की खुशहाली का रास्ता है। मैंने जो दो-तीन सुझाव आपके सामने दिए। राजस्थान रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट वाला एक जो कन्सोलिडेशन का है, अगर आपने ये पेचीदगियां रखी तो किसान लुटता चला

(श्री महिपाल यादव)

जाएगा। तीसरी बात है फसल बीमा की। किसान की फसल का बीमा होना चाहिए। कृषि मण्डी में जो लूट होती है उस लूट से उसको बचाने के लिए हमारे कृषि मण्डी के अधिकारी, वहां के सेक्रेटरी मौन धारण किए रहते हैं। मेरे बहरोड़ क्षेत्र में जो राजस्थान का शायद पहला क्षेत्र है जहां एक एकड़ में कम से कम 70 और 80 मन गेहूं पैदा होता है। वहां पर सब डिवीजन हैड क्वार्टर कृषि मंडी का आज तक नहीं बना है। वानसूर और बहरोड़ इन दोनों का एक डिवीजन है और सबसे अच्छा पानी है वहां ग्रीन बैल्ट है। अभी शाहजहापुर इतना बढ़िया ग्रीन बैल्ट था उसको फैक्ट्री के लिए अधिग्रहण करने की योजना थी। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ग्रीन बैल्ट को बचाया। और यह कहा कि जिस जमीन पर एक एकड़ में 90 मन अनाज पैदा होता है उस पर हम कारखाना लगाकर क्या लेंगे। तो मैं उनका

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

धन्यवाद करना चाहता हूं और पुनः कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहरोड़ में तुरंत कृषि मण्डी का निर्माण कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत।

श्री महिपाल यादव : जमीन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और अलवर जिले से नौगांवा से जो रिसर्च सेन्टर हटाया गया है जो लेबोरेटरी अलवर से हटाई गई है। एक-दो जिले हैं राजस्थान में ....

श्री अध्यक्ष : अब लेबोरेटरी से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे अभी।

श्री महिपाल यादव : एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया सेकिण्ड। पहले 3 मिनट हो गई। अब एक सेकिण्ड।

श्री महिपाल यादव : राजस्थान में एक ही जिला है अलवर–भरतपुर। अगर इन दो जिलों पर कृषि पर आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ध्यान दीजिए इन दो जिलों पर। गहलोत साहब बोलिए।

श्री महिपाल यादव : आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि नेता महोदय के मना करने के बाद भी आपने मुझे बोलने की इजाजत दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : नेता महोदय ने तो मजाक की थी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं भी मजाक ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इजाजत देने का काम मेरा है, नेता महोदय का नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आभार प्रकट किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि और सहकारिता की मांगों के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

अपने विभाग में भगीरथी योजना प्रारंभ करके एक लीड अन्य विभागों के मुकाबले ली है, उसके लिए तो उनको धन्यवाद। क्योंकि अन्य विभाग शायद अभी तक अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाए इसलिए उसके लिए तो कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई हो लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से जो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सड़कों के निर्माण का काम खासतौर से कृषि विपणन बोर्ड के पास रहा उसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो-जो सड़कें उन्होंने हाथ में ली हैं वो सड़कें करीब-करीब अधूरी हैं या समय-समय पर उनके ऊपर डामर नहीं होने से मिट्टी हट गई है। होता क्या रहा है कि जब-जब कोई सड़क आई, जैसे-जैसे सैंक्शंस होती गई लेकिन राजस्थान के अधिकांश हिस्सों के अंदर सड़कों का काम पूरा नहीं होकर थोड़ा सा काम शुरू होकर फिर बदलकर दूसरी जगह चालू हो गया उससे कोई भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि कम से कम थोड़ा सा ही सड़क का हिस्सा लें लेकिन उसकी पूर्ति अगर हो तो मैं सोचता हूं उसका फायदा राजस्थान के सभी क्षेत्रों को मिल पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से, कर्मचारियों यूनियनों के माध्यम से बार-बार यह जानकारी मिल रही है कि कृषि निगम घाटे में होने के कारण उसको बंद करने की बात चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह घाटे में क्यों आया इसके बारे में सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जो भी काम कृषि उद्योग निगम को दिए थे, शनैः-शनैः उससे सब काम वापस ले लिए गए। पहले बुलडोजर्स के अंदर लगाकर कुछ आय का स्रोत बना था और उस सारे कामों को बुलडोजर्स से काम हटाकर भूमि विकास निगम को दे दिया। उससे सही मायने में कृषि उद्योग निगम की जो आय थी वो बंद हो गई। और उसके तहत आज डेढ़ करोड़ रुपया करीब करीब सरकारी विभागों के अन्दर अभी बकाया है। ऐसी स्थिति के अन्दर किस दृष्टि से कृषि उद्योग निगम जा रहा है यह आपको खास तौर से सोचने का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसे काम कृषि उद्योग निगम से न करवा कर सरकारी कम्पनियों को प्रोत्साहित करने की जो नीति रही है, समय समय पर कई अधिकारी वहां बैठे रहे हैं, 23 लोग अब तक इसके अध्यक्ष बन चुके है लेकिन उसके कारण से आज हमारी स्थिति उस लेवल तक पहुंच गई जिसके कारण आप उसको आज बन्द करने की सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन घाटों के कारणों की जांच करें और अगर आप इसको बन्द करने की योजना बना रहे है तो सरप्लस जो कर्मचारी हैं उनको आप कहां पर खपायेंगे इसके बारे में भी आपको योजना बनानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे माननीय मंत्री महोदय ने जब से काम सम्भाला है बहुत बड़ा कीतिमान हासिल इस सहकारी विभाग में हुआ है और वह कीतिमान किस बात से

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हुआ है वह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। जो भी सहकारी समितियों के नाम पर जगह-जगह कैम्प लगाए गए और यह कह कर लगाए कि उनकी समस्याओं को सुलझाने की बात है इसलिए कैम्प लगाए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय उन कैम्पों में क्या हुआ ? कितने मामले आपने सुलझाए ? 25 हजार शिकायतें जयपुर शहर में आई थी।....आप जवाब दें तब बोल लेना, अभी तो मैं बोल रहा हूं और आप पहले ही जवाब देने लग गए। यह तो आपकी रिप्लाई के अन्दर आप दे देना। 25 हजार मामले जयपुर-जयपुर के अन्दर आए, आपके सामने आए उनमें से कितने मामले आपने निपटाए ? सही मायने में कैम्पों के अन्दर मैंने देखा कि एक जिस तरह की एजेन्सी आपने बनाई थी कि जे. डी. ए. भी उसमें रहेगा, नगर पालिका रहेगी और आपके और डिपार्टमैंण्ट के सारे लोग रहेंगे लेकिन एक तरह से पिकनिक का इन्तजाम जरूर बन गया, जयपुर शहर के मौहल्लों में जगह-जगह पिकनिक होती रही सहकारी समितियां वाले जैसे जंवाई की खातिर करते हैं उस तरह से अधिकारियों की खातिर करते रहे और नतीजा कुछ नहीं निकला और आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। मेरी यह समझ में नहीं आता है कि यह कैम्प्स आयोजित करके आपने क्या सार्थकता हासिल की ? मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने इन सहकारी समितियों वालों को डराने-धमकाने के लिए एक अखाड़ा जमाया। अब उसमें आपकी क्या नीयत थी उसके अन्दर उनको डरा-धमका कर या उनकी जांच करके क्या करना चाहते थे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, शान्ति रखें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो कम्पलेन्ट करने वाले लोग थे, मैं आपसे स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने 25 हजार लोगों में से कितने लोगों को राहत पहुंचाई ? इसका माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो मैं समझ पाऊंगा कि आपके कैम्पों की सार्थकता सिद्ध हो पाई।

आपने एक घोषणा की सहकारी समितियों को डराने के लिये कि 25 जून तक मैं चुनाव करवा दूंगा। क्या आप चुनाव करवा चुके ? घोषणाएं आपने बहुत कीं, शायद मुख्य मंत्रीजी के बाद अगर कोई कीर्तिमान हासिल है तो सहकारिता मंत्रीजी को है जिन्होंने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह तो श्री शिवचरणजी माथुर का रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चलिए आपका मुकाबला श्री शिवचरणजी से ज्यादा मान लेओ तो माननीय नेता महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक रेकार्ड उन्होंने बना दिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन आपके मंत्रिमण्डल के अन्दर, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी, श्री चतुर्भुजजी ने घोषणाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने एक घोषणा की कि 25 जून तक सारी जगह पर चुनाव करवा दिए जायेंगे। मुझे ऐसा

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

लगता है कि सहकारी विभाग के माध्यम से घोषणाएं तो इस बात से की कि आपको चुनाव तो करवाने नहीं थे। आपके चुनाव कितने हुए ? चुनाव तो हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सहकारी समितियों में जिनमें एक ही परिवार के पदाधिकारी बैठे हैं यहां चुनाव होते नहीं हैं—पति, पत्नी, बेटा, बेटी और कोई जो भी है सारी कार्यकारिणी ही ऐसे लोगों की। ऐसे मामलों पर आप अंकुश लगाईए। ताकि सहकारी समितियों में जो वाकई में लोग हैं, उनसे मेम्बर्स सही हैं भी या नहीं और सही हैं तो उनका चुनाव सही लोगों के माध्यम से हो रहा है या नहीं ? ऐसी बातों पर आप अंकुश लगायेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन केवल मात्र आपने डराने-धमकाने के लिए कोई घोषणा कर दी कि जिससे लोग डर जायं, तो उसके सम्बन्ध में आपकी क्या नीयत है मालूम नहीं है, समझ में नहीं आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक घोषणा यह भी की कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामलों में विशेष न्यायालय बनाये जायेंगे। अब अगर आप न्यायालय बना रहे हैं तो कब तक बना रहे हैं, उसकी क्या विधि रहेगी, क्या उसके अन्तर्गत आने वाला है ? इसको भी आपको स्पष्ट करना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में जिनको शिकायतें हैं वह सीधे न्यायालय में जाकर अपनी गुहार कर सकें। बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है। कई ऐसे कर्मचारी जिनकी जेब में सही मायने में पैसे नहीं होते हैं वह कैसे न कैसे उधार ले-लुवा कर, अपने गहने गिरवी रखकर लोगों ने जमीनें खरीदीं लेकिन आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर अगर आप न्यायालय बना रहे हैं तो कब तक बना रहे हैं ?

ऐसी ही आपने एक घोषणा और की कि पुलिस का एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायगा ताकि ऐसी शिकायतें आने वालों को अलग से देखें। उसमें काफी मामले शिकायतों के आए हैं, उस प्रकोष्ठ के तहत आपने कितने मामले सुलझा दिए ? ऐसी स्थिति के अन्दर यह सारे मामले आपके सामने विचारार्थ हैं।....मैं अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा।....

श्री अध्यक्ष : मैंने दिया उससे डबल तो ले लिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं ज्यादा समय नहीं लेऊंगा, आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कितना लेंगे ? एक मिनट ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए आप तो उदार हैं। मुख्य मंत्रीजी की तरह....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैं इस मामले में बहुत अनुदार हूं इस मामले में बहुत कंजूस हूं। नहीं मुझे ऐसी उदारता नहीं चाहिए। आप एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप थोड़ी उदारता बरतें तो बहुत जल्दी खत्म हो ही जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सहकारी समितियों के मामले आपके सामने रखे। अभी पिछले दिनों सदन के अन्दर एक मामला आया मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव के मामले में, तीन साल का पीरियड समाप्त होते ही आपने प्रशासक नियुक्त कर दिए। नतीजा यह हुआ कि पहली रिट के अन्दर ही आप हार गए। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा कि भाई हम सभी समितियों के अध्यक्ष वापस बना देंगे। उस दिन भी हमने कहा था कि डबल बैंच में जाने की क्या आवश्यकता है, श्री महेन्द्र भूषण जैसे ईमानदार और निष्पक्ष न्यायाधीश का फैसला है लेकिन उसके बाद भी आप डी. बी. में गए इससे आपकी नीयत साफ है कि आप चुनी हुई सहकारी समितियों में प्रशासक बैठाना ही चाहते हैं, यह मंशा आपको बहुत साफ लगती है। मैं समझता हूं कि कोर्ट के नतीजे के बाद जो कुछ भी होगा उसमें तो मुख्य मंत्रीजी आपका और सरकार का कोई लेना–देना नहीं रहा, डबल बैंच में आप जा ही चुके हैं, उसमें जो न्याय न्यायालय से मिलेगा उसमें जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सहकारी समितियों पर आपका कोई अहसान नहीं रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कर्ज माफी का मामला कई बार उठाया है। आपके घोषणा-पत्र में है, जनता दल के घोषणा-पत्र में है, आपकी–उनकी दोनों की जिम्मेदारी थी और यह भी घोषणा आपने की और बल्कि आपने नहीं की सहकारिता मंत्रीजी ने यहां तक घोषणा कर दी कि सहकारी संस्थाओं के 170 करोड़ रुपये के कर्जे माफ हो जायेंगे। अब यह कब माफ हो जायेंगे, कब होंगे, क्या कर रहे हैं, अभी तक मामला साफ नहीं हो रहा है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हो गए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कर दिए तो उसका स्पष्टीकरण आदेश दीजिए। अभी तक आदेश कहीं पहुंचा नहीं। अभी तक राजस्थान के किसी कौने में पहुंचा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका किसानों से मतलब नहीं है, आप करौली की बात करो तो मेरे बात समझ में आती है। क्या मतलब है आपका किसानों से ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसा है अगर किसानों का मामला श्री भैरोंसिहजी आपका है उतना मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कर्जे माफी के मामले में जो आज आपने एक घोषणा की कि नये बीज के लिए, लोन के लिए हमने लोन देना शुरू कर दिया है, यह भी घोषणा कर दी लेकिन राजस्थान में कितने लोगों को दिया आपने, अभी तो आपने शुरूआत भी नहीं की। नये लोगों के लिए कर रहे हैं कि हमने देना शुरू कर दिया।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

लेकिन नाम मात्र का भी राजस्थान के अन्दर उन लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो आप घोषणा करिए मत।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, अब आप रिपीट करते जा रहे है, आपके कोई नए पाइन्ट नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी। प्लीज। आप 15 मिनट ले चुके हैं। मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था। अब मेरी उदारता समाप्त हो गई। अब आप समाप्त करिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं मान गया धन्यवाद।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक धन्यवाद देना चाहता हूं और उसको देकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक ही बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने "भगीरथ योजना" प्रारम्भ की। उस "भगीरथ योजना" का नाम या तो "भैरोंसिह योजना" बना देते या फिर श्री भैरोंसिहजी खुद अपने को "भगीरथ सिंह जी" कहने लगते तो मैं समझता हूं शायद अच्छा रहता। इस योजना में क्या निकलने वाला है समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या 36 का पारण

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर सदन के माननीय सदस्यों ने सहकारिता की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए है, विभाग की कमियां बताई हैं। माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से भी सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताएं, गड़बड़ियां, कार्य आदि के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की यह परम्परा रही है कि मंत्रीजी हमेशा सीधे रिप्लाई देते है और यह पढ़कर क्या वक्तव्य दे रहे हैं मंत्री महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रही है कि मंत्री हमेशा सीधे रिप्लाई देते है, यह पढ़कर क्या उत्तर दे रहे हैं ? मेरा यह विचार है कि यह इसको पढ़ नहीं सकते हैं, वैसे ही रिप्लाई देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों के जवाब आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई रीडिंग नहीं कर रहा था पर क्या पाइन्ट देखना भी मेरा फर्ज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आप देखिये।

श्री रामकिशन वर्मा : आप बिना पढ़े-लिखे पढ़कर नहीं बोल सकते तो पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं पढ़कर बोलेगा ? (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 93 कटौती प्रस्ताव 44 माननीय सदस्यों के द्वारा आए हैं और उनमें अनियमितताओं, गड़बड़ियों आदि के बारे में अनेक सुझाव आए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने रचनात्मक सुझाव जरूर दिए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो रचनात्मक के ही जवाब दो। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में, चुनाव कराने के बारे में, कुछ सम्माननीय सदस्यों ने ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने के बारे में, कुछ माननीय सदस्यों ने अनेक स्थानों के ऊपर अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर करके भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए उदाहरण भी बताए। कुछ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग वगैरह में, भूमि विकास बैंक में, सभी संस्थाओं के अन्दर, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी लोन के बारे में बताया कि साहब माफी देने की योजना तो एक धोखा है, उसके बारे में शंका है। राज्य सरकार के माध्यम से हमने तारीख 10.7.90 को क्रमांक 2, खण्ड–1, कृषि–4, सहकारी समिति–9 आज्ञा से शासन सचिव के माध्यम से आदेश निकाल दिया कि दस हजार तक का कर्जा माफ है। एक अगस्त से हमने एक अभियान चला दिया, 7 सितम्बर तक हमारा अभियान चलेगा। इसी पीरियड के अन्दर राजस्थान भर के अन्दर, प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति के अन्दर प्रत्येक पंचायत समिति के अन्दर, समस्त पी. एल. डी. बी. के अन्दर एस. एल. डी. बी. के अन्दर और जितने भी को–ऑपरेटिव बैंक हैं सबके अन्दर सूचियां लगा दी जाएगी कि इनका कर्जा माफ हुआ है। (व्यवधान) इसके अलावा अगर किसी सदस्य को शंका भी है तो हमने जो कमेटी बनाई है जिला लेवल के ऊपर सन्देहप्रद बताई थी लेकिन जिला लेवल के ऊपर हमने एम. डी., आडीटर, हमने ब्रांच मैनेजर, हमने व्यवस्थापक, और पी. एल. डी. बी. के सैक्रेट्री को, सभी को हमने इकट्ठा बिठाकर जो हमारा अकाल राहत के अन्दर, जो गिरदावरी के अन्दर रिकार्ड किसानों का आया है, उस रिकार्ड को लेकर यदि हम जिला लेवल पर बैठाकर अगर यह निर्णय करेंगे, किसानों को उसमें से छाटेंगे, सैण्ट्रल के अन्दर जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह उनका मिलान करेंगे। हम हमारा उनसे मिलान करेंगे, समय तो लगेगा।

मुझे तो कहने में भी थोड़ा संकोच होता है, माननीय सदस्यों ने इतनी कैसे शंका पैदा कर ली, सरकार के ऊपर शंका पैदा कर रहे हो, हमने आदेश निकाल दिया और माननीय सदस्य शंका कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : शंका पैदा नहीं की। हमने तो आपको यह निवेदन किया है कि इसमें और जोड़ दीजिए किसी जन प्रतिनिधि को।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपको हर बात का जवाब बड़े संयमित ढंग से दिया जाएगा

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

और 7 सितम्बर तक राजस्थान के प्रत्येक किसान को आगाह कर दिया जाएगा कि किसका कर्जा माफ कर दिया और किसका माफ नहीं किया। सात सितम्बर के बाद में....

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा एक सुझाव है। आपने जिला लेवल पर जो कमेटी बनाई इसमें व्यवस्थापक से लेकर जिलाधीश तक को आपने मैम्बर बना दिया। इन अधिकारियों ने ही तो शोषण का ज्यादा रास्ता निकाला है। मेरा एक निवेदन है चुने हुए प्रतिनिधि जो भी हों, चाहे मैम्बर आफ पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी राजस्थान विधान सभा की किसी भी पार्टी के सदस्य हो, सबको आप शामिल करें। आप अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को इस कमेटी का मैम्बर बना दें तो क्या एतराज है आपको।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य के सुझाव का मैं आदर करता हूं। जो सारे एम. एल. ए. होंगे उसमें बैठेंगे, बोर्ड के सदस्य उसमें बैठेंगे....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : हमने कहा उसका तो आदर नहीं किया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इसी सुझाव के ऊपर विचार कर लेंगे। इसके बाद में हमारा अगला चरण होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसमें जन प्रतिनिधि हो यह घोषणा करिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह आपकी मांग नहीं है। ना ही आपको यह कहने का राइट है, आपने तो जन प्रतिनिधि को कभी हैसियत दी ही नहीं। यह तो मेरे नेता के बीच में....

श्री अध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके विचारों का समर्थन करते हैं तो आपको पसन्द नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री जगमाल सिंह जी ने जो विधान सभा के प्रतिनिधि और एम. पीज. के बारे में कहा है, सुझाव बहुत अच्छा है। सुझाव के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उसको स्वीकार भी करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनके कहने से ही कर लिया आपने, बड़ी कृपा करी। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमारी बात तो आपको कांटे की तरह चुभती है, हमारी बात तो आप सुनते नहीं.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका सुझाव नहीं था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देवेन्द्र सिंह जी का है। रिकार्ड में है।

एक माननीय सदस्य : यह भैरोंसिंह जी को मालूम नहीं था, नहीं तो शायद नहीं करते। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन के नेता ने अच्छी बात मानने से इन्कार थोड़े ही किया है।

एक माननीय सदस्य : घोषणा तो हुई चलो किसी का भी सही ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप दोनों तो सुझाव दे रहे हैं और जनार्दन सिंह जी को शंका हो रही है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय को शंका किस बात की हुई। मेरी यह शंका थी कि आसन से एक बार व्यवस्था हुई। माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य ने इशारा कर दिया गोविन्द सिंह जी को, आसन से व्यवस्था हुई कि कोई भी इशारा नहीं कर सकते । तो चतुर्वेदी जी कुछ घोषणा कर रहे थे तो आपने इशारा करके रोक दिया मुझे इसकी शंका हो गई । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको क्या शंका हुई यह विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता लेकिन शंका जरूर हुई ।

श्री मदन लाल सैनी : लेकिन यह हाउस किसी शंका की जगह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, शार्ट एण्ड स्वीट ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमारे गहलोत साहब ने भी कहा कि आपने क्या दे दिया अभी कुछ नहीं दिया किसानों को । गांवों में जाते हो तो मालूम पड़ेगा किसान से कोई मतलब नहीं होता । सारे गांव का भ्रमण करें और किसी गांव में यह देख लेंगे हमारे लोन क्या हैं चौड़ाई में क्या दिया, हमने अल्पकालीन ऋण 60 करोड़ रुपया वितरण कर दिया है, 60 करोड़ रुपया । प्रत्येक जिले के अन्दर वितरण कर दिया है और 34 करोड़ रुपया हमने दीर्घकालीन ऋण वितरण कर दिया है भूमि विकास बैंक के माध्यम से । (व्यबधान) अब इसके बाद में को–ऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र को, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि को–ऑपरेटिव जो एक आन्दोलन है, एक पवित्र आन्दोलन है, सभी सम्माननीय सदस्यों के सुझाव जो रचनात्मक होंगे, 8 दिन के अन्दर–अन्दर मुझे भेज दें । मैं उनका समावेश निश्चित रूप से करूंगा और एक दीर्घकालीन योजना की ओर आगे बढ़कर, एक ऐसी योजना लाने का मेरा विचार हैं, साल भर के अन्दर इस को–ऑपरेटिव के अन्दर जो कमियां महसूस हुई हों और जो आगे भी रही हों उनको दूर करके हम एक पवित्रता की ओर आगे बढ़ें ।

अब रहा पवित्रता का सवाल, तो इसके अन्दर अनेक माननीय सदस्यों ने बहुमत के रूप में अधिकांश सदस्यों ने गड़बड़ी बताई है, अनियमितताएं बताई हैं, घोटाले बताए हैं, गृह निर्माण समिति का भी मामला आया, मैंने बताया कि 240 कैम्प लगाए । हजारों आदमियों को हमने राहत दी है और आपको फिर भी यह महसूस होता है कि कोई कमी रही है तो मैं 7 सितम्बर के बाद, 15 सितम्बर के बाद सारे राजस्थान के अन्दर, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, चाहे भूमि विकास बैंक का मामला हो, चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति का मामला हो, चाहे अन्य सहकारी समितियां हो, चाहे आपकी गृह निर्माण समितियां राजस्थान के किसी बड़े सिटी में हो, छोटे सिटी में हो मैं 15 सितम्बर से अपना ऐसा आन्दोलन खड़ा करूंगा कि गांवों में रहने वाले, ढाणी में

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रहने वाले किसानों को भी यह विश्वास हो जाएगा, ढाणी में किसान रहता होगा, झोपड़ी में किसान रहता होगा वह हमारे सहकारी क्षेत्र से जुड़ेगा और यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि सहकारिता से काफी लाभ हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में, जहां तक मैं आगे नहीं जाना चाहता। अभी हमारे सामने बैठे सदस्य नाराज हो जायेंगे। (व्यवधान) इसलिए मैं तो आपका सहयोग लेता हुआ आपने जिन सुझावों को मुझे दिया है उनको गृहण करता हूं और 8 दिन के अन्दर यदि लिखित में आपने मेरे पास कोई सुझाव भेजे तो उनका संकलन करके एक दीर्घ कालीन योजना बनायेंगे इसकी पवित्रता बनाये रखने के लिए। अनियमितताओं को दूर करने के लिए जो भी सुझाव आयेंगे उन सबका स्वागत करूंगा और निराकरण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62, 35, 51, 000/– (बांसठ करोड़ पैंतीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(8-00) रात्रि

मांग स्वीकार की गई।

कृषि मंत्री जी।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव और उनके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उसका मैं स्वागत करते हुए मैं इस बात से सहमत हूं कि आज काश्तकार के हितों की बात, विपक्ष में बैठने वाले और सरकारी पक्ष में बैठने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने कही। कृषि का जो शब्द है शब्द छोटा है पर इसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है और इस कार्यक्षेत्र को हम देखें अध्यक्ष महोदय तो उस काश्तकार की जो आज स्थिति रही है और उस काश्तकार के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है यदि यह चिन्ता आज से चालीस वर्ष पहले हम पूरी करते तो निश्चित रूप से काश्तकार की स्थिति, आज जो स्थिति है उससे कहीं ज्यादा अच्छी होती। आप मेरे से सहमत होंगे अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना है कि काश्तकार जो अपनी उपज पैदा करता है और आठ महीने तक वह अपनी उपज के लिए लगातार कार्यरत रहता है उसको अपने मूल्य का, पैदावार के मूल्य का निर्धारण करने का उसको अधिकार नहीं है। उद्योगपति आज कोई उत्पादन करता है वह अपने मूल्य को स्वयं तय कर सकता है। हम जब तक काश्तकार को उस स्थिति में नहीं लायेंगे और इस कृषि क्षेत्र को भी उस स्तर तक नहीं पहुंचायेंगे, काश्तकार के भले की बात आप उधर बैठ कर कर लें, सरकार इधर बैठ कर कर ले, वह सार्थक नहीं होगी। इसलिए हमें यह

(श्री दिग्विजय सिंह)

सोचना पड़ेगा कि इस काश्तकार की कृषि-नीति के ऊपर एक नये सिरे से विचार करना होगा अध्यक्ष महोदय, और अभी राष्ट्रीय कृषि नीति आने वाली है और उस परिपेक्ष में हमारे मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की थी कि राज्य में हम कृषि-नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि इन सब मुद्दों के ऊपर काश्तकार को अपनी उपज का सही मूल्य कैसे मिले उसका नियंत्रण उस मूल्य के ऊपर वह कैसे रखे। जैसे कई माननीय सदस्यों ने बात उठाई थी मैं भी इससे सहमत हूं। इन सब बातों को देखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मैं समझता हूं हम राज्य के अन्दर एक कृषि सलाहकार समिति का गठन करेंगे जो इस कृषि-नीति के ऊपर अपने विचार राज्य सरकार को देगी। जिससे काश्तकार को उसकी उपज का मूल्य सही रूप से मिल सके और आगे प्रगति वह काश्तकार करता रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा और शायद आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि इतने वर्षों के बाद आज काश्तकार के लिए सीधी उसको लाभ पहुंचाने वाली योजनायें इस सरकार ने अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित की। आप अगर देखेंगे तो 1985-86 का जो बजट था और 86-87 का था और 88-89 और 89-90 इन सब बजटों के अन्दर केवल काश्तकार की उपलब्धियां इस सम्बन्ध में थी कि हमारा लक्ष्य क्या रखा गया कितना हम उत्पादन करने जा रहे हैं इसके अलावा काश्तकार को हम क्या लाभ देने जायेंगे इसके बारे में एक भी शब्द उल्लेखित नहीं था इससे यह स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने काश्तकार के हित के अन्दर जो योजनायें यहां लागू की है जो हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा था कि यह योजनायें जो लाभकारी हमने दी हैं वह अपने आप में इस बात को सिद्ध करती हैं कि काश्तकार के लिए कई नई स्कीम भी हम यहां देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जैसे कि भू-जल विकास की आवश्यकता के लिए हमने कहा है कि जो कुऐ हैं डार्क जोन को छोड़ कर जिन कुओं का निर्माण काश्तकार करेगा और वह काश्तकार निर्माण करते करते उसकी एडवाइज के ऊपर यह मालूम हो जायेगा कि पानी नहीं निकला और वह खर्चा निरर्थक चला गया तो उसका बीमा करके उसका जो खर्चा हुआ है वह राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, आपको सब कुछ बातें ध्यान है कि राजस्थान के अन्दर जल की बहुत कमी है और हम कन्जर्वेशन आफ वाटर, पानी का सही तरीके से उपयोग करें इस सम्बन्ध में भी हम सबको चिन्ता है इसलिए अपने इस बजट में पक्की नालियां बनाने के लिए प्रावधान किया है और उसके फलस्वरूप हमने सामान्य जोत के किसानों को, 33 प्रतिशत, अल्प सीमान्त किसान जोतों के लिए 50 प्रतिशत सहायता की अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा है।

इसी के साथ-साथ जो ट्यूब-वैलें की बात आपने कही, ट्यूब-वैल के लिए भी पांच आदमियों का समूह बना करके हमने जो योजना रखी है, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक समूह को न लगा करके एक

(श्री दिग्विजय सिंह)

ही व्यक्ति पर रखी जाये मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि समूह का अर्थ इसलिए था कि काश्तकार के पास में कम से कम इकोनोमिक होल्डिंग, जो ट्यूब-वेल से पानी उस क्षेत्र में दे सके तो उसके पास जो 50 एकड़ उसके पास भूमि है, या 50 बीघा भूमि होती है तो उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है और अगर पांच का समूह मिलेगा और 50 बीघा जमीन के हिसाब से होगी तो पांच का मतलब हुआ ढाई सौ बीघा जमीन के ऊपर एक ट्यूब-वैल स्थापित होगा तो ज्यादा काश्तकार को, ज्यादा क्षेत्र को लाभकारी होगा और आपने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर भी पुनर्विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंडी के ऊपर मैं बात करूं उससे पहले मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा इस साल का जो कृषि का बजट है, आपने कल निर्देश दे दिया था तो मैं और ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, थोड़ा यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस साल का जो कृषि का बजट है वह अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमारी योजना में 9 करोड़ का था वह इस बार 16.65 करोड़ का हमने रखा है और वह इस बात का द्योतक है कि कृषि क्षेत्र के अन्दर हम कितना, काम और कितनी रुचि से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कृषि के ऊपर, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर इतना प्रेशर रहा तो एक समय आ सकता है जब उस पैदावार में भी डिमिनेशन रिटर्न की स्थिति आ सकती है इसलिए हमको और वैकल्पिक कार्य भी काश्तकार को सुझाने होंगे। हमने इसके अन्तर्गत फल-विकास के लिए नया कार्यक्रम चालू किया है और उसके अन्तर्गत जो योजना बजट है उस बजट में 1989–90 में 37 लाख था वह इस वर्ष 1990–91 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से पौध शालाओं को सुदृढ करने के लिए 90–91 में हमने 18 लाख फलों और पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ राज्य सरकार ने अभी एक एप्रोच पेपर करीब पांच सौ करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर सैक्टर में बना करके भारत सर-को भेजा और उसके आने के बाद अन्य कार्यों में भी हमको लाभ होगा। उसी के अन्तर्गत 84 करोड़ रुपये हमको फल-योजना के अन्तर्गत अधिक प्रावधान मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं वह बीज के सम्बन्ध में, बीज के सम्बन्ध में चर्चा यहां निश्चित रूप से हुई और मेरी भी मान्यता है कि काश्तकार को यदि बीज सही नहीं मिलेगा, काश्तकार को बीज गलत मिला, समय पर नहीं मिला तो बारह महीने की कमाई सारी उस पर निर्भर रहती है। समय पर उसको उपलब्ध नहीं हुआ तो 12 महीने के लिए काश्तकार की सारी जो इकोनोमी है वह इकोनोमी नष्ट हो जाती है। इसलिए अबकी बार हमने प्रयत्न किया और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं और सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने अपने स्तर पर और कर्मचारियों के स्तर पर कई बैठकें की और कोर्डिनेशन हम करते रहे और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि अबके करीब मई के महीने में हमने सभी जिलों के अन्दर बीज उपलब्ध करा दिये हैं। अब यह जरूर है कि आज

(श्री दिग्विजय सिंह)

बीज प्रमाणीकरण के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें उत्पन्न की और कई जगह यह शिकायत भी आई। एक दो शिकायत बाजरे के सम्बन्ध में आई और वह बाजरा दूदू तहसील के अन्दर कुछ क्षेत्र में इस प्रकार का गया कि वह जर्मिनेट नहीं कर सका। तुरन्त ही उसके ऊपर कार्यवाही की जाकर उस काश्तकार को हमने दूसरा बीज मुहैय्या करा दिया। जहां तक बीज का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, बीज हमने समय पर सबको पहुंचाया है। यह बीज की स्थिति है। मैं स्वयं भी इस बात बात को मानता हूं और इससे सहमत हूं कि राजस्थान बाजरे के सम्बन्ध में जो कि एक स्टेबल फूड है और आधे राजस्थान के अन्दर हम बाजरे पर ही निर्भर करते हैं, काश्तकार भी बाजरे पर निर्भर है और वह बीज यहां न रखकर, फाउण्डेशन बीज पैदा न करके और महाराष्ट्र और दूसरी जगह से मंगाते हैं तो हमारे लिये यह शर्म की बात हैं। हमने इस बात के लिए चेष्टा की है और मैं सदन को यह बात गर्व से कह सकता हूं कि अगले दो वर्ष में हम इस बाजरे और फाउण्डेशन सीड के अन्दर स्वावलम्बी हो जायेंगे और हमें बाहर से बाजरा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी जो खाद की व्यवस्था रही है। खाद के सम्बन्ध में जो सेल्स-टैक्स की बात या अन्य बातें कही है। उस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब अप्रोप्रिएशन बिल आवे, उस समय सभी सदस्यों की और उसमें मेरी भावनायें भी जोड़ते हुए आप इस ओर निश्चित रूप से विचार करेंगे ताकि हमारे काश्तकारों को इसका लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, मण्डियों के सबन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। कई बातें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सम्बन्ध में यहां पर कही गई। उस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मण्डी की सड़कों का प्रश्न है और मण्डी जहां-जहां भी निर्माण कराई गई है, जो रोड्स हैं उनके बारे में मैं आपको मोटे रूप में बतलाना चाहूंगा कि 1989–90 में 353 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण हुआ जिस पर 11 करोड़ 52 लाख 77 हजार रुपये खर्च हुए और 90–91 में हमारा प्रस्ताव 540 किलोमीटर सड़कों का है जिस पर 14 करोड़ 18 लाख रुपये हम करने जायेंगे। जहां तक इसके खर्च का सवाल है मण्डी के ऊपर जो मार्केटिंग बोर्ड है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी शुल्क से जो हमारी इन्कम रही है वह 87–88 के अन्दर 2612 लाख रही है और उसके बाद 88–89 में 2954 और 89–90 में 3672 जबकि इस पर हमारा खर्च उसके अनुपात में 18 करोड़ रहा है 87–88 में, 88–89 में 19 करोड़ और 89–90 में 16 करोड़ इससे यह स्पष्ट है कि आमदनी के अनुपात में (व्यवधान)

यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डिचर है। वह इतना ओवरहैड नहीं है एक्सपेण्डिचर जितना कि आप मानकर चलते हैं। आपने जो बात मण्डियों के सम्बन्ध में कही उस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाह रहा हूं और खास तौर से बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने---

श्री अध्यक्ष: 18 लाख है या 18 करोड़ है।

श्री दिग्विजयसिंह : 18 करोड़। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन मण्डियों के सम्बन्ध में करना चाह रहा हूं मण्डी के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, माननीय बनेड़ा से आने वाले सदस्य ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं और मैं चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे कि जो टैक्स की बात आपने कही है कि आज मण्डी का टैक्स 1 रुपये 25 पैसे है जो काफी पुराना है और हरियाणा की बात हर एक मामले में हम करते हैं और हरियाणा के साथ जोड़कर हम बात करें तो हरियाणा में दो परसेन्ट है। यदि इसकी स्वीकृति हो तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जा सकता है कि मण्डी के माध्यम से डाइरेक्ट टैक्स लगाकर जो कुछ विकास हो रहा है उस विकास की गति के अन्दर हम आगे बढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मण्डियों के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा। खास तौर से माननीय रघुवीरसिंहजी कौशल ने (माफ करना उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम याद नहीं आ रहा इसलिए नहीं ले रहा हूं) एक बात कही आपने कहा कि अस्थायी कर्मचारी काफी वर्षों से कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मण्डी कमेटियों में करीब ढाई-तीन सौ कर्मचारी अभी भी अस्थाई हैं जो कार्यरत हैं। जिनको दस-दस, बारह-बारह साल से अधिक काम करते हुए हो गये। हमने यह निर्णय किया है कि इन सभी अस्थायी कर्मचारियों को 6 माह के अन्दर स्थायी करने की कार्यवाही करेंगे। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों के फोर्थ-क्लास कर्मचारियों की बहुत वर्षों से पुरानी मांग चली आ रही थी और वह मांग यह थी कि कई कर्मचारी जो कि आज प्रमोशन के हिसाब से टेन परसेन्ट प्रमोशन उनका एडमीसेबल होता है, उनकी मांग थी और माननीय सदस्यों ने कहा कि 20 पर्सेन्ट किया जाये। बीस परसेन्ट तो नहीं, सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि दस परसेन्ट से बढ़ाकर हम 15 पर्सेन्ट तक करेंगे। अध्यक्ष महोयय, सबसे मुख्य बात मण्डी की यह है कि काश्तकार को उसकी उपज का सही मूल्य मिले और उसको जब सही मूल्य नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से काश्तकार अपनी उपज जो भी गांव से लेकर आता है वह जिस रेट में देना चाहे उस रेट में देकर जाना पड़ता हैं। उस सम्बन्ध में हमने फैसला किया है कि सुपर क्लास और "ए" क्लास की जो मण्डियां होंगी उनके अन्दर उस काश्तकार को अपने माल का अगर उसे सही मूल्य नहीं मिलता है तो वह प्लेज कर सकता है और पचास से 60 पर्सेन्ट तक उसको हम पैसा दे देंगे। यह, अध्यक्ष महोदय, हमने निर्णय लिये हैं जिनके बारे में मैंने सदन को जानकारी दी है।

यहां पर अध्यक्ष महोदय, यह बात कही गई कि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर का पद टेक्निकल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि अनुभव के आधार पर जब मैं पहले कृषि मन्त्री था, माननीय मुख्यमन्त्रीजी से कहकर मैंने टैकिनकल आदमी को नियुक्त करवाया था, पर मेरा अनुभव, यह हो सकता हूं कि व्यक्ति के हिसाब से वह कमजोर रहे हों, यह आवश्यक नहीं कि तकनीकी व्यक्ति ही कार्य ठीक करे। मैं वह कह सकता हूं कि अगर ठीक तरह का टैक्निकल व्यक्ति हमारे विभाग में मिलेगा तो निश्चित रूप से

(श्री दिग्विजय सिंह)

टैक्निकल व्यक्ति को हम टैक्निकल जगह पर लगाने की कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मण्डियों के चुनाव के बारे में माननीय सदस्यों ने मांग की। यह सदन नहीं मिला उसके पहले यह घोषणा की थी कि मण्डियों के चुनाव जब तक नहीं होते हैं; हम सलाकार मण्डल का गठन करेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान) आप तो फिर भी नहीं चुने जाओगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है।

श्री दिग्विजय सिंह : 1977 से मण्डियों के चुनाव नहीं हुए इसलिए मैं आपको विश्वास दिला सका हूं कि सलाहकार मण्डल का हम गठन कर ही रहे हैं और उसके साथ-साथ 6 माह के अन्दर मण्डी समितियों के हम चुनाव करा देंगे। और कई जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एग्रो इण्डस्ट्रीज के बारे में ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एग्रो इण्डस्ट्रीज के बारे में मैं कुछ कहूं उससे पहले एक बात याद दिला दी उसके बारे में पहले चर्चा कर लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर भू-संरक्षण के संबंध में भी चर्चा आई और आज की चर्चा से पहले भी संकेत रूप मिला कि कई कैचमेंट एरियाज में भू-संरक्षण विभाग ने एनीकट्स के निर्माण करा दिये। इससे कैचमेंट एरिया में पानी आने के लिये काफी कठिनाइयां हुई हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। जब यह फैसला किया गया है कि कैचमेंट एरिया के अन्दर जो भी एनीक्ट्स के निर्माण होंगे उनके अन्दर सलूस लगायें जायेंगे ताकि पहली बरसात का पानी सीधा उस टैंक में जाये बाद में उसको बन्द कर देंगे ताकि बाद की बरसात का पानी रुके और दोनों का काम हो जायें।

इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं कि सायल कनजर्वेशन बोर्ड 1966 से निष्क्रिय पड़ा हुआ है और इसकी आवश्यकता आज सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं। इस बोर्ड का हम पुनर्गठन करेंगे ताकि इस सायल कन्जर्वेशन के संबंध में जो भी समस्यायें हैं उस बोर्ड के माध्यम से जिसमें आफिशियल और नान आफिशियल दोनों ही होंगे, उनकी राय के अनुसार सरकार समय-समय पर काम करती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे और शंकायें उठाई उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एग्रो इण्डस्ट्रीज आज घाटे में चल रहा है। क्यों घाटे में है आप भी जानते है और भी मैं भी सहमत हूं कि जो काम इसको शुरू में दिये गये थे वह कार्य धीरे-धीरे ले लिये गये। इस संबंध में हमने एक बैठक भी की और हमारा यह प्रयत्न है और एक योजना हमने बनाई है कि जो राजी खुशी रिटायर होकर जाना चाहते हैं। उस योजना को जब लागू किया उसमें करीब 100 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट वहां से ले लिया। इससे यह नहीं है कि हम बन्द करना चाहते हैं। मेरा

(श्री दिग्विजयसिंह)

कहने का अभिप्राय यह है : हमने कर्मचारियों से कहा है कि आप और जो वहां का सीनियर मैनेजमेंट है दोनों मिलकर कोई इस तरह की योजना बना कर दें ताकि यह कारपोरेशन नो प्राफिट नो लास बेसिस पर तो चले । सरकार को हर साल जो आठ लाख का घाटा होता रहता है जो आज एकेमुलेटड घाटा करोड़ों में चला गया है वह हम सहन करने की स्थिति में नहीं हैं । इसलिये बन्द करने की कोई घोषणा या बन्द करने की कोई बात हमारे सामने नहीं है । माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय समिति बनी हुई है, उसके सामने भी यह प्रश्न आया है और मेरे सामने भी उस पर चर्चा हुई । आज की स्थिति में मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि एग्रो इण्डस्ट्रीज को हम नहीं चाहते कि भंग करें लेकिन साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि अगर कोई कारपोरेशन यदि घाटे में चले तो मैं समझता हूं आप भी सहमत होंगे कि ऐसे व्हाइट एलीफेंट को बांधे रखने से कोई लाभ नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय; मैं समझता हूं जितनी बातें कहीं मोटे तौर पर मैंने सारी बातों का जिक्र किया । यह थोड़ा सा उल्लेख चारा मशीन का भी आया था उसके संबंध में हमसे कोई लेना देना नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर आज कितनी ही पंचायत समितियां हैं, धौलपुर जिले में धौलपुर पंचायत समिति और राजाखेड़ा पंचायत समिति डार्क जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य जिलों में भी पंचायत समितियां हैं इससे काश्तकारों का बहुत बड़ा अहित हो रहा है । तो क्या सरकार उन इलाकों का पुनः सर्वे कराने का इरादा रखती है या नहीं इस पर आप जरा प्रकाश डाल दें ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह बात सही है कि कई जिलों में यह समस्या है जहां पानी मौजूद है फिर भी उन्होंने डार्क जोन घोषित कर दिया । हम इसका पुनः सर्वे करायेंगे और उसके बाद निर्णय हो जायेगा कि डार्क जोन से मुक्त करना है या नहीं ।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने का सरकार का क्या विचार है ?

श्री दिग्विजयसिंह : आपने सुना ही नहीं । जो सलाहकार समिति बनेगी वह इन सब बातों पर चर्चा कर लेगी ।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा मत पूछिये थोड़ा ही पूछिये, भाषण नहीं देंगे सीधे से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री जगमालसिंह यादव : एक तो जो सीमावर्ती जिले हैं जो दूसरी स्टेट से लगते हैं मैंने सलाह दी थी और कहीं कृषि उपज मण्डी आप खोलें या ना खोलें वो सारे जिले ऐसे हैं जो राजस्थान में उत्पादन के लिहाज से अहम स्थान रखते हैं । अपनी जींस जो बाहर जा रही है उसको रोकने के लिए क्या सीमावर्ती जिलों में प्राथमिकता के तौर पर कृषि उपज मण्डी खोलेंगे ? दूसरा मेरा

(श्री जगमालसिंह यादव)

निवेदन यह था टैक्स की बावत आपने कहा कि 2 पर्सेन्ट करेंगे। आप 2.5 पर्सेन्ट कर दीजिये लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी जिन्स की है वहां तो सवा पर्सेन्ट ले लिया। उस कृषि मण्डी से खैरथल से माल उठकर अलवर आया उस पर फिर सवा पर्सेन्ट टैक्स लग गया, 2 जगह टैक्स चुकता हो गया और फिर अगर वह माल अलवर से जयपुर बिकने आता है तो सवा पर्सेन्ट टैक्स उस पर फिर हो गया। इस प्रकार से उस पर चार पर्सेन्ट टैक्स हो गया। आप इतना ही कर दीजिए कि जगह-जगह उस पर टैक्स नहीं लगे। आप उसको 2.5 पर्सेन्ट कर दीजिए, 3 पर्सेन्ट कर दीजिए। 3-4 जगह जो टैक्स लगता है क्या इसमें संशोधन करेंगे ? एक सवाल मेरा छोटा सा और है आपने जो कहा "ए" क्लास की जो उपज मण्डियां होंगी वही माल को स्टोरेज करने की सुविधाएं देंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते जहां वेयरहाउस मौजूद हैं वही ये सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं करा देते चाहे वो "बी" क्लास की उपज मण्डी हो चाहे सी क्लास की उपज मण्डी हो।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो बात कह रहे हैं स्टोरेज के हिसाब तो जहां बेयर हाउस है वहां व्यवस्था हो जाएगी मगर उस कृषि उपज मण्डी के पास काश्तकार को एडवांस देने को पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। इसलिए हमने टैस्ट के हिसाब से "ए" क्लास और सुपर क्लास मण्डियों में ही लागू किया है। इसके बाद और बढेगी तो जो आप लोन्स की बात कर रहे हैं वो भी करा सकेंगे। वन पोइन्ट टेक्स को आपने जो बात कही है उसका रिप्रजेन्टेशन आया हुआ है कि राजस्थान में वन पोइन्ट टैक्स होना चाहिए यह अण्डर कन्सीडरेशन है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार किसान वन विभाग और चारागाह की जमीन पर नाजायज कब्जा करके खेती कर रहे हैं और धारा 91 के तहत जो मारपीट और दण्ड भुगत रहे हैं तो उन पर बेरोजगार किसानों को आने वाले वर्षों में वन विभाग से भूमि निकालकर देंगे या अन्य रोजगार पर लगाएंगे ?

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : यह फोरेस्ट का मामला आता है भारत सरकार से मुख्य मंत्रीजी ने बात की है, मैंने भी की है और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, करेंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) जैसा कि मैंने कहा था कि रेशम कीटपालन किसानों के काम की महत्वपूर्ण चीज है और इसकी खपत भी है जो भी स्टाफ डी. आर. डी. ए. में दिया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में बतायें कि क्या इसको विभाग में देकर द्रुत गति से बनाने की योजना है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी तरफ से सब उत्तर दे दिये हैं।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37--कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपए 76,35,93,000/- (छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख तिरानवें हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही बुद्धवार दिनांक 18 जुलाई, 1990 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.30 बजे बुद्धवार, दिनांक 18 जुलाई, 1990 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट ।

तारांकित प्रश्न संख्या. 382 की सूची

बोर्ड में कृषि विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख तिथि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं :--

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं
3	2	3	4
1.	श्री सन्त जी भट्ट	सचिव	23-6-90 (मध्यान्ह पश्चात)
2.	श्री ओ. पी. सक्सैना	उप निदेशक सांख्यिकी	9-5-90
3.	श्री करणी कुमार शर्मा	सा. वि. अधिकारी	25-6-84
4.	श्री रमेश चन्द्र शिनाय	अधि. अभियन्ता	30-5-90
5.	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	सहा. अभियन्ता	16-6-90
6.	श्री वी. के. भालेराव	,, ,,	4-6-90
7.	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	,, ,,	6-7-90
8.	श्री एम. पी. सोनी	,, ,,	1-6-90
9.	श्री एम. जी. गौड	,, ,	31-5-89
10.	श्री गणेश बाबू	,, ,,	जुलाई, 1990

परिशिष्ट—2

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 402 की सूची

गृह निर्माण सहकारी समितियां जिनमें विशेष अभियान के दौरान अनियमितताएं पाई गई

क्र. सं.	नाम समिति	क्र. सं.	नाम समिति
(1)	जय जवान	(24)	दयाल भवन
(2)	फोरेस्ट व्यू	(25)	मेजर खन्ना
(3)	मित्र	(26)	विवेकानन्द
(4)	शांति नगर	(27)	विश्वकर्मा
(5)	राजहंस	(28)	बस्ती सीतारामपुरी कच्ची बस्ती
(6)	लक्ष्मी नारायणपुरी	(29)	हथरोई गढ़ी
(7)	अमृतपुरी भवन	(30)	पहाड़ गंज
(8)	बाबा रामदेव	(31)	जवाहरपुरी
(9)	बन्धु	(32)	दी शिवा
(10)	दी कृष्णा	(33)	स्वर्णकार
(11)	टैगोर नगर	(34)	कस्साबपुरा
(12)	इन्द्रपुरी	(35)	गौतम बुद्ध
(13)	जय अम्बे	(36)	गोपालपुरा
(14)	महेश	(37)	श्री रामपुरी
(15)	पटेल	(38)	दी महावीर
(16)	नागरिक	(39)	सिविल लाईन्स
(17)	श्री जनता	(40)	बुनकर
(18)	जय चामुण्डी	(41)	जय गणेश
(19)	मीणा कॉलोनी	(42)	अमृतपुरी विकास
(20)	अशोकपुरा	(43)	आनन्द भवन
(21)	महावीर स्वामी	(44)	सैनी कालोनी
(22)	भारत भवन	(45)	श्री 108
(23)	नेशनल	(46)	[illegible]

क्र. सं.	नाम समिति	क्र. सं.	नाम समिति
(47)	संयुक्त	(64)	करतार पुरा
(48)	भैरव	(65)	कृष्णापुरी
(49)	विजय	(66)	स्वास्तिक
(50)	शंकर भवन	(67)	शिवाजी नगर
(51)	माणिक्यपुरी	(68)	हसनपुरा "बी"
(52)	इन्द्रा नगर	(69)	इन्द्रा गृह
(53)	न्यू पिंक सिटी	(70)	सिन्धु नगर
(54)	माधव नगर	(71)	ज्योति जगजीवन
(55)	धन्नादास की बगीची	(72)	छत्रपति शिवाजी
(56)	जल महल	(73)	गणपति
(57)	शिव शंकर	(74)	म्युचुअल
(58)	गुलाबी नगर	(75)	फौजी गांव
(59)	लंकापुरी	(76)	श्री गणेश
(60)	सुभाष सिन्धी	(77)	रामजीपुरा
(61)	पथिक	(78)	बैधपुरी
(62)	विकास भवन	(79)	जयपुर वाल्मिकी
(63)	ओम शिव	(80)	तोपखाना देश

परिशिष्ट–"ब"

विशेष अभियान गृह निर्माण सहकारी समितियां 1990 के दौरान गृह निर्माण सहकारी समितियों में पाई गई प्रमुख अनियमितताओं की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण :—

(1) गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बिना विधिवत् भूमि क्रय किए और बिना भूमि के स्वामित्व के भू-खण्ड आवंटित/हस्तान्तरण करना।

(2) गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमोदित योजना के भू-खण्ड आवंटन/हस्तान्तरण करना।

(3) समिति द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण के भू-खण्ड काटकर आवंटन, हस्तान्तरण तथा अनियमित रूप से आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड आवंटित करना।

(4) एग्रीमेन्ट टू सैल के आधार पर जमीन खरीद कर पट्टे जारी करना, उनका हस्तान्तरण एवं अन्य व्यक्तियों/सदस्यों को करना एवं खातेदारों को समुचित भुगतान न करना।

(5) एक ही भूखण्ड को एक से अधिक सदस्य को आवंटित करना।

(6) एक ही सदस्य/परिवारजन को एक से अधिक भूखण्ड आवंटित करना।

(7) सदस्यों से धन राशि प्राप्त करने के पश्चात् आबंटन पत्र जारी न करना।

(8) जारी किए गए आवंटन पत्रों को अवैध रूप से संशोधित, हस्तान्तरण व निरस्त करना।

(9) समिति द्वारा भू–खण्ड आबंटन पत्र अथवा रसीद जारी करके वास्तविक कब्जा नहीं देना।

(10) आबंटनधारी व्यक्तियों को सहकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा योजना की जानकारी न करवाना।

(11) चुनाव के समय गृह निर्माण सहकारी समितियों में अनियमितता होना।

(12) समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय लेखे तैयार न करना।

(13) सहकारी समितियों में, आडिट चुनिन्दा निरीक्षकों से ही करवाना।

(14) एक ही समिति द्वारा सामर्थ्य से अधिक विभिन्न योजनाओं का संचालन करना और अन्य समितियों की योजना में पट्टे जारी करना।

(15) सहकारी समितियों द्वारा सहकारी विभाग को वांछित रिकार्ड उपलब्ध न करवाना व रिकार्ड का उचित संधारण न करना।

(16) समिति द्वारा सदस्यों की सूची तैयार नहीं करना एवं उनको सदस्यों के बाबत सूचना नहीं देना।

(17) अकारण भू-खण्ड से वंचित करने के उद्देश्य से सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना।

(18) समय पर वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं करना।

(19) सहकारी सिद्धान्तों व नियमों के अनुरूप कार्य न करना।

(20) प्रबन्धकारिणी में सहवरण द्वारा पदों को भरना तथा परिवार विशेष द्वारा अनियमित चुनावों के माध्यम से समिति पर कब्जा करना।

(21) कच्ची बस्ती निवासियों की समिति पर मूल सदस्यों को अनियमित रूप से

हटाना, अनियमित रूप से सदस्यता बढ़ाकर अन्य व्यक्तियों द्वारा समिति पर कब्जा करना व भूमि का व्यापार करना।

(22) सम्पति विक्रेताओं के माध्यम से पट्टे आबंटन करना एवं भू–खण्डों का बेचान करना।

(23) सम्पति विक्रेताओं के माध्यम से भू–खण्डधारियों से भू–खण्ड की राशि वसूल करना व समिति के खाते में जमा नहीं करवाना।

(24) समिति द्वारा राजकीय भूमि, सड़क, सामान्य सुविधा के लिए आरक्षित भूमि स्थानीय निकाय की आवासीय/व्यावसायिक योजना क्षेत्र की भूमि आदि में पट्टे काटकर भूमि का अवैध बेचान करना व सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करना आदि आदि।

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर।

सपोटरा क्षेत्र के छात्रावास

384. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में विभाग की तरफ से छात्र व छात्राओं के लिए कितने छात्रावास हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसमें से कितने चालू हैं तथा कितने बन्द हैं ?

(3) इन छात्रावासों में कितने-कितने छात्र-छात्रायें निवास करते हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ? प्रत्येक छात्रावास में छात्र संख्या व विगत 5 वर्षों में वर्षवार प्रत्येक छात्रावास पर हुए व्यय का विवरण मेज की पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र में और छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में विभाग की तरफ से अनुसूचित जन जाति छात्रों के लिए दो छात्रावास संचालित है। ये छात्रावास सपोटरा एवं मडरायल में हैं।

(2) दोनों छात्रावास चालू हैं।

(3) इन छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या 25–25 है। सपोटरा स्थित छात्रावास में वर्ष 89–90 में 25 छात्रों ने निवास किया। मंडरायल स्थित छात्रावास में वर्ष 1989–90 में 15 छात्रों ने निवास किया। विगत 5 वर्षों में प्रत्येक छात्रावास पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर हैं।

(4) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं आवश्यकता के अनुसार छात्रावास खोलने पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	वर्ष	व्यय की राशि वर्ष वार	
		छात्रावास सपोटरा	छात्रावास मंडरायल
1.	1985–86	18,408 रुपये	—
2.	1986–87	32,984 रुपये	—
3.	1987–88	33,906 रुपये	—
4.	1988–89	37,622 रुपये	—
5.	1989–90	44,288 रुपये	33,928 रुपये

राजस्थान डेयरी का पैटर्न

385. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में डेयरी की स्थापना का क्या उद्देश्य था ? क्या इसका सिस्टम व स्वरूप देश के किसी प्रतिष्ठित डेयरी उद्योग, यथा अमूल आदि का आधार मानकर उसके पैटर्न पर विकसित करने का विचार था ?

(2) यदि हां, तो क्या तद्नुसार ही व्यवस्था है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त डेयरी के पेटर्न पर प्रान्त में डेयरी उद्योग को विकसित करेगी ? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में डेयरी की स्थापना का मूल उद्देश्य दुग्ध एवं पदार्थों के प्रभावी उत्पादन, संवरण तथा विपणन की गतिविधियां चलाना है, साथ ही सहकारिता के आधार पर पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को संगठित कर उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है तथा उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अमूल आधार पर राजस्थान में डेयरी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था।

(2) जी हां।

(3) राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम अमूल पद्धति के आधार पर विकसित किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 386

(स्थगित)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय

387. **श्री भैरूलाल** (शाहपुरा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने न्यायालय कहां-कहां खोले जायेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार ने शाहपुरा (भीलवाड़ा) में भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के औचित्य को माना है ? यदि हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में उक्त न्यायालय खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने के बारे में अभी विचार/निर्णय नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं।

सांचोर तहसील क्षेत्र में मारपीट के मुकदमे

388. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत विधान सभा चुनाव के समय

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

सांचौर तहसील के किस-किस पुलिस स्टेशन में दिनांक 28 फरवरी, 1990 को मार-पीट के मुकदमें दर्ज हुए एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

गत विधान सभा चुनाव के समय तहसील सांचौर के थाना झाब पर दिनांक 28 फरवरी, 1990 को एक मुकदमा 14/90 दर्ज हुआ था । प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है । चालान शीघ्र पेश किया जावेगा ?

सवाई माधोपुर में लाल व हरी मिर्च पर टैक्स वसूली

389. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1987-88, 1988-89 व 1989-90 में कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर द्वारा वाणिज्य कर नाका छाण तहसील खण्डार में हरी व लाल मिर्च का कितना-कितना टैक्स काश्तकारों से व व्यापारियों से वसूल किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1989-90 में कृषि उपज मण्डी समिति सवाई माधोपुर द्वारा वाणिज्य कर नाका छाण तहसील खण्डार की तुलना में कितनी लाल व हरी मिर्च का टैक्स वसूल किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर नाका द्वारा काटी गई रसीदें व कृषि उपज मण्डी समिति द्वार काटी गई रसीदों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों का मिलान करवा कर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा टैक्स कम वसूल करने पर सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । चुंगी नाका नीमचौकी पर मंडी शुल्क संग्रह केन्द्र स्थापित कर व्यापारियों से हरी व लाल मिर्च पर मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है । गत तीन वर्षों में मण्डी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मण्डी शुल्क (लाख रु. में)		
	हरी मिर्च	लाल मिर्च	कुल योग
1987–88	0.96	0.25	1.21
1988–99	0.09	0.59	0.68
1989–90	0.27	0.01	0.28

(कृषि मंत्री)।

(2) वर्ष 1989-90 में हरी व लाल मिर्च की मात्रा का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :-

वाणिज्य कर नाका के अनुसार आवक की मात्रा		मण्डी समिति के अनुसार आवक की मात्रा	
हरी मिर्च	लाल मिर्च	हरी मिर्च	लाल मिर्च
66292 बोरी	39313 बोरी	27392 बोरी	459 बोरी।

(3) जी हां। मण्डी शुल्क कम वसूली बाबत जांच के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं 9 जनवरी, 89 से 24 फरवरी, 89 तक हुई सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भी आवक माल का सही इन्द्राज नहीं हो सका, क्योंकि इस अवधि में रखे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य नहीं कर सके।

आहोर तहसील में मत्स्य पालन

390. **श्री गोपाल सिंह** (आहोर) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार खारे पानी के अनुपयोगी कुओं के पानी के उपयोग हेतु खारे पानी से मछली पालन की योजना बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना किस स्तर पर है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या जालौर जिले और खास तौर पर तहसील आहोर क्षेत्र में इस तरह के खारे पानी के कुओं की संख्या बहुत होने से इसका अनुसंधान कर उक्त योजना को उद्योग के रूप में चालू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, खारे पानी के अनुपयोगी कुओं (ट्यूब वैल) का उपयोग करने हेतु परीक्षण तौर पर (Experimental basis) पर मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पाली जिले में वर्ष 1989-90 में मछली पालन करने के कार्यक्रम की योजना स्वीकृत की गई है। मछली पालन हेतु भूमि का चयन कर ग्राम हेमावास में 50 बीघा भूमि प्राप्त करली गई है।

(2) जालौर जिले की आहोर तहसील में उपलब्ध खारे पानी के कुओं का उपयोग करने हेतु वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। परीक्षण सफल होने के पश्चात यदि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर आहोर तहसील में उपलब्ध खारे पानी के उपयोग पर विचार करेगी।

रेगिस्तानी जिलों के पशु स्वास्थ्य केन्द्र

391. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रेगिस्तानी जिला बाड़मेर जैसलमेर–जोधपुर–जालौर बीकानेर में कुल कितने पशु स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? इनमें कितने डाक्टर्स पद स्थापित हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर एवं बीकानेर में कुल 58 पशु स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इनमें से 51 केन्द्रों पर डॉक्टर पदस्थापित है एवं 7 पद रिक्त चल रहे हैं। जिलेवार सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डाक्टर उपलब्ध कराए जाने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी ।

"सूची – क"

क्र. सं.	जिले का नाम	पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	वी. ए. एस. के रिक्त पद
1.	बाड़मेर	15	2
2.	जैसलमेर	13	1
3.	जोधपुर	12	13
4.	जालौर	6	1
5.	बीकानेर	12	–
	योग :	58	7

डीडवाना पंचायत समिति में प्लान्टेशन

392. **श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना पंचायत समिति की कोजिया, पीड़वा, मन्डूकरा व अलखपुरा पंचायतों को गांवाई ईंधन एवं चरागाह विकास हेतु ग्राम चारागाह में 15–15 हैक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का कार्य सौंपा गया था ?

(2) क्या पंचायत कोलिया ने 16 हैक्टेयर में 14850 पौधे पीड़वा पंचायत ने 10 हैक्टर में 16500 पौधे, अलखपुरा पंचायत में 9 हैक्टेयर में 16500 पौधे व मन्डूकरा पंचायत के खरवालिया ग्राम में 15 हैक्टेयर में 16500 खड्डे खुदवाने का बताकर कनिष्ट अभियन्ता से ढोल, खड्डों व पौधों का अनियमित मूल्यांकन करवाया ?

(श्री उम्मेद सिंह)

(3) क्या कनिष्ट अभियंता ने डोल का माप व खड्डों की गिनती की ? यदि हां तो क्या दर्शाया गया मूल्यांकन सही है ? यदि नहीं, तो अनियमित मूल्यांकन का भुगतान कराने के कौन दोषी है ?

(4) क्या यह भी सही नहीं है कि पीड़वा पंचायत में मात्रा 10 हैक्टेयर में तखमीने के विपरीत डोल बनाई गई जिसे सही बताकर व मात्र 10000 खड्डों को 16500 खड्डे बताकर व मात्र 1000–1500 पौधे लगाकर 16500 पौधे लगाना बताया गया ?

(5) क्या ग्राम अलखपुरा में मात्र 9 हैक्टेयर में तखमीने के विपरीत कम चौड़ी व कम गहरी डोल खुदवाकर मात्र 7000 खड्डे खोदकर व 1000–1500 वृक्ष लगाकर क. अभियन्ता की मिलीभगत से गलत एम. बी. भराकर फर्जी रिकार्ड तैयार कर भुगतान सरकार से उठाकर गबन किया गया ?

(6) क्या सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया के द्वारा पिड़वा व अलखपुरा ग्राम पंचायतों में उक्त अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार को सप्रमाण शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या क्या जांच कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। वर्ष 88–89 में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवाई ईधन एवं चारागाह विकास हेतु ग्राम पंचायत कोलिया, पीड़वा, मन्डूकरा एवं अलखपुरा में चारागाह भूमि पर 15–15 हैक्टर में पौधे लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया था।

(2) जी नहीं। कार्य का सही मूल्यांकन कर, माप पुस्तिका से दर्ज करने के बाद सही राशि का भुगतान किया गया।

(3) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा डोल का सही माप व खड्डों की सही गिनती करने के बाद ही नियमानुसार माप पुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज किया गया और उसके बाद मूल्यांकन के अनुसार भुगतान किया गया।

(4) जी हां, यह सही नहीं है। पीड़वा पंचायत में हुऐ सभी कार्यों का सही मूल्यांकन किया गया है।

(5) जी नहीं। डोल खुदाई कार्य तखमीने के अनुसार ही किया गया। खड्डों का भुगतान भी वास्तविक गिनती के आधार पर किया गया। ये आरोप निराधार है कि ओवरसियर द्वारा गलत एम. बी. भरी गई है अथवा फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया है।

(6) जी हां। इस सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत कोलिया से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जांच हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर को भेजी गई। अभिकरण द्वारा परिवाद की जांच सहायक वन संरक्षक से करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक में घाटा

393. श्री रामप्रसाद (बैर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक भरतपुर में प्रशासक के कार्यकाल में कुल कितना घाटा रहा ? इसके क्या कारण थे ?

(2) मार्च, 1987 से 30 मई, 1990 तक की अवधि में उक्त बैंक में निर्वाचक मण्डल के कार्यकाल में कुल कितना घाटा रहा और इसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक भरतपुर में प्रशासक कार्यकाल (वर्ष 77–78 से 86–87) में कुल घाटा 36.32 लाख रुपये का रहा है। इस घाटे के मुख्य कारण निम्नांकित हैं :—

1. भूमि विकास बैंक कर्मचारियों के लिए राणावत अवार्ड के अनुसार वेतन–भत्तों में बढोतरी होना।

2. समय-समय पर मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के अनुरूप कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निरन्तर वृद्धि होते रहना।

3. वर्ष 81–83 में समझौते के अनुसार कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि कर परिलाभ दिये जाना।

4. वसूली कार्य हेतु यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि होना।

(2) मार्च, 87 से 30 मई, 90 तक की अवधि में बैंक में निर्वाचित संचालक मण्डल के कार्यकाल में 42.83 लाख रुपये का घाटा हुआ है। घाटे के मुख्य–मुख्य कारण निम्नांकित है—

1. बैंक की वसूली प्रतिशत में निरन्तर कमी होना, अवधिपार ऋणों का बढ़ना, बैंक के पास असीमित ऋण क्षमता का होना।

2. गत वर्षों में निरन्तर महंगाई बढ़ते रहने के कारण वसूली व्यय एवं संस्थापन व्यय में वृद्धि होना।

ग्राम केसरपुरा (सिरोही) के सरपंच द्वारा भूखण्ड नियमन

394. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत-केसरपुरा, तहसील–शिवगंज जिला सिरोही के सरपंच द्वारा पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों का नियमन किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने भूखण्डों का ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों का नियमन नियमानुसार नहीं होने के कारण जिलाधीश सिरोही द्वारा दिनांक 27-9-1989 को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कितने भूखण्डों का नियमन निरस्त किया गया व कितनों का नहीं किया गया ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन भूखण्डों का नियमन निरस्त नहीं किया गया वे क्या किसी प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्बन्धित है ?

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(4) यदि नहीं, तो अन्य भूखण्डों के साथ इनका नियमन निरस्त नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक शेष रहे भूखण्डों का नियमन निरस्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा वर्ष, 1983 में कुल 78 भूखण्डों का नियमन पंचायत अधिनियम, 266 के अन्तर्गत किया गया था।

(2) उक्त भूखण्डों के नियमन को खारिज़ करने हेतु रिवीजन पंचायत अधिनियम 27 के तहत् न्यायालय कलक्टर कोर्ट सिरोही में प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 76 भूखण्डों का नियमन फैसले में खारिज कर दिया गया! केवल दो भूखण्डों का नियमन का फैसला प्रार्थियों के हक में हुआ। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, वैसे भी यह न्यायालय का निर्णय है अतः कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

(4) न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर फैसला दिया हैं। राज्य सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

रामसिंहपुर गंगानगर कृषि मंडी

395. **श्री सुनील बिश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रामसिंहपुर कृषि मंडी जिला श्री गंगानगर कब बनी और उस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि यह मंडी अभी तक चालू नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस अड्डे से व मंडी से मंडी यार्ड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस मंडी की दुकानें अभी तक व्यापारियों को नहीं दी गयी ?

(5) क्या यह सही है कि बिन्जोर नहर की बुर्ज नम्बर दो से अगर इस मंडी यार्ड को रास्ता दिया जावे तो यह मंडी कामयाब हो सकती है ? यदि हां तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही ?

उत्तर

(1) गौण मंडी यार्ड रामसिंहपुरा का निर्माण वर्ष 1987 में हुआ। जिस पर 22.38 लाख रु की राशि व्यय की गई है।

(2) जी हां। नया मंडी यार्ड चालू इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मंडी समिति के प्रयासों के बावजूद व्यापारी नवीन मंडी यार्ड में व्यापार स्थानान्तरण हेतु उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं। दिनांक 6–7–90 तक आवंटन के लिए निर्धारित पत्र में सूचना मांगी गई थी, लेकिन किसी भी व्यापारी

(कृषि मंत्री)

द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं हो सकी।

(3) बस अड्डे से मंडी यार्ड तक जाने के लिए सूरतगढ़, अनूपगढ़ रोड से मंडी यार्ड तक जाने के लिए सड़क बनी हुई है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। बिन्जोर नहर की बुर्ज नम्बर 2 से इस मंडी यार्ड को रास्ता दिया जाये तो इस मंडी यार्ड के कामयाब होने की आशा है। इसलिये बिन्जोर नहर की बुर्ज नम्बर 2 पर पुलिया निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 में 1.35 लाख रु. की बजट स्वीकृति दी गई है।

चूरू क्षेत्र में औषधि व अन्य सामग्री की खरीद

396. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 में जिला पशुपालन अधिकारी, चूरू को औषधियां/औजार क्रय हेतु मात्र 18 हजार रुपये का ही बजट आवंटन किया गया था? यदि हां तो क्या यह जिले के अधीनस्थ 45 संस्थाओं/चिकित्सालयों के लिये पर्याप्त था?

(2) क्या औषधियों एवं अन्य सामग्री हेतु सप्लाई निदेशालय स्तर से की गई? यदि हां, तो क्या वह चूरू क्षेत्र के पशु चिकित्सकों की मांग के अनुसार पर्याप्त थी? यदि नहीं, तो क्यों।

(3) क्या इससे पूर्व भी क्षेत्र विशेष की मांग के विपरीत स्वेच्छा से औषधियां/औजार आदि जिलों में सप्लाई किये गये थे? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं, तो उक्त दो वर्षों में ही निदेशालय स्तर से करोड़ों रुपयों की औषधियां/औजार क्रय कर बिना मांग सप्लाई किये जाने के क्या कारण रहे? क्या यह उचित था? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किन-किन उच्चाधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया गया?

(4) क्या मार्च 1990 तक क्रय की गई औषधियां/औजार सामग्री का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर्स को कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1989-90 के दौरान जिला पशु पालन अधिकारी, चूरू को औषधियों हेतु रुपये 1,63,058 एवं औजार क्रय हेतु रुपये 25,795 का बजट आवंटन किया गया था, जो जिले में कार्यशील संस्थाओं के लिए पर्याप्त था।

(2) जी नहीं। औषधियां एवं अन्य सामग्री निदेशालय स्तर से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जिले में कार्यरत संस्थाओं की आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर ही क्रय की गई है।

(3) जी नहीं। निदेशालय स्तर से उक्त दोनों वर्षों में दवाईयां खरीद कर जिला पशुपालन अधिकारी चूरू को नहीं भेजी गई हैं। जब निदेशालय स्तर से दवाईयां खरीदी ही नहीं गई तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(पशुपालन मंत्री)

(4) जी हां। मार्च, 1990 तक जिला पशु पालन अधिकारी चूरू द्वारा क्रय की गई औषधियां, औजार एवं सामग्री के भुगतान सम्बन्धित सप्लायर्स को कर दिये गये हैं।

लाडनूं पंचायत समिति के गांवों का पुनर्सीमांकन

397. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, लाडनूं में ग्राम पंचायत रीगण, बाकलिया व खामियाद लाछड़ी पंचायतों के पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है एवं क्या सरकार को जिलाधीश नागौर ने पुनर्सीमांकन हेतु सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन पंचायतों का पुनर्सीमांकन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह कार्य पंचायतों के चुनाव से पूर्व करवा दिये जायेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर नागौर ने ग्राम पंचायत रीगण, बाकलिया, खमियाद व लाछड़ी के पुनर्सीमांकन की सिफारिश वर्ष 1986 एवं 1987 में की थी। इन पंचायतों के पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 11·5·87 व दिनांक 3·6·87 को जारी की गई, किन्तु इन पंचायतों के पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं का सुदृढीकरण करने की प्रक्रिया पर विचार किया जाना है। समग्ररूप से लिये गये निर्णय के अनुसार ही इस प्रकरण में भी कार्यवाही की जावेगी।

(3) जब तक निर्णय नहीं हो जावे, कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

ए. सी. एम. कार्यालय, चूरू में विचाराधीन मुकदमे

398. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ए.सी.एम. कार्यालय चूरू में किस-किस तहसील के कितने-कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मुकदमों की संख्या की दृष्टि में शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु श्री डूंगरगढ़ में ए. सी. एम. कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ए. सी. एम कार्यालय चूरू में तहसील चूरू के 90, तहसील सरदारशहर के 3 व तारानगर के 201 वाद लम्बित हैं। जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" "ख" व "ग" में अंकित है।

(राजस्व मंत्री)

(2) इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य-सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिन्डौन में ए. डी. जे. कोर्ट

399. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कहां-कहां पर कुल कितने न्यायालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हिण्डौन सिटी में ए. डी. जे. कोर्ट की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त जिले की टोड़ाभीम तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल 16 न्यायालय हैं। नाम व न्यायालय स्थान की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। धनाभाव के कारण हिन्डौन में ए. डी. जे. न्यायालय खोलना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण टोडाभीम तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्टेट कोर्ट खोलने का सरकार का विचार नहीं है।

सवाई–माधोपुर में स्थित न्यायालयों की सूची

1. जिला एवं सत्र न्यायालय सवाई माधोपुर।
2. विशेष न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र) करौली।
3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, गंगापुर सिटी।
4. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, करौली।
5. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सवाई माधोपुर।
6. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, गंगापुर सिटी।
7. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली।
8. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन।
9. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सवाई माधोपुर।
10. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सवाई माधोपुर।

11. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय गंगापुरसिटी ।

12. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।

13. अपर मुसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन ।

14. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।

15. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।

16. न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन ।

भीनमाल कृषि उपज मंडी द्वारा सड़क निर्माण

400. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाडा) एवम् **श्री प्रेम सिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी, भीनमाल द्वारा तहसील भीनमाल व रानीवाड़ा के किन-किन गांवों में अब तक कितनी-कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया ?

(2) उक्त निर्माण कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) उक्त कृषि उपज मंडी की वर्ष 1980 से अब तक की आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल द्वारा तहसील भीनमाल व रानीवाड़ा में कोई सम्पर्क सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है ।

(2) चूंकि सम्पर्क सड़कों का निर्माण नहीं कराया है अतः कोई राशि व्यय नहीं की गई है ।

(3) कृषि उपज मंडी समिति, भीनमाल की वर्ष 1980 से 1989 तक का आय व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल की वर्ष 1980 से आय व्यय का विवरण :—

वर्ष	प्राप्तियां (ऋण सहित) (लाखों में)	व्यय लाखों में
1980–81	19.14	9.81
1981–82	25.20	21.29

1	2	3
1982–83	21.68	8.57
1983–84	26.73	23.38
1984–85	22.98	22.02
1985–86	14.49	14.16
1986–87	15.04	14.22
1987–88	15.13	14.52
1988–89	16.70	15.42
1989–90	18.50	17.62

उपनिवेशन भूमि का अवैध आवंटन

401. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) एवं**

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की चक 1, 2, 3, 4, डी. ओएल आदि (रावला) में जोधपुर के भूतपूर्व राज्य घराने की जमीन को उपनिवेशन विभाग ने अपने कब्जे व अधिकारों में लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तत्कालीन सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर, श्री वृद्धिचंद ने विशेष आवंटन के अन्तर्गत ऐसी भूमि का आवंटन मई, 1989 में किया ? यदि हां, तो कितनी भूमि का आवंटन किन.किन व्यक्तियों को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त वर्णित भूमि का आवंटन किये जाने पर लोगों द्वारा इस आवंटन में आवंटन अधिकारी द्वारा अनुचित एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं गलत आवंटन कर लाखों रुपये का राज्य कोष को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें की गई ?

(3) क्या तत्कालीन उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ने ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर इस रावला जमीन घपले के नाम से जाने वाले प्रकरण की आरम्भिक जांच तत्कालीन उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर से करवाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि उन्होंने अपनी प्रारम्भिक जांच में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि तत्कालीन सहायक उप निवेशन आयुक्त छतरगढ़ द्वारा ऐसे आवंटन में अवैध गलत प्रक्रिया अपना कर गलत व्यक्तियों को आवंटन किया गया, जानबूझ कर आवेदकों में बोली नहीं बुलाई गई, फर्जी कार्य कर बिना नोटिस दिये व छिपकर आवंटन किया गया एवं राज्य कोष की पचपन लाख रुपयों का नुकसान पहुंचाया ? यदि हां. तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर से उनके स्तर पर इसके मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? राज्य सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? आयुक्त उपनिवेशन द्वारा राज्य सरकार की रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की गई ? रिपोर्ट में इतनी देर लगने के कारण क्या हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार राज्य कोष को इस प्रकार लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाने एवं गलत आवंटन किये जाने पर ऐसे आवंटन को निरस्त किये जाने की कानूनी कार्यवाही करेगी एवं दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां ।

(3) जी हां।

(4) जी हां। यह सही कि उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपनी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में कहा है कि तत्कालीन सहायक उपनिवेशन, आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा इस विशेष आवंटन में अवैध व गलत प्रक्रिया अपना कर गलत व्यक्तियों को आवंटन किया गया और जानबूझकर आवेदकों की बोली नहीं बुलाई गई एवं राज्यकोषको 53,00,000 रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। आयुक्त, उपनिवेशन ने जांच रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांकः डीओ नं. पीए/ सीसी/ बीकेएन/ 90/24 दिनांक 3.5.90 से प्रेषित की। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए तत्कालीन आवंटन अधिकारी श्री वृद्धिचन्द को निलम्बित किया गया तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। जांच रिपोर्ट में विलम्ब नहीं हुआ।

(6) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 612 की सूची

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में भिन्न भिन्न मुद्दों के तहत रिजर्व रखी गई भूमि का विवरण :-

क्र. सं.	मद	आरक्षित भूमि (ऐकड़ों में)
1.	शौर्य पुरुष्कार विजेता	684
2.	युद्धों में शहीदों के आश्रितों एवं भूतपूर्व विकलांक प्रतिरक्षा कर्मी ।	8482
3.	भूतपूर्व जागीरदार	24878
4.	पाक विस्थापित	1176
5.	महाजन फील्ड फार्यरिंग रेंज विस्थापित	72220
6,	विशेष आवंटन के आवंटिति	51202
	योग :	158642

258

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 617 की सूची

क. सं	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1.	रा. उ. मा. वि. जसवंतगढ़	15
2.	रा. मा. वि. नावा	26
3.	रा. उ. मा. वि. मनाना	4
4.	रा. मा. वि., रिड	13
5.	रा. जौहरी उ. मा. विद्यालय लाडनूं	18
6.	रा. उ. मा. वि. मकराना	11
7.	रा. उ. मा. वि. जांवला	8
8.	रा. उ. मा. वि. मारो.	25
9.	रा. जवाहर उ. मा. वि. कुचामनसिटी	48
10.	रा. उ. मा. वि. निम्बीजोधा	7
11.	रा. उ. मा. वि. कुकनवाली	15
12.	रा. उ. मा. वि. नागौर	41
	योग :—	231

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 620 की सूची

आवंटन सूची रोनीजाथान तहसील–लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर वर्ष 1973 साबिक नम्बरान् :–

क्र.सं.	नाम आवंटी	रकबा मय खसरा नम्बरान
1.	मोहन्या पुत्र निरता चमार	1140 मि. 4)
2.	भगल्या पुत्र किशना	1140 मि. 4)
3.	रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द	1140 मि. 3 ।।) 1
		1135 मि. 58)
4.	बसन्ती पुत्र सालगा	1140 मि. 4)
5.	खेमचन्द पुत्र चन्द्रा	1141 मि. 4)
6.	प्रभाती पुत्र मगल्या	1117 मि. 2) 2)
		1135 मि. 1 ।।)
		1141 मि. 53)
7.	रुगनाथ पुत्र मगल्या	1141 मि. 4)
8.	छुट्टन पुत्र भौरा	1136 मि. 3 ।।।) 4)
		1141 मि, 53)
9.	मन्या पुत्र जमन्या	1136 मि. 3 ।।) 4
10.	अमरसिंह पुत्र शंकर लाल	1136 मि. 4)
11.	रामजीलाल पुत्र छुट्टन लाल	1136 मि. 2)
12.	गोकल पुत्र छोटे लाल	1136 मि. 2)
13.	मगल्या पुत्र सीशडा	1135 मि. 5)
14.	मांग्या, छाज्या पुत्र सुखपाल	1140 मि. 6)
15.	गंगाराम पुत्र लक्ष्मण	1140 मि. 41)

ह/–

तहसीलदार (भू. अ.)
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 622 की सूची

थाना परबतसर, गच्छीपुरा व पीलवा जिला नागौर के अधीन जनवरी, 1989 से दिनांक 10.7.1990 तक दर्ज हुये अपराध का विवरण

क्र. सं.	शीर्षक	परबतसर	पीलवा	गच्छीपुरा
1.	डकैती	—	—	—
2.	कत्ल	6	5	2
3.	लूट	2	2	2
4.	नकबजनी	9	10	4
5.	बलात्कार	—	—	1
6.	बाल्वा	46	30	7
7.	चोरी	23	9	7
8.	अपहरण	1	4	1
9.	अन्य	89	66	65
10.	लोकल एक्ट	14	11	16
	योग	190	137	105

1989 से दिनांक 10–7–90 तक थाना पीलवा में हत्याओं के दर्ज हुए अपराध का विवरण

दिनांक 1–1–89 से 10–7–90 तक थाना पीलवा पर दर्ज हुए हत्या के मुकदमात् एवं उनका विवरण

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	तारीख दर्ज हुआ	तारीख हत्या हुई	तारीख चालान	कब तक चालान पेश कर दिए जावेंगें।
1.	44/89	147/148/149/ 302/307/326 भा.द.स.	13–6–89	13–6–90	14–0–90	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	81/89	147/148/149 302/201 भादस	18-11-89	16-11-89	5-3-90	—
3.	27/90	302/304 बी/ 498 ए/201 भा.द.स.	18-4-90	9-4-90	—	जर तफतीश है, अ. प. अ. सी. बी रेंज सैल जोधपुर द्वारा तफतीश की जा रही है, पूर्ण होते ही नतीजा दिया जावेगा।
4.	28/90	302/304 बी/ 498 ए भा.द.स.	19-4-90	19-4-90	26-6-90	—
5.	24/90	302/364/201 भा.द.स.	4-4-90	3-4-90	12-6-90	—

जनवरी, 1989 से दिनांक 10-7-90 तक पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर पर दर्ज शुदा हत्या के अपराध

दिनांक 1-1-89 से दिनांक 10-7-90 तक थाना परबतसर (नागौर) पर हत्या के दर्ज हुए मुकदमात् एवं उनका निस्तारण

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	तारीख दर्ज हुआ	तारीख हत्या हुई	तारीख चालान	कब तक चालान पेश कर दिए जायेंगे
1.	36/89	302/201 भा.द.स.	23-3-89	22-3-89	15-5-89	—
2.	40/89	302 ,,	25-3-89	24-3-89	—	वृताधिकारी मकराना द्वारा तफतीश की जा रही है पूर्ण होते ही नतीजा दिया जावेगा।
3.	116/89	302/323/447/ 147/148/149 भा.द.स.	6-10-89	6-10-89	—	अ. प. अ. (सी. बी.) रेंज सैल जोधपुर द्वारा तफतीश की जा रही है पूर्ण होते ही नतीजा दिया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	7
4.	130/39	302/34 भा.द.स.	20–11–89	19–11–89	7–12–89	—
5.	13/00	302/304	17–3–90	2–390	,,	अ.प.अ. (सतर्कता) श्री शिवलाल जोशी, द्वारा तफतीश की जा रही है, पूर्ण होते ही नतीजा दिया जावेगा
6.	28/90	301/201 भा.द.स.	2–5–90	1/5/90	—	एफ.आर.अ.व. दिनांक 11–6–90 को दी गई है।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूची

बिन्दु नम्बर-1

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल कार्य	वित्तीय प्रावधान	कार्य की किस्म एनीकट	वाटरसेड	खर्च की गई राशि	विशेष विवरण
1.	डी.पी.ए.पी.	18	21.739	13	5	19.711	12 एनीकट कार्य एवं 4 वाटरसेड कार्य पूर्ण कराये।
2.	माडा	1	0.268	1	—	0.269	1 एनीकट पूर्ण किया।
3.	आर.एल.ई.जी.पी.	1	3.254	1	—	0.970	1 एनीकट पूर्ण किया।
4.	मैसिव	4	2.30	-	4	2.300	4 वाटर सेड पूर्ण किये।
5.	नेशनल वाटर सेड डवलपमेन्ट प्रोग्राम	1	2.70	-	1	1.63	कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु—2

विभिन्न योजनार्गत वर्ष 1990-91 के लक्ष्य—

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल कार्य	कार्य की किस्म एनीकट	वाटरसेड	राशि जो खर्च करनी है	विशेष विवरण
1.	डी.पी.ए.पी.	11	5	6	18.927	दो कार्य शुरू कर 0.75 लाख रु. व्यय
2.	जे.आर.वाई	2	2	-	1.220	एक कार्य शुरू कर पूर्ण करवाया व्यय 1.15 लाख

1	2	3	4	5	6	7
3.	माडा	3	3	–	7.380	तीन कार्य शुरू कर 3.00 लाख रु. व्यय
4.	जे.आर.वाई. पेमिन	2	2	–	2.950	दो कार्य शुरू करवाकर 0.42 लाख रु. व्यय किये।
5.	यूनाइटेड	3	3	–	2.800	दो कार्य शुरू कर पूर्ण करवाये 2·30 लाख व्यय
6.	नेशनल वाटरसेड डवलपमेन्ट	4	–	3	9.740	एक कार्य शुरू करवाकर 0·685 लाख रु. व्यय

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 632 की सूची

क्र. सं.	दिनांक घटना	थाना व जिला	मौतें पुलिस थानों में घटित	बलात्कार पुलिस थानों में घटित	जिन पदों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई	विभिन्न धाराओं का विवरण
1.	13.6.90	कोतवाली जयपुर शहर	1	—	1. त्रिलोकचन्द, उप निरीक्षक 2. कल्याण सहाय, है. का. नं. 1216 3. हेतराम, एफ.सी. नं. 2046 4. रघुवीर सिंह, का. नि. नं. 3973 है. का. एवं दोनों कानिस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया।	मु. नं. 321/90 धारा 302 ता. हि. दि. 13.6.90 थाना कोतवाली जयपुर शहर इस अभियोग का अनुसंधान पुलिस अधीक्षक 11, सी. आई. डी. (अपराध) द्वारा किया जा रहा है।
2.	7.1.90	महुआ जिला सवाई माधोपुर	1	—	1. श्री रामदयाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक 2. ताहीर मोहम्मद, है. का नं. 500 3. श्री ताराचन्द का. नि. नं. 946	मु. नं. 6/90 दि. 7.1.90 धारा 302 थाना (महुआ) सवाई माधोपुर) 1 इस मुकदमें का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक सी.आई.डी. (सीबी) भरतपुर द्वारा किया जा रहा है। तीनों कर्मचारी निलम्बित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
3.	4.6.90	चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़	1	—	—	धारा 176 जा.फौ. की जांच एस. डी.एम. चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्ण कर ली गई है। इसके अनुसरण में मुकदमा दर्ज कर तफतीश सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच) द्वारा की जा रही है।
4.	2.3.90	कोतवाली जिला नागौर	1	—	1. श्री नन्दलाल, उप निरीक्षक 2. श्री सीताराम, कानि. नं. 585 3. श्री चन्द्रसिह, कानि. नं. 402 4. श्री सवाई राम कानि. नं. 789	धारा 176 सी.आर.पी.सी. के तहत अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा जांच की जा रही है। चारों कर्मचारी निलम्बित हैं।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	कार्य शुरू हुआ अथवा नहीं	विशेष विवरण
1	2	3	4
पंचायत समिति, आमेर :—			
1.	सम्पर्क सड़क चौमू चन्दवाजी सड़क से सिरोही	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क ताला मोड़ से कांत	—	पूर्ण हो चुकी
3.	सम्पर्क सड़क दिल्ली रोड से खोरा मीणा	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क खोरा विशल से चतरपुरा	कार्य शुरु नहीं	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
5.	सम्पर्क सड़क खोरा विशल से राजदा	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
6.	सम्पर्क सड़क नीदर से जयरामपुरा	—	पूर्ण हो चुकी
7.	सम्पर्क सड़क नांगल पुरोहित से भैरू खेजड़ा	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
8.	सम्पर्क सड़क बिहारीपुरा से भीमपुरा	—	पूर्ण हो चुकी
9.	सम्पर्क सड़क सिरसली से खनीपुरा	कार्य शुरु	2 कि. मी. डब्लू. बी. एम. शेष में भूमि विवाद है।

1	2	3	4
10.	सम्पर्क सड़क बैनाड़ से दौलतपुरा	कार्य शुरु	कार्य प्रगति पर है
11.	सम्पर्क सड़क रोड़ नं. 17 से अखैपुरा	शुरु नहीं	भूमि विवाद के कारण कार्य शुरु नहीं
12.	सम्पर्क सड़क जयसिंहपुरा से प्रतापपुरा	शुरु नहीं	कार्य शुरु नहीं किया गया
13.	सम्पर्क सड़क लखेर से कंवरपुरा वाया अरणिया	कार्य शुरु	1.5 कि. मी. डब्लू. बी. एम. शेष भूमि विवाद है ।
14.	सम्पर्क सड़क चांप से बिलोची	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
15.	सम्पर्क सड़क मोदी से राधाकिशन पुरा	कार्य शुरु नहीं	कार्य शुरु नहीं किया गया
पंचायत समिति, झोटवाड़ा :—			
1.	सम्पर्क सड़क धर्मपुरा से जिलोई महेश बास	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क सारंग का वास से कापड़िया बास	कार्य शुरु	कार्य प्रगति पर है
3.	सम्पर्क सड़क निवारु से लालचन्दपुरा	कार्य शुरु	कार्य प्रगति पर है
4.	सम्पर्क सड़क गोविन्दपुरा से सिरसी	कार्य शुरु	डब्लू. बी. एम. पूर्ण
5.	सम्पर्क सड़क बिन्दायिका से नानसूर	कार्य शुरु	कार्य प्रगति पर है
6.	सम्पर्क सड़क बैनाड़ रेल्वे स्टेशन से कदम डूंगरी	कार्य शुरु	कार्य बन्द कर लिया गया आर्मी द्वारा
7.	सम्पर्क सड़क मुकुन्दपुरा से निमेड़	कार्य शुरु	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4
8.	सम्पर्क सड़क गुढा मोड़ से गुढा सर्जन	कार्य शुरु	कार्य पूर्ण हो चुका
9.	सम्पर्क सड़क कालवाड़ से रामकुटिया	कार्य शुरु नहीं	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया
	मरम्मत हेतु प्रस्तावित सड़कें :—		
1.	सम्पर्क सड़क आगरा रोड़ चुंगी चौकी से सुमेल		
2.	सम्पर्क सड़क कालवाड़ से दुर्जनियावास		
3.	सम्पर्क सड़क कालवाड़ से भम्भौरी		
4.	सम्पर्क सड़क मुकुन्दपुरा से बिन्दायका		
5.	सम्पर्क सड़क सरना डूंगर से बावड़ी		
6.	सम्पर्क सड़क धर्मपुरा से धानकिया रेल्वे स्टेशन		
7.	सम्पर्क सड़क मुकुन्दपुरा से भाखरोटा		
8.	सम्पर्क सड़क धर्मपुरा से जिलोई महेशवास		
9.	सम्पर्क सड़क सिरसी रोड़ से गोकुलपुरा		
10.	सम्पर्क सड़क कालवाड़ रोड से गोकुलपुरा		
	पंचायत समिति आमेर :—		
–	**पंचायत समिति झोटवाड़ा**		
1.	सम्पर्क सड़क बिन्दायका खारड़ा से बेगान		

1	2	3	4
2.	सम्पर्क सड़क मोड़ी से रायथल वाया जयसिंहपुरा		
3.	सम्पर्क सड़क ताकड़ो की ढाणी से तनबिहारीपुरा		
4.	सम्पर्क सड़क नेशनल हाइवे देहली रोड़ चिताणु वाया जुगलपुरा		
5.	सम्पर्क सड़क नेशनल हाइवे रोड़ से लखेर		
6.	सम्पर्क सड़क नीदड़ से जयरामपुरा		
7.	सम्पर्क सड़क नीदड़ से जयरामपुरा		
8.	सम्पर्क सड़क कुंड ग्रिड स्टेशन से नांगल सुसावतान		
9.	सम्पर्क सड़क बांडी से महेशपुरा		

विशेष मरम्मत की जाने वाली सड़कें :—

पंचायत समिति, आमेर :—

1. सम्पर्क सड़क जाहोता से बावड़ी
2. सम्पर्क सड़क नांगल से चौंप

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 645 की सूची

जिला	प्राथमिक शालायें अध्यापकों के स्वीकृत पद	प्राथमिक शालायें कार्यरत अध्यापकों की संख्या	उच्च प्राथमिक शालायें अध्यापकों के स्वीकृत पद	उच्च प्राथमिक शालायें कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1. अजमेर	2061	1940	1828	1708
2. अलवर	3328	3272	3113	2912
3. बासवाड़ा	2206	1737	1381	1331
4. बाड़मेर	2164	1849	1517	1327
5. भरतपुर	2331	2313	2190	2134
6. भीलवाड़ा	2388	2301	2407	2244
7. बीकानेर	1352	1223	908	883
8. बून्दी	1278	1245	887	827
9. चित्तौड़गढ़	2487	2342	1624	1587
10. चूरू	1320	1275	1639	1462
11. धौलपुर	1135	1092	784	743
12. डूंगरपुर	1623	1614	1475	1438
13. गंगानगर	3145	2888	2779	2465
14. जयपुर	4453	4344	4421	3987
15. जैसलमेर	878	626	419	381
16. जालौर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।			
17. झालावाड	1500	1381	1055	983
18. झुन्झुनूं	2032	2032	2113	1882
19. जोधपुर	1791	1757	2065	1844
20. कोटा	2659	2436	1861	1746
21. नागौर	2532	2286	2175	1961

1	2	3	4	5	6
22.	पाली	1823	1797	2051	1946
23.	सवाई माधोपुर	2886	2779	2114	1921
24.	सीकर	2231	2115	2137	1996
25.	सिरोही	894	857	787	738
26.	टौंक	1314	1205	1300	1251
27.	उदयपुर	4613	3485	3656	3322
	योग	56424	52191	48588	45029

परिशिष्ट—12.

अतारांकित प्रश्न संख्या 652 की सूची

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूची :

1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मजेड़ा			
2.	,,	,,	,,	डोरावली
3.	,,	,,	,,	निसूज
4.	,,	,,	,,	करमपुरा
5.	,,	,,	,,	किरवाड़ा
6.	,,	,,	,,	कन्जोली
7.	,,	,,	,,	वोल
8.	,,	,,	,,	खिरखिड़ी
9.	,,	,,	,,	पाटोली
10.	,,	,,	,,	पाडूला
11,	,,	,,	,,	माचड़ी
12.	,,	,,	,,	शहरा खर
13.	,,	,,	,,	गोरड़ा
14.	,,	,,	,,	मण्डेरू
15.	,,	,,	,,	देवलेन
16.	,,	,,	,,	पहाड़ी
17.	,,	,,	,,	खोहरा
18.	,,	,,	,,	सांकरवाड़ा
19.	,,	,,	,,	जगदीशपुरा
20,	,,	,,	,,	खेड़ी

1	2	3	4	5
21.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मन्नोज			
22.	,,	,,	,,	कुठावल
23.	,,	,,	,,	मातासूला
24.	,,	,,	,,	भैंसा
25.	,,	,,	,,	नया गांव
26.	,,	,,	,,	राजौर
27.	,,	,,	,,	लुहार खेड़ा

२78

परिशिष्ट—13

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पं. सं.	स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	भारत सरकार द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1989–90	बाड़मेर	1. शिव	30	151.25 लाख	—	भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की प्रथम किस्त दि. 21.5.90 को प्राप्त हुई है। पं. सं. द्वारा कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जा रहे हैं।
		2. चौहटन	30			
		3. बाड़मेर	31			
		4. घोरीमन्ना	30			
			121			
,,	जैसलमेर	1. जैसलमेर	37	40.00 लाख	4.55	29 शालाओं के भवन निर्माण कार्य चालू हैं।
		2. सम	30		6.05 लाख	25 शालाओं के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत दी गई है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
			67			

1	2	3	4	5	6	7
1989–90	बीकानेर	1. कोलायत	33	80.00 लाख	1.68 लाख	पं. स. कोलायत के 7 शालाओं का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
		2. बीकानेर	31		1.40 लाख	पं. सं. बीकानेर की 5 शालाओं का कार्य प्रारम्भ हो चुका है शेष कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने जा रहे हैं।
			64			
,,	गंगानगर	1. अनूपगढ़	30	अभी कोई राशि आवंटित नहीं की गई हैं -	—	कोई राशि व्यय नहीं की गई।
		2. रायसिहनगर	29			
		3. करणपुर	30			
		4. पदमपुर	35			
		5. गंगानगर	20			
			144			
		कुल योग :—	396			

शुद्धि–पत्र

क्रम. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	197	5	(बागीडोरा)	(बागीडोरा)
2.	220	7	श्री वृजराम मीणा	श्री बृजराज भीणा
3.	390	28	श्री रामनारावण वर्मा	श्री रामनारायण वर्मा
4.	481	7	श्री भैरूलाल	श्री भैरूलाल